भारतीय संविधानका मसौदा

राहुल सांकृत्यायन
विद्यानिवास मिश्र



संवत २००५

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

मुद्रक—जगतनारायणलाल, हिन्दी साहित्य प्रेस, प्रयाग।

प्रकाशक—श्री रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री सहायक मंत्री, हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, प्रयाग।

विषय-सूची

भारतीय संविधानका मसौदा

उपोद्घात

भारतको पूर्ण-सत्ताधारी जनतन्त्रात्मक गणराज्य बनानेके लिए, इसके समस्त नागरिकोंको

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय;

विचार, भाषण, विश्वास, धर्म तथा उपासनाकी स्वतन्त्रता; और अवसर तथा समाजमें स्थानकी समानता दिलानेके लिए,

तथा सबके भीतर व्यक्तिके आत्म-सम्मान और राष्ट्रकी एकता स्थिर रखने वाले भाईचारेको बढ़ानेके लिए,

दृढ़-संकल्प होकर, हम भारतके लोग अपनी इस संविधान सभामें आज ता०......१९४८ ई० को इसके द्वारा इस संविधानको अपनाते हैं, इसे व्यवस्थाका रूप देते हैं और इसे शिरोधार्य करते हैं।

भाग १

संघ, उसका राज्य-क्षेत्र तथा अधिकार-क्षेत्र

संघ का नाम और राज्य-क्षेत्र

१. (१) भारत राज्योंका संघ होगा।

(२) राज्योंसे तात्पर्य है उन राज्योंसे, जो कि वर्तमान समयके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग १, २, ३ में गिनाए गए हैं।

(३) भारतके राज्य क्षेत्रमें सम्मिलित होंगे

(क) राज्यों के भूभाग,

(ख) वर्तमान समयके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग ४ में गिनाए गए भूभाग, और

(ग) इसी प्रकारके दूसरे भूभाग जो आगे प्राप्त किए जाएं।

नए राज्योंका प्रवेश और स्थापन

२. पार्लमेंट समय-समयपर, विधान द्वारा, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धोंके साथ, जिन्हें कि वह उचित समझे, नए राज्योंका प्रवेश या स्थापना कर सकती है।

नए राज्योंका निर्माण और वर्तमान राज्योंके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन

३. पार्लमेंट विधान द्वारा—

(क) राज्यसे भूभाग निकाल कर या दो या दोसे अधिक राज्यों या राज्योंके टुकड़ोंको मिला कर नया राज्य बना सकती है,

(ख) किसी राज्यका क्षेत्र बढ़ा सकती है,

(ग) किसी राज्यका क्षेत्र घटा सकती है,

(घ) किसी राज्यकी सीमाएं बदल सकती है, और

(ङ) किसी राज्यका नाम बदल सकती है;

किन्तु, साथ ही यह भी आवश्यक है, कि पार्लमेंटके दोनों भवनो मे इस उद्देश्यका कोई विधान-मसौदा भारत-सरकारके अतिरिक्त अन्य कोई उपस्थित नहीं कर सकेगा। और यह भी तभी सम्भव होगा जब कि :

(क) या तो,

(i) इसके लिए जिस राज्यसे भूभाग अलग या बाहर किया जा रहा है, उसकी व्यवस्थापिका सभाके बहुमतने इस कामके लिए राष्ट्रपति से निवेदन किया हो, अथवा

(ii) विधानके मसौदेमें निहित प्रस्तावका जिस राज्यकी सीमाओं या नाम पर प्रभाव पड़ता है, उसकी व्यवस्थापिका सभाने इस विषयका प्रस्ताव पास किया हो, अथवा

(ख) यदि विधानके मसौदेमे निहित प्रस्तावका प्रभाव किसी ऐसे राज्यकी सीमाओं या नामपर पड़ता हो, जो प्रथम परिशिष्टके भाग ३ मे गिनाया गया हो, तो विधानके मसौदेको उपस्थित करने तथा उसमें दिए हुए बन्धानोंके सम्बन्धमें राष्ट्रपतिने उक्त राज्यकी व्यवस्थापिका सभा के विचारोंको पहिले ही निश्चित रूपसे जान लिया हो, और यदि इस प्रकारके प्रस्तावका प्रभाव ऐसे राज्यकी सीमाओं या नामपर पड़ता हो, जो कि वर्तमान समयके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग ३ मे गिनाए गए हैं, तो इस प्रस्तावके लिए उक्त राज्यसे पहिले अनुमति प्राप्त कर ली गई हो।

प्रथम परिशिष्टके संशोधन और आनुषंगिक तथा परिणामभूत विषयोंके लिए धारा २ और ३ के अधीन निर्मित विधान

४. (१) इससे सविधानकी धारा २ और ३ में निर्दिष्ट किसी भी विधानमे प्रथम परिशिष्टके सशोधनके लिए ऐसे नियमोंके वास्ते गुंजाइश रखनी होगी, जो कि उक्त विधानमे आए नियमोंको कार्यान्वित करनेके लिए अपेक्षित हों, और उक्त विधानमें ऐसे आनुषंगिक और परिणामभूत नियमोंके लिए स्थान रहेगा, जिन्हें पार्लामेंट आवश्यक समझे।

(२) उपरोक्त प्रकारका कोई भी विधान धारा ३०४के लिए इस सविधानका संशोधन नहीं समझा जायगा।

भाग २

नागरिकता

संविधानके प्रारंभ होने के प्रथम दिन नागरिकता

५. संविधानके प्रारम्भ होनेके प्रथम दिन ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारतका नागरिक माना जायगा,

(क) जिसका स्वयं या जिसके माता-पिता या दादा-दादीमें से किसीका भी जन्म इस संविधानमें दी हुई परिभाषाके अनुसार भारतके राज्य-क्षेत्रमें हुआ हो और जिसने पहिली अप्रैल सन् १९४७ ई० के बाद किसी विदेशी राज्यमें अपना स्थायी निवास न बना लिया हो, और

(ख) जिसका स्वयं या जिसके माता-पिता अथवा दादा-दादीमें-से किसीका भी जन्म १९३५ ई० की भारत-शासन व्यवस्था-मे दी हुई परिभाषाके अनुसार भारतमें अथवा ब्रह्मदेश, लंका या मलयदेशमें हुआ हो और संविधानकी परिभाषा-के अनुसार जिसका वास भारत के राज्य-क्षेत्रमें हो;

किन्तु साथ ही यह भी आवश्यक है, कि इस संविधानके प्रारम्भ होनेके दिनसे पहिले उसने किसी विदेशी राज्यकी नागरिकता प्राप्त न करली हो।

व्याख्या—इस धाराके खंड (ख) के लिए, उसी दशामें किसी भी व्यक्तिका भारतके राज्य-क्षेत्रमें वास माना जायगा,

(१) जब कि उसने भारतीय उत्तराधिकार-विधान सन् १९२५ ई० के भाग २ के अनुसार ऐसे राज्य क्षेत्रमें वास किया होता यदि उस भागके नियम उसपर लागू होते, अथवा

(२) जब कि इस संविधानके प्रारम्भ होनेके दिनसे पहले उसने जिलाधीशके कार्यालयमें आवास प्राप्त करनेकी इच्छासे अपना लिखित घोषणा पत्र दे दिया हो और उस घोषणाकी तारीखसे कमसे कम एक मास पहले, उसने भारतके राज्य क्षेत्रमें निवास किया हो।

विधान द्वारा नागरिकताके अधिकार-के बारेमें पार्लमेंट का नियम

६. पार्लमेंट विधान द्वारा नागरिकताकी प्राप्ति और समाप्ति तथा इससे सम्बन्ध रखने वाली और भी बातोंके बारेमें दूसरे भी नियम बना सकती है।

भाग ३

मूल अधिकार

सामान्य

परिभाषा

७. यदि प्रकरणसे दूसरा अर्थ अभिप्रेत न हो, तो इस भागमें 'राज्य' शब्दके अन्तर्गत भारत-सरकार और पार्लमेंट तथा हर एक राज्य की सरकार और उसकी व्यवस्थापिका सभा एव भारतके राज्य-क्षेत्रके भीतर के सभी स्थानीय तथा अन्य राजसत्ताएँ आती हैं।

अपवाद

८. (१) इस संविधानके प्रारम्भ होनेके साथ ही भारतके राज्य-क्षेत्रमे तब तक प्रचलित ऐसे सभी विधान उसी मात्रामें रद्द समझे जायेंगे, जहाँ तक कि इस भागके नियमोंके साथ वे मेल नही खाते।

(२) राज्य ऐसा कोई विधान न बनाएगा, जो कि इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारोंको छीनता या कम करता हो, और इस खडके विरुद्ध यदि कोई भी विधान बने, तो वह उसी मात्रामें रद्द समझा जाएगा;

किन्तु साथ ही इस खंडमे कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो राज्यको अब तक चले आते किसी विधानसे पैदा हुई असमानता, विषमता, असुविधा अथवा भेदभाव को हटानेके लिए विधान बनानेमे बाधा दे।

(३) इस धारामें "विधान" शब्दके अन्तर्गत ऐसे सभी समयादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विधि, सूचना, सज्ञप्ति, लोकरीति या लोकाचार आते हैं, जो भारतके राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भी भागमें विधानके समान प्रभाव रखते हों।

समानताके अधिकार

धर्म, रक्त, जाति, अथवा स्त्री-पुरुष-भेद के आधारपर होते भेदभावका प्रतिषेध

९ (१) राज्य किसी भी नागरिकके साथ केवल धर्म, रक्त, जाति, स्त्री पुरुष भेद या इनमेंसे किसीके आधारपर कोई भेद भाव नहीं रखेगा। विशेष करके

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरजनके स्थानोंमें प्रवेश, अथवा

(ख) राज्यके राजस्व द्वारा पूरे या आंशिक रूपसे चलाए गए या सार्वजनिक उपयोगके लिए समर्पित किए गए कुओं, तालाबों, सड़कों और सार्वजनिक समागमके स्थानोंके उपयोगके लिए :

केवल धर्म, रक्त, जाति, स्त्री-पुरुष-भेद या इनमेंसे किसी एकके आधारपर कोई भी नागरिक अयोग्य अथवा उत्तरदायी नहीं समझा जायगा

और न इन स्थानोंमे उस पर रुकावट या प्रतिबन्ध रहेगा ।

(२) इस धारामें कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो राज्यको स्त्रियों और बच्चोंके लिए कोई विशेष नियम बनानेमे रुकावट डाले ।

सरकारी नौकरियोमे समान अवसर

१०. (१) राज्यके अधीन सरकारी नौकरियोमे सभी नागरिकोंको समान अवसर प्राप्त होगा ।

(२) राज्यके अधीन किसी भी पदके लिए, कोई भी नागरिक केवल धर्म, रक्त, जाति, स्त्री-पुरुष भेद, वंश, जन्म-स्थान या इनमेंसे किसी एक के आधार पर अयोग्य न समझा जायगा ।

(३) इस धारामें कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो राज्यको किसी पिछड़े हुए नागरिकवर्गके लिए नियुक्तियों और स्थानोके संरक्षणके वास्ते नियम बनानेमे रुकावट डाले, यदि राजकीय सम्मतिमे उस वर्ग के नागरिकोंको सरकारी नौकरियोंमे पर्याप्त स्थान न मिला हो ।

(४) इस धाराकी किसी बातका किसी ऐसे विधानके क्रियान्वित होने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो बन्धान करता हो, कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्थाके कार्यसे सम्बन्ध रखने वाला गद्दीधारी अथवा उसकी प्रबन्धकारिणीका कोई सदस्य किसी विशेष धर्म या समुदायका अनुयायी हो ।

अस्पृश्यताका उन्मूलन

११. "अस्पृश्यता" का उन्मूलन किया जाता है, किसी रूपमे उसका बरतना वर्जित किया जाता है। अस्पृश्यताके कारण किसीको अयोग्य बनाना विधानके अनुसार दण्डनीय अपराध होगा ।

उपाधियोंका बन्द होना ।

१२. (१) राज्य द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जायगी ।

(२) भारतका कोई नागरिक किसी विदेशी राज्यमें कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा ।

(३) राज्यके अन्दर लाभ या विश्वासके पद पर आसीन कोई व्यक्ति राष्ट्रपतिकी सहमतिके बिना किसी विदेशी राज्यसे अथवा उसके अन्दर, कोई भेंट, पुरस्कार, उपाधि या पद नहीं स्वीकार करेगा ।

भाषण-स्वतन्त्रता आदिके कितने ही अधिकारोंकी रक्षा

१३. (१) इस धाराके अन्य बन्धानों के अधीन रहते हुए,

(क) स्वतन्त्रतापूर्वक भाषण और विचार-प्रकाश करने,
(ख) शान्तिपूर्वक और बिना हथियारके सभा करने,
(ग) सभा और संघ स्थापित करने,
(घ) भारतके समस्त राज्य-क्षेत्रमे अबाध आने जाने,
(ङ) भारतके राज्य-क्षेत्रके किसी भागमें रहने या बस जाने,
(च) सम्पत्ति अर्जन करने, रखने तथा खरचने; और
(छ) किसी भी जीविकावृत्ति, व्यवसाय, वाणिज्य या व्यापारको अपनानेका सभी नागरिकोंको अधिकार है ।

(२) इस धाराके खण्ड (१) के उपखंड(क) की किसी बातसे राज्य-के किसी ऐसे प्रचलित विधानको क्रियान्वित करने पर प्रभाव न पड़ेगा और न उसे बनानेमें रुकावट होगी, जो कि अपमानजनक लेख, अपमान-जनक वचन, मानहानि, राजद्रोह अथवा शिष्टता या सदाचारके विरोधी किसी विषय या राज्यकी सत्ता अथवा नींव उखाड़नेवाले अन्य किसी विषयमे सम्बन्धित हो।

(३) उक्त खण्डके उपखंड (ख)में कोई भी ऐसी बात नही है, जो सार्वजनिक हितके लिए, उक्त उपखण्डमे दिए गए अधिकारके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगानेवाले किसी प्रचलित विधानके क्रियान्वित होनेपर प्रभाव डाले या जो राज्यको ऐसा विधान बनानेमें रुकावट पैदा करे।

(४) उक्त खण्डके उपखण्ड (ग) में कोई भी ऐसी बात नही है, जो साधारण जनताके हितके लिए उक्त उपखण्डमें दिए गए अधिकारके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगानेवाले किसी प्रचलित विधानके क्रियान्वित होने-पर प्रभाव डाले या इस प्रकारका कोई विधान बनानेमे राज्यको रुकावट दे।

(५) उक्त खण्डके (घ), (ङ) और (च) उपखण्डोंमें कोई भी ऐसी बात नही है, जो साधारण जनता या किसी आदिवासी जातिके हितोंकी रक्षाके लिए उक्त उपखण्डों द्वारा दिए गए अधिकारोंमें से किसी एक के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगानेवाले किसी प्रचलित विधानके क्रियान्वित होनेपर प्रभाव डाले या राज्यको इस प्रकारका कोई विधान बनानेमें रुकावट पैदा करे।

(६) उक्त खंडके उपखंड (छ)मे कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक सदाचार और सार्वजनिक स्वास्थ्यके हित-के लिए उक्त उपखण्ड द्वारा दिए गए अधिकारोंके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगानेवाले किसी प्रचलित विधानके क्रियान्वित होने पर प्रभाव डाले या राज्यको इस प्रकारका कोई विधान बनानेमे रुकावट दे, विशेषकर जबकि वह विधान कोई व्यवसाय, जीविका-वृत्ति, वाणिज्य या व्यापार अपनानेके लिए अपेक्षित व्यवसायिक या टेकनीकल योग्यताओंके बारेमे नियम बनावे या नियम बनाने का अधिकार किसी अधिकारीको सौंपे।

अपराध-दंड विषयक रक्षा

१४. (१) कोई व्यक्ति किसी अपराधके लिए तब तक दंडित नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह किसी ऐसे विधानका उल्लंघन न करे, जो कि आरोपित अपराधके करनेके समय प्रचलित रहा हो और न वह उससे अधिक दण्डका भागी होगा जितना कि अपराध करनेके समय प्रचलित विधानके अनुसार दिया जा सकता हो।

(२) कोई व्यक्ति उसी अपराधके लिए एकसे अधिक बार दंडित

नहीं किया जायेगा।

(३) किसी अपराधमें अभियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देनेके लिए विवश नहीं किया जाएगा।

जीवनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और विधानके आगे समानताकी रक्षा

१५. भारतके राज्यक्षेत्रमें विधान द्वारा निर्धारित कार्य-प्रणाली को छोड़ कर और किसी प्रकारसे किसी व्यक्तिको अपने प्राण या व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासे वंचित नहीं किया जाएगा और न किसी व्यक्तिको विधानके आगे समानता देने और विधानों द्वारा समान रक्षा देनेसे इन्कार किया जायेगा।

भारतके समस्त राज्यक्षेत्रमें वाणिज्य, व्यापार और आने-जानेकी स्वतन्त्रता

१६ इस संविधानकी धारा २४४ के नियमोंमें पार्लामेन्ट द्वारा बनाए हुए किसी भी विधानके अधीन रहते हुए, भारतके समस्त राज्य-क्षेत्रमें व्यापार, वाणिज्य करने और आने-जानेकी स्वतन्त्रता रहेगी।

मनुष्यके क्रय विक्रय और बेगार बलात् काम लेनेका प्रतिषेध

१७. (१) मनुष्योंका क्रय-विक्रय और बेगार तथा अन्य किसी प्रकारसे बलात् काम करानेका प्रतिषेध किया जाता है और इस नियमका कोई भी अतिक्रमण विधानके अनुसार दंडनीय अपराध होगा।

(२) इस धारामें कोई भी ऐसी बात नहीं है, जिससे राज्यको सार्वजनिक कार्योंके लिए अनिवार्य सेवाका नियम लागू करनेमें रुकावट हो, किंतु ऐसी सेवा लागू करनेमें रक्त, धर्म, जाति या वर्गके आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा।

बच्चोंसे कारखानों फैक्टरियों आदिमें काम लेनेका प्रतिषेध

१८. चौदह वर्षसे कम आयुवाले किसी भी बच्चेसे किसी भी कारखाने या खानमें काम नहीं लिया जायगा और न उन्हें किसी दूसरे जोखिमके काममें लगाया जाएगा।

धर्मसम्बन्धी अधिकार

आत्मिक विश्वास की स्वतन्त्रता तथा धर्मके अपने मनके अनुसार मानने और आचरण करनेकी स्वतन्त्रता

१९. (१) सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य और इस भागके दूसरे नियमोंके अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियोंको आत्मिक विश्वास की स्वतन्त्रता तथा बिना बाधा अपने धर्मके मानने, आचरण और प्रचार करनेका एकसमान अधिकार होगा।

व्याख्या—कृपाणका धारण करना और ले चलना सिक्ख-धर्मके आचरणका अंग माना जायेगा।

(२) इस धारामें कोई भी ऐसी बात नहीं है, जिससे किसी प्रचलित विधानके क्रियान्वित करने पर प्रभाव पड़े या राज्यको कोई ऐसा विधान बनानेमें रुकावट हो,

(क) जो कि धार्मिक आचरणसे सम्बद्ध किसी आर्थिक, रुपया-पैसा सम्बन्धी, राजनैतिक अथवा किसी प्रकारके धर्मसे असम्बद्ध कार्य-कलाप पर नियमन या प्रतिबन्ध लगाता हो,

(ख) जो कि सामाजिक कल्याण अथवा सुधारके लिए हो, अथवा हिन्दुओंकी सार्वजनिक, धार्मिक संस्थाओंको हिन्दुओंके किसी वर्ग या विभागके लिए खोल देता हो।

धार्मिक विषयोंके प्रबन्ध एव धार्मिक तथा पुण्य कार्योंके लिए सम्पत्तिके स्वामित्व, प्राप्ति और प्रबन्ध सम्बन्धी स्वतन्त्रता

२०. प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी भी भागको अधिकार होगा कि :

(क) वह धार्मिक और पुण्य कार्योंके लिए संस्थाओंकी स्थापना करे और चलावे,

(ख) अपने धार्मिक कार्योंसे सम्बन्ध रखनेवाली बातोंका प्रबन्ध करे।

(ग) चल और अचल सम्पत्तिका स्वामी रहे और उसे प्राप्त करे, और

(घ) ऐसी सम्पत्तिका विधानके अनुसार प्रबन्ध करे।

किसी भी धर्म या धार्मिक सम्प्रदायकी अभिवृद्धि और सचालनके लिए लगाए गए कर के देने या न देने की स्वतन्त्रता

२१. कोई भी व्यक्ति ऐसे करोंको देनेके लिए विवश नहीं किया जा सकेगा, जिनकी आय केवल किसी विशेष धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की अभिवृद्धि या संचालनमें खर्च करनेके लिए नियत कर दी गई हो।

किन्ही शिक्षण-संस्थाओं मे धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में सम्मिलित होने या न होने की स्वतन्त्रता

२२. (१) राजकीय कोषकी पूर्ण सहायतासे संचालित किसी शिक्षण-संस्थामें राज्य द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा न दी जायगी।

किन्तु, साथ ही इस खंडमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो उस शिक्षण-संस्था पर लागू होगी, जिसका प्रबन्ध राज्य करता हो, पर जो किसी ऐसे दान या न्यासके द्वारा स्थापित हुई है, जिसके अनुसार उक्त संस्थामें धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।

(२) राज्य द्वारा स्वीकृत अथवा राजकीय सहायता पाने वाली शिक्षण-संस्थामे जाने वाले किसी व्यक्तिको उक्त संस्थामें दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा मे भाग लेने के लिए अथवा उक्त संस्थामे या उससे संबन्धित स्थानमें होने वाली धार्मिक उपासनामे सम्मिलित होनेके लिए विवश नहीं किया जायगा, जब तक कि उक्त व्यक्ति या उसके वयस्क न होने पर उसके अभिभावक ने इसके लिए अपनी सहमति न दे दी हो।

(३) इस धारामें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे किसी समुदाय या सम्प्रदायके लिए अपने समुदाय या सम्प्रदायके विद्यार्थियोंको शिक्षण-संस्थाके कामके घंटोंके बाद धार्मिक शिक्षा देनेमें रुकावट हो।

संस्कृति और शिक्षाके अधिकार

अल्पसंख्यकोंके हितोंकी रक्षा

२३. (१) अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति रखनेवाले भारतके राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भागके निवासी नागरिकोंके किसी विभागको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृतिको सुरक्षित रखनेका अधिकार होगा।

(२) विशेष धर्म, समुदाय या भाषा रखनेवाले किसी भी अल्प-संख्यक वर्गके विरुद्ध राज्य-संचालित किसी भी शिक्षण संस्थामें उस वर्गके किसी व्यक्तिके साथ प्रवेश पानेके बारेमें भेद-भाव नहीं किया जाएगा।

(३) (क) विशेष धर्म, समुदाय या भाषा रखनेवाले सभी अल्पसंख्यक वर्गोंको अधिकार होगा कि वे अपनी रुचिके अनुसार शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करें या चलाएँ।

(ख) शिक्षण संस्थाओंको सहायता देनेमें राज्य किसी विद्यालय-के बारेमें इस आधार पर कोई भेद-भाव नहीं करेगा कि वह विशेष धर्म, समुदाय या भाषा रखनेवाले किसी अल्प-संख्यक वर्गका है।

सम्पत्तिका अधिकार

सम्पत्ति-प्राप्तिका निराबाध अधिकार

२४. (१) कोई व्यक्ति विधानके अधिकारके बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

(२) कोई चल या अचल सम्पत्ति किसी ऐसे स्वत्वके साथ, जो किसी व्यापार या उद्योगके कार्यों अथवा उनपर स्वामित्व रखनेवाली किसी कम्पनीसे सम्बधित है, दखल या प्राप्तिका अधिकार देनेवाले किसी विधान-के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजनके लिए दखल या प्राप्त नहीं की जाएगी, जब तक कि उक्त विधान दखल या प्राप्त की जाने वाली सम्पत्तिके लिए क्षति-पूर्तिके भुगतानका बन्धान न कर दे, या क्षतिपूर्तिकी राशि निश्चित न करदे, या उन सिद्धान्तों और उपायोंको न बतला दे जिनसे क्षतिपूर्तिका निर्णय किया जा सकता है।

(३) इस धाराके खंड (२) में कोई भी ऐसी बात नहीं है,

(क) जो किसी प्रचलित विधानके बन्धानोंपर प्रभाव डाले, अथवा

(ख) जो किसी ऐसे विधानके बन्धानों पर प्रभाव डाले, जिसे राज्य इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्यकी अभिवृद्धिके लिए अथवा जीवन या सम्पत्तिको निरापद करनेके लिए, या कर लगाने या उगाहनेके लिए बनाए।

वैधानिक उपचारोंका अधिकार

इस भाग द्वारा दिए गए उपचारोंके प्रवर्तित करनेका अधिकार

२५. (१) इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारोंके पूरा करानेके लिए परमन्यायालयके पास उचित कार्यवाहियों द्वारा पहुँचनेके अधिकारकी गारन्टी दी जाती है।

(२) परमन्यायालय इस बातके लिए समर्थ है कि इस भागमें दिए गए अधिकारोंमेंसे किसीके भी पूरा करानेके लिए, वैयक्तिक स्वतन्त्रता (हैबियस कार्पस), नियोग, प्रतिषेध, अधिकार-प्रश्न और उन्नयनके समादेशों के रूपमें, जैसा वह उचित समझे, हिदायत या आदेश निकाले।

(३) पार्लामेन्ट विधान द्वारा किसी दूसरे न्यायालयको अपने अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमाओंके भीतर इस धाराके खंड (२) के अनुसार परमन्यायालय द्वारा प्रयोग किए जानेवाले सभी या कुछ अधिकारोंके प्रयोग करनेकी अधिकार-शक्ति दे सकेगी।

(४) इस संविधानमें रखे गए दूसरे बन्धानोंके न लगने पर, इस धारा द्वारा गारन्टी किए गए अधिकारोंको स्थगित नहीं रखा जाएगा।

सेनाके ऊपर उपयोग करते समय पार्लामेन्टको इस भाग द्वारा गारन्टी किए अधिकारोंमें परिवर्तन करने की शक्ति

२६. पार्लामेन्ट विधान द्वारा इस बातका निर्णय करेगी कि इस भागमें गारन्टी किए गए अधिकारोंको रणसेनाओं या सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करनेवाली सेनाओंके सैनिकोंपर लागू करते समय, निश्चित रूप से उनके कर्तव्योंको ठीक तरहसे निभाने और उनमे अनुशासन बनाए रखनेके लिए, कितनी मात्रा तक इन अधिकारोंको संकुचित या रद्द किया जाना चाहिए।

इस भाग में निर्दिष्ट बन्धानोंको कार्यरूप मे परिणत करने के लिए व्यवस्था

२७. इस संविधानमें अन्यत्र दी हुई किसी बातके होते हुए भी, प्रथम परिशिष्टके भाग १ और भाग ३ मे उस समय गिनाए गए किसी राज्यकी व्यवस्थापिका सभाको यह अधिकार न होगा और पार्लामेंटको ही यह अधिकार होगा, कि—

(क) वह किसी ऐसे विषयके लिए विधान बनाए, जिसका इस भागके अनुसार पार्लामेंटके लिए बन्धान करना आवश्यक है, और

(ख) वह इस भागमें अपराध घोषित किए गए कार्योंके लिए दंड नियत करनेके वास्ते विधान बनाए, और इस संविधान के प्रारम्भ होनेके बाद यथाशीघ्र इस प्रकारके विषयोंका बन्धान करनेके लिए तथा ऐसे कार्योंके वास्ते दंड नियत करनेके लिए विधान बनाए।

लेकिन साथ ही इस धाराके खंड (क)मे निर्दिष्ट किसी विषयके लिए अथवा इस भागमे अपराध घोषित किए गए किसी कार्यके लिए दंडका

बन्धान करनेवाला कोई विधान, जो भारतके राज्यक्षेत्र या उसके किसी भागमें चला आता रहा हो, तब तक लागू रहेगा, जब तक पार्लमेंट अथवा कोई दूसरी योग्य सत्ता उसे परिवर्तित, खंडित अथवा संशोधित नहीं कर देती।

भाग ४

राज्यकी नीतिके संचालक सिद्धान्त

परिभाषा

२८ यदि प्रकरणसे दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, तो इस भागमें "राज्य" का वही अर्थ है, जो इस संविधानके भाग ३ में है।

२९. इस भागमें दिए गए बन्धान किसी न्यायालय द्वारा कार्यरूपमे परिणत नहीं होंगे, तो भी उनमें दिए हुए सिद्धान्त देश के शासन में मूलभूत हैं और विधान बनाने में इन सिद्धान्तों का अनुगमन करना राज्य का कर्तव्य होगा।

इस भागमें वर्णित सिद्धान्तोंका प्रयोग

३०. राज्य इस बातका प्रयत्न करेगा कि जितना हो सके उतने प्रभावकारी रूपमें ऐसी सामाजिक व्यवस्थाकी स्थापना तथा रक्षा करके लोक-कल्याणकी अभिवृद्धि करे, जिसमें राष्ट्रीय जीवनकी सभी संस्थाओंको सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो।

सार्वजनिक अभिवृद्धिके लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाए

३१. राज्य विशेष रूपसे अपनी नीतिका निम्न दिशाओं में संचालन करेगा :

(१) नर-नारी सभी नागरिकोंको आजीविकाके पर्याप्त साधन प्राप्त करनेका अधिकार हो,

(२) जनसमुदायकी भौतिक सम्पत्तिका स्वामित्व तथा नियन्त्रण इस प्रकार बँटा हो कि जिससे सर्वसाधारणके हित सर्वोत्तम रीतिसे साधित हों,

(३) आर्थिक व्यवस्थाके सचालनका ऐसा परिणाम न हो कि उत्पादनके साधनों और धनका केन्द्रीयकरण सर्वसाधारणके अहितके लिए हो,

(४) पुरुषों और स्त्रियों दोनों ही को एकसे कार्यका एकसा वेतन मिले।

(५) कमकर स्त्री-पुरुषोंके बल और स्वास्थ्य तथा बच्चोंकी सुकुमार आयुका दुरुपयोग न हो, और आर्थिक आवश्यकताओंसे विवश होकर नागरिकोंको अपने बल तथा शक्तिको अनुपयुक्त व्यवसायोंमें न लगाना पड़े।

(६) बच्चों और तरुणों की शोषण (दोहन) तथा नैतिक और आर्थिक गिरावटसे रक्षा हो।

राज्यके लिए अनुकरणीय कुछ नीति, सम्बन्धी सिद्धान्त

३२ अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओंकेभीतर लोगोंके काम और शिक्षा पानेका अधिकार, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, शारीरिक अयोग्यता और दूसरी नहीं होने योग्य आर्थिक कठिनाइयोंमें सरकारी सहायता पानेके अधिकारको प्राप्त करानेके लिए राज्य प्रभावकारी प्रबन्ध करेगा।

काम, शिक्षा तथा विशेप अवस्थामें सार्वजनिक सरकारी सहायताका अधिकार

३३. राज्य काम करनेकी न्यायोचित और मानवोचित परिस्थितियां प्राप्त कराने तथा प्रसूति-सहायता दिलानेका बन्धान करेगा।

न्यायोचित और मानवोचित परिस्थितियोंमे काम और सहायता पानेके लिए बन्धान, श्रमिकों के लिए निर्वाह-वेतन आदि,

३४ राज्य उपयुक्त व्यवस्थापन या आर्थिक संगठन द्वारा या अन्य किसी प्रकार सभी श्रमिकोंके लिए, चाहे वे औद्योगिक हों या दूसरे प्रकारके, निर्वाह-वेतन, जीवनका वढ़िया तल स्थिर रखने वाली परिस्थितियो और अवकाशके पूरे उपभोग तथा सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नतिके लिए अवसर प्राप्त करानेका प्रयत्न करेगा।

नागरिकोंके लिए एकसी अर्थविधान-संहिता

३५. राज्य अपने नागरिकोंके लिए भारतके समस्त राज्य-क्षेत्र के वास्ते एक सी अर्थविधान-संहिता वनवानेका प्रयत्न करेगा।

निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाके लिए बन्धान

३६. प्रत्येक नागरिक निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा पानेका अधिकारी है, और राज्य इस सविधानके प्रारम्भ होनेके दस वर्षके समयके भीतर समस्त बच्चोंकी तब तकके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बन्धान करे, जब तक कि वे पूरे चौदह वर्षके नहीं हो जाते।

परिगणित जातियो, आदिवासियों और अन्य निर्बल लोगों की शिक्षा-सम्बन्धी और आर्थिक हितों की रक्षा

३७. राज्य निर्बल लोगोंके शिक्षा-सम्बन्धी और आर्थिक हितो की अभिवृद्धि पर विशेष ध्यान देगा, विशेष करके परिगणित जातियों और आदिवासियोंके हितोका; तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषणसे बचाएगा।

आहार, पोषण-तत्व तथा जीवन-स्तर का ऊपर उठाना एव सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधार राज्य का कर्तव्य

३८. राज्य अपने लोगोंके आहार, पोषण-तत्व तथा जीवनके स्तरको ऊपर उठाना एव सार्वजनिक स्वास्थ्यका सुधार करना, अपना प्रथम कर्तव्य मानेगा।

स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्वके स्थानों एवं वस्तुओंका बचाव, सुरक्षा और परिपालन

३९. यह राज्यका दायित्व होगा कि वह प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचिके ऐसे प्रत्येक स्थान या वस्तु को, जिसे पार्लामेंटने विधान द्वारा राष्ट्रीय महत्वका घोषित कर दिया हो, दूषित होने, नष्ट होने, स्थानसे हटाये जाने, दूर किए जाने या बाहर भेजे जानेसे, जैसी कि स्थिति हो, बचाये और पार्लामेंट द्वारा बनाए गए विधानके अनुसार ऐसे सभी स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओंको सुरक्षित रखे और उनका परिपालन करे।

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षाकी अभिवृद्धि

४०. राष्ट्रोंके बीच खुले न्यायोचित तथा सम्मान-युक्त संबन्धों का आदेश करके, अन्तर्राष्ट्रीय विधानके तात्पर्योंको राज्योंके परस्पर आचरणके वास्तविक नियमोंके रूपमें दृढ़ स्थापन करके, तथा संगठित लोगोंके आपसी व्यवहारोंमें न्याय एवं संघकी जिम्मेवारीके प्रति आदर की भावना रखते राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षाकी अभिवृद्धि करेगा।

भाग ५

संघ

अध्याय १—कार्यकारिणी

राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति

भारतका राष्ट्रपति

४१. भारतका एक राष्ट्रपति होगा।

संघकी कार्यकारिणी शक्ति

४२. (१) संघकी कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपतिमें निहित होगी और वह संविधान और विधानका अनुसरण करते हुए इसका प्रयोग कर सकेगा।

(२) पूर्वगामी बन्धानकी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारतकी रक्षा सैन्यको परम आदेश देने का अधिकार राष्ट्रपतिमें निहित होगा और उसके प्रयोगपर विधान द्वारा नियमन होगा।

(३) इस धारामें कोई भी ऐसी बात नहीं है, जिससे यह समझा जाए कि किसी प्रचलित विधान द्वारा किसी राज्यकी सरकार अथवा अन्य अधिकारीको दिए गए कृत्य राष्ट्रपतिको सौंप दिए गए हैं, या जिससे पार्लामेंटका राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारीको विधान द्वारा कृत्य सौंपनेमे रुकावट हो।

राष्ट्रपतिका चुनाव

४३. राष्ट्रपति उस निर्वाचक-मंडलके सदस्यों द्वारा चुना जाएगा जो कि

(क) पार्लामेंट के दोनों भवनोंके सदस्यों, और

(ख) राज्यकी व्यवस्थापिका सभाओंके निर्वाचित सदस्योंको मिलाकर बनाया जाएगा।

राष्ट्रपतिके चुनाव का ढंग

४४. (१) जहां तक व्यवहार्य होगा, राष्ट्रपतिके निर्वाचनमें विभिन्न राज्योंके प्रतिनिधित्वकी नाप एकसी होगी।

(२) इस प्रकारकी एकरूपता प्राप्त करनेके लिए, पार्लामेंट तथा प्रत्येक राज्यकी व्यवस्थापिका सभाका प्रत्येक निर्वाचित सदस्य कितने मत दे सकता है, इसकी संख्या नीचे लिखी रीतिसे निर्धारित की जायगी :

(क) राज्यकी व्यवस्थापिका सभाका प्रत्येक निर्वाचित सदस्य उतने मतोंका रखनेवाला होगा, जितनी बार राज्य की कुल जनसंख्या मे व्यवस्थापिका सभाके चुने जाने वाले सदस्योंकी कुल संख्याका भाग देने पर निकले भाग फलमें एक हजार आए।

(ख) एक हजारसे भागफल में भाग देने पर यदि शेष पांच सौ से कम न हो तो इस खंडके उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्यके मतोंकी संख्यामें एक और जोड़ दिया जाएगा।

(ग) पार्लामेंटके किसी भवनके प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वही होगी, जो इस खंडके उपखंड (क) तथा (ख) द्वारा राज्योंकी व्यवस्थापिका सभाओंके सदस्योंके लिए नियत कुल मत संख्यामें इन सदस्यों की कुल संख्याका भाग देनेसे भागफल आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्नको पूरा एक गिना जाएगा और आधेसे कम को कुछ नहीं।

(३) राष्ट्रपतिका निर्वाचन एकहरे, परावर्त्तनयोग्य मतदान-प्रणालीसे अनुपातके अनुसार प्रतिनिधित्व के आधारपर होगा तथा ऐसे निर्वाचनमें मतदान गुप्तछन्द (वोट) द्वारा होगा।

व्याख्या—यदि व्यवस्थापिका सभाके दो भवन हों, तो इस धारामें "किसी राज्यकी व्यवस्थापिका सभा" से अभिप्राय साधारण व्यवस्थापिका सभासे है, तथा "जनसंख्या" से अभिप्राय अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणनामें निश्चित की गई जन-संख्यासे है।

राष्ट्रपतिका कार्यकाल

४५. राष्ट्रपति अपने पद पर आनेकी तारीखसे पांच वर्ष तक उस पदपर आसीन रहेगा, किन्तु साथ ही,

(क) राष्ट्रपति राज्यपरिषद्के अध्यक्ष और जनभवनके सभाध्यक्षको सम्बोधित करके अपने हस्ताक्षरसे लिखे गए त्यागपत्र द्वारा अपने पदको छोड़ सकेगा।

(ख) संविधानका उल्लंघन करनेपर, इस संविधानकी धारा २५ मे बताए गए प्रकारसे लगाए गए अभियोग द्वारा राष्ट्रपति अपने पदसे हटाया जा सकेगा।

(ग) राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त हो जानेपर भी, अपने उत्तराधिकारीके पदपर आने तक पदासीन रहेगा।

पुनर्निर्वाचनके लिए योग्यता

४६. कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपतिके पद पर है, अथवा रह चुका है, उस पद के लिए एक बार और केवल एक बारही, पुनर्निर्वाचनके लिए खड़ा हो सकेगा।

राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यताए

४७. (१) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुने जानेके लिए योग्य नहीं समझा जायगा, यदि

(क) वह भारतका नागरिक न हो,

(ख) वह पैंतीस वर्षकी आयु पूरी न कर चुका हो, और

(ग) साधारण सभाके लिए सदस्य चुने जानेके लिए योग्यता न रखता हो।

(२) ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति चुने जानेके लिए योग्य नहीं समझा जायगा जो कि भारत सरकार अथवा किसी राज्यकी सरकारके अधीन, अथवा उक्त सरकारोंमेंसे किसीके द्वारा नियन्त्रित किसी स्थानीय अथवा दूसरी राज्य-सत्ताके अधीन किसी वेतनके पद अथवा स्थानपर आसीन हो।

व्याख्या—इस खंडके लिए कोई व्यक्ति किसी वेतनके पद अथवा स्थानपर आसीन केवल उसी अवस्थामें नहीं समझा जाएगा जबकि:

(क) वह या तो भारतका या प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाए गए किसी राज्यका मन्त्री है, या

(ख) वह प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाए गए किसी राज्यका मन्त्री है, यदि वह राज्यकी व्यवस्थापिका सभाके प्रति अथवा जहाँ राज्यकी व्यवस्थापिका सभा के दो भवन हैं, वहाँ उसके जन-भवनके प्रति उत्तरदायी है, और यदि व्यवस्थापिका सभा अथवा भवनके, जैसी कि स्थिति हो, कमसे कम तीन चौथाई सदस्य निर्वाचित हों।

राष्ट्रपतिपदके लिए प्रतिबन्ध

४८. (१) राष्ट्रपति न तो पार्लामेंटका और न किसी राज्यकी व्यवस्थापिका सभाका सदस्य होगा और यदि पार्लामेंट या किसी राज्य व्यवस्थापिका सभाका वह सदस्य निर्वाचित हो जाए, तो यह मान लिया

जाएगा, कि उसने पार्लामेंट अथवा उस व्यवस्थापिका सभामें, जैसी कि स्थिति हो, अपना स्थान राष्ट्रपतिके पद पर आसीन होनेकी तारीखसे छोड़ दिया है।

(२) राष्ट्रपति लाभके किसी दूसरे पद या स्थानको ग्रहण नहीं करेगा।

(३) राष्ट्रपतिके लिए अपना सरकारी निवास रहेगा और उसको वे वेतन या भत्ते दिए जाएंगे, जो पार्लामेंट विधान द्वारा निश्चित करेगी, और जब तक इसके विषयमें इस प्रकारका बन्धान न बने, तब तक द्वितीय परिशिष्ट में निर्दिष्ट वेतन तथा भत्ते दिए जांएगे।

(४) राष्ट्रपतिके वेतन तथा भत्ते उसके कार्यकालमें घटाए नहीं जा सकेंगे।

राष्ट्रपति या स्थानापन्न राष्ट्रपति या राष्ट्रपतिके कृत्योंको सम्पन्न करनेवाले व्यक्ति द्वारा पदग्रहण करनेके पूर्व सम्मोदन या शपथ-ग्रहण

४९. प्रत्येक राष्ट्रपति या स्थानापन्न राष्ट्रपति अथवा जो कोई व्यक्ति उसके कृत्योंका संपादन करता है, अपने पद-ग्रहण करनेसे पूर्व भारतके परमन्यायाधीशके सामने सम्मोदन या शपथ ग्रहण करेगा :

"मैं अमुक, हृदयसे (सम्मोदन करता) सौगंध लेता हूँ, कि मैं सच्चे हृदयसे भारतके राष्ट्रपतिके पद-भारको निभाऊंगा (या राष्ट्रपति के कार्योंका सम्पादन करूंगा) तथा भरसक अधिकसे अधिक, संविधान और विधानकी रक्षा, परिरक्षा और प्रतिरक्षा करूंगा और मै तन-मन से भारत की जनताकी सेवा और भलाईमें रत रहूँगा।"

राष्ट्रपति पर अभियोग लगानेकी कार्य-प्रणाली

५०. (१) संविधानका उल्लंघन करनेके लिए जब राष्ट्रपतिपर अभियोग लगाया जाए, तो पार्लामेंटका कोई भी भवन दोषारोप उपस्थित कर सकेगा, किंतु

(२) ऐसा कोई दोषारोप तब तक उपस्थित नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि

(क) भवनके कमसे कम तीस सदस्योंने हस्ताक्षर करके लिखित सूचनाके साथ, ऐसे संकल्पका प्रस्ताव रखनेके लिए विचार न प्रकट किया हो कि वे लोग राष्ट्रपति के ऊपर दोषारोप लगाना चाहते है,

(ख) जब तक कि उक्त भवनके सारे सदस्योंमे से कमसे कम दो तिहाईका उस प्रस्तावपर समर्थन न प्राप्त हो।

(३) जब पार्लामेंटका एक भवन दोषारोपको इस प्रकार उपस्थित कर चुके, तब दूसरा भवन उक्त दोषारोपकी जांच करेगा या करवाएगा और इस जाच मे राष्ट्रपतिको स्वयं उपस्थित होने या अपनी जगह किसीको भेजने का अधिकार होगा।

(४) यदि जाचके बाद राष्ट्रपतिके विरुद्ध उपस्थित किए गए

दोषारोपके सिद्ध होनेकी घोषणाके बारेमें कोई प्रस्ताव जाँच कराने वाले भवनके सारे सदस्योंमेंसे कमसे कम दो तिहाई द्वारा समर्थित होकर पास हो जाये, तो पास करनेकी तारीखसे उक्त प्रस्तावके कारण राष्ट्रपति अपने पदसे हटा दिया जाएगा।

रिक्त हुए स्थान

५१. (१) राष्ट्रपतिके कार्यकालकी समाप्तिके कारण रिक्त हुए स्थानकी पूर्तिके लिए कार्यकालके बीच हीमें रिक्त स्थानका चुनाव कर लिया जाएगा।

(२) राष्ट्रपतिकी मृत्यु, पद-त्याग या हटाये जाने, अथवा किसी दूसरे कारणसे रिक्त हुए पदकी पूर्त्तिके लिए, स्थान रिक्त होनेके बाद, यथा-सभव शीघ्र और किसी प्रकार भी छ मास बीतनेके पहिले ही, निर्वाचन कर लिया जायेगा, और रिक्त स्थानकी पूर्त्तिके लिए निर्वाचित व्यक्ति इस सविधानकी धारा ४५ में नियत की गयी पाँच सालकी पूरी अवधिके लिए पदासीन होनेका अधिकारी होगा।

भारतका उपराष्ट्रपति

५२. भारतका एक उपराष्ट्रपति होगा।

उपराष्ट्रपति पदेन राज्यपरिषद्का अध्यक्ष होगा

५३. उपराष्ट्रपति पदेन राज्यपरिषद्का अध्यक्ष होगा और दूसरे किसी वेतनवाले पद या स्थानको ग्रहण न करेगा;

किन्तु साथ ही, जब कभी वह राष्ट्रपतिका स्थानापन्न होगा, अथवा इस सविधानकी ५४ वीं धाराके अनुसार राष्ट्रपतिके कृत्योंका सम्पादन करेगा, तो वह राज्य-परिषद्के अध्यक्ष-पदके कृत्योंको नहीं करेगा।

उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिकी अनुपस्थिति या आकस्मिक स्थान-रिक्तताके समय राष्ट्रपतिके पदको ग्रहणकरेगा या उसके कृत्योंका सम्पादन करेगा

५४ (१) राष्ट्रपतिकी मृत्यु, पद-त्याग अथवा हटाये जाने या किसी दूसरे कारणसे, उसके पदके रिक्त होने पर, उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपतिका स्थानापन्न होगा, जब तक कि इस अध्यायके रिक्त-स्थान की पूर्त्तिसम्बन्धी नियमोंके अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपने पदको ग्रहण न कर ले।

(२) अनुपस्थिति, बीमारी अथवा किसी दूसरे कारणसे जब राष्ट्र-पति अपने कृत्य करनेमें असमर्थ हो, तो उपराष्ट्रपति उसके कृत्योंका सम्पादन उस तारीख तक करेगा, जिस तारीख तक कि राष्ट्रपति अपने कृत्योंको फिरसे सँभाल न ले।

(३) जिस समय तक उपराष्ट्रपति इस प्रकार राष्ट्रपतिका स्थानापन्न रहेगा, उस समय तक वह राष्ट्रपतिकी अधिकार-शक्तियों और निर्भयताओंका अधिकारी होगा।

उपराष्ट्रपतिका चुनाव

५५. (१) दोनों भवनोंके संयुक्त अधिवेशनमें एकत्रित सारे सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्वके आधार पर, एकहरे परावर्त्तनयोग्य मतदान-प्रणालीसे, उपराष्ट्रपतिका निर्वाचन करेंगे और ऐसे निर्वाचनमें मत दान गुप्त-छन्द द्वारा होगा।

उपराष्ट्रपति पार्लामेंट या किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाका सदस्य नहीं रहेगा और यदि वह पार्लामेंट या किसी राज्यकी व्यवस्थापिका सभाका सदस्य निर्वाचित हो जाय, तो वह जिस तारीखसे अपने पद पर आयेगा, उस तारीखसे वह पार्लामेंट अथवा उक्त व्यवस्थापिकाका, जैसी कि स्थिति हो, सदस्य नही समझा जायेगा।

(३) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुने जानेके योग्य नहीं समझा जायेगा, जब तक कि वह :

(क) भारतका नागरिक न हो ;

(ख) पैंतीस वर्ष कीआयु पूरी न कर चुका हो ; और

(ग) राज्य-परिषद्‌का सदस्य चुने जानेकी योग्यता न रखता हो।

(४) ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुने जानेके लिए योग्य नहीं समझा जायेगा, जोकि भारत-सरकार या किसी राज्यकी सरकारके आधीन अथवा उक्त सरकारोंमें से किसीके भी द्वारा नियंत्रित किसी स्थानीय अथवा दूसरी राज्य-सत्ताके आधीन, किसी वेतनके पद या स्थानपर आसीन है।

व्याख्या—इस खण्डके लिए कोई व्यक्ति किसी वेतनके पदपर अथवा स्थानपर आसीन केवल उसी अवस्थामें नहीं समझा जायेगा, जब कि वह :

(क) या तो भारतका या प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यका मंत्री हो ; अथवा

(ख) प्रथम परिशिष्टके भाग ३मे उस समय गिनाये गये किसी राज्यका मन्त्री हो, यदि वह राज्यकी व्यवस्थापिका सभाके प्रति या जहाँ व्यवस्थापिकाके दो भवन हैं, वहाँ उसके ऐसे साधारण भवनके प्रति उत्तरदायी है, और यदि व्यवस्थापिका सभा अथवा भवनके, जैसी कि स्थिति हो, कमसे कम तीन चौथाई सदस्य निर्वाचित हों।

(५) उपराष्ट्रपतिके कार्यकालकी समाप्तिके कारण रिक्त हुए स्थानकी पूर्त्तिके लिए, कार्यकाल समाप्त होनेके पहिले ही, चुनाव कर लिया जायेगा।

(६) उपराष्ट्रपतिकी मृत्यु, पद त्याग या हटाये जाने अथवा किसी दूसरे कारणसे रिक्त हुए पदकी पूर्तिके लिए, स्थान रिक्त होनेके बाद, यथा-संभव शीघ्र और किसी प्रकार भी छ मास बीतनेके पहिले ही, निर्वाचन कर लिया जायेगा; और रिक्त-स्थानकी पूर्तिके लिए निर्वाचित व्यक्ति इस संविधानकी धारा ८५ में नियत की गयी पाँच सालकी पूरी अवधिके लिए पदासीन होनेका अधिकारी होगा।

उपराष्ट्रपतिका कार्यकाल

५६. उपराष्ट्रपति अपने पदपर आनेकी तारीखसे पाँच वर्षतक उस पदपर आसीन रहेगा; किन्तु साथ ही,

(क) उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिको सम्बोधित करके अपने हस्ताक्षरके साथ त्यागपत्र लिख कर पदको छोड़ सकेगा,

(ख) यदि राज्यपरिषद् तत्कालीन सदस्योंके बहुमतसे वैसा प्रस्ताव पास कर दे, और साधारण-भवन उससे सहमत हो, तो उपराष्ट्रपति असमर्थता या विश्वास खो देनेके कारण, अपने पदसे हटाया जा सकता है. किन्तु इस खंडके प्रयोजन के लिए, कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता, यदि १४ दिन पहिले, ऐसे प्रस्तावके उपस्थित करनेके अभिप्रायकी सूचना न दे दी गयी हो।

(ग) उपराष्ट्रपति अपने कार्यकालके समाप्त हो जानेपर भी, तब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पदपर आ नहीं जाता।

किसी योगायोगमें राष्ट्रपति के कार्य-सम्पादनकेलिए बन्धान बनानेका अधिकार

५७. इस अध्यायमें बन्धान न किये किसी योगायोगमें-राष्ट्रपति, के कृत्यके सम्पादनके लिए, पार्लामेन्ट, जैसा उचित समझे वैसा बन्धान बना सकेगी।

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे सम्बन्धित विषय

५८. (१) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपतिके निर्वाचनसे उठनेवाले या सम्बन्धित सभी संशयों और विवादोंकी जाँच और निर्णय परमन्यायालय करेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(२) इस संविधानकी बन्धानोंके आधीन रहते हुए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपतिके निर्वाचनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे सम्बन्धित किसी विषयका नियमन पार्लामेन्ट विधान द्वारा कर सकेगी।

विशेष परिस्थितियोंमें क्षमादान करने दण्डको स्थगित करने या उसे हलका करनेका राष्ट्रपति-को अधिकार

५६. (१) राष्ट्रपतिको अधिकार होगा कि-

(क) उन सभी परिस्थितियोंमें जिनमें कि सैनिक न्यायालयने दण्ड या दण्डाज्ञा दी हो,

(ख) उन सभी परिस्थितियोंमें, जिनमें कि उस अपराधके लिए दण्ड या दण्डाज्ञा ऐसे विषयके विधानके आधीन दी गयी है, जिस विषयके लिए विधान बनानेका अधिकार केवल पार्लामेण्ट को है, अपराध क्षेत्रवाले राज्यकी व्यवस्थापिका सभाको नहीं;

(ग) उन सभी परिस्थितियोंमें, जिनमें कि मृत्यु-दण्ड दिया गया हो,

किसी अपराधके लिए दंडित किसी व्यक्तिके दण्डको क्षमा कर दे, कुछ कालके लिए स्थगित कर दे या उस

व्यक्तिको छोड़ दे, अथवा दण्डाज्ञाको रोकवा दे, छोड़ दे या हलका कर दे।

(२) इस धाराके खण्ड (१) के उपखंड (क) में कोई भी ऐसी बात नहीं है, जिसका कि भारतकी रक्षासेनाके किसी अधिकारीके विधानप्रदत्त उन अधिकारोंपर प्रभाव पड़ता हो, जिनके द्वारा वह सैनिक न्यायालय द्वारा दी गयी दण्डाज्ञाको रोकवा देने, छोड़ने या हलका करनेकी क्षमता रखता है।

(३) इस धाराके खण्ड (१) के उपखण्ड (ग) में कोई भी ऐसी बात नहीं है, जिससे कि उस समय प्रचलित किसी विधानके अनुसार राज्यके प्रान्तपति अथवा नरेश द्वारा प्रयुक्त होने वाली मृत्यु-दण्डाज्ञाके रोकवा देने, छोड़ देने या हलका कर देनेके अधिकार पर प्रभाव पड़े।

संघकी कार्यकारिणी शक्तिकी सीमायें

६०. (१) इस संविधानकी बन्धानों के आधीन रहते हुए,

(क) वे विषय जिनके सम्बन्धमें विधान बनानेके लिए पार्लामेंटको अधिकार है,

(ख) और वे अधिकार जिनके द्वारा सन्धि या समझौतेके बलपर भारत-सरकार द्वारा प्रयोग किये जानेवाले अधिकारसत्ता, और अधिकार-क्षेत्र लागू किये जाँय, संघकी कार्यकारिणी शक्तिके अन्तर्गत समझे जायेंगे,

किन्तु साथही इस खण्डके उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट कार्यकारणी शक्तिका विस्तार किसी राज्यके भीतर उन विषयोंतक न होगा, जिनके सम्बन्धमे राज्यकी व्यवस्थापिका सभाको भी विधान बनानेका अधिकार है; यदि इसके विरुद्ध इस संविधान या पार्लामेंट द्वारा बनाये किसी विधानमें इसके लिए स्पष्ट बन्धान न हो।

(२) जब तक पार्लामेण्ट इसके विपरीत बन्धान न करे, तब तक कोई राज्य या राज्यका अधिकारी या उसकी कोई सत्ता इस धारामें विहित किसी बातके रहते हुए भी, उन विषयोंमें, जिनके बारेमें पार्लामेंट को उस राज्यके लिए विधान बनानेका अधिकार है, उसी प्रकार कार्यकारिणी शक्ति और कृत्योंका प्रयोग करता रह सकती है, जिस प्रकार इस संविधानके प्रारंभ होनेके पूर्व क्षण तक कर सकती थी।

मंत्रि-परिषद्

राष्ट्रपतिको सहायता और मंत्रणा देनेके लिए मंत्रि परिषद्

६१. (१) राष्ट्रपतिको उसके कर्त्तव्य-पालनमें सहायता तथा मन्त्रणा देनेके लिए, एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रमुख प्रधान-मंत्री होगा।

(२) मंत्रियों ने प्रधानको कोई मन्त्रणा दी या नहीं और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्नपर न्यायालयमें जाँच नहीं की जासकेगी।

मन्त्रियोंके बारेमे दूसरे बन्धान

६२ (१) प्रधान-मंत्रीकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और दूसरे मन्त्रियोंको भी वह प्रधान-मंत्रीके परामर्शसे नियुक्त करेगा।

(२) जब तक राष्ट्रपतिकी मर्जी रहेगी, तभी तक मंत्री अपने पदपर आसीन रहेंगे।

(३) मन्त्रि-परिषद् सामूहिक रूपसे जनभवनके प्रति उत्तरदायी होगी।

(४) पद-ग्रहणके पूर्व मंत्रीको राष्ट्रपति तृतीय परिशिष्टमे इसके लिए निर्धारितकी गयी वाक्यावलीके अनुसार पद तथा गोपनीयताकी शपथ दिलायेगा।

(५) कोई मंत्री छ मासके बाद मंत्री नहीं रह सकेगा, यदि इस अवधिके भीतर वह पार्लामेन्टके किसी भवनका सदस्य नहीं हो जाता।

(६) समय-समय पर पार्लामेंट मन्त्रियोंका वेतन और भत्ता विधान द्वारा निश्चित करती रहेगी, और जब तककि वह इसपर अपना निर्णय न दे दे, तब तक वेतन और भत्ता वही रहेगा, जोकि द्वितीय परिशिष्टमें निर्दिष्ट है।

भारतका महा-नियुक्तक

भारतका महा-नियुक्तक

६३. (१) परमन्यायालयका न्यायाधीश नियुक्त किये जानेकी योग्यता रखनेवाला व्यक्ति राष्ट्रपतिद्वारा महानियुक्तक नियुक्त किया जायेगा।

(२) महानियुक्तकका कर्त्तव्य होगा, कि वह सरकारको ऐसे वैधानिक विषयोंके सबधमें मंत्रणा दे, या ऐसे वैधानिक स्वरूपवाले दूसरे कर्त्तव्योंका पालन करे, जिन्हें कि राष्ट्रपति समय-समयपर उसको निर्देश करे या सौंपे, तथा उन कर्त्तव्योंका पालन करे, जो उसे संविधान या उस समय प्रचलित किसी दूसरे विधान द्वारा दिये या आधीन किये गये हों।

(३) महानियुक्तकको अपने कर्त्तव्यके अनुष्ठानमें भारत राज्य-क्षेत्रके अन्तर्गत सभी न्यायालयोंमें अपनी बात सुनानेका अधिकार होगा।

(४) जब तक राष्ट्रपतिकी मर्जी हो, तब तक महानियुक्तक अपने पद पर रहेगा और जैसा राष्ट्रपति निश्चित करे, वैसा पारिश्रमिक उसे मिलेगा।

सरकारी कार्यका संचालन

भारत-सरकारके कार्यका सचाजन

६४. (१) भारत-सरकारकी सारी कार्यकारी कार्यवाही राष्ट्रपति-के नामसे की गयी कही जायेगी।

(२) राष्ट्रपतिके नामसे निकाले गये या कार्यान्वित किये गये

आदेश या दूसरे अधिकार-पत्र, राष्ट्रपति द्वारा बनाये नियमोंमें निर्धारित रीतिसे प्रमाणीकृत किये जायेंगे; और इस प्रकार प्रमाणीकृत किये गये आदेश या अधिकार पत्र की मान्यतापर यह कहके आक्षेप नही किया जा सकेगा, कि उन्हें स्वयं राष्ट्रपतिने नहीं निकाला या कार्यान्वित किया है।

राष्ट्रपतिको सूचना देने आदि के बारेमें प्रधान-मंत्रीके कर्तव्य

६५. प्रधान-मंत्रीका कर्त्तव्य होगा कि—

(क) वह संघके कामोके शासन-प्रबन्धसंबधी मन्त्रिपरिषद्के सारे निर्णयों तथा व्यवस्थापित किये जानेवाले प्रस्तावोंसे राष्ट्रपतिको अवगत कराये,

(ख) वह संघके कार्योंके शासन-प्रबन्ध और व्यवस्थापित होने वाले प्रस्तावोंके बारेमे ऐसी सारी जानकारी प्रस्तुत करे, जिसकी राष्ट्रपति माग करे,

(ग) यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझता हो, तो ऐसे किसी विषय को मन्त्रि-परिषदके सम्मुख विचारार्थ रखे, जिसपरकि एक मन्त्रीने निर्णय दे दिया हो, लेकिन परिषद्में उसपर विचार न हुआ हो।

अध्याय २ — पार्लमेन्ट

सामान्य

पार्लमेंटका संगठन

६६. संघके लिए एक पार्लमेन्ट होगी, जो राष्ट्रपति और दो भवनोंसे मिलकर बनेगी; भवनोंके नाम क्रमशः राज्यपरिषद् और जनभवन होंगे।

पार्लमेंटके भवनों का संगठन

६७ (१) राज्य-परिषद्के दो सौ पचास सदस्य होंगे, जिनमेंसे

(क) पन्द्रह सदस्योंको राष्ट्रपति इस धाराके खण्ड (२) में बन्धान की गयी रीतिसे मनोनीत करेगा; और

(ख) बाकी सदस्य राज्योंके प्रतिनिधि होंगे;

किन्तु साथ ही, प्रथम परिशिष्टके भाग ३ मे उस समय गिनाये गये राज्योंके प्रतिनिधियोंकी कुल संख्या इन बाकी सदस्योंके चालीस प्रतिशत से अधिक न होगी।

(२) इस धाराके खण्ड (१) के उपखण्ड (क) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होनेवाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें निम्न प्रकारके विषयोंमे विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव हो:—

(क) साहित्य, कला, विज्ञान और शिक्षा,

(ख) कृषि, मत्स्य-पालन और तत्सदृश विषय,

(ग) इंजीनियरी और स्थापत्य,

(घ) लोक-शासन-प्रबन्ध और सामाजिक सेवायें;

(३) प्रथम परिशिष्टके भाग १ या भाग ३ में उस समय गिनाये गये प्रत्येक राज्यके प्रतिनिधि निम्न प्रकार निर्वाचित होंगे :—

(क) जहाँ राज्यकी व्यवस्थापिका सभाके दो भवन हों, वहाँ साधारण भवनके निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधियोंका चुनाव करेंगे,

(ख) जहां राज्यकी व्यवस्थापिका सभाका एक ही भवन है, वहाँ उस भवनके निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधियोंका चुनाव करेंगे ; और

(ग) जहाँ राज्यके लिए कोई व्यवस्थापिका सभा नहीं है, वहाँ प्रतिनिधि ऐसी रीतिसे निर्वाचित किये जायेंगे, जैसे कि पार्लामेन्ट विधान द्वारा निश्चित करेगी।

(४) राज्य परिषद्के लिए प्रथम परिशिष्टके भाग २ में उस समय गिनाये गये राज्योंके प्रतिनिधि ऐसी रीतिसे निर्वाचित किये जायेंगे, जैसे कि पार्लामेन्ट विधान द्वारा निश्चित करेगी।

(५) (क) इस संविधानकी धारा २९२ और धारा २९३ के बन्धानोंके आधीन रहते हुए, राज्योंके प्रादेशिक जनप्रतिनिधि मतदाताओंके द्वारा सीधे निर्वाचित होंगे, और जनभवनमें उनकी संख्या पाँचसौसे अधिक न होगी।

(ख) उपखण्ड (क) के लिए, भारतके राज्योंका प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रोंमें विभाजन, वर्गीकरण या निर्माण किया जायेगा और प्रत्येक ऐसे निर्वाचनक्षेत्रके लिए प्रतिनिधियोंकी संख्या इस प्रकार नियत की जायेगी, जिसमे कि प्रत्येक ७,५०,००० जनसंख्याके लिए एकसे कम और प्रत्येक ५,००,००० जनसंख्याके लिए एकसे अधिक प्रतिनिधि न होगे,

किन्तु साथ ही, यह भी आवश्यक है, कि प्रथम परिशिष्टके भाग ३ मे उस समय गिनाये गये राज्योंके प्रतिनिधियोंकी कुल संख्या और उन राज्योंकी कुल जनसंख्या के बीचका अनुपात, उक्त परिशिष्टके भाग १ और २ में उस समय गिनाये गये राज्योंके प्रतिनिधियोंकी कुल संख्या एवं उन राज्योंकी कुल जन-संख्याके बीचके अनुपातसे अधिक न होगी।

(ग) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्रके लिए किसी समय निर्वाचित किये गये सदस्योंकी संख्या और उस प्रदेशकी पिछली जनगणनाके अनुसार पायी गयी जनसंख्याके बीचके अनुपात जहाँ तक व्यवहार्य हो सकेगा, सारे भारतमे एक

सा ही होगा।

(६) जनभवनके लिए प्रतिनिधियोंका चुनाव वयस्कमताधिकारके आधारपर होगा, अर्थात् प्रत्येक नागरिक ऐसे निर्वाचनोंमें मतदाता-सूची में लिखे जानेका अधिकारी होगा, जिसकी आयु इक्कीस वर्षसे कम नहीं है और इस संविधान पार्लामेंटके किसी और व्यवस्थाके आधीन, निवासी न होने, पागल होने, घोर अपराधी होने या भ्रष्ट या अवैध आचरणवाला होनेके कारण, अयोग्य नहीं बना दिया गया हो।

(७) पार्लामेंट विधान द्वारा राज्योंके अतिरिक्त दूसरे प्रदेशोंकी व्यवस्थापिका सभामें प्रतिनिधि निश्चित करनेके बारेमें बन्धान कर सकेगी।

(८) प्रत्येक मनुष्य-गणनाकी समाप्ति पर, राज्य-परिषद्में भिन्न-भिन्न राज्यो और जनभवनमें भिन्न-भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रोके प्रतिनिधियोंकी संख्या इस संविधानकी धारा २८६ के बन्धानोंके आधीन रहते हुए, ऐसी राज्यसत्ता द्वारा उस रीतिसे और उस तारीखसे कार्यान्वित होनेके लिए, फिरसे ठीक की जायगी, जैसाकि पार्लामेंट विधान द्वारा निश्चित करेगी।

(९) जब राज्य-परिषद्ने प्रतिनिधि भेजनेके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये राज्योंको मिलाकर समूह बनाया जाय, तो इस धाराके लिए वह सारा समूह एक राज्य समझा जायेगा।

पार्लामेण्टके भवनोंका कार्यकाल

३८ (१) राज्य-परिषद् भंग नहीं की जा सकेगी, बल्कि उसके सदस्योंमेंसे जहाँ तक हो सके, लगभग एक तिहाई सदस्य पार्लामेंटके विधान द्वारा बनाये तत्संबंधी विधानोंके अनुसार, हर दूसरे सालकी समाप्ति पर अलग हो जायेंगे।

(२) यदि समयसे पहिलेही भंग न कर दिया जाय, तो जनभवन अपने प्रथम अधिवेशनके लिए निश्चित तारीखसे पाँच वर्ष तक चालू रहेगा; किन्तु इससे अधिक नहीं, और इस पाँच वर्षके कार्यकालकी समाप्ति पर जनभवन भंग हो जायेगा।

किन्तु साथ ही यह आवश्यक है, कि जब तक संकटकालकी उद्घोषणा लागू है, राष्ट्रपति एक बार एक वर्षसे अधिक न जाने वाली अवधिके लिए और किसी अवस्थामें भी उद्घोषणाका क्रियाकाल समाप्त होनेके बाद, अधिकसे अधिक छ मासकी अवधिके लिए, उक्त कार्यकाल को बढ़ा सकेगा।

पार्लामेण्टके अधिवेशन, उसका लम्बा स्थगन और भंग होना

६९. (१) पार्लामेंटके भवनोंके प्रतिवर्ष कमसे कम दो बार अधिवेशन बुलाये जायेंगे, तथा उनके एक अधिवेशनकी अन्तिम बैठककी तारीख और आगामी अधिवेशनकी पहली बैठकके लिए निश्चित की

गयी तारीखके बीचमें छः मासका अन्तर नहीं पड़ना चाहिए ।

(२) इस धाराके उपबन्धानोंके आधीन रहते हुए, राष्ट्रपति समय समय पर :

(क) पार्लामेंटके भवनों या किसी एक भवनको जिस, स्थान पर उचित समझे, उस स्थान पर अधिवेशनके लिए बुला सकेगा;

(ख) भवनोंको चिरकालके लिए स्थगित कर सकेगा, और

(ग) जनभवनको भंग कर सकेगा ।

भवनोंके सामने भाषण करने और उनको सन्देश भेजने के बारेमे राष्ट्रपति को अधिकार

७०. (१) पार्लामेंटके किसी भवन या एकत्र हुए दोनों भवनोंके सामने राष्ट्रपति भाषण दे सकेगा और इस कामके लिए सदस्यों की उपस्थितिको चाहेगा ।

(२) राष्ट्रपति पार्लामेंटमें उस समय विचाराधीन किसी विधान मसौदे या दूसरे किसी विषयमें पार्लामेंटके किसी भवनके लिए अपना सन्देश भेज सकेगा, और जिस भवनको इस प्रकार कोई सन्देश भेजा गया हो, वह भवन उस सन्देशद्वारा चाहे गए विचारणीय विषय पर सुविधानुसार यथा-शीघ्र विचार करेगा ।

पार्लामेंटके प्रत्येक अधिवेशन के आरम्भमे राष्ट्रपतिका विशेष भाषण तथा भाषण मे उल्लिखित बातों पर पार्लामेण्टमें आलोचना

७१. (१) प्रत्येक अधिवेशनके आरंभमें राष्ट्रपति पार्लामेंट के एकत्र हुए दोनों भवनोंके समक्ष भाषण देगा, और पार्लामेंटको बुलाने का कारण बतलायेगा ।

(२) किसी भी भवनकी कार्यप्रणालीके नियामक नियमो द्वारा ऐसे भाषणमें उल्लिखित विषयोंकी आलोचनार्थ समय रखनेके लिए तथा भवनके दूसरे कार्योंमें इस आलोचनाको प्रथम स्थान देनेके लिए बन्धान बनाया जायेगा ।

भवनोंमें मन्त्रियों और महानियुक्तक के अधिकार

७२. किसी भी भवन या भवनोंके संयुक्त अधिवेशनमें या पार्लियामेंटकी ऐसी समितिमें, जिसमे उसका नाम सदस्यके रूपमें दिया गया हो, भारतके प्रत्येक मन्त्री और महानियुक्तकको बोलने, कार्य- वाहियोंमे भाग लेनेका अधिकार होगा, किन्तु इस धाराके अनुसार उसे मत देनेका अधिकार न होगा ।

पार्लामेण्टके पदाधिकारी

राज्य-परिषद्के अध्यक्ष और उपा-ध्यक्ष

७३. (१) भारतका उपराष्ट्रपति पदेन राज्य-परिषदका सभापति होगा ।

(२) राज्य-परिषद् यथाशीघ्र अपने किसी सदस्यको अपना अध्यक्ष चुनेगी और जब जब उपाध्यक्षका पद खाली होगा, तब तब परिषद् अपने किसी दूसरे सदस्य को अपना उपाध्यक्ष चुनेगी ।

उपाध्यक्षके पद का रिक्त होना त्याग-पत्र देना तथा पदसे हटाया जाना

७४ राज्य-परिषदके उपाध्यक्षके पदपर आसीन सदस्य—

(क) यदि परिषद्का सदस्य नहीं रहा हो, तो उसका पद रिक्त समझा जायेगा ;

(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षरसे अध्यक्षको पत्र लिख कर पद त्याग कर सकेगा ; और

(ग) यदि राज्यपरिषद् तत्कालीन सदस्योंके बहुमतसे वैसा प्रस्ताव पास कर दे, और जन भवन उससे सहमत हो, तो वह असमर्थताके कारण या विश्वास खो देनेके कारण अपने पदसे हटाया जा सकता है ;

किन्तु साथ ही, इस धाराके खण्ड (ग)के लिए, कोई प्रस्ताव तब तक न लाया जा सकेगा, जब तक कि उक्त प्रस्तावके उपस्थित करनेके अभिप्रायकी सूचना कमसे कम चौदह दिन पहिले न दे दी गयी हो।

उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियोंका अध्यक्ष के पदकार्यके सम्पादन करने अथवा उसका स्थानापन्न होनेकी क्षमता

७५. (१) जब अध्यक्षका पद रिक्त हो, या उस अवधिमें जब कि इस संविधानकी धारा ५४ के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिका स्थानापन्न बना हुआ हो, अथवा उसके कृत्योंका सम्पादन कर रहा हो, तब उपाध्यक्ष अथवा यदि उपाध्यक्षका पद भी रिक्त हो, तो राष्ट्रपति द्वारा इस कामके लिए नियुक्त राज्य-परिषद्का कोई भी सदस्य उक्त पदके कर्त्तव्योंका सम्पादन कर सकेगा।

(२) राज्य-परिषदकी किसी भी बैठकके अध्यक्षकी अनुपस्थितिमें उपाध्यक्ष अथवा उसकी भी अनुपस्थितिमें परिषद्की कार्यप्रणालीके नियमों द्वारा निश्चित किया गया कोई व्यक्ति, अथवा ऐसे व्यक्तिकी भी अनुपस्थिति में, परिषद् द्वारा निश्चित किया गया कोई दूसरा व्यक्ति, अध्यक्षके रूपमें कार्य करेगा।

जनभवनका सभाध्यक्ष और उपसभाध्यक्ष

७६. जन-भवन यथाशीघ्र भवनके दो सदस्योंको क्रमशः अपना सभाध्यक्ष और उपसभाध्यक्ष चुनेगा और जब जब सभाध्यक्ष या उपसभाध्यक्ष-का स्थान रिक्त होगा, तब तब भवन, जैसी भी स्थिति हो, किसी अन्य सदस्यको सभाध्यक्ष या उपसभाध्यक्ष चुनेगा।

सभाध्यक्ष तथा उपसभाध्यक्षके पदका रिक्त होना, उनका त्याग पत्र देना या हटाया जाना

७७. जन-भवनके सभाध्यक्ष या उपसभाध्यक्षके पद पर आसीन सदस्य—

(क) यदि जन-भवनका सदस्य न रहता हो, तो उसका पद रिक्त समझा जायेगा,

(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षरसे यदि वह सभाध्यक्ष है, तो उपसभाध्यक्षको, और उपसभाध्यक्ष है, तो सभाध्यक्षको पत्र लिख कर त्यागपत्र दे सकेगा, और

(ग) यदि जन भवन तत्कालीन सदस्योंके बहुमतसे वैसा प्रस्ताव

पास कर दे, तो वह असमर्थताके कारण या विश्वास खोने के कारण पदसे हटाया जा सकेगा;

किन्तु साथ ही, इस धाराके खण्ड (ग) के लिए, कोई प्रस्ताव तब तक न लाया जा सकेगा, जब तक कि उक्त प्रस्तावके उपस्थित करनेके अभिप्राय की सूचना कमसे कम चौदह दिन पहिले न दे दी गयी हो ;

किन्तु साथही, यहभी आवश्यक है कि जब कभी जन भवन भंग किया जाय तो भंग होनेके बाद आनेवाले नये जनभवनकी प्रथम बैठकके प्रथम क्षण तक सभाध्यक्ष अपने पदको रिक्त नहीं करेगा।

उपसभाध्यक्ष या व्यक्तियोंकी सभाध्यक्षके पद-कार्यों के सम्पादन करने अथवा उसका स्थानापन्न होनेकी क्षमता

७८. (१) जब सभाध्यक्षका पद रिक्त हो, तब उपसभाध्यक्ष, जब उपसभाध्यक्षका पद भी रिक्त हो, तो राष्ट्रपति द्वारा इस कार्यके लिए नियुक्त जन-भवनका कोई सदस्य, इस पदके कार्योंका सम्पादन कर सकेगा।

(२) जनभवनकी किसी भी बैठकमें सभाध्यक्षकी अनुपस्थितिमें उपसभाध्यक्ष, अथवा उसकी भी अनुपस्थितिमें जनभवनकी कार्यप्रणालीके नियमोंके द्वारा निश्चित किया गया कोई व्यक्ति, अथवा ऐसे व्यक्तिकी भी अनुपस्थितिमें, जनभवन द्वारा निश्चित किया गया कोई दूसरा व्यक्ति सभाध्यक्षके रूपमें कार्य करेगा।

अध्यक्षन या उपाध्यक्ष और सभाध्यक्ष तथा उपसभाध्यक्ष का वेतन-भत्ता

७०. राज्यपरिषद्के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा जनभवनके सभाध्यक्ष और उपसभाध्यक्षको पार्लामेंटके विधान द्वारा निश्चित किये गये वेतन और भत्ते दिये जायेंगे, और जब तक इसके बारेमे इस तरहका बंधान न बने, तब तक उन्हें द्वितीय परिशिष्टमें निर्दिष्ट वेतन और भत्ता मिलेगा।

कार्य-संचालन

भवनोंमें मतदान, रिक्त स्थानोंके होते हुए भी भवनोंके कार्य करने की क्षमता तथा गण-पूरक संख्या (कोरम)

८०. (१) इस संविधानमें बंधानकी हुई अवस्थाओंको छोड़ कर, दोनों भवनोंकी किसी अलग या संयुक्त बैठकमें सभी बातोंका निर्णय, अध्यक्ष अथवा सभाध्यक्ष या उनके स्थानापन्न व्यक्तिको छोड़ कर, उपस्थित तथा मतदेने वाले सदस्योंके बहुमतसे किया जावेगा।

अध्यक्ष अथवा सभाध्यक्ष या उनका स्थानापन्न व्यक्ति पहिले अपना मत न देगा, किन्तु मतोंके बराबर होनेकी अवस्थामें उसे निर्णायक मत देनेका अधिकार होगा और वह उसका प्रयोग कर सकेगा।

(२) किसी सदस्यके स्थानके रिक्त होने पर, पार्लामेण्टके किसी भी भवनको कार्य करनेकी क्षमता होगी, यदि बादमें पता चले कि कोई अनधिकारी व्यक्ति कार्यवाहियोंमें उपस्थित रहा, उसने मत दिया अथवा अन्य प्रकारसे भाग लिया, तो भी पार्लामेंटकी कार्यवाही मान्य समझी जायेगी।

(३) यदि भवनकी बैठकमें किसी समय भी, भवनके सारे सदस्यों के छठे भागसे कम उपस्थिति हो, तो अध्यक्ष या सभाध्यक्ष अथवा उनके स्थानापन्न व्यक्तिका कर्त्तव्य होगा, कि या तो भवनको स्थगित कर दे, या बैठकको तब तकके लिए रोक दे, जब तक कि सदस्योंका छठाँ भाग उपस्थित न हो जाय।

सदस्योंकी अयोग्यतायें

सदस्योंद्वारा घोषणा

८१. पार्लामेंटके प्रत्येक भवनका प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करनेसे पहिले राष्ट्रपति या उसके द्वारा एतदर्थ नियुक्त व्यक्तिके सामने तृतीय परिशिष्टमें इस प्रयोजनके लिए दी गयी वाक्यावलीके अनुसार घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

स्थानोंका रिक्त होना

८२. (१) कोई व्यक्ति पार्लामेंटके दोनों भवनोंका एक साथ सदस्य न होगा, और जो व्यक्ति दोनों भवनोंका सदस्य निर्वाचित हुआ हो, उसके दोनोंमेंसे एक भवनके स्थानको रिक्त करनेके लिए पार्लामेंट विधान द्वारा बन्धान बनायेगी।

(२) पार्लामेंटके किसी भवनके सदस्यका स्थान रिक्त समझा जायेगा, यदि वह

(क) तुरन्त आनेवाली धारामें निर्दिष्ट अयोग्यताओंका पात्र हो जाता है; अथवा

(ख) अध्यक्ष या सभाध्यक्षको, जैसी कि स्थिति हो, हस्ताक्षरसे पत्र लिख कर अपने स्थानसे त्यागपत्र देता है

(३) यदि पार्लामेंटके किसी भवनका कोई सदस्य बिना भवनकी अनुमति के, उसके सब अधिवेशनोंमें साठ दिनोंकी अवधि तक अनुपस्थित रहे, तो भवन उसके स्थानको रिक्त घोषित कर सकेगा;

किन्तु साथ ही साठ दिनोंकी अवधिको गिनते समय, किसी ऐसी अवधिको शामिल नहीं किया जायेगा, जिसमे भवन चिरकालके लिए स्थगित किया गया हो या निरन्तर चारसे अधिक दिनों के लिए स्थगित हुआ हो।

सदस्यताके लिए अयोग्यता

८३. (१) कोई व्यक्ति पार्लामेंटके किसी भवनके सदस्य चुने जाने या सदस्य रहनेके लिए अयोग्य समझा जायेगा,

(क) यदि वह भारत-सरकार या किसी राज्यकी सरकारके ऐसे लाभवाले पद पर आसीन है, जो उन पदोंसे भिन्न है, जिन्हें धारण करके कोई व्यक्ति पार्लामेंटके विधान द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया हो,

(ख) यदि वह विक्षिप्त है, और समर्थ न्यायालय द्वारा ऐसा ठहराया जा चुका है,

(ग) यदि वह अमोचित दिवालिया है;

(घ) यदि वह किसी विदेशी राज्यके साथ भक्ति या अनुवर्त्तन स्वीकार किये हो, या किसी विदेशी राज्यकी प्रजा अथवा नागरिक हो, या किसी विदेशी राज्यकी प्रजा अथवा नागरिकके अधिकारों या विशेषाधिकारोंका अधिकारी हो, और

(ङ) यदि वह पार्लामेंटके बनाये विधानके द्वारा या उसके अनुसार, इस प्रकार अयोग्य ठहरा दिया गया हो,

(२) इस धाराके प्रयोजनके लिए, कोई व्यक्ति भारत-सरकार या किसी राज्यकी सरकारके आधीन लाभवाले पदपर आसीन केवल तभी नहीं समझा जायेगा, जब कि—

(क) वह यह या तो भारत या प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यका मंत्री हो; या

(ख) प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यका मंत्री हो, यदि उस राज्यकी व्यवस्थापिका सभाके प्रति, अथवा जहाँ व्यवस्थापिकाके दो भवन हों, वहाँ साधारण भवनके प्रति उत्तरदायी हो, और यदि व्यवस्थापिका सभा या भवनके, जैसी भी स्थिति हो, कम से कम तीन चौथाई सदस्य निर्वाचित हों।

धारा ८१ के अनुसार घोषणा किये बिना, या योग्य न होने या, अयोग्य ठहराये जाने पर भी बैठने या मत देनेके लिए दंड

८४ यदि कोई व्यक्ति पार्लामेंटके सदस्यके रूपमें ऐसी अवस्थामें बैठता या मत देता है, जब कि उसने इस सविधानकी ८१ धारामे अपेक्षित शर्तोंको पूरा नहीं किया है; अथवा जब वह जानता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, या भवनकी सदस्यताके लिए अयोग्य ठहराया गया हूँ, अथवा वह पार्लामेंटके बनाये किसी विधानके बन्धानोंसे ऐसा करनेके लिए प्रतिषिद्ध कर दिया गया हो, तो इस प्रकार वह जितने दिन बैठेगा या मत देगा, उतने दिनके लिए प्रत्येक दिनके लिए पाँच सौ रुपयेके हिसाबसे दण्डका भागी होगा, जिसे भारत-सरकारको देय ऋणके तौर पर उसे चुकाना पड़ेगा।

सदस्योंके विशेषाधिकार और निर्भयतायें

सदस्योंके विशेषाधिकार आदि

८५. (१) पार्लामेंटकी कार्यप्रणालीके नियामक नियमों और स्थायी आदेशोंके आधीन रहते हुए, पार्लामेंटमें भाषणकी स्वतन्त्रता होगी।

(२) पार्लामेंट या उसकी किसी समितिमें कही हुई किसी बात या दिये गये मतदानके लिए, पार्लामेंटके किसी सदस्यके विरुद्ध किसी न्यायालयमें कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, और न किसी व्यक्तिके विरुद्ध पार्लामेंटके किसी भवनकी सत्ताके द्वारा, अथवा उसके अनुसार किसी विवरण-पत्र, पत्र, मत-दान या कार्यवाहियोंके प्रकाशनके लिए, इस

प्रकारकी कार्यवाही की जा सकेगी ।

(३) दूसरी बातोंमे पार्लामेंटके सदस्योंके विशेषाधिकार और निर्भतायें वही होंगी, जो पार्लामेंट समय समय पर विधान द्वारा लक्षित करती रहेगी, और जब तक वह इस प्रकार लक्षित न करे, तब तक वे वही होंगी, जो इस संविधानके प्रारंभ होनेके समय, इंगलैण्डकी पार्लामेंटके साधारण भवनके सदस्योंको प्राप्त हैं ।

(४) इस धाराके खण्ड (१), (२) और (३) के बन्धान जिस प्रकार पार्लामेंटके सदस्योंके ऊपर लागू हैं, वैसे ही उनके ऊपर भी लागू होंगे, जिन्हें इस संविधानके बलसे पार्लामेंटके किसी भवनमें बोलने या दूसरी प्रकारसे उसकी कार्यवाहियोंमे भाग लेनेका अधिकार मिला है ।

सदस्योंका वेतन-भत्ता

८६. पार्लामेण्टके प्रत्येक भवनके सदस्य उन वेतनों और भत्तों के अधिकारी होंगे, जिन्हें पार्लामेंट विधान द्वारा समय समय पर निश्चित करेगी, और जब तक इस विषयमें इस प्रकारका बन्धान नहीं बनाया जाता, तब तक भत्ता ऐसी दर और ऐसे प्रतिबन्धोंके साथ दिया जायेगा, जैसा कि संविधानके प्रारंभ होनेकी तारीखसे प्रथम क्षण पूर्व तक भारत-उपनिवेशकी व्यवस्थापिकाके सदस्योंके लिए लागू रहे हों ।

व्यवस्थाकी कार्य-प्रणाली

विधान-मसौदोंके उपस्थित करने और पास होनेके बारेमें बधान

८७. (१) मुद्रा तथा अन्य अर्थ विभागी विधान-मसौदोंके बारेमें इस संविधानकी ८८ और ८९ धाराके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, कोई विधान-मसौदा पार्लामेंटके किसी भवनमे प्रथम बार लाया जा सकेगा ।

(२) इस संविधानकी ८८ और ८९ धाराओंके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, तब तक कोई विधान-मसौदा पार्लामेंटके भवनों द्वारा पास किया गया नहीं समझा जायेगा, जब तक कि या तो वह संशोधनके बिना या दोनों भवनों द्वारा स्वीकृत संशोधनोंके साथ दोनों भवनों द्वारा स्वीकृत न कर लिया गया हो ।

(३) भवनोंके अधिवेशनके समाप्त होनेके कारण पार्लामेंटमे विचाराधीन विधान मसौदोंका समय समाप्त नहीं समझा जायेगा ।

(४) जनभवनके भंग होने पर, ऐसे विधान-मसौदेका समय समाप्त नहीं समझा जायेगा, जो राज्यपरिषद् के विचाराधीन है और जिसे जनभवन ने पास नहीं किया है ।

(५) इस संविधानकी धारा ८८ के बन्धानोंके आधीन रहते हुए, जनभवनके भंग होने पर, ऐसे किसी विधान-मसौदेका समय समाप्त नहीं समझा जायेगा, जो जनभवन मे विचाराधीन है, अथवा जनभवन द्वारा पास होकर राज्य-परिषद्में विचाराधीन है ।

कुछ विशेष परि-स्थितियों में दोनों भवनोंकी संयुक्त बैठके

८८. (१) जब कि जन-भवनके भंग होनेके कारण, किसी विधान-मसौदेका समय समाप्त नहीं है, मसौदे पर विचार और मत-दानके लिए राष्ट्रपति दोनो भवनोंके अधिवेशनके समय सन्देश द्वारा, और अधिवेशन न होनेके समय, सार्वजनिक विज्ञप्ति द्वारा, उस दशामे भवनों की सयुक्त बैठक बुलानेके अभिप्रायकी सूचना देगा ;

यदि किसी विधान-मसौदेके एक भवनमे पास कर दिये जाने और दूसरे भवनमें भेजे जानेके पश्चात्—

(क) विधान-मसौदा दूसरे भवन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाये; अथवा

(ख) मसौदेमे किये जाने वाले संशोधनों पर दोनों भवन अन्त-में एकमत न हो, अथवा

(ग) मसौदेके पानेकी तारीखसे उसे पास किये विना, दूसरे भवन को छ से अधिक मास वीत चुके हों ;

किन्तु साथ ही, इस खण्डमे कोई भी ऐसी वात नहीं है, जो मुद्रा-सम्बन्धी विधान-मसौदे पर लागू हो।

(२) इस धाराके खण्ड (१) में निर्दिष्ट छ मासकी अवधिको गिनते समय किसी ऐसी अवधिको सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिसमे दोनों भवनोंको चिरकालके लिए, या चार दिनोंसे अधिकके लिए स्थगित कर दिया गया हो।

(३) इस धाराके खण्ड (१) के अनुसार, जब राष्ट्रपति भवनोंके संयुक्त अधिवेशनको बुलानेके अभिप्रायको सूचित कर चुका हो, तो कोई भवन विधान-मसौदे पर आगे कार्यवाही न करेगा; किन्तु राष्ट्रपति सूचनाकी तारीखके वाद किसी समय, सूचनामें निर्दिष्ट प्रयोजनके लिए, दोनों भवनों-का संयुक्त अधिवेशन बुला सकेगा, और उसके बुलाने पर दोनो भवन तदनुसार सयुक्त अधिवेशनके लिए बैठेंगे।

(४) यदि दोनों भवनोंकी संयुक्त बैठकमें वहाँ मान लिए गये सशोधनोंके साथ विधान-मसौदा, दोनोंके उपस्थित तथा मत देने वाले सारे सदस्योंके वहुमतसे पास हो जाता है, तो इस संविधानके प्रयोजनके लिए, उसे दोनों भवनोंसे पास समझा जायेगा,

किन्तु साथ ही, सयुक्त बैठक में—

(क) यदि विधान-मसौदा एक भवनसे पास होकर दूसरे भवन द्वारा संशोधनोंके साथ भी पास नहीं किया गया है, और वह अपने उद्गमवाले भवनमें लौटा दिया गया है, तो ऐसे सशोधनोंके, यदि कोई हों, अतिरिक्त अन्य कोई सशो-धन प्रस्तावित नहीं किये जा सकेंगे, जोकि विधान-मसौदे-

के पास होनेमें देरीके कारण आवश्यक हों;

(ख) यदि विधान-मसौदा इस प्रकार पास करके लौटाया जा चुका है, तो मसौदे पर ऐसे ही संशोधन प्रस्तावित किये जा सकेंगे, जोकि ऊपर कहे गये हैं, और जो उन विषयोंसे संगति रखते हैं, जिनके वारेमें भवनोंमें एकमत नहीं रहा है;

और इस खण्डके अन्तर्गत संशोधनोंके ग्राह्य-अग्राह्य होनेके वारेमें अधिवेशन प्रमुखका निर्णय अन्तिम होगा।

(५) चाहे दोनों भवनोंके संयुक्त अधिवेशनके बुलानेके अभिप्रायसे राष्ट्रपतिकी सूचनाके वाद, जनभवन वीचमें भंग हो चुका हो, तो भी इस धाराके आधीन संयुक्त वैठक हो सकेगी, और उसमें विधान-मसौदा पास हो सकेगा।

मुद्रा-म्बधी विधान-मसौदोंके वारेमे विशेष कार्यप्रणाली

८६. (१) मुद्रासम्बन्धी विधान-मसौदा राज्य-परिषद् में नहीं उपस्थित किया जा सकेगा।

(२) जनभवन द्वारा पास होनेके पश्चात् मुद्रासम्बन्धी विधान-मसौदा राज्य-परिषद्के पास उसकी सिफारिश के लिए भेजा जायगा, और राज्य परिषद् मसौदेके पानेकी तारीखके तीस दिनकी अवधिके भीतर, अपनी सिफारिशों (संस्तुतियों) के साथ उसे जनभवनके पास लौटा देगी, और जनभवन राज्य-परिषद्की सिफारिशोंमे से सबको या किसीको स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

(३) यदि राज्य-परिषद्की सिफारिशो मे से किसीको जनभवन स्वीकार कर लेता है, तो मुद्रासम्बन्धी विधान-मसौदा राज्य-परिषद् की सिफारिशों (संस्तुतियों) तथा जनभवन द्वारा स्वीकृत सशोधनोंसहित दोनों भवनोंसे पास माना जायेगा।

(४) यदि राज्य-परिषद्की सिफारिशों मेंसे किसीको भी जनभवन स्वीकार नहीं करता, तो मुद्रासंबधी विधान-मसौदा राज्य-परिषद्की सिफारिश (संस्तुत) किये किसी संशोधनके विना उसी रूपमें दोनों भवनों द्वारा पास माना जायेगा, जिस रूपमें कि उसे जनभवनने पास किया हो।

(५) यदि जनभवन द्वारा पास किया गया तथा राज्य-परिषद्के पास उसकी सिफारिशो के लिए भेजा गया मुद्रासंबन्धी-विधान-मसौदा उक्त तीस दिनकी अवधिके भीतर जनभवनके पास लौटाया नहीं जाता, तो उक्त अवधिके समाप्त होनेपर, उसी रूपमें दोनों भवनों द्वारा पास माना जायेगा, जिस रूपमें कि जनभवनने उसको पास किया हो।

मुद्रा - सम्बन्धी विधान - मसौदोंकी परिभाषा

६०. (१) इस अध्यायके प्रयोजनके लिए, वह विधान-मसौदा मुद्रा-सम्बन्धी विधान-मसौदा माना जायेगा, जिसमें निम्नलिखित विषयोंमें से किसी एकसे सम्बन्ध रखने वाले बन्धान हों :—

(क) किसी करको लगाना, उठा देना, उसमें छूट देना, परिवर्तन करना या उसका नियमन करना;

(ख) भारत-सरकार द्वारा रुपया ऋण लेने, अथवा कोई गारंटी देने अथवा भारत-सरकार द्वारा लिये गये या लिये जाने-वाले किसी आर्थिक आभारसे संबन्धित विधानके संशोधन करनेका नियमन करना ,

(ग) माँगकी पूर्त्ति (समरण) करना,

(घ) भारतके राजस्वोंका विनियोग करना ;

(ङ) भारतके राजस्व पर लगनेवाला व्यय घोषित करना, अथवा ऐसे किसी व्ययकी राशिको अधिक करना ;

(च) भारतके राजस्वके लेखामें रुपया-प्राप्ति करना या ऐसे रुपयोंकी निकासी या सरक्षण करना, अथवा भारत-सरकार-के आयव्यय-लेखाका निरीक्षण करना, अथवा

(घ) कोई विषय जो इस खण्डके (क)से (च) तकके मदोंमें सम्बन्ध रखने-वाले विषयोंका आनुषगिक रूप हो।

(२) कोई विधान-मसौदा केवल इसीलिए मुद्रा-सम्बन्धी विधान-मसौदा नहीं मान लिया जायेगा, कि वह जुर्माना या अन्य आर्थिक दण्डों-के लगाने या अनुमति-पत्रोंके लिए शुल्क या भूतपूर्व सेवाओंके लिए दक्षिणा माँगने या चुकानेका बन्धान करता है, अथवा इस कारणसे कि किसी स्थानीय सत्ता या संस्था द्वारा स्थानीय प्रयोजनके लिए किसी करके लगाने, उठा देने, उसमें छूट देने, परिवर्त्तन करने या नियमन करनेका बन्धान करता है ।

(३) कोई मसौदा मुद्रा-सम्बन्धी विधान-मसौदा है या नहीं, इस प्रश्न पर जनभवन के सभाध्यक्षका निर्णय अन्तिम होगा ।

(४) अन्तिम पिछली धाराके आधीन , मुद्रा-सम्बन्धी विधान-मसौदा जब राज्यपरिषद्को भेजा जाता है, और जब आगे आने वाली धाराके अनुसार वह अनुमतिके लिए राष्ट्रपतिके समक्ष उपस्थित किया जाता है, तो प्रत्येक मुद्रासम्बन्धी विधान-मसौदे पर जनभवनके सभाध्यक्षके हस्ताक्षरसहित यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह मुद्रा सम्बन्धी विधान-मसौदा है ।

६१. जब पार्लामेण्टके दोनों भवनों द्वारा कोई विधान-मसौदा पास कर दिया गया हो, तो वह राष्ट्रपतिके सामने उपस्थित किया जायेगा, और राष्ट्रपति घोषित करेगा, कि मै विधान-मसौदे पर अनुमति देता हूँ या अनुमति

रोक रखता हूँ;

किन्तु साथ ही, राष्ट्रपति अनुमतिके लिए अपने पास विधानमसौदेके आनेके बाद, अधिकसे अधिक छ सप्ताहमें, यदि वह मुद्रासंबंधी नहीं है, तो उसे अपने सन्देशके साथ भवनोंके पास लौटा देगा और अपने सन्देशमे निवेदन करेगा, कि उक्त विधान-मसौदे पर अथवा उसके किसी उल्लिखित बन्धान पर फिरसे विचार करें, और विशेषकर उन संशोधनोंके प्रस्तावित करनेके औचित्य पर विचार करें, जिनके बारेमे उसने अपने सन्देशमें सिफारिश की है, और भवन उसीको दृष्टिमे रखते हुए, विधान-मसौदे पर विचार करेंगे।

अर्थविभागीय विषयोंमें कार्यप्रणाली

वार्षिक अर्थविभागीय विवरण

६२. (१) प्रत्येक अर्थविभागीय वर्षके लिए, राष्ट्रपति पार्लमेंट के दोनों भवनोंके समक्ष, भारत-सरकार द्वारा उस वर्षके लिए पूर्व अनुमानित आय व्यय (बजट) का विवरण-पत्र रखवायेगा, और उसे इस सविधानके इस विभागमें वार्षिक अर्थविभागीय विवरणके नामसे पुकारा गया है।

(२) वार्षिक अर्थविभागीय विवरणमें समाविष्ट व्ययके पूर्व-अनुमानमें

(क) जो व्यय इस संविधानमें भारतके राजस्व पर लगाये गये व्ययके रूपमें वर्णित हैं, उनकी पूर्तिके लिए अपेक्षित राशियाँ; और

(ख) भारतके राजस्वोंमें से किये जाने वाले दूसरे प्रस्तावित व्ययोंकी पूर्तिके लिए अपेक्षित राशियाँ,

अलग-अलग दिखायी जायेंगी और राजस्वके लेखे पर होनेवाले व्ययका दूसरे व्ययोंसे भेद किया जायेगा।

(३) निम्न व्यय भारतके राजस्व पर लगाया गया व्यय समझा जायेगा :—

(क) राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता, तथा उसके पदसे सम्बन्धित दूसरे व्यय;

(ख) राज्य परिषदके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और जनभवनके सभाध्यक्ष तथा उपसभाध्यक्षका वेतन और भत्ता,

(ग) ऐसे ऋणके व्ययभार, जिसके देनेका दायित्व भारत-सरकारके ऊपर है, जिनमें व्याज, निहित-धन-निधि के व्ययभार तथा ऋणमोचनके व्ययभार और उधार लेने एवं ऋण सँभालने और ऋण चुकानेसे सबध रखने वाले व्यय भी सम्मिलित होंगे—

(घ) (1) परमन्यायालयके न्यायाधीशों अथवा उनके सम्बन्धमे दिये जाने वाले वेतन, भत्ता तथा पेंशन;

(ii) संघ न्यायालयके न्यायाधीशों अथवा उनके सम्बन्धमें दी जाने वाली पेंशन;

(iii) प्रथम परिशिष्टके भाग १ तथा २ में उस समय गिनाये गये राज्योंमें समाविष्ट किसी क्षेत्रके अन्दर, जो उच्चन्यायालय अधिकार-क्षेत्रका उपयोग करता है, अथवा इस संविधानके प्रारंभ होनेके पहिले उपयोग करता था, उसके न्यायाधीशों या उनके सबंधमें दी जाने वाली पेंशन,

(ङ) किसी न्यायालय अथवा पंचायतके निर्णय, डिग्री (प्रनिश्चय) या पंचनिर्णयकी पूर्तिके लिए अपेक्षित राशियाँ, और

(च) इस संविधान अथवा पार्लामेंट द्वारा बनाये गये विधानसे ठहराया गया इस प्रकारका कोई दूसरा व्यय भार।

पार्लामेण्ट में व्ययानुमान सबंधी कार्य-प्रणाली

६३. (१) भारत-सरकारके राजस्वों पर लगाये गये व्ययसे सबंध रखने वाले व्ययानुमान, पार्लामेंटमें मतदानके लिए नहीं रक्खे जायेंगे, किन्तु इस खण्डकी किसी बातका यह अर्थ न लगाया जायेगा, कि वह पार्लामेंटके किसी भवनमें उनमेंसे किसी व्ययानुमानके बारेमें आलोचना करने पर रुकावट डालता है।

(२) उक्त व्ययानुमानोंमेंसे, जितने दूसरे व्ययोंसे संबंधित हैं, उन्हें जनभवनके समक्ष अनुदान मांगके रूपमें रखा जायगा और जनभवन को अधिकार होगा, कि उनमेंसे किसी माँगको स्वीकार करे या न करे, या किसी माँगमें निर्दिष्ट राशिको कम करके स्वीकार करे।

(३) राष्ट्रपतिकी सिफारिश के बिना, किसी भी अनुदान की माँग नहीं की जासकेगी।

अधिकार-मुक्त व्यय की तालिका को प्रमाणित करना

६४. (१) उन सभी राशियोंका उल्लेख करनेवाली सूचीको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करेगा—

(क) जो कि पिछली अन्तिम धाराके अनुसार जनभवन द्वारा किये गये अनुदानोंके रूपमें हो और

(ख) जो भारतके राजस्वों पर लगाये व्ययकी पूर्तिके लिए अपेक्षित भिन्न-भिन्न राशियोंके रूपमें हों, किन्तु पार्लामेंटके समक्ष पहिले रखे गये विवरणमें दिखायी हुई राशिसे किसी अवस्थामें भी अधिक न हों।

(२) इस प्रकार प्रमाणित की हुई सूची जनभवनके समक्ष रखी जायेगी, किन्तु वह पार्लामेंटमें आलोचना या मतदानके लिए खुली नहीं रहेगी।

(३) आनेवाली समीपकी दो धाराओंके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, भारतके राजस्वोंमेंसे कोई भी व्यय पूरे तौरसे अधिकार-मुक्त नहीं

माना जायेगा, जबतक कि उसका इस प्रकार प्रमाणित की हुई सूचीमें उल्लेख न हो।

व्ययके अनुपूरक विवरण

९५. यदि किसी अर्थविभागीय वर्षमें भारतके राजस्वोंमेंसे उस वर्षके लिए उस समय तक अधिकार-भुक्त व्ययसे ऊपर और अधिक व्यय आवश्यक हो जाता हो, तो राष्ट्रपति उसव्ययके व्ययानुमानकी राशियोंको बतलाने वाले पूरे विवरणको पार्लामेंटके दोनों भवनोंके समक्ष रखवायेगा, और पहिलेकी धाराओंके बन्धान, उस विवरण तथा उस व्ययके संबंधमें वैसे ही प्रभाव रखेंगे, जैसे कि वार्षिक अर्थविभागीय विवरण तथा उसमें निर्दिष्ट व्ययके सम्बन्धमें रखते रहे हों।

अतिरिक्त अनुमान

९६. यदि किसी अर्थविभागीय वर्षमें, भारतके राजस्वोंमेंसे किसी ऐसी राजसेवा पर, जिस पर पार्लामेंटका मत लेना आवश्यक हो, उस वर्षके उसके लिए अनुदानकी गयी राशिसे अधिक व्यय कर दिया गया है, तो उस अधिक व्ययके लिए जनभवनके समक्ष माँग उपस्थित की जायेगी, और इस संविधानकी ९३ और ९४ धाराओंके बन्धान ऐसी माँगके संबंधमें वैसा ही प्रभाव रखेंगे, जैसा कि वे अनुदानकी माँगके लिए।

अर्थविभागीय विधान-मसौदोंके लिए विशेष बन्धान

९७. (१) इस संविधानकी ९० धाराके खण्ड (१) के (क) से (च) तकके उपखंडोंमें गिनाये गये विषयोंमेंसे किसीके लिए बन्धान करनेवाला कोई विधान-मसौदा अथवा संशोधन राष्ट्रपतिकी सिफारिशके विना उपस्थित या प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा, और ऐसे बन्धान करनेवाला विधान-मसौदा राज्य-परिषद्में उपस्थित नहीं किया जा सकेगा।

किन्तु साथ ही, किसी भी करके घटाने या उठा देनेके लिए बन्धान बनानेवाले किसी सशोधनका प्रस्ताव करनेके लिए, इस खण्डके अनुसार किसी सिफारिशकी आवश्यकता नहीं होगी।

(२) केवल इसलिएकि, वह जुर्माना या किसी दूसरे आर्थिक दण्डके लगाने या अनुमति-पत्र देनेके लिए शुल्ककी, या पहलेकी सेवाओंके लिए दक्षिणाकी माँग या पूर्तिका बन्धान करता है, अथवा इस कारणसे कि, वह किसी स्थानीय राज्यसत्ता अथवा संस्था द्वारा स्थानीय प्रयोजनके लिए किसी करके लगाने, उठा देने, उसमें छूट देने, परिवर्तन करने या उसका नियमन करने का बन्धान करता है; कोई विधान-मसौदा अथवा संशोधन उक्त विषयोंमेंसे किसीके लिए बन्धान करनेवाला नहीं माना जायेगा।

(३) जिस विधान-मसौदेके व्यवस्थाका रूप पाने और क्रियान्वित होनेमें भारतके राजस्वोंमेंसे व्यय करना पड़ेगा, वह विधान-मसौदा पार्लामेंट के किसी भवन द्वारा तब तक पास नहीं किया जायेगा, जबतक कि उस मसौदे पर विचार करनेके लिए, उक्त भवनके पास राष्ट्रपतिने सिफारिश नहीं की हो।

सामान्य कार्य-प्रणाली

कार्य-प्रणालीके नियम

९८. (१) इस संविधानके वन्धानोंके भीतर रहते हुए, पार्लमेंटका प्रत्येक भवन अपनी कार्यप्रणाली तथा अपने कार्य-संचालनको नियमित करनेके लिए नियम बना सकेगा।

(२) जबतक कि इस धाराके खण्ड १ के अनुसार नियम नहीं बनाये जाते, तबतक इस संविधानके प्रारंभ होनेके पूर्व तुरतक भारत-उपनिवेशकी व्यवस्थापिकाके संबंधमे कार्यप्रणालीके जो नियम तथा स्थायी आदेश प्रचलित रहे हो, राज्य-परिषद्के अध्यक्ष या जनभवनके सभाध्यक्ष—जैसी भी स्थिति हो—द्वारा किये गये रूपान्तरों और अन्तर्ग्रहणों-के साथ पार्लमेंटके संबंधमें भी कार्यकारी होंगे।

(३) राज्यपरिषद्के अध्यक्ष तथा जनभवनके सभाध्यक्षके साथ परामर्श करनेके पश्चात्, राष्ट्रपति दोनों भवनोंकी संयुक्त बैठकके तथा उनके पारस्परिक आदान-प्रदानसम्बन्धी कार्यप्रणालीके सम्बन्धमें नियम बना सकेगा।

(४) दोनों भवनोंकी संयुक्त बैठकमें जनभवनका सभाध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, इस धाराके खण्ड ३ में निहित कार्यप्रणालीके नियमोंके द्वारा निश्चित किया गया व्यक्ति सभापति का आसन ग्रहण करेगा।

पार्लमेंटमे व्यवहार की जानेवाली भाषा

९९. (१) पार्लमेंटका कार्य हिन्दी या अंग्रेजीके द्वारा होगा :

किंतु साथ ही, राज्य-परिषद्का अध्यक्ष अथवा जनभवनका सभाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, किसी सदस्यको अपनी मातृभाषाके द्वारा भवनमें भाषण करनेकी अनुमति दे सकेगा, यदि वह इन दोनोंमेंसे किसी में अपने भावको अच्छी तरह प्रकट नहीं कर सकता हो।

(२) राज्य-परिषद्का अध्यक्ष अथवा जनभवनका सभाध्यक्ष जब कभी उचित समझे, ऐसा प्रवन्ध करे कि दूसरी भाषामें दिये गये किसी सदस्यके भाषणका हिन्दी अथवा अंग्रेजीमें सक्षेप, राज्यपरिषद् या जनभवन को, जैसी कि स्थिति हो, सुननेको मिले और उक्त संक्षेप भाषणकी कार्यवाहियोंकी पुस्तकमे समाविष्ट किया जाये।

पार्लमेण्टमें वाद-विवादपर लगने वाले प्रतिबंध

१०० (१) परमन्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालयके न्यायाधीशके कर्त्तव्य पालनसबधी आचरणके विषयमें कोई वाद-विवाद न होगा, और होगा भी, तो उसी ऐसे प्रस्ताव पर, जो इसके आगे वन्धानकी जाने वाली रीतिसे न्यायाधीशको हटाने लिए, राष्ट्रपति के समक्ष प्रार्थनापत्रके द्वारा उपस्थित किया गया हो।

(२) इस धारामें उच्चन्यायालय के निर्देशमें, प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये राज्योंके किसी भी ऐसे न्यायालयके निर्देशको सम्मिलित माना जायेगा, जो इस भागके अध्याय ४ में दिये हुए किसी

प्रयोजनके लिए उच्च न्यायालय माना गया हो।

पार्लमेंटकी कार्यवाहियोंकी जाँच न्यायालय नहीं करेंगे

१०१. (१) पार्लमेन्टकी कार्यप्रणालीमें किसी तथाकथित अनियमके आधारपर पार्लमेंटकी किसी कार्यवाहीके न्याय-औचित्यपर कोई आपत्ति नहीं उठायी जायेगी।

(२) पार्लमेंट का कोई पदाधिकारी या दूसरा कोई सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अनुसार, पार्लमेंटके कार्यप्रणाली अथवा कार्य संचालनके नियमन करने या व्यवस्था रखनेकी शक्तियाँ निहित की गयीं हैं, उन शक्तियोंके प्रयोगविषयक किसी न्यायालयके अधिकार-क्षेत्रके अन्तर्गत नहीं आयेगा।

अध्याय ३—राष्ट्रपतिकी व्यवस्था बनानेके सम्बन्धमें शक्तियाँ

पार्लमेंटके अवकाशकालमें राष्ट्रपतिको समयादेशोंके जारी करनेका अधिकार

१०२. (१) उस समयको छोड़कर, जब पार्लमेंटके दोनों भवनोंका अधिवेशन हो रहा हो, यदि किसी समय राष्ट्रपतिको यह विश्वास हो जाय कि ऐसी परिस्थितियाँ आकर खड़ी हो गयी हैं, जिनमें तुरन्त कार्यवाही करना अत्यावश्यक है, तो वह ऐसे समयादेश जारी कर सकेगा जो उन परिस्थितियोंमें उसे आवश्यक जान पड़े।

(२) इस धाराके अनुसार जारी किये गये समयादेशका वही प्रभाव और कार्यक्षमता होगी, जो राष्ट्रपतिकी अनुज्ञा प्राप्तकी हुई पार्लमेंटकी व्यवस्था का होता है; किन्तु प्रत्येक ऐसा समयादेश—

(क) पार्लमेंटके दोनों भवनोंके समक्ष रखा जायेगा और पार्लमेंट के पुनः बैठनेसे छः सप्ताह बीतने पर अथवा यदि इस अवधिके बीतनेके पहिले ही, उसके अनुमोदन न करनेका प्रस्ताव दोनों भवनोंसे पास हो जाता है, तो उनमेंसे दूसरे प्रस्तावके पास होनेपर उक्त समयादेश जारी नहीं किया जा सकेगा; और

(ख) वह राष्ट्रपति द्वारा किसी समय भी लौटाया जा सकेगा।

व्याख्या—यदि पार्लमेंटके भवन भिन्न-भिन्न तारीखों पर पुनः इकट्ठा होनेके लिए बुलाये जाते हैं, तो इस खण्डके प्रयोजनके लिए छः सप्ताहकी अवधिकी गिनती उनमेंसे सबसे अन्तिम तारीखसे कीजायेगी।

(३) यदि इस धाराके आधीन निकाला हुआ समयादेश उस मात्रा तक कोई ऐसा बन्धान करता है, जिसे उस मात्रा में बनानेका अधिकार इस संविधानके अनुसार पार्लमेंट को नहीं है, तो वह शून्य समझा जायेगा।

अध्याय ४—संघन्याय-प्रबन्ध

न्यायालयकी स्थापना और संगठन

१०३. (१) भारतका एक परम न्यायालय होगा जिसमें एक परम न्यायाधीश तथा इसके अतिरिक्त कमसे कम उतने और न्यायाधीश होंगे,

जितना पार्लमेंट विधान द्वारा निश्चित करे ।

(२) परम न्यायालय तथा राज्योंके उच्च न्यायालयोंके न्यायाधीशोंमेंसे जिनको आवश्यक समझे, उनके साथ परामर्श करके, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रांकित अनुशासन-पत्र द्वारा परम न्यायालयके प्रत्येक न्यायाधीशकी नियुक्ति करेगा, और वे ६५ वर्षकी अवस्थातक इस पद पर रह सकेंगे :—

किन्तु साथ ही, परम न्यायाधीश से भिन्न किसी दूसरे न्यायाधीशकी नियुक्तिके बारेमें भारतके परम न्यायाधीशसे सदा परामर्श लेना होगा; और साथ ही यह बन्धान भी रखना होगा कि,

(क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपतिको स्वहस्ताक्षरसहित पत्र लिख कर पद-त्याग कर सकेगा,

(ख) खण्ड (४) में बन्धानकी जाने वाली रीतिसे कोई भी न्यायाधीश अपने पदसे हटाया जा सकेगा ।

(३) परम न्यायालयके न्यायाधीश पद पर नियुक्त होनेके लिए, कोई व्यक्ति तब तक योग्य नहीं माना जायेगा, जब तक वह भारतका नागरिक न हो, और

(क) वह किसी उच्च न्यायालय या वैसे दो या दोसे अधिक न्यायालयोंका लगातार कमसेकम पाँच वर्षतक न्यायाधीश नहीं रह चुका हो, अथवा

(ख) किसी उच्च न्यायालय या ऐसेदो या दोसे अधिक न्यायालयोंमें लगातार कमसेकम दस वर्ष तक ऐडवोकेट (अधिवक्ता) न रह चुका हो ।

व्याख्या १ – इस खण्डमें उच्च न्यायालयका अभिप्राय है, ऐसे उच्च न्यायालयसे, जिसका अधिकार-क्षेत्र भारतके राज्य-क्षेत्रके किसी भागमें है, या इस सविधानके प्रारभ होनेके पहिले तक रहा हो ।

व्याख्या २—इस खण्डके प्रयोजनके लिए, ऐडवोकेट (अधिवक्ता) रहनेकी अवधिकी गिनतीमें वह काल भी सम्मिलित माना जायेगा, जिसमें कि उस व्यक्तिने ऐडवोकेट (अधिवक्ता) होनेके बाद न्यायाधिकारीका पद स्वीकार किया हो ।

(४) परमन्यायालयका कोई न्यायाधीश तबतक अपने पदसे हटाया नहीं जा सकेगा, जबतक कि पार्लमेण्टके दोनो भवनों द्वारा एकही अधिवेशनमें उपस्थित मतदाताओंमेंसे कमसे कम दो तिहाईका समर्थन प्राप्त करके, उस न्यायाधीशको पदसे हटानेके लिए, उसके विरुद्ध प्रमाणसिद्ध दुराचरण और अक्षमताके कारण आवेदन राष्ट्रपतिके सामने उपस्थित न किया गया हो और राष्ट्रपति उसके अनुसार आदेश न दे चुका हो ।

(५) अन्तमें आये हुए पूर्ववर्ती खण्डके आधीन किसी ऐसे आवेदन-पत्रके उपस्थित करने तथा न्यायाधीशके दुराचरण अथवा अक्षमता की जॉच करने और उसको प्रमाण-सिद्ध करनेके वारेमें पार्लामेण्ट विधान द्वारा-कार्य-प्रणाली निश्चित करेगी।

(६) परमन्यायालयके न्यायाधीश-पद पर नियुक्त होनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको पद-ग्रहणके पहिले, राष्ट्रपतिके सामने या उसके द्वारा उस कार्यके लिये नियुक्त किसी व्यक्तिके सामने, तृतीय परिशिष्टमें इस प्रयोजनके लिए दी गयी वाक्यावलीके अनुसार घोषणा करनी होगी और उस पर हस्ताक्षर करना होगा।

(७) जो व्यक्ति परमन्यायालयके न्यायाधीशके पदपर रह चुका है, वह भारतके राज्य-क्षेत्रके अन्दर किसी न्यायालयमे या किसी राज्य सत्ताके सम्मुख वकील या अधिवक्ता होकर उपस्थित न हो सकेगा।

न्यायाधीशोके वेतन आदि

१०४. परमन्यायालयके न्यायाधीश ऐसे वेतनों, भत्तों तथा छुट्टी और पेन्शन (अवसर वृत्ति) के विषयमें ऐसे अधिकारोंके पानेके अधिकारी होंगे, जिन्हें समय समयपर पार्लामेण्ट विधानके द्वारा या विधानके अनुसार, निश्चित करेगी, और जबतक कि वे इस प्रकार निश्चित नही कर दिये जाते हैं, तबतक द्वितीय परिशिष्टमें निर्दिष्ट वेतनों, भत्तो और अनुपस्थितिके लिये छुट्टीके और पेन्शनके अधिकारोंके पानेके अधिकारी होंगे,

किन्तु साथ ही, न तो न्यायाधीशके वेतनमे और न उसके अनुपस्थिति के लिये छुट्टीके अथवा पेन्शनके अधिकारोंमें, उसकी नियुक्तिके अनन्तर ऐसा परिवर्तन किया जा सकेगा जो कि उसके लिये हानि-प्रद हो।

स्थानापन्न परम-न्यायाधीशकी नियुक्ति

१०५. जिस समय भारतके परमन्यायाधीशका पद रिक्त हो, या जिस समय अनुपस्थिति या अन्य कारणोंसे अपने पदके कर्त्तव्यों का पालन करनेमे वह समर्थ न हो, तो उस अवस्थामे उसके पदके कर्तव्योंका पालन न्यायालयके दूसरे न्यायाधीशोंमेसे इस कार्यके लिये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति करेगा।

विशेष प्रयोजनके लिये न्यायाधीशोंकी नियुक्ति

१०६. (१) यदि किसी समय परमन्यायालयमे न्यायालयकी बैठक चलानेके लिये न्यायाधीशोंकी अपेक्षित (गण-पूरक) सख्या न हो, उस अवस्थामें जहाँसे न्यायाधीशको लेना हो, उस उच्च न्यायालयके मुख्य न्यायाधीशसे मन्त्रणाकरके, परमन्यायाधीश उच्चन्यायालयके किसी न्याया-धीशको मनोनीत करके, उससे जितनी अवधिके लिए आवश्यकता हो, उतनी अवधिके लिए, परमन्यायालयकी बैठकोंमे विशेष प्रयोजनके लिए नियुक्त न्यायाधीशके रूपमे उपस्थित होनेके लिए लिखित प्रार्थना कर सकता है।

(२) इस प्रकार मनोनीत होनेपर, उस न्यायाधीशका अपने पदके

अन्य कर्त्तव्योंकी अपेक्षा यह सर्वप्रथम कर्तव्य होगा, कि जितनेके लिए कि आवश्यकता हो, उस अवधिके लिए वह परमन्यायालयकी बैठकोंमें उपस्थित हो; इस अवधिमे उसे परमन्यायालयके न्यायाधीशके सभी अधिकार-क्षेत्र, शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे औरवह सारे कर्तव्योंको निभायेगा।

अवसरप्राप्त न्यायाधीशोंकी परम न्यायालयकी बैठकों में उपस्थिति

१०७ इस अध्यायमें किसी दूसरे नियमोंके रहते हुए भी, भारतका परमन्यायाधीश इस धाराके बन्धानोंके अधीन किसी समय ऐसे व्यक्तिसे, जो परमन्यायालय या संघन्यायालयके न्यायाधीशके पदपर रह चुका है, प्रार्थना कर सकता है, कि वह परमन्यायालयके न्यायाधीश पद पर बैठे और उसका कार्य करे, इस प्रकार प्रार्थित व्यक्ति जबतक उस पदपर आसीन हो और उसके कार्य करता हो, तबतक उसे उस न्यायालयके न्यायाधीशके सभी अधिकार-क्षेत्र, शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे; लेकिन, वह किसी दूसरे रूपमें उस न्यायालयका न्यायाधीश नहीं माना जायेगा

किन्तु साथ ही, इस धारामें कोईभी ऐसी बात नहीं है, जो उक्त व्यक्ति को उसकी सहमतिके विनाही उस न्यायालयके न्यायाधीश-पदपर बैठने और उसके कार्यको करनेके लिए बाध्य करे।

परमन्यायालयका स्थान

१०८. परमन्यायालय श्रेष्ठ-न्यायालय होगा और दिल्लीमे तथा ऐसे दूसरे किसी स्थान या स्थानोंमें, यदि कोई हो, बैठेगा, जिन्हें कि परमन्यायाधीश राष्ट्रपतिकी पूर्व स्वीकृतिसे निश्चित करेगा।

परमन्यायालयका प्रारम्भिक अधिकार-क्षेत्र

१०९ इस संविधानके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, उन विवादोंके विषयमें जो कि,

(क) भारत-सरकार एवं एक या एकसे अधिक राज्योंके बीचमें उठें, अथवा

(ख) जो भारत सरकार और एक या एकसे अधिक राज्य या राज्योंको एक पक्ष, और एक या एकसे अधिक दूसरे राज्योंको दूसरा पक्ष बनाकर उठें, अथवा

(ग) जो दो या दोसे अधिक राज्योंके बीच उठें,

परमन्यायालयको उस सीमा तक प्रारम्भ करनेका अधिकार-क्षेत्र होगा, जहां तक विवाद विधान या तथ्यके ऐसे प्रश्नपर हो, जिसपर कि किसी वैध अधिकारका अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता हो,

किन्तु साथही, उक्त अधिकार-क्षेत्रकी सीमाओंके अन्तर्गत वे विवाद नहीं आयेंगे :

(१) जिनमें कि उस समयके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में गिनाये गये राज्योंमेसे कोई, एक पक्ष हों, और विवाद किसी ऐसे सन्धिपत्र, समझौते, वचनदान, सनद या इसी प्रकारके अन्य आज्ञापत्रके किसी बन्धान को लेकर उठा हो;

(२) जिसमें कि एकपक्ष कोई राज्य हो और जोकि किसी ऐसे सन्धि-पत्र, समझौता, वचनदान, सनद अथवा अन्य किसी ऐसे आज्ञापत्रके ऐसे बन्धानको लेकर उठा हो, जो यह बांधता हो, कि उक्त अधिकार-क्षेत्रकी सीमाओंके अन्तर्गत ऐसे विवाद नहीं आयेंगे।

विशेष अवस्थाओ मे उच्च न्यायालयों से पुनर्विचार-प्रार्थना (अपील) पर परम न्यायालय का पुनर्विचार करने का अधिकार-क्षेत्र (अपील सुनवाई का अधिकार-क्षेत्र)

१०१. (१) किसी राज्यके उच्चन्यायालयके किसी निर्णय, डिग्री (प्रनिश्चय) या अन्तिम आदेशके ऊपर परमन्यायालयमे उसी दशामें अपील की जा सकेगी, जबकि उच्चन्यायालय यह प्रमाणित कर दे, कि इस संविधानकी व्याख्यासे संवन्ध रखने वाला कोई गम्भीर वैधानिक प्रश्न उसमें उलझा हुआ है।

(२) जहां कि उच्च न्यायालयने इस प्रकारका प्रमाणपत्र देना अस्वीकार कर दिया हो, वहाँ परमन्यायालय इस प्रकारके निर्णय डिग्री या अन्तिम आदेशके ऊपर अपील करनेके लिये विशेष अनुमति दे सकता है, यदि उसे इस बातका विश्वास हो गया हो, कि इस मामलेमें इस संविधानकी व्याख्यासे सवन्ध रखनेवाला कोई गम्भीर प्रश्न उलझा हुआ है।

(३) इस प्रकारका प्रमाणपत्र मिलनेपर या इस प्रकारकी अनुमति प्राप्त होनेपर, उक्त वाद-विषयमे कोईभी पक्ष परमन्यायालयके पास केवल इसी आधारपर नही, कि उक्त प्रकारके प्रश्नोंके ऊपर गलत निर्णय दिया गया है, वल्कि किसी दूसरे आधारपर भी, अपील कर सकता है।

व्याख्या—इस धाराके "अन्तिम आदेश" शब्दमें ऐसा आदेशभी सम्मिलित समझना चाहिये, जिसमें उस वाद-विन्दुका निर्णय किया गया हो, जोकि अपील-कर्त्ताके पक्षमें निर्णीत होनेपर उस मामलेके अन्तिम निपटारेके लिये पर्याप्त हो।

प्रथम परिशिष्ट के भाग ३ मे गिनाये गये राज्योंके अतिरिक्त भारतके राज्य-क्षेत्रमे उच्चन्यायालयोंसे दूसरे मामलोंकी अपील सुनवाईके लिए परमन्यायालयका अधिकार क्षेत्र

१११. (१) प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उससमय गिनाये गये राज्योंके अतिरिक्त भारतके राज्य क्षेत्रमे, उच्चन्यायालयद्वारा दीवानी (अर्थ विधानीय) कार्यवाहीके ऊपर दिये गये निर्णय, डिग्री, या अन्तिम आदेशकी अपील परमन्यायालयमें तभी होगी, जब कि उच्चन्यायालय प्रमाणित करे कि—

(क) विवादग्रस्त विषयकी धनराशि अथवा मूल्य प्रथम न्यायालयमें २० हजार रुपयेसे कम न थी और अपीलमें आये हुए विवादमें भी उससे कम नहीं हैं; या कि

(ख) निर्णय, डिग्री, या अन्तिम आदेशमें किसी इतनी धन-राशि या मूल्यकी सम्पत्तिसे संबन्ध रखनेवाला कोई स्वत्व अथवा प्रश्न प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे उलझा हुआ है; या कि

(ग) उक्त मामला परमन्यायालयमें अपील किये जाने योग्य

है, और जहाँ ऐसे निर्णय, डिग्री अथवा अन्तिम-आदेशके ऊपर अपीलकी गयी है, जो कि तुरन्त नीचेके न्यायालयके निर्णयकी ही पुष्टि करनेवाले हों, तो खण्ड (ग) में निर्दिष्ट मामलोंसे भिन्न मामलोंकी अपील तब हो सकेगी, जब उच्च न्यायालय यह भी प्रमाणित करे, कि अपीलमें कोई गम्भीर वैधानिक प्रश्न उलझा हुआ है।

(२) इस सविधानकी धारा ११०में किसी बातके होते हुए भी, इस धाराके खण्ड (१) के आधीन, परमन्यायालयमें अपील करनेवाला पक्ष इसके लिये भी अनुरोध कर सकेगा, कि सविधानकी व्याख्यासे सम्बन्ध रखनेवाला ऐसा वैधानिक प्रश्न उलझा हुआ है जिसका कि गलत निर्णय किया गया है।

कुछ अन्य मामलों में अपील करनेके लिए परम न्यायालयकी अनुमति

११२. प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उससमय गिनाये गये राज्यों के अतिरिक्त भारतके राज्यक्षेत्रमें, इस संविधानकी धारा ११० या १११ के बन्धान जिन मामलोंपर लागू नहीं है, उन मामलोंके लिए, परमन्यायालय अपने विवेकसे किसी न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण द्वारा किसी वाद-विषयमें दिये गये किसी निर्णयको, डिग्री या अन्तिम आदेशकी अपीलके लिए दे सकेगा।

प्रथम परिशिष्टके भाग ३ मे उस समय गिनाये गये राज्योंके उच्चन्यायालयोंका विशेष वाद विषयों (मामलों) मे परम न्यायालयको निर्देश करना

११३. (१) प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यके उच्चन्यायालयमें यदि किसी अर्थ-विधानीय, (दीवानी), दण्ड-विधानीय (फौजदारी) या दूसरे प्रकारकी कार्यवाहीके बीचमे, जहाँ ऐसी कार्यवाहीमें कोई वाद हेतुके निश्चय करनेके लिये इस प्रकारके आवश्यक प्रश्न उठें, जो पार्लामेंटके अथवा ऐसे राज्यसे भिन्न किसी अन्य राज्यकी व्यवस्थापिका सभाके किसी विधानके लागू होनेकी योग्यता अथवा उसकी व्याख्यासे सम्बन्ध रखते हों, तो वहाँ उच्चन्यायालय अपने विवेकसे अथवा दोनों पक्षोंमें से किसीकी प्रार्थनापर, ऐसे प्रश्नका विशेष निर्देश करते हुए, और उसपर अपनी राय देते हुये, उस मामलेका विवरण तैयार कर सकेगा और ऐसे प्रश्नको परमन्यायालयके पास उसकी रायके लिये भेज सकेगा।

(२) उस दशामे, जबकि कोई उच्चन्यायालय खण्ड (१) के आधीन मामलेका विवरण बनाना अस्वीकार करे तो परमन्यायालय मामलेका इस प्रकार विवरण बनानेके लिये उसे विवश कर सकेगा।

(३) इस धाराके खण्ड (१) या (२) के आधीन किसी मामलेका इस प्रकार विवरण तैयार होनेके पश्चात्, जबतक परमन्यायालयकी राय न प्राप्त हो, तबतकके लिये उच्चन्यायालय सब कार्यवाही रोक दे।

(४) दोनों पक्षोंको अपन अपनी बात सुनानेका अवसर देकर परम-न्यायालय इस प्रकार भेजे हुए प्रश्नका निर्णय करेगा, और अपनी सम्मतिकी एक प्रतिलिपि उस उच्चन्यायालयके पास भिजवायेगा, और उसे पानेके बाद

वह उच्चन्यायालय परमन्यायालयकी सम्मतिके अनुसार उस मामलेको निपटायेगा ।

(५) परमन्यायालय किसी भी अवस्थामें इस धाराके आधीन विवरण बनाये हुए मामलेको यह कहकर लौटा सकेगा कि उसमें और तथ्योंका विवरण नहीं है।

परम न्यायालयके अधिकार-क्षेत्र का फैलाव

११४. (१) "संघ-सूची" के विषयोंमें से किसीके भी सम्बन्धमें परम-न्यायालयको ऐसे और अधिक अधिकार-क्षेत्र तथा कार्य-शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जिन्हें पार्लामेण्ट विधानद्वारा प्रदान करे ।

(२) यदि (पार्लामेण्ट) परमन्यायालयको ऐसे अधिकार-क्षेत्र और कार्य-शक्तिके प्रयोग करनेका विधान द्वारा बन्धान करे, तो किसी विषय के संबन्धमें किसी भी मामलेमे परमन्यायालयको ऐसे और अधिकार-क्षेत्र तथा कार्य-शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जिन्हें कोई और राज्य और भारत सरकार समझौता द्वारा प्रदान करे ।

विशेष प्रकारके समादेशोंको निकालने का परम न्यायालयको अधिकार

११५. इस संविधानकी धारा २५ के खण्ड (२) में (जो मूल अधिकारों को क्रियान्वित करानेसे सम्बन्ध रखता है) उल्लेख किये गये प्रयोजनोंसे भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए, वैयक्तिक स्वतन्त्रता (हैबियस कारपस), नियोग, प्रतिषेध, अधिकार-प्रश्न अथवा उन्नयन-समादेशोंके रूपमें या और किसी प्रकारकी हिदायतों अथवा आदेशोंको निकालनेका अधिकार पार्लामेण्ट विधान द्वारा परमन्यायालयको प्रदान कर सकेगी ।

परम न्यायालयकी सहायक कार्यशक्तियां

११६ पार्लामेण्ट विधानद्वारा परमन्यायालयको प्रदान करते समय इस संविधानके बन्धानोंमेंसे किसीसे विरोध न करते हुए, उन पूरक कार्य-शक्तियोंके बारेमें बन्धान कर सकेगी, जिन्हें कि वह इसके लिए आवश्यक या वांछनीय समझे कि इस संविधानके द्वारा या आधीन किये गये अधिकार-क्षेत्रके और अधिक प्रभावकारी रूपसे प्रयोग करनेके लिए न्यायालय सक्षम हो ।

परम न्यायालय द्वारा घोषित विधान सभी न्यायालयोंके लिये अवश्य पालनीय हों

११७. परमन्यायालय द्वारा घोषित विधान भारतके राज्य-क्षेत्रके अन्दर सभी न्यायालयोंके लिए अवश्य पालनीय होगा ।

परम न्यायालयकी डिग्रियों और आदेशोंका लागू होना और प्रकट कराने आदिके विषय में आदेश

११८. (१) परमन्यायालय अपने अधिकार-क्षेत्रका प्रयोग करता हुआ ऐसी डिग्री (प्रनिश्चिय) या ऐसा आदेश दे सकता है, जो कि उसके विचाराधीन वादहेतु या मामलेमें पूर्णन्याय करनेके लिए आवश्यक जान पड़े, और इस प्रकार दी गयी डिग्री या आदेश भारतके सारे राज्य-क्षेत्रमें पार्लामेण्ट द्वारा बनाये गये विधानके द्वारा या अनुसार ठहरायी गयी रीतिसे लागू होंगे ।

(२) इसके वास्ते पार्लामेंएट द्वारा बनाये गये किसी विधानके वन्धानों के आधीन रहते हुए, भारतके समस्त राज्य क्षेत्रके लिए परमन्यायालयके पास ऐसे किसी आदेशको निकालनेके लिए सब तरहकी कार्य-शक्ति होगी, जो किसी व्यक्तिकी उपस्थिति करानेके, किसी लेख्यके प्रकट करने या सामने प्रस्तुत कराने, या न्यायालयके ही किसी अपमानकी जाँच कराने और उसके लिए दण्ड देनेके प्रयोजनसे निकाले जाँय।

परम न्यायालयसे सलाह करनेका राष्ट्रपतिको अधिकार

११९ (१) यदि किसी समय राष्ट्रपतिको यह जान पड़े, कि विधान या तथ्य का कोई इस प्रकारका प्रश्न उठ गया है, या उठने वाला है, जिसका स्वरूप और सार्वजनिक महत्व ऐसा है, कि उस पर परमन्यायालय की सम्मति प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है, तो वह उस प्रश्नको विचारार्थ उस न्यायालयके पास भेज सकता है, और न्यायालय उचित सुनवाईके अनन्तर उसपर अपनी सम्मतिसे राष्ट्रपतिको अवगत कर सकता है।

(२) इस संविधान की धारा १०० के खण्ड (१) के वन्धानमें किसी वैसी वातके रहते हुए भी, उक्त खण्डमें उल्लेख किये गये उक्त प्रकारके विवादका निर्णय करनेके लिए राष्ट्रपति, परमन्यायालयके पास भेज सकेगा और परमन्यायालय उसके ऊपर, दोनों पक्षोंको अपनी अपनी वात सुनानेका अवसर देने के वाद अपना निर्णय दे सकता है, और उसकी सूचना राष्ट्रपतिको दे सकता है।

असैनिक और न्याय अधिकारी-गण परम- न्यायालयकी सहायता करें

१२०. भारतके राज्य-क्षेत्रमे समस्त असैनिक और न्याय अधिकारी परमन्यायलयकी सहायता करेंगे।

न्यायालय आदिके नियम

१२१. (१) पार्लामेंएट द्वारा वनाये गये किसी विधानके वन्धानोंके आधीन रहते हुए, परमन्यायालय समय समयपर, राष्ट्रपतिकी लिखित स्वीकृति लेकर न्यायालयके व्यवहार और कार्य-प्रणालीको साधारणतया नियमित करने वाले ऐसे नियमोंको बना सकता है, जिनमें निम्न नियम भी सम्मिलित होंगे :—

(क) न्यायालयमें वकीली करने वाले व्यक्तियोंके वारे मे नियम,

(ख) अपील सुनवाई और अन्य ऐसे विषयोंके सम्बन्धमें कार्यवाही निश्चित करनेके लिए नियम, जिनमे कि न्यायालयमें अपील करनेकी अन्तिम अवधि और उसके वारेमें निवेदन करनेके लिए न्यायालयके सामने उपस्थित होने वाले ऐडवोकेटों (अधिवक्ताओं) को दी गयी अन्तिम अवधि भी सम्मिलित है;

(ग) न्यायालय की कार्यवाहीके साक्षात् या आनुषंगिक खर्चोंके एवं उसकी कार्यवाहियोंके लिए लगाये गये शुल्कों के सम्बन्धमे बनाये गये नियम,

(घ) प्रतिभूति (जमानत) स्वीकार करनेके बारेमें बनाये गये नियम,

(ङ) कार्यवाहियोंके रोकनेके बारेमें बनाये गये नियम, और

(च) ऐसी अपीलको एकदम खारिज करनेके लिए बन्धान बाँधने वाले नियम, जिस अपीलके बारेमे न्यायालयको यह जान पड़े, कि वह एकदम सारहीन है या परेशान करने वाली है या विलमानेके उद्देश्यसे सामने लायी गयी है।

(२) इस संविधानकी व्याख्यासे सम्बन्ध रखनेवाले किसी गंभीर वैधानिक प्रश्नसे उलझेहुए मामलेपर निर्णय देनेके लिए या इस संविधानकी धारा ११९के अन्तर्गत किसी निर्देशकी सुनवाई करनेके लिए, कमसेकम पाँच न्यायाधीश बैठेंगे :

किन्तु साथही, उक्त प्रयोजनके लिए कोई भी न्यायाधीश बैठे सकेगा, यदि बीमारी, व्यक्तिगत स्वार्थ या किसी दूसरे सन्तोषजनक कारणवश बैठनेसे वह असमर्थ नही है।

(३) इस संविधानकी धारा ११९ के अन्तर्गत किसी सूचनाके बारेमें कोई भी सम्मति या कोई भी निर्णय परमन्यायालय केवल खुली बैठकमें ही दे सकेगा।

(४) परमन्यायालय इस प्रकारकी सूचना या इस प्रकारके निर्णय केवल तभी दे सकेगा, जब कि मामलेकी सुनवाईके समय उपस्थित न्यायाधीशोंमे बहुमत उस एक निर्णयपर पहुँच चुका हो, लेकिन इस खण्डमें कोई भी ऐसी बात नही है, जिससे कि यह समझा जाय कि किसी न्यायाधीशको, जो उस बहुमत-निर्णयसे एकमत न हो, विरुद्ध सम्मति या निर्णय देनेमे रोक दे।

परम न्यायालयके पदाधिकारियों और सेवकोंके वेतन भत्ते और पेंशन तथा उसके खर्च

१२२. (१) परमन्यायालयके पदाधिकारियों और सेवकोंको दिये जानेवाले वेतन, भत्ते, और पेंशन, परमन्यायाधीश राष्ट्रपतिके परामर्शसे निश्चित करेगा।

(२) परमन्यायालयके शासनप्रबन्धमें लगनेवाला खर्च, जिसमें कि न्यायालयके पदाधिकारियों और सेवकोंको दिये जानेवाले वेतन, भत्ते और पेंशन भी सम्मिलित हैं, भारतके राजस्वोंसे लिया जायेगा और न्यायालय द्वारा उगाहे गये किसी प्रकारके शुल्क या द्रव्य उन राजस्वोंके अंश समझे जायेंगे।

१२३. (१) इस अध्यायकी धारा १०३ और १०६में उल्लिखित ऐसे निर्देशोंसे, जो उस समयके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में गिनाये गये राज्यके अन्दरके अथवा उस पर अधिकार-क्षेत्र रखनेवाले न्यायालयको किये गये हों, ऐसे निर्देशोका बोध होगा, जिन्हें कि राष्ट्रपति ऐसे न्यायालयके पास भेजे, जिसके बारेमें वह परमन्यायालय और नरेशसे सलाह लेकर सन्तुष्ट हो गया हो कि उस समयके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग ३ मे गिनाये गये राज्योंके किसी भी दूसरे न्यायालयोंकी अपेक्षा उक्त धाराओंके लिए वह उच्च-न्यायालय बननेके लिए अधिक योग्य है, और ऐसा घोषित भी कर चुका हो।

(२) इस अध्यायकी धारा ११० और ११३ के अनुसार उस समयके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में गिनाये गये राज्यके न्यायालयको भेजे गये निर्देशोंसे ऐसे निर्देशोका बोध होगा, जो कि राज्यके अन्तर्गत अन्तिम अधिकार-क्षेत्र रखनेवाले ऐसे न्यायालयको उक्त धाराओंमें बन्धानकी गयी अपील या निर्देशसम्बन्धी कार्यवाहियोंके लिए, भेजे गये हों।

अध्याय ५—भारतका महा-आयव्यय-निरीक्षक

भारतका महा-आय-व्यय-निरीक्षक

१२४. (१) भारतका एक महा-आयव्यय-निरीक्षक होगा, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उसी रीतिसे तथा उन्हीं आधारोंपर अपने पदसे हटाया जा सकेगा, जिनपर परमन्यायालयका न्यायाधीश हटाया जा सकता है।

(२) महा आय-व्यय निरीक्षकके वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें पार्लामेण्ट द्वारा निश्चित किये गये विधानके अनुसार होंगी, और जब तक कि वह इस प्रकार निश्चित नहीं कर दी जातीं, तबतक वहीं रहेंगी जैसी कि द्वितीय परिशिष्टमें बतलायी गयी हैं :

किन्तु साथही, महा-आयव्यय निरीक्षकके न तो वेतनमें और न उसकी छुट्टी-पेंशन अथवा अवसर-ग्रहण आयुसे सम्बन्धित, अधिकारोंमें, उसकी नियुक्तिके पश्चात् कोई ऐसा परिवर्तन किया जा सकेगा, जिससे उसको हानि हो।

(३) अपने पदसे हटनेके पश्चात, महा-आयव्यय-निरीक्षक भारत सरकारके आधीन या किसी राज्यकी सरकारके अधीन और कोई पद पानेका पात्र न होगा।

(४) महा-आयव्यय निरीक्षकही, राष्ट्रपतिके परामर्शसे अपने कर्मचारियों अथवा उनके सम्बन्धमे दिये जानेवाले वेतन, भत्ते, अथवा पेंशनका नियत करनेवाला होगा।

(५) महा-आयव्यय निरीक्षकके कर्मचारियोंको अथवा उनके संबधमे दिये जानेवाले वेतन, भत्ते, और पेंशनका व्ययभार भारतके राजस्वपर होगा।

महा-आयव्यय-निरीक्षक के कर्त्तव्य और अधिकार

१२५. महा-आयव्यय-निरीक्षक भारत-सरकार या किसी राज्यकी सरकारके-आय व्यय लेखोंके सम्बन्ध रखनेवाले उन सभी कर्त्तव्योंका पालन और उन सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा, जो कि पार्लामेंट द्वारा बनाये गये विधानसे या उसके अनुसार, निश्चित किये गये या किये जा सकते हैं।

व्याख्या—इस धारामें "पार्लामेंट द्वारा बनाये गये विधान" के अन्तर्गत भारतके राज्यक्षेत्रमें ऐसा कोईभी प्रचलित विधान, जोकि उस समय-लागू हो, सम्मिलित है।

आय-व्यय-लेखाओं के सम्बन्धमें हिदायतें देनेका भारतके महाआय-व्यय-निरीक्षकको अधिकार

१२६. भारत-सरकारका आयव्यय लेखा उसी रूपमें रखा जायेगा, जिस रूपको महा-आयव्यय-निरीक्षक राष्ट्रपतिकी स्वीकृतिसे निश्चित करे, और जिस प्रकार भारतका महा-आयव्यय-निरीक्षक राष्ट्रपतिकी स्वीकृतिपर किसी राज्यकी सरकारके आयव्यय लेखेके रखनेके विषयमें रीतियों और सिद्धान्तोंके बारेमें हिदायतें दे, उसीके अनुसार आयव्यय-लेखा रखना उस राज्यकी सरकारका कर्त्तव्य होगा।

आय-व्यय-निरीक्षणका विवरण

१२७. भारतके महा-आयव्यय-निरीक्षकके द्वारा भारत-सरकारके आय व्यय-लेखाके विषयमें विवरण-पत्र राष्ट्रपतिके पास उपस्थित किये जायेंगे और राष्ट्रपति उन्हें पार्लामेंटके समक्ष रखवायेगा।

भाग ६

प्रथम परिशिष्टके भाग १ के राज्य

अध्याय १—सामान्य

परिभाषा

१२८. इस भागमें जब तक कि प्रकरणसे दूसरा अर्थ न अभिप्रेत हो, "राज्य" शब्दसे तात्पर्य उस राज्यसे है, जो उस समयके लिये प्रथम परिशिष्टके भाग १ में गिनाया गया है।

अध्याय २—कार्यकारिणी

राज्यपति

राज्योंके राज्यपति

१२९. प्रत्येक राज्यके लिये एक राज्यपति होगा।

राज्योंकी कार्यकारिणी शक्ति

१३०. (१) राज्यकी कार्यकारिणी शक्ति राज्यपतिमे निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान और विधानके अनुसार कर सकेगा।

(२) इस खण्डमे कोईभी ऐसी बात नहीं है,

(क) जिससे यह समझा जाय, कि किसी प्रचलित विधान द्वारा

किसी अन्य राज्यसत्ताको प्रदान किये गये कोई कृत्य भी राज्यपतिको ही उनसे लेकर सौंप दिये गये हैं; या

(ख) जिससे पार्लामेंट या उस राज्यकी व्यवस्थापिका सभाको विधान द्वारा राज्यपति की अधीनस्थ राज्यसत्ताको कोई कृत्य सौंपनेमे रुकावट हो।

राज्यपतिका निर्वाचन

१३१. राज्यके राज्यपतिका निर्वाचन वे ही सारे व्यक्ति प्रत्यक्ष मतदान द्वारा करेंगे, जिन्हें उस राज्यकी व्यवस्थापिका सभाके सामान्य निर्वाचनमे मत देनेका अधिकार प्राप्त है।

या दूसरा विकल्प

राज्यपतिकी नियुक्ति

१३१. राष्ट्रपति उन चार नामोंकी तालिकामेंसे अपने हस्ताक्षर और मुहरके साथ बुलावा भेजकर राज्यका राज्यपति नियुक्त करेगा, जो चार नाम एकहरे परावर्तन-योग्य मतदान-प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्वकी पद्धतिके अनुसार, उस राज्यकी व्यवस्थापिका सभा द्वारा चुने जायें, या जहाँ२ राज्यमें व्यवस्थापिका परिषद् भी है, वहाँ राज्यकी व्यवस्थापिका सभा और व्यवस्थापिका परिषद्के संयुक्त अधिवेशनमें एकत्र सदस्यों द्वारा चुने जायें; इन निर्वाचनोंमें मतदान गुप्त-छन्द द्वारा होगा।

राज्यपतिका कार्यकाल

१३२. राज्यपति अपने पदग्रहणकी तारीखसे पाँच वर्षोंके लिए पदपर आसीन रहेगा :

किन्तु इस बन्धानके साथ कि,

(क) राज्यपति अपने हस्ताक्षरसे राज्यकी व्यवस्थापिका सभाके सभाध्यक्षको या जहाँ राज्यकी व्यवस्थापिकाके दो भवन हों, वहाँ व्यवस्थापिका-सभाके सभाध्यक्ष और व्यवस्थापिका-परिषद्के अध्यक्ष दोनोंको सम्बोधित करते हुए त्यागपत्र देकर पदत्याग कर सकेगा;

(ख) राज्यपति संविधानका उल्लंघन करनेके लिए इस संविधानकी धारा १३७ में बन्धानकी गयी रीतिके अनुसार दोषारोपण द्वारा अपने पदसे हटाया जा सकेगा।

(ग) अपने कार्यकालके समाप्त हो जानेके बाद भी तबतक राज्यपति अपने पदपर बना रहेगा, जबतक कि उसका उत्तराधिकारी उस पदपर आ नहीं जाता।

राज्यपति पदके लिए पुनर्निर्वाचित होनेकी योग्यता

१३३. कोई भी व्यक्ति जो राज्यपति-पदपर आसीन है, या रह चुका है, उस पदपर केवल एक बार ही पुनः चुना जा सकता है, (नियुक्त किया जा सकता है)।

राज्यपति चुने जाने के लिए योग्यतायें

१३४. (१) कोई भी व्यक्ति राज्यपति नहीं चुना जा सकता, जबतक कि वह भारतका नागरिक न हो और उसने पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न करली हो।

(२) कोई भी व्यक्ति उस दशामें किसी राज्यका राज्यपति नहीं चुना जा सकता—

(क) जबकि वह राज्यकी व्यवस्थापिका-सभाका सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया हो :

किन्तु साथ ही, यह आवश्यक नहीं है, कि वह उस राज्यका निवासी हो, अथवा

(ख) जब कि भारत सरकारके या उस समयके लिए प्रथम परिशिष्ट में गिनाये गये किसी राज्यकी सरकारके आधीन या उक्त सरकारोंके नियन्त्रणमें रहनेवाली किसी स्थानीय या दूसरी राज्यसत्ताके आधीन किसी वैतनिक पद -या स्थान पर वह आसीन हो।

व्याख्या—इस खण्डके लिए कोई भी व्यक्ति केवल उस दशामे किसी वैतनिक पद या स्थान पर आसीन नहीं समझा जायेगा, जब कि—

(क) वह भारत या उस समयके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग १ मे गिनाये गये किसी राज्यका मंत्री हो, अथवा

(ख) वह उस समयके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में गिनाये गये किसी राज्यका मंत्री हो, और साथ ही यदि वह राज्य की व्यवस्थापिका सभाके प्रति उत्तरदायी हो, अथवा जहाँ राज्यकी व्यवस्थापिकाके दो भवन हों, वहा ऐसी व्यवस्थापिका के साधारण-भवनके प्रति उत्तरदायी हो, और यदि उस व्यवस्थापिका-सभा या भवनके कम से कम तीन-चौथाई सदस्य निर्वाचित सदस्य हों।

या दूसरा विकल्प

राज्यपति नियुक्त किये जानेकी योग्यता

१३४. (१) कोई भी व्यक्ति तबतक राज्यपति-पदपर नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं समझा जायेगा, जबतक वह भारतका नागरिक न हो और उसने पैंतीस वर्षकी आयु पूरी न कर ली हो।

(२) कोई भी व्यक्ति उस दशामें किसी राज्यका राज्यपति नहीं नियुक्त किया जा सकता, जबकि वह राज्यकी व्यवस्थापिका-सभाका सदस्य चुने जानेके लिए अयोग्य ठहरा दिया गया हो, किन्तु साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है, कि वह व्यक्ति उस राज्यका निवासी ही हो।

राज्यपतिपदके लिए प्रतिबंध

१३५. (१) राज्यपति न तो पार्लामेण्ट और न उस समयके लिए प्रथम परिशिष्टमें गिनाये गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाका सदस्य रहेगा और यदि पार्लामेण्ट या इस प्रकारके किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाका कोई सदस्य राज्यपति चुना (नियुक्त) किया जाये, तो जिस तारीखसे उसने राज्यपतिका पद ग्रहण किया है, उसी तारीखसे पार्लामेण्ट या ऐसी व्यवस्थापिका में उसका स्थान रिक्त हो गया माना जावेगा।

(२) राज्यपति कोई दूसरा वैतनिक पद या स्थान नहीं ग्रहण कर सकेगा।

(३) प्रान्तपति को सरकारी आवास मिलेगा और उसे वे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे, जो कि उस राज्यकी व्यवस्थापिकाके विधान द्वारा निश्चित किये जाँय, और जबतक कि उसके लिये बन्धान नहीं कर दिया जाता, तबतक उसे द्वितीय परिशिष्टमें निर्दिष्ट वेतन और भत्ते मिलेंगे।

(४) राज्यपति के वेतन और भत्ते उसके कार्यकालमें घटायें न जा सकेंगे।

पदग्रहण करनेके पूर्व राज्यपति या उसके कृत्योंका पालन करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्मोदन या शपथ-ग्रहण

१३६. प्रत्येक राज्यपति या जो कोई व्यक्ति उसके कृत्योंका संपादन करता है, अपना पद ग्रहण करनेके पूर्व, उस राज्यकी व्यवस्थापिकाके सदस्योंके समक्ष निम्न रूपमें सम्मोदन या शपथ-ग्रहण करेगा—

"मैं, अमुक हृदयसे सम्मोदन (सौगन्ध) करता (लेता) हूँ, कि मैं सच्चे हृदयसे—अमुक राज्यके राज्यपतिके पदभारको निभाऊँगा (या राज्यपतिके कार्योंका सम्पादन करेगा) तथा भरसक अपनी योग्यताके अनुसार अधिकसे अधिक संविधान या विधानकी रक्षा, परिरक्षा और प्रतिरक्षा करूँगा। और मैं तन मनसे ......(अमुक राज्य) की जनताकी सेवा और भलाईमें रत रहूँगा।"

राज्यपतिपर अभियोग लगानेकी कार्य-प्रणाली

१३७. (१) संविधानका उल्लंघन करनेके लिए जब राज्यपति पर अभियोग लगाया जावे, तो उस राज्यकी व्यवस्थापिका-सभा दोषारोप उपस्थित कर सकेगी, किन्तु

(२) ऐसा कोई दोषारोप तब तक उपस्थित नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि

(क) व्यवस्थापिकाके कमसे कम ३० सदस्योंने हस्ताक्षर करके लिखित सूचनाके साथ ऐसे संकल्पका प्रस्ताव रखनेका विचार न प्रकट किया हो कि हम लोग राज्यपतिके ऊपर दोषारोप करना चाहते हैं,

(ख) जबतक कि उक्त व्यवस्थापिका सभाके सारे सदस्योंमेसे कमसे कम दो तिहाईका उस प्रस्तावपर समर्थन न प्राप्त हो चुका हो।

(३) जब व्यवस्थापिका सभामें दोषारोप इस प्रकार उपस्थित किया जा चुके, तो व्यवस्थापिका-सभाका सभाध्यक्ष राज्यपरिषद्के अध्यक्षको सूचित करेगा और तब राज्यपरिषद् दोषारोपकी जाँचके लिए एक समिति नियुक्त करेगी, जो ऐसे व्यक्तियोंकी भी हो सकेगी और जिसमें वे व्यक्ति भी रह सकेंगी, जो राज्यपरिषद्के सदस्य नहीं हैं, और इस जाँचमें राज्यपतिको स्वयं उपस्थित होने या अपनी जगह किसीको भेजनेका अधिकार होगा।

(४) यदि जाँचके बाद राज्यपतिके विरुद्ध उपस्थित किये गये दोषारोपके सिद्ध होनेके घोषणाके बारेमें कोई प्रस्ताव राज्यपरिषद्के समस्त सदस्योंमेंसे कमसे कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित होकर पास हो जाये, तो पास होनेकी तारीखसे उक्त प्रस्तावके कारण राज्यपति अपने पदसे हटा दिया जायेगा।

किसी योगायोगोंमें राज्यपतिके कृत्य-सम्पादनके लिए बन्धान बनानेकी व्यवस्थापिका (राष्ट्रपति) को अधिकार

१३८. इस अध्यायमें बन्धान न किये गये किसी योगायोगमें किसी राज्यके राज्यपति-केकृत्यके सम्पादनके लिए किसी राज्यकी व्यवस्थापिका जैसा उचित समझे, वैसा बन्धान बना सकेगी।

या वैकल्पिक रूपसे

इस अध्यायमें बन्धान न किये गये किसी योगायोगमें, राष्ट्रपति किसी राज्यके राज्यपतिके कृत्यके सम्पादनके लिए जैसा उचित समझे, वैसा बन्धान बना सकेगा।

राज्यपति-पदके रिक्त स्थानकी पूर्तिके लिये निर्वाचन(नामतालिका बनानेके लिये निर्वाचन) का समय

१३९. (१) राज्यपतिके कार्यकालकी समाप्तिके कारण रिक्त हुए स्थानकी पूर्तिके लिए कार्यकाल समाप्त होनेसे पहिले चुनाव (नामतालिका चुनाव) कर लिया जायेगा।

(२) राज्यपतिकी मृत्यु, पदत्याग, या हटाये जाने अथवा किसी दूसरे कारणसे रिक्त हुए स्थानकी पूर्तिके लिए, स्थान रिक्त होनेके बाद यथा-सम्भव शीघ्र, चुनाव (नामतालिका बनानेके लिये चुनाव) कर लिया जायेगा,

और रिक्त स्थानकी पूर्तिके लिए निर्वाचित (नियुक्त किया गया) व्यक्ति इस संविधानकी धारा १३२ में बन्धानकी गयी पांच वर्षकी पूरी अवधिके लिए पदासीन होनेका अधिकारी होगा।

राज्यपतिके निर्वाचन (राज्यपतिकी नियुक्तिके लिए नामतालिका बनानेके लिये निर्वाचन) से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध रखने वाले विषय

१४०. (१) राज्यपतिके चुनाव (राज्यपतिकी नियुक्तिके लिए नामतालिका बनानेके लिए किये जानेवाले चुनाव) से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें संबंधित सभी संशयों और विवादोंकी अन्तिम जाँच और निर्णय परमन्यायालय करेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(२) इस संविधानके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, राज्यपतिके चुनाव (राज्यपति नियुक्त करनेके लिए नामतालिका बनानेके लिए किये गये चुनाव) से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे सम्बन्धित किसी विषयका नियमन राज्य-

की व्यवस्थापिका विधानद्वारा कर सकेगी।

विशेषपरिस्थितियों में क्षमादान आदि करने, दण्डाज्ञा स्थगित करने, छोड़ देने या हलका करनेका राज्यपतिको अधिकार

१४१. किसी राज्यके राज्यपतिके पास यह अधिकार होगा कि वह उन सभी परिस्थितियोंमें, जिनमे कि उस अपराधके लिए दण्ड या दण्डाज्ञा ऐसे विषयके विधानके आधीन दी गयी हो—जिस विषयके लिए विधान बनाने का अधिकार उस राज्यकी व्यवस्थापिकाको है, किसी अपराधके लिए दण्डित किसी व्यक्तिके दण्ड को क्षमाकर दे, रोक दे, कुछ कालके लिए स्थगित कर दे या उस व्यक्तिको छोड़ ही दे, अथवा दण्डको रोकवा दे, छोड़ दे या हलकाकर दे।

राज्योंकी कार्यकारिणी शक्तिकी सीमायें

१४२. इस संविधानके बन्धानोंके आधीन रहते हुए,

(क) वे विषय, जिनके सम्बन्धमें उस राज्यकी व्यवस्थापिकाको विधान बनानेका अधिकार है; और

(ख) वे अधिकार जिनके द्वारा प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये किसी राज्य या राज्य-समूहके साथ इस संविधानकी धारा २३६ और २३७ के अनुसार किये गये समझौतेके बलपर प्रयोग किये जानेवाले अधिकार, सत्ता और अधिकार क्षेत्र लागू किये जायँ,

प्रत्येक राज्यकी कार्य-कारिणी शक्तिके अन्तर्गत समझे जायेंगे।

मन्त्रि-परिषद्

राज्यपतिको सहायता और मन्त्रणा देनेके लिए मन्त्रि परिषद्

१४३. (१) जिन बातोंमे इस संविधान द्वारा अथवा इसके अनुसार राज्तपतिसे यह आशा रखी जाती है, कि वह अपने सभी या उनमेसे कुछ कृत्योंका सम्पादन अपने मनसे करेगा, केवल उन बातोंको छोड़कर, प्रान्तपति को अपने कृत्योंके सम्पादन करनेमें सहायता तथा मन्त्रणा देनेके लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होगा।

(२) जहाँ कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय उस कोटि में आता है कि नहीं, जिसमेइस संविधानके द्वारा या इसके अनुसार प्रान्तपतिको अपने मनसे कार्य करना है, वहाँ राज्यपतिका अपने मनसे किया गया निर्णय अन्तिम होगा और राज्यपति द्वारा कीगयी किसी बातकी मान्यतापर यह कहकर आक्षेप नहीं किया जा सकेगा कि उसने अपको मनसे कार्य करना चाहिये था या नहीं।

(३) मन्त्रियोंने प्रान्तपतिको कोई मन्त्रणा दी या नहीं, और यदि दी तो क्या दी, इस प्रकारके प्रश्न किसी न्यायालयमें नहीं उठाये जा सकेंगे।

मन्त्रियोंके विषयमें और बन्धान

१४४. (१) अपने मन्त्रियोंकी नियुक्ति राज्यपति स्वय करेगा, और उसकी मर्जीतक वे अपने पदपर आसीन रहेंगे,

किंतु बिहार, मध्यप्रान्त और बरार तथा उड़ीसाके राज्योंके लिए यह

बन्धान रहेगा कि उनके आदिवासियोंके कल्याणका भारवहन करनेके लिए एक अलग मन्त्री हो, जो इसके साथ-साथ परिगणित जातियों और पिछड़े हुए वर्गोंके कल्याण अथवा अन्य कार्योंका भारवहन करेगा।

(२) पद ग्रहण करनेके पूर्व राज्यपति प्रत्येक मन्त्रीको तृतीय परिशिष्टमें इस निमित्त दी गयी वाक्यावलीके अनुसार पद तथा गोपनीयताकी शपथ दिलायेगा।

(३) कोई मन्त्री छ मासके बाद मन्त्री नहीं रह सकेगा, यदि इस अवधिके भीतर राज्तकी व्यवस्थापिकाका सदस्य नहीं हो जाता।

(४) राज्यपति अपने मन्त्रियोंको चुनते समय तथा उनके साथ-आचरण करते समय, चतुर्थ परिशिष्टमें दी गयी हिदायतोंपर ही प्रायः चलेगा, किन्तु राज्यपतिके किसी निर्णयकी मान्यतापर यह कहके आक्षेप नहीं किया जा सकेगा, कि उस निर्णयको देते समय उन हिदायतोंका उसने अनुसरण नहीं किया है।

(५) समय-समयपर राज्यकी व्यवस्थापिका मन्त्रियोंके वेतन और भत्ता विधानद्वारा निश्चित करती रहेगी, और जबतक राज्यकी व्यवस्थापिका उन्हें निश्चित नहीं कर देती, तबतक उनका वेतन और भत्ता वही रहेगा, जोकि द्वितीय परिशिष्टमें निर्दिष्ट किया गया है।

(६) इस धाराके अधीन, मन्त्रियोंको नियुक्त करने और पदसे हटानेके सम्बन्ध रखनेवाले कृत्योंका सम्पादन राज्यपति अपने मनसे करेगा।

राज्यका महा-अधिवक्ता (ऐडवोकेट)

राज्यका महाअधिवक्ता (ऐडवोकेट)

१४५. (१) उच्चन्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जानेकी योग्यता रखनेवाला व्यक्ति, राज्यके राज्यपतिद्वारा राज्यका महा-अधिवक्ता (ऐडवोकेट) नियुक्त किया जायेगा।

(२) महा-अधिवक्ता (ऐडवोकेट)का कर्त्तव्य होगा कि वह उस समयकी सरकारको ऐसे वैधानिक मामलोंमें मन्त्रणा दे या ऐसे वैधानिक स्वरूपवाले दूसरे कर्त्तव्योंका पालन करे, जिन्हे कि राज्यपति समय-समयपर उसको निर्देश करे या सौंपे, तथा उनकृत्योंका सम्पादन करे, जो उसे संविधान या उस समय प्रचलित किसी दूसरे विधान द्वारा या उसके अनुसार, सौंपे गये हों।

(३) राज्यके प्रधानमंत्रीके पद छोड़नेके बाद, महाऐडवोकेट भी अपना पद छोड़ देगा, किन्तु अपने उत्तराधिकारीकी नियुक्ति अथवा अपनी पुनः नियुक्ति होने तक वह पदासीन रह सकेगा।

(४) जैसा राज्यपति निश्चित करे, वैसा पारिश्रमिक महाऐडवोकेट को मिलेगा।

सरकारी कार्य का संचालन

राज्योंके सरकारी कार्यका सचालन

१४६. (१) राज्यके सरकारकी सारी कार्यवाही राज्यपतिके नामसे की गयी कही जायेगी।

(२) राज्यपतिके नामसे निकाले गये या कार्यान्वित किये गये आदेश या दूसरे अधिकार-पत्र, राज्यपति द्वारा बनाये जानेवाले नियमोंमें निर्धारित की गयी रीतिसे प्रमाणीकृत किये जायेंगे; और इस प्रकार प्रमाणीकृत किये गये आदेश या अधिकार-पत्रकी मान्यतापर यह कहके आक्षेप नहीं किया जा सकेगा, कि उन्हें राज्यपतिने स्वयं नहीं निकाला या कार्यान्वित किया है।

राज्यपतिको सूचना देने आदिके बारेमें प्रधान मंत्रीके कर्तव्य

१४७ प्रत्येक राज्यके प्रधानमन्त्रीका कर्तव्य होगा कि —

(क) वह राज्यके कार्योके शासन-प्रबंधसे संबंध रखनेवाले मन्त्रि-परिषद्के सारे निर्णयों तथा व्यवस्थापित किये जाने वाले प्रस्तावोंसे राज्यपतिको अवगत कराये,

(ख) वह राज्यके कार्योंके शासन-प्रबन्ध और व्यवस्थापित होने वाले प्रस्तावोंके बारेमें ऐसी सारी जानकारी प्रस्तुत करे, जिनकीकि राज्यपति मांग करे, और

(ग) यदि राज्यपति आवश्यक समझता हो, तो ऐसे किसी विषय को वह मन्त्रि-परिषद्के सम्मुख विचारार्थ रखे, जिस पर किसी मन्त्रीने निर्णय दे दिया हो, लेकिन परिषद्में उसपर विचार न हुआ हो।

अध्याय ३—राज्यकी व्यवस्थापिका

सामान्य

प्रथम परिशिष्टके भाग १ से गिनाये गये राज्योंकी व्यवस्थापिकाओंका संगठन

१४८ (१) प्रत्येक राज्यके लिए एक व्यवस्थापिका होगी, जो

(क) राज्योंमें दो भवनोंको;

(ख) दूसरे राज्योंमें एक भवनको

राज्यपतिके साथ मिलाकर संगठित होगी।

(२) जहाँ किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाके दो भवन हैं, वहाँ एकभवन व्यवस्थापिका-परिषद् और दूसरा व्यवस्थापिका-सभाके नामसे पुकारा जायेगा, और जहा केवल एक भवन है, वहा वह व्यवस्थापिका-सभाके नामसे पुकारा जायेगा।

व्यवस्थापिका-सभाओंका संगठन

१४९. (१) इस संविधानकी धारा २९४ और २९५के बधानोंके आधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्यकी व्यवस्थापिका-सभाका संगठन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये सदस्यों से होगा।

(२) चुनाव वयस्क मताधिकारके आधार पर होगा, अर्थात् प्रत्येक

नागरिक ऐसे निर्वाचनोंमें मतदाता-सूचीमें लिखे जानेका अधिकारी होगा, यदि उसकी आयु २१ वर्षसे कम नहीं है, और जो इस संविधान या उस राज्यकी व्यवस्थापिकाके किसी विधानके अनुसार आवासी न होने, पागल होने, घोर अपराधी होने या भ्रष्ट या अवैध आचरणवाला वाला होनेके कारण, अयोग्य नहीं ठहरा दिया गया हो।

(३) राज्यकी व्यवस्थापिका-सभामे प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस निर्वाचन-क्षेत्रकी तुरत पिछली मनुष्य-गणनाके अनुसार पायी गयी जनसंख्याके आधारपर होगा, और आसामके स्वायत्त विपयों (जिलों) को छोड़कर प्रत्येक १००००० जनसंख्याके लिए कमसे कम १ प्रतिनिधिके अनुपातसे चुनाव होगा;

किन्तु साथ ही, किसीभी दशामें किसी राज्यकी व्यवस्थापिका-सभाके सदस्योंकी कुल संख्या ३०० से अधिक और ६० से कम न होगी।

(४) प्रत्येक मनुष्य-गणनाकी समाप्ति पर प्रत्येक राज्यकी व्यवस्थापिका-सभामें भिन्न भिन्न प्रादेशिक निर्वाचनके प्रतिनिधियोंकी संख्या इस संविधानकी धारा १८६ के बंधानोंके आधीन रहते हुए, ऐसी राज्य-सत्ता द्वारा उस रीति और उस तारीख से कार्यान्वित होनेके लिए फिरसे ठीककी जायगी, जैसीकि उस राज्यकी व्यवस्थापिका विधान द्वारा निश्चित करेगी;

किन्तु साथही, इस प्रकार फिरसे ठीक करनेका प्रभाव तबतक व्यवस्थापिका-सभाके प्रतिनिधियोंकी संख्यापर न पड़ेगा, जबतक कि उस समय चालू व्यवस्थापिकासभा भंग नहीं हो जाती।

व्यवस्थापिका-परिषदोंका सगठन

१५० (१) जिस राज्यमें व्यवस्थापिका-परिषद् है, वहां परिषद्के सदस्यों की कुलसंख्या, उस राज्यकी व्यवस्थापिका-सभाके सदस्योंकी कुलसंख्याके २५ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(२) किसी राज्यकी व्यवस्थापिका-परिषद्के सदस्योंकी कुलसंख्या में से—

(क) आधे, इस धाराके खड ३ के अनुसार बनायी गयी उम्मीदवारोंकी नामतालिकाओंमें से चुने जायेंगे,

(ख) एक तिहाईको उस राज्यकी व्यवस्थापिकासभाके सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्वके सिद्धान्तके अनुसार एकहरे परावर्तनीय मत-दान प्रणाली द्वारा, चुनेगी;

(ग) शेष राज्यपति द्वारा मनोनीत होंगे।

(३) किसी राज्यकी व्यवस्थापिका-परिषद्के प्रथम सामान्य-निर्वाचन के पहले इस सविधानकी आनेवाली धारा १५१ के खंड (२) के अनुसार किए जानेवाले प्रत्येक त्रैवार्षिक निर्वाचनके पूर्व उम्मीदवारोंकी पॉच नामतालिकायें बनायी जाएँगी, जिनमेंसे एक तो उस राज्यके विश्वविद्यालयों के

प्रतिनिधियोंके नामोंकी होगी और बाकी क्रमशः उन व्यक्तियोंके नामोंकी होगी, जिन्हे नीचे लिखे विषयोंके सबंधमे विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो, अर्थात् :—

(क) साहित्य, कला, विज्ञान,

(ख) कृषि, मत्स्यपालन, तत्सम्बन्धी अन्य विषय;

(ग) इंजीनियरी और स्थापत्य,

(घ) लोक-शासन-प्रबंध और सामाजिक सेवायें।

(४) इस धाराके खड(३) के अनुसार बनायी गयी प्रत्येक नामतालिका मे उसमेसे चुने जानेवालोंकी संख्या के दूने नाम रखे जायेंगे।

(५) इस धाराके खंड (३) और (४) उस राज्यकी व्यवस्थापिकाके विधान द्वारा आदिष्ट किये जाने वाले फेर-बदल और रूपान्तरोंके आधीन रहते हुए उपनिर्वाचनोंके लिएभी लागू होंगे।

राज्यकी व्यवस्थापिकाओंका कार्यकाल

१५१ (१) यदि समयसे पहिले भंग न कर दिया जाय, तो प्रत्येक राज्यकी व्यवस्थापिकासभा अपने प्रथम अधिवेशनके लिए निश्चित तारीखसे ५ वर्ष बाद तक चालू रहेगी और इस ५ वर्षके कार्यकालकी समाप्तिपर व्यवस्थापिकासभा भंग हो जायेगी।

(२) किसी राज्यकी व्यवस्थापिका-परिषद् भंग नहीं की जा सकेगी, बल्कि उसके सदस्योंमेसे, जहाँ तक हो सके, एक-तिहाई सदस्य उस राज्य की व्यवस्थापिका सभाके द्वारा विधान रखे गये बंधानोंके अनुसार हर तीसरे सालकी समाप्तिपर अलग हो जायेंगे।

राज्यके व्यवस्थापिकाकी सदस्यताके लिए आयु-सीमा

१५२. कोई व्यक्ति किसी राज्यकी व्यवस्थापिकामें तबतक सदस्य बनने के योग्य नहीं समझा जायगा, जबतक कि वह व्यवस्थापिका सभाके वास्ते कम से कम २५ वर्ष की और व्यवस्थापिका-परिषद्के लिए कम से कम ३५ वर्षकी आयु पूरी न कर चुका हो।

राज्यकी व्यवस्थापिकाके अधिवेशन, उसका लम्बा स्थगन और भंग होना

१५३. (१) राज्यकी व्यवस्थापिकाके भवन अथवा भवनोंके प्रति-वर्ष, कमसे कम दो बार अधिवेशन बुलाये जायेंगे, तथा यह भी आवश्यक होगा, कि उनके एक अधिवेशनकी अन्तिम बैठककी तारीख और आगामी अधिवेशनकी बैठकके लिए निश्चितकी गयी तारीखके बीचमे ६ माससे अधिक का अन्तर नहीं पड़ना चाहिए।

(२) इस धाराके बंधानोंके आधीन रहतेहुए राज्यपति, समय समय पर—

(क) भवनों अथवा किसी एक भवनको, जिस स्थान पर जिस समय उचित समझे, उस स्थान पर और उस समय अधिवेशन बुला सकता है;

(क) भवनोंको लम्बी अवधिके लिए स्थगित कर सकता है, और

(ग) व्यवस्थापिका-सभाको भंग कर सकता है।

(३) इस धाराके खण्ड (२) के उपखण्ड (क) और (ख) के आधीन निर्दिष्ट किये गये कृत्योंका राज्यपति अपने विवेकसे सम्पादन कर सकेगा।

भवनोंके सामने भाषण करने और उनको सन्देश भेजने के बारेमें राज्यपति-को अधिकार

१५४. (१) राज्यपति राज्यकी व्यवस्थापिकासभा, या जहाँ राज्य-की व्यवस्थापिका-परिषद भी हो, वहाँ उसके किसी भी भवनके या एकत्र हुए दोनों भवनोंके सामने भाषण दे सकेगा और इस कामके लिए उनकी उपस्थितिकी माँग करेगा।

(२) राज्यपति राज्यकी व्यवस्थापिकाके उस समय विचाराधीन किसी विधान-मसौदे या किसी दूसरे विषयमें व्यवस्थापिकाके किसी भवनको अपना संदेश भेज सकेगा, और जिस भवनको इस प्रकार सन्देश भेजा गया हो, वह भवन उस सन्देश द्वारा चाहे गये विचारणीय विषयपर सुविधानुसार यथाशीघ्र विचार करेगा।

व्यवस्थापिकाके प्रत्येक अधिवेशनके आरंभमे राज्यपतिका विशेष भाषण और उसमें उल्लिखित बातों पर व्यवस्थापिकामें आलोचना

१५५. (१) प्रत्येक अधिवेशनके आरंभमे राज्यपति व्यवस्थापिका-सभाके जहाँ व्यवस्थापिका, परिषद्भी हो, वहाँ एकत्र हुए दोनों भवनोंके समक्ष भाषण देगा और व्यवस्थापिकाको बुलानेका कारण बतलायेगा।

(२) किसीभी भवनकी कार्यप्रणालीके नियामक नियमोंके द्वारा, ऐसे भाषणमें उल्लिखित विषयों की आलोचना (चर्चा) करनेके लिए समय रखनेके वास्ते तथा भवनके दूसरे कार्योंपर इस आलोचना (चर्चा)को प्रथम स्थान देनेके लिए बन्धान रखा जायेगा।

भवनोमे मन्त्रियो और महा-अधिवक्ता के अधिकार

१५६. राज्यकी व्यवस्थापिका-सभामें, या जहाँ राज्यकी व्यवस्थापिका-परिषद् भी हो, वहाँ दोनों भवनोंके संयुक्त अधिवेशनमें, या व्यवस्थापिकाकी ऐसी समितिमें, जिसमे उसका नाम सदस्यके रूपमे दिया गया हो, राज्यका प्रत्येक मंत्री और महा-अधिवक्ता (एडवोकेट) को बोलने, कार्यवाहियोंमे भाग लेनेका अधिकार होगा, किन्तु इस धाराके अनुसार उसे मत देनेका अधिकार न होगा।

राज्यकी व्यवस्थापिकाके पदाधिकारी

व्यवस्थापिका-सभा के सभाध्यक्ष और उपसभाध्यक्ष

१५७. राज्यकी व्यवस्थापिका सभा, यथाशीघ्र, अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपना सभाध्यक्ष और उपसभाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब सभाध्यक्ष या उपसभाध्यक्षका स्थान रिक्त हो, तब-तब सभा, जैसी कि स्थिति हो, किसी अन्य सदस्यको सभाध्यक्ष या उपसभाध्यक्ष चुनेगी।

सभाध्यक्ष या उपा-सभाध्यक्षका पद से त्यागपत्र देना या उनका हटाया जाना

१५८. किसी सभाके सभाध्यक्ष या उपसभाध्यक्षके पदपर आसीन सदस्य—

(क) यदि सभाका सदस्य न हो, तो उसका पद रिक्त समझा जायेगा,

(ख) वह किसी समय भी अपने हस्ताक्षरसे, यदि सभाध्यक्ष है तो उपसभाध्यक्षको, और उपसभाध्यक्ष है तो सभाध्यक्षको पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकेगा; और

(ग) यदि सभा तत्कालीन सदस्योंके बहुमतसे वैसा प्रस्ताव पास कर दे, तो वह असमर्थ होने या विश्वास खोनेके कारण पदसे हटाया जा सकेगा,

किन्तु साथही, इस धाराके खण्ड (ग)के लिए कोई प्रस्ताव तबतक न लाया जा सकेगा, जब तक कि उक्त प्रस्तावके उपस्थित करनेके अभिप्रायकी सूचना कम से-कम चौदह दिन पहले न दे दी गयी हो;

लेकिन साथ ही, एक बात यह भी आवश्यक है, कि जब कभी सभा भग की जाय, तो भग होनेके बाद आनेवाली नयी सभाकी प्रथम बैठकके प्रथम क्षण तक सभाध्यक्ष अपने पदको रिक्त नहीं करेगा।

उपसभाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियोंकी सभाध्यक्षके कर्तव्योंके सम्पादन करने अथवा उसका स्थानापन्न होनेकी क्षमता

१५६. (१) जब सभाध्यक्षका पद रिक्त हो, तब उपसभाध्यक्ष या जब उपसभाध्यक्षका पद भी रिक्त हो, तो राज्यपति द्वारा इस कार्यके लिए नियुक्त सभाका कोई सदस्य, इस पदके कर्त्तव्योंका सम्पादन कर सकेगा।

(२) सभाकी किसी भी बैठकमे, सभाध्यक्षकी अनुपस्थितिमें, उपसभाध्यक्ष अथवा उसकी भी अनुपस्थितिमें सभाकी कार्यप्रणाली द्वारा निश्चित किया गया अन्य कोई व्यक्ति, अथवा ऐसे व्यक्तिकी भी अनुपस्थिति मे उस समय सद्यः सभा द्वारा निश्चित किया गया कोई दूसरा व्यक्ति सभाध्यक्षके रूपमें कार्य करेगा।

व्यवस्थापिका परिषद्के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

१६०. व्यवस्थापिका परिषद् यथाशीघ्र अपने दो सदस्योंको क्रमशः अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, तब-तब परिषद् अपने किसी दूसरे सदस्यको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी कि स्थिति हो, चुनेगी।

अध्यक्ष या उपाध्यक्षके पदका रिक्त होना, उनका त्यागपत्र देना या पदसे हटाया जाना

१६१. व्यवस्थापिका परिषद्के अध्यक्ष और उपाध्यक्षके पदपर आसीन सदस्य :—

(क) यदि परिषद्का सदस्य न हो, तो उसका पद रिक्त समझा जायेगा;

(ख) वह किसी समय भी अपने हस्ताक्षरसे, यदि वह अध्यक्ष है तो उपाध्यक्षको, और यदि उपाध्यक्ष है तो अध्यक्षको, पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकेगा, और

(ग) यदि व्यवस्थापिका परिषद्के तत्कालीन सदस्योंके बहुमतसे वैसा प्रस्ताव पास कर दे, तो वह असमर्थ होने या विश्वास खो देनेके कारण अपने पदसे हटाया जा सकता है,

किन्तु साथ ही, इस धाराके खण्ड (ग)के लिए कोई प्रस्ताव तब

तक लाया न जा सकेगा, जब तक कि उक्त प्रस्तावको उपस्थित करने के अभिप्रायकी सूचना कमसे कम चौदह दिन पहिले न दे दी गयी हो।

उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियोंकी अध्यक्ष कार्योंके सम्पादन करने या उसका स्थानापन्न होनेकी क्षमता

१६१. (१) यदि अध्यक्ष-पद रिक्त हो, तो उसके पदके कार्यों का सम्पादन उपाध्यक्ष करेगा, या यदि उपाध्यक्षका पद भी रिक्त हो, तो राज्यपति द्वारा इस कार्यके लिए नियुक्त राज्यपरिषद्‌का सदस्य इस कार्य-का सम्पादन कर सकेगा।

(२) परिषद्‌की किसी भी बैठकमें अध्यक्षकी अनुपस्थितिमें उपाध्यक्ष, अथवा उसकी भी अनुपस्थितिमें परिषद्‌की कार्यप्रणालीके नियमों द्वारा निश्चित किया गया कोई व्यक्ति, अथवा ऐसे व्यक्तिकी भी अनुपस्थितिमें परिषद्‌द्वारा सद्यः निश्चित किया गया कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्षके रूपमें कार्य करेगा।

सभाध्यक्ष और उपसभाध्यक्ष तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्षके वेतन और भत्ते

१६२. व्यवस्थापिका-सभाके सभाध्यक्ष और उपसभाध्यक्ष, और व्यवस्थापिका-परिषद्‌के अध्यक्ष और उपाध्यक्षको व्यवस्थापिकाके विधान द्वारा निश्चित किये गये वेतन और भत्ते दिये जायेंगे; और जबतक इसके बारेमें इस तरहका बन्धान न बने, तब तक उन्हें द्वितीय परिशिष्टमें निर्दिष्ट वेतन और भत्ता मिलेगा।

कार्य-संचालन

भवनोंमें मतदान, रिक्त स्थानके होते भवनोंमें कार्य करने की क्षमता तथा गणपूरक संख्या

१६४. (१) इस सविधानमे बन्धान की हुई अवस्थाओंको छोड़कर, दोनों भवनोंकी किसी अलग या संयुक्त बैठकमें सभी बातोंका निर्णय सभाध्यक्ष या अध्यक्ष या उनके स्थानापन्न व्यक्तिको छोड़कर उपस्थित मतदाता सदस्योंके बहुमतसे किया जायेगा।

सभाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष या उनका स्थानापन्न व्यक्ति पहिले अपना मत न देगा, किन्तु मतोंके बराबर पड़नेकी अवस्थामें उसे निर्णायक-मत देनेका अधिकार होगा और वह उसका उपयोग कर सकेगा।

(२) किसी सदस्यके स्थानके रिक्त होनेपर राज्यकी व्यवस्थापिकाके किसी भवनको कार्य करनेकी क्षमता होगी, यदि बादमें पता चला कि कोई अनधिकारी व्यक्ति कार्यवाहियोंमें उपस्थित रहा, उसने मत दिया अथवा अन्य प्रकारसे भाग लिया, तो भी राज्यकी व्यवस्थापिकाकी कार्यवाही मान्य समझी जायेगी।

(३) यदि राज्यकी व्यवस्थापिका-सभा या व्यवस्थापिका-परिषद्‌की किसी बैठकमे किसी भी समय गणपूरक संख्या नहीं है, तो सभाध्यक्ष या अध्यक्ष या उनके स्थानापन्न व्यक्तिका कर्त्तव्य होगा, कि या तो भवनको स्थगित कर दे, या बैठकको तबतकके लिए विलमा दे, जब तक कि गणपूरक संख्या नहीं हो जाती। दस या भवनके सदस्योंकी कुल संख्याके पष्ठांशसे

दोनोंमें जो अधिक हो, गणपूरक संख्या पूरी समझी जायेगी।

सदस्योंकी अयोग्यतायें

सदस्यों द्वारा घोषणा

१६५. राज्यकी व्यवस्थापिका-सभा या व्यवस्थापिका-परिषद्का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करनेके पहिले, राज्य-पति या उसके द्वारा एतदर्थ नियुक्त व्यक्तिके सामने तृतीय परिशिष्टमें इस प्रयोजनके लिए दी गयी वाक्यावलीके अनुसार घोषणा करेगा और उसपर हस्ताक्षर करेगा।

स्थानोंका रिक्त होना

१६६. (१) कोई व्यक्ति राज्यकी व्यवस्थापिकाके दोनों भवनोंका एक साथ सदस्य न हो सकेगा, और जो दोनों भवनोंका एकवार सदस्य निर्वाचित हुआ हो, उसके दोनोंमेंसे एक भवनके स्थानको रिक्त करनेके लिए राज्यकी व्यवस्थापिका विधान द्वारा उपबन्ध बनायेगी।

(२) कोई व्यक्ति एक ही साथ पार्लमेंट और राज्यकी व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि कोई व्यक्ति पार्लमेंट और राज्यकी व्यवस्थापिका दोनोंका सदस्य चुना गया हो, तो राज्यके राज्य पति द्वारा बनाये गये नियमोंमें निश्चित किये गये समयके समाप्त होनेपर, उस व्यक्तिका स्थान राज्यकी व्यवस्थापिकामें रिक्त समझा जायेगा, यदि उसने पार्लमेंटमें अपने स्थानसे पहिले त्यागपत्र न दे दिया हो।

(३) यदि किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाके किसी भवनका कोई सदस्य—

(क) आगे आनेवाली धाराके खण्ड (१) में उल्लेख की गयी अयोग्यताओंका पात्र हो गया हो, अथवा

(ख) सभाध्यक्ष या अध्यक्षको, जैसी कि स्थिति हो, लिखकर अपने हस्ताक्षरसे त्यागपत्र दे चुका·

तो उसके बाद उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा।

(४) यदि राज्यकी व्यवस्थापिकाके किसी भवनका कोई सदस्य बिना भवनकी अनुमतिके उसके सब अधिवेशनोंमें साठ दिनोंकी अवधितक अनुपस्थित रहे तो भवन उसके स्थानको रिक्त घोषित कर सकेगा;

किन्तु साथही, साठ दिनोंकी अवधिके समयमें ऐसी किसी अवधिको शामिल नहीं किया जायेगा, जिसमें भवन चिरकालके लिए स्थगित किया गया हो या निरन्तर चारसे अधिक दिनोंके लिए स्थगित हुआ हो।

सदस्यताके लिए अयोग्यता

१६७. (१) कोई व्यक्ति-राज्यकी व्यवस्थापिका-सभा या व्यवस्थापिका-परिषद्का सदस्य चुने जाने या बने रहनेके लिए योग्य नहीं समझा जायेगा—

(क) यदि वह भारत-सरकार या उस समयके लिए प्रथम परिशिष्ट के भाग ३ में गिनाये गये किसी राज्यकी सरकारके किसी ऐसे लाभवाले पदपर आसीन है, जो उन पदोंसे भिन्न है,

जिन्हें धारण करके कोई व्यक्ति राज्यकी व्यवस्थापिकाके विधान द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो,

(ख) यदि वह विक्षिप्त है और समर्थ न्यायालय द्वारा विक्षिप्त ठहराया जा चुका है;

(ग) यदि वह अमोचित दिवालिया है,

(घ) यदि वह किसी विदेशी राज्यके साथ भक्ति या अनुवर्त्तन स्वीकार किये हो, या किसी विदेशी राज्यकी प्रजा अथवा नागरिक हो, या किसी विदेशी राज्यकी प्रजा अथवा नागरिक के अधिकारों या विशेषाधिकारोंका अधिकारी हो; और

(ङ) यदि वह राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा बनाये गये विधान के द्वारा या उसके अनुसार इस प्रकार अयोग्य ठहरा दिया गया हो।

(२) इस धाराके प्रयोजनके लिए, कोई व्यक्ति भारत-सरकार या उस समयके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग ३ मे गिनाये गये राज्यके आधीन लाभवाले पद पर आसीन केवल तभी नहीं समझा जायेगा, जब कि—

(क) वह या तो भारत-सरकार या प्रथम परिशिष्ट के भाग १ में गिनाये गये किसी राज्यका मंत्री हो, अथवा

(ख) प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यका मंत्री हो, यदि उस राज्यकी व्यवस्थापिका सभाके प्रति अथवा जहाँ राज्यकी व्यवस्थापिकाके दो भवन हैं, वहाँ साधारण भवनके प्रति उत्तरदायी है, और यदि व्यवस्थापिका सभा या भवनमे, जैसीकि स्थिति हो, कम से कम तीन चौथाई सदस्य निर्वाचित हों।

धारा १६५के अनुसार घोषणा किये बिना अथवा योग्य न होते हुए भी, अयोग्य ठहराये जाने पर भी बैठने या मतदेनेके लिए दण्ड

१६८. यदि कोई व्यक्ति किसी राज्यकी व्यवस्थापिका-सभा या व्यवस्थापिका-परिषद्के सदस्यके रूपमें ऐसी अवस्थामें बैठता या मत देता हो, जबकि उसने इस संविधानकी १६५ धाराकी चाही हुई शर्तोंको पूरा नहीं किया है, अथवा जब वह जानता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, या भवनकी सदस्यताके लिए अयोग्य ठहराया गया हूँ; अथवा राज्यकी व्यवस्थापिकाके बनाये किसी विधानके बन्धानोंसे ऐसा करनेके लिए प्रतिषिद्ध कर दिया गया हो, तो इस प्रकार जितने दिन बैठेगा या मत देगा, दिनके हिसाबसे प्रत्येक दिनके लिए, पाँच सौ रुपये दण्डका वह भागी होगा, जिसे उसे भारत सरकारको देय ऋणके तौरपर चुकाना पड़ेगा।

सदस्योंके विशेषाधिकार और निर्भयतायें

सदस्योंके विशेषाधिकार आदि

१६९. (१) राज्यकी व्यवस्थापिकाकी कार्य-प्रणालीके नियामक नियमों और स्थायी आदेशोंके आधीन रहते हुए, राज्यकी व्यवस्थापिकामें

सदस्योंको भाषणकी स्वतन्त्रता होगी।

(२) राज्यकी व्यवस्थापिका या उसकी किसी समितिमें कही गयी किसी बात या किये गये मतदानके लिए राज्यकी व्यवस्थापिकाके किसी सदस्यके विरुद्ध किसी न्यायालयमें कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, और न किसी व्यक्तिके विरुद्ध व्यवस्थापिकाके किसी भवनकी सत्ताके द्वारा अथवा उसके अनुसार, किसी विवरणपत्र, पत्र, मतदान या कार्यवाहियोंके प्रकाशन के लिए इस प्रकारकी कार्यवाही की जा सकेगी।

(३) दूसरी बातोंमें राज्यकी व्यवस्थापिकाके किसी भी भवनके सदस्योंके विशेषाधिकार और निर्भयतायें वही होंगी, जो व्यवस्थापिका समय समय पर विधान द्वारा लक्षित करती रहेगी और जब तक वह इस प्रकार लक्षित न करे, तबतक वे वही होंगी, जो इस संविधानके प्रारंभ होनेके समय, इंगलैण्डकी पार्लामेंटके साधारण भवनके सदस्योंको प्राप्त हैं।

(४) इस धाराके खंड (१), (२) और (३) के बन्धान, जिस प्रकार राज्यकी व्यवस्थापिकाके सदस्योंके ऊपर लागू हैं, वैसे ही उनके ऊपर भी लागू होंगे, जिन्हें इस संविधानके बलसे राज्यकी व्यवस्थापिकाके किसी भी भवनमें बोलने या दूसरे प्रकारसे उसकी कार्यवाहियोंमें भाग लेनेका अधिकार मिला है।

सदस्योंका वेतन, भत्ता आदि

१७०—राज्यकी व्यवस्थापिका सभा या व्यवस्थापिका परिषद्के सदस्य उन वेतनों और भत्तोंके पाने के अधिकारी होंगे, जिन्हें राज्यकी व्यवस्थापिका विधानद्वारा समय समय पर, निश्चित करेगी, और जबतक इस विषयमें इस प्रकारका बन्धान नहीं बनाया जाता, तबतक भत्ता ऐसी दर और ऐसे प्रतिबन्धोंके साथ दिया जायेगा, जैसा कि संविधानके प्रारंभ होने की तारीखसे प्रथम क्षण पूर्व तक उस राज्यकी प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाके सदस्योंके लिए लागू थे।

व्यवस्थाकी कार्यप्रणाली

विधान-मसौदेके उपस्थित करने और पास होनेके बारेमें बन्धान

१७१. (१) लिपि तथा अन्य अर्थकोष संबंधी विधानमसौदोंके बारे में इस संविधानकी धारा १७३ और १८२ के बन्धानोंके आधीन रहते हुए, कोई विधान-मसौदा राज्यकी व्यवस्थापिकाके किसी भवनमें प्रथम बार लाया जा सकेगा, जबकि उस राज्यकी व्यवस्थापिका परिषद् भी हो।

(२) इस संविधानकी १७२ और १७३ धाराओंके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, जब तक कोई विधान-मसौदा ऐसे राज्यकी व्यवस्थापिकाके दोनों भवनों द्वारा, जिसमें कि व्यवस्थापिका-परिषद् भी है, पास किया गया नहीं समझा जायेगा, जब तक कि या तो वह संशोधनके बिना या दोनों भवनों द्वारा स्वीकृत संशोधनोंके साथ दोनों भवनों द्वारा स्वीकृत न कर लिया गया हो।

(३) भवन या भवनोंके अधिवेशनके समाप्त होनेके कारण राज्यकी व्यवस्थापिकामें विचाराधीन विधान-मसौदोंका समय समाप्त नहीं समझा जायेगा।

(४) व्यवस्थापिका-सभाके भंग होने पर ऐसे विधानमसौदेका समय समाप्त नहीं समझा जायेगा, जो व्यवस्थापिका-परिषद्के विचाराधीन हो और जिसे व्यवस्थापिका-सभाने पास न किया हो।

(५) जो विधान-मसौदा किसी राज्यकी व्यवस्थापिका-सभामें विचाराधीन है या जो व्यवस्थापिका सभा द्वारा पास होकर व्यवस्थापिका-परिषद्में विचाराधीन है, व्यवस्थापिका-सभाके भंग हो जाने पर उस का समय समाप्त समझा जायेगा।

१७२. (१) व्यवस्थापिका-परिषद् वाले किसी राज्यकी व्यवस्थापिका-सभा यदि किसी विधान-मसौदेको पास कर दे और व्यवस्थापिका-परिषद्के पास भेजे जाने पर व्यवस्थापिका-परिषद्को जिस तारीखको विधान-मसौदा मिले और दोनों भवनों द्वारा मसौदेको पास किये बिना, यदि छः से अधिक मास बीत जायें, तो व्यवस्थापिका-सभाके भंग होनेके कारण यदि विधानमसौदेका समय समाप्त न हो गया हो, तो मसौदेपर विचार करने और मत देने के लिए राज्यपति दोनों भवनों को संयुक्त बैठकके लिए बुला सकेगा :

किन्तु साथ ही, इस खंडमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो मुद्रा-सम्बन्धी मसौदे पर लागू हो।

(२) इस धाराके खंड (१) में निर्दिष्ट छः मासकी अवधिको गिनते समय किसी ऐसी अवधिको सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिसमें दोनों भवन चिरकालके लिए या चार दिनोंसे अधिकके लिए स्थगित कर दिये गये हो।

(३) इस धाराके बन्धानोंके अनुसार बुलाये गये दोनों भवनोंके संयुक्त अधिवेशनमें यदि विधान-मसौदा ऐसे संशोधनोंके साथ, यदि कोई हों, जिनको संयुक्त बैठकमें भी मान लिया गया हो, दोनों भवनोंके उपस्थित तथा मतदेनेवाले सारे सदस्योंके बहुमतसे पास हो जाय, तो इस संविधान के लिए वह दोनों भवनोंसे पास समझा जायेगा :

किन्तु साथ ही, संयुक्त बैठकमें—

(क) यदि मसौदेको संशोधनोंके साथ पास न किया गया हो और व्यवस्थापिकासभाको लौटा दिया गया हो, तो उन संशोधनोंके अतिरिक्त विधान-मसौदे में अन्य कोई संशोधन, यदि कोई हों, पास नहीं किये जा सकेंगे, जो विधानमसौदेके पास होनेमे देरीके कारण आवश्यक है ;

(ख) यदि विधान-मसौदा इस प्रकार पास करके लौटाया जा चुका

है, तो मसौदेपर ऐसेही संशोधन प्रस्तावित किये जा सकेंगे, जिनके बारेमें ऊपर कहा गया है और जो उन विषयोंसे संगति रखते हैं, जिनके बारेमें भुवनोंमें एकमत नहीं रहा हो;

इस खण्डके अन्तर्गत संशोधनोंके ग्राह्य, अग्राह्य होनेके बारेमें अधिवेशनके प्रमुखका निर्णय अन्तिम होगा।

मुद्रासबन्धी विधान-मसौदेके बारेमे विशेप कार्य-प्रणाली

१७३. (१) मुद्रासम्बन्धी विधान-मसौदा व्यवस्थापिका-परिषद्में नहीं उपस्थित किया जा सकेगा।

(२) राज्यकी व्यवस्थापिका-सभाके द्वारा पास होनेके बाद मुद्रासबन्धी विधान-मसौदा व्यवस्थापिका-परिषद्के पास उसकी सिफारिश (संस्तुति) के लिए भेजा जायेगा और व्यवस्थापिका-परिषद् मसौदेके पानेकी तारीखके तीस दिनकी अवधिके भीतर, अपनी सिफारिशों के साथ उसे व्यवस्थापिका-सभाके पास लौटा देगी और तब व्यवस्थापिका सभा व्यवस्थापिका-परिषद्की सिफारिशों मेंसे सबको या किसीको स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

(३) यदि व्यवस्थापिका-परिषद्की सिफारिशों मेंसे किसीको व्यवस्थापिका सभा स्वीकार कर लेती है, तो मुद्रासबन्धी विधान-मसौदा व्यवस्थापिका-परिषद्की सिफारिशो तथा व्यवस्थापिका-सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनोंके साथ दोनों भवनोंसे पास माना जायेगा।

(४) यदि व्यवस्थापिका-परिषद्की सिफारिशों मेसे किसीको व्यवस्थापिका सभा स्वीकार नही करती तो मुद्रासबन्धी विधानमसौदा व्यवस्थापिका-परिषद्की सिफारिश किये किसी सशोधनके विना उसी रूपमे दोनों भवनोद्वारा पास माना जायेगा, जिस रूपमें कि उसे व्यवस्थापिका-सभाने पास किया है।

(५) यदि व्यवस्थापिका-सभा द्वारा पास किया गया तथा व्यवस्थापिका-परिषद्के पास उसकी सिफारिशो के लिए भेजा गया मुद्रासंबन्धी विधानमसौदा उक्त तीस दिनकी अवधिके भीतर जनभवनके पास लौटाया नहीं जाता, तो उक्त अवधिके समाप्त होनेपर वह उसी रूपमे दोनों भवनों द्वारा पास माना जायेगा, जिस रूपमेंकि व्यवस्थापिका-सभाने उसको पास किया हो।

मुद्रासबंधी विधान मसौदेकी परिभाषा

१७४. (१) इस अध्यायके प्रयोजनके लिए वह विधानमसौदा मुद्रासबन्धी विधानमसौदा माना जायेगा, जिसमे कि निम्न-लिखित विषयोंमेंसे सब अथवा किसी एकसे सबंध रखनेवाले बयान हो—

(क) किसी करका लगाना, उठा देना, उसमे छूट देना, परिवर्त्तन करना या उसका नियमन करना;

(ख) राज्यद्वारा रुपया ऋण लेने अथवा कोई गारटी देने अथवा

राज्यद्वारा लिए गए या लिए जानेवाले किसी आर्थिक आभारसे संबधित विधानके संशोधन करनेका नियमन करना,

(ग) मॉगकी पूर्त्ति करना;

(क) राज्यके राजस्वोंका विनियोग करना;

(ट) राज्यके राजस्वपर लगनेवाला व्यय घोपित करना, अथवा ऐसे किसी व्ययकी राशिको वढ़ाना;

(च) भारतके राजस्वके लेखामें रुपयोंकी प्राप्ति करना, या ऐसे रुपयोंकी निकासी या संरक्षण, राज्यके आय-व्यय लेखाका निरीक्षण करना, अथवा

(छ) कोई विपय जो इस खण्डके (क) से (च) तकके मदोंमें सवन्ध रखनेवाले विपयों से सबधित हो।

(२) कोई विधान-मसौदा केवल इसीलिए मुद्रासम्बन्धी विधानमसौदा नहीं मान लिया जायेगा, कि वह जुरमाना या अन्य आर्थिक दण्डोंके लगाने या अन्य अनुमतिपत्रोंके लिए शुल्क या भूतपूर्व सेवाओंके लिए दक्षिणा मॉगने या चुकानेका वन्धान करता है, अथवा इस कारणसेकि किसी स्थानीय सत्ता या संस्थाद्वारा स्थानीय प्रयोजनके लिए किसी करके लगाने, उठादेने, उसमें छूट देने, परिवर्तन करने या उसका नियमन करने का वन्धान करता है।

(३) राज्यकी व्यवस्थापिकामें उपस्थित किया गया कोई विधान-मसौदा मुद्रा सम्बन्धी विधान-मसौदा है या नहीं, इस प्रश्नपर व्यवस्थापिका-सभाके सभाध्यक्षका निर्णय अंतिम होगा।

(४) अन्तिम पिछली धाराके आधीन, मुद्रा सबंधी विधान-मसौदा जब व्यवस्थापिका-परिपद्के पास भेजा जाता है और जब वह आगे आनेवाली धाराके अनुसार अनुमतिके लिए राज्यपतिके समक्ष उपस्थित किया जाता है, तो प्रत्येक मुद्रा-संबन्धी विधान-मसौदेपर व्यवस्थापिका सभाके सभाध्यक्षके हस्ताक्षर-सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा, कि वह मुद्रा- सम्बन्धी-विधान-मसौदा है।

मसौदों पर अनुमति

१७५. जब राज्यकी व्यवस्थापिका-सभा द्वारा, या जहाँ राज्यकी व्यवस्थापिका परिपद् भी हो, वहां उसकी व्यवस्थापिकाके दोनों भवनों द्वारा विधान-मसौदा पास कर देने पर राज्यपतिके सामने उपस्थित किया जायेगा और वह घोषित करेगा कि मै विधान-मसौदेपर अनुमति देता हूँ, या अनुमति रोक लेता हूँ, अथवा राष्ट्रपतिके विचारार्थ रख रखता हूँ:

किन्तु साथ ही, जहाँ व्यवस्थापिकाका केवल एक भवन हो और मसौदेको उस भवनने पास कर दिया हो, तो राज्यपति अपने विवेकसे मसौदेको सन्देशके साथ लौटा सकेगा और उस सन्देशमें प्रार्थना कर सकेगा, कि भवन

इस मसौदेपर या किन्हीं उल्लिखित उपबन्धोंपर फिरसे विचार करे और विशेषकर उन संशोधनोंके प्रस्तावित करनेके औचित्यपर विचार करे जिनके बारेमें उसने अपने सन्देशमें सिफ़ारिश की है, और उसीको दृष्टिमें रखते हुए भवन उस विधान-मसौदेपर विचार करेगा, और जब मसौदा इस प्रकार लौटा दिया गया हो,तब भवन उसपर तदनुसार विचार करे और यदि भवन मसौदेको संशोधनके साथ या संशोधनके बिना पुनः पास करे और राज्यपतिके सामने अनुमतिके लिए उपस्थित करे, तो राज्यपति उसपर अपनी अनुमति देना नहीं रोकेगा।

विचारके लिए उपस्थित किये गये विधान मसौदे

१७६. (१) जब कोई विधान-मसौदा राष्ट्रपतिके विचारके लिए राज्यपति द्वारा रख लिया जाय, तो राष्ट्रपति उस मसौदेपर अपनी अनुमति देने या रोक लेनेकी घोषणा करेगा :

किन्तु जहाँ मसौदा मुद्रा-सम्बन्धी मसौदा नहीं हो, वहाँ राष्ट्रपति उस मसौदेको राज्यकी व्यवस्थापिका-सभाके उस भवन या स्थितिके अनुसार उन भवनोंको अन्तिम पिछली धारामें जुड़े हुए उपबन्धमें उल्लिखित सदेशके साथ लौटानेके लिए राज्यपतिको हिदायत दे सकता है; जब मसौदा इस प्रकार लौटा दिया जाय, तो भवन या दोनों भवन उसपर उस सन्देशके पानेके छ मासकी अवधिके भीतर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे और यदि वे उसे संशोधनके साथ या बिना संशोधनके पुनः पास कर दें, तो वह राष्ट्रपतिके सामने उसके विचारके लिए पुनः उपस्थित किया जायेगा।

अर्थविभागीय विषयोंमें कार्यप्रणाली

वार्षिक अर्थविभागीय विवरण

१७७ (१) प्रत्येक अर्थविभागीय वर्षके लिए राज्यपति राज्यकी व्यवस्थापिकाके भवन या दोनों भवनोंके समक्ष राज्य द्वारा उस वर्षके लिए पूर्व-अनुमानित आय-व्ययका विवरणपत्र रखवायेगा, जिसे इस संविधानके इस भागमें "वार्षिक अर्थविभागीय विवरण" के नामसे पुकारा गया है।

(२) वार्षिक अर्थविभागीय विवरणमें समाविष्ट व्ययके पूर्व-अनुमान में —

(क) जो व्यय इस संविधानमें राज्यके राजस्वपर लगाये गये व्ययके रूपमें वर्णित हैं, उनकी पूर्तिके लिए अपेक्षित राशियाँ, और

(ख) राज्यके राजस्वोंमेंसे किए जानेवाले दूसरे प्रस्तावित व्ययोंकी पूर्तिके लिए अपेक्षित राशियाँ,

अलग अलग दिखलायी जायेगी; और राजस्वके लेखापर होनेवाले व्ययका दूसरे व्ययोंसे भेद किया जायेगा।

(३) निम्न व्यय प्रत्येक राज्यके राजस्वपर लगाया गया व्यय समझा जायेगा—

(क) राज्यपतिका वेतन और भत्ता तथा उसके पदसे संबन्धित दूसरे व्यय;

(ख) व्यवस्थापिका-सभाके सभाध्यक्ष तथा उपसभाध्यक्षका और व्यवस्थापिका-परिषद्वाले राज्योंमें इसके साथ व्यवस्थापिका-परिषद्के अध्यक्ष और उपाध्यक्षका भी वेतन और भत्ता;

(ग) ऐसे ऋणके व्यय-भार जिसके देनेकी जिम्मेवारी उस राज्यके ऊपर है, जिनमें व्याज, निहित धननिधिके व्ययभार तथा ऋणमोचनके व्ययभार और उधार लेने एवं ऋण सँभालने और ऋण चुकानेसे सबंध रखने वाले व्यय सम्मिलित होंगे,

(घ) उच्चन्यायालयके न्यायाधीशों अथवा उनके संबंधमें दिये जाने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन;

(ङ) किसी न्यायालय अथवा पंचायतके निर्णय, डिग्री या पचनिर्णय की पूर्तिके लिए अपेक्षित राशियां, और

(च) इस संविधान अथवा राज्यकी व्यवस्थापिकाके विधानसे ठह-राये गये इस प्रकारका कोई दूसरे व्ययभार

व्यवस्थापिकामें व्यय-अनुमानसंबधी कार्य-प्रणाली

१७८. (१) राज्यके राजस्वों पर लगाये गये व्ययसे संबंध रखने वाले व्ययानुमान राज्यकी व्यवस्थापिका-सभामें मतदानके लिए नहीं रखे जायेंगे, किन्तु इस खण्डकी किसी बातका यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि व्यव-स्थापिकामें उनमें से किसी व्ययानुमानके बारेमें आलोचना करने पर रुकावट है।

(२) उक्त व्ययानुमानोंसे जितने दूसरे व्ययसे सम्बन्धित हैं, उन्हें व्यवस्थापिका-सभाके समक्ष अनुदान-माग के रूपमें रखा जायगा और व्यव-स्थापिका-सभाको अधिकार होगा कि उनमें किसी मागको स्वीकार करे, या न करे अथवा किसी माँगमें निर्दिष्ट राशिको कम करके स्वीकार करे।

(३) राज्यपतिकी सिफारिशके बिना किसी भी अनुदानकी माँग नहीं की जायेगी।

१७९. (१) उन सभी राशियोंका करनेवाली सूचीको राज्यपति अपने हस्ताक्षर द्वारा उल्लेख प्रमाणित करेगा।

(क) पिछली अन्तिम धाराके अनुसार सभा द्वारा किये गये अनु-दानोंके रूपमें; और

(ख) राज्यके राजस्वों पर लगाये व्ययकी पूर्ति के लिए अपेक्षित भिन्न भिन्न राशियोंके रूपमें, किन्तु जो भवन या भवनोंके समक्ष पहिले रखे गये वितरणकी दिखायी हुई दोनों राशिसे किसी अवस्थामें भी अधिक न हो।

(२) इस प्रकार प्रमाण-अङ्कित की हुई सूची व्यवस्थापिकाके समक्ष

रखी जायेगी, किन्तु वह व्यवस्थापिकामें आलोचना या मतदानके लिए खुली नहीं रहेगी।

(३) आनेवाली समीपकी धाराओंके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, भारतके राजस्वोंमेंसे कोई भी व्यय पूरे तौरसे अधिकारभुक्त नहीं माना जायेगा, जबतक कि उसका इस प्रकार प्रमाण-अंकित की हुई सूचीमें उल्लेख न हो।

व्ययके अनुपूरक विवरण

१८०. यदि किसी अर्थविभागीय वर्षमें राज्यके राजस्वोंमेंसे, उस वर्षके लिए उस समय तक अधिकार-भुक्त व्ययसे ऊपर और अधिक व्यय आवश्यक हो जाये, तो राज्यपति उस व्ययके व्ययानुमान की राशिके बतलाने वाले पूरक विवरणको भवन अथवा भवनोंके समक्ष रखवायेगा, और पहिले की धाराओंके बन्धान उस विवरण तथा उस व्ययके ऊपर वैसे ही लागू रहेंगे, जैसेकि वार्षिक अर्थविभागीय विवरण तथा उसमें निर्दिष्ट व्ययके ऊपर।

अतिरिक्त अनुदान

१८१. (१) यदि किसी अर्थविभागीय वर्षमें राज्यके राजस्वोंमेंसे किसी ऐसी राजसेवापर, जिसपर व्यवस्थापिका सभाका मत लेना आवश्यक है, उस वर्षके वास्ते अनुदानकी गयी राशिसे अधिक व्यय कर दिया गया है, तो व्यवस्थापिका-सभाके समक्ष उस अधिक व्ययके लिए माँग उपस्थितकी जायेगी और इस संविधानकी धारा १७८ और १७६ के बन्धान ऐसी माँग के ऊपर वैसे ही लागू होंगे, जैसेकि वे अनुदानकी माँग पर लागू होते।

अर्थविभागीयविधान-मसौदोंके लिए विशेष बन्धान

१८२. (१) संविधानकी १७४ धाराके खण्ड (१) के (क) से (च) तकके मदोंमें गिनाये गये विषयोंमेंसे किसीके लिए बन्धान करनेवाला कोई विधान-मसौदा अथवा संशोधन राज्यपतिकी सिफारिशके बिना उपस्थित या प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा, और ऐसे बन्धान करनेवाला विधान-मसौदा व्यवस्थापिका परिषदमें उपस्थित नहीं किया जा सकेगा :

किन्तु साथ ही, किसी करके घटाने या उठा देने के लिए बन्धान बनाने वाले किसी संशोधनका प्रस्ताव करनेके लिए इस खण्डके अनुसार किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी।

(२) केवल इसलिए कि वह जुरमाना या किसी दूसरे आर्थिक दण्डके लगाने या अनुमतिपत्र देनेके लिए शुल्क या पहिलेकी सेवाओंके लिए दक्षिणाकी माँग या पूर्तिका बन्धान करता है, अथवा इस कारणसे कि वह किसी स्थानीय राज्यसत्ता अथवा संस्था द्वारा स्थानीय प्रयोजनके लिए किसी करके लगाने, उठा देने, उसमें छूट देने, परिवर्त्तन करने या उसका नियमन करनेका बन्धान करता है, कोई विधान मसौदा अथवा संशोधन उक्त विषयोंमें से किसीके लिए बन्धान करनेवाला नहीं माना जायेगा।

(३) जिस विधान-मसौदेके व्यवस्थाका रूप पाने या क्रियान्वित होनेमें राज्यके राजस्वोंमें से व्यय करना पड़ेगा, वह विधान-मसौदा तब तक

व्यवस्थापिका-सभाके किसी भवन द्वारा पास नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस मसौदेपर विचार करनेके लिए उक्त भवनके पास राज्यपति ने सिफारिश नहीं की है।

सामान्य कार्यप्रणाली

कार्य-प्रणालीके नियम

१८३. (१) इस संविधानके बन्धनोंके भीतर रहते हुए राज्यकी व्यवस्थापिकाका प्रत्येक भवन अपनी कार्यप्रणाली तथा अपने कार्य-संचालनका नियमन करनेके लिए नियम बना सकेगा।

(२) जब तक कि इस धाराके खण्ड (१) के अनुसार नियम नहीं बनाये जाते, तब तक इस संविधानके आरंभ होनेके पूर्व क्षण तक राज्यकी व्यवस्थापिकाके सम्बन्धमे कार्यप्रणालीके जो नियम तथा स्थायी आदेश चालू रहे हों, वे ऐसे परिवर्त्तनों और फेर-फारके साथ उस राज्यकी व्यवस्था पिकाके ऊपर लागू होंगे, जिन्हें कि व्यवस्थापिका-सभाके सभाध्यक्ष, या व्यवस्थापिका-परिषद्के अध्यक्षने, जैसी कि स्थिति हो, बनाया है।

(३) व्यवस्थापिका-परिषद् वाले राज्यमें व्यवस्थापिका-सभाके सभाध्यक्ष तथा व्यवस्थापिका-परिषद्के अध्यक्षसे परामर्श करके राज्यपति दोनों भवनोंकी संयुक्त बैठक तथा उनमे परस्पर आदान-प्रदान तथा कार्यप्रणालीके सम्बन्धमें नियम बना सकेगा।

(४) दोनों भवनोंकी संयुक्त बैठकमें व्यवस्थापिका-सभाका सभाध्यक्ष, अथवा उसकी अनुपस्थितिमें इस धाराके खण्ड (३) में विहित कार्यप्रणाली के नियमोंके अनुसार निश्चित किया गया व्यक्ति सभापतिका आसन ग्रहण करेगा।

राज्योंकी व्यवस्थापिकाओंमें व्यवहार की जाने वाली भाषा

१८४. (१) राज्यकी व्यवस्थापिकामे कार्य-संचालन उस राज्यमें साधारणतया व्यवहृत भाषा या भाषाओ अथवा हिन्दी या अंग्रेजी भाषा द्वारा होगा।

(२) व्यवस्थापिका-सभाका सभाध्यक्ष अथवा व्यवस्थापिका परिषद्का अध्यक्ष, जब कभी उचित समझे, ऐसा प्रबन्ध करेगा कि दूसरी भाषामे सभा या परिषद्में, जैसी कि स्थिति हो, दिये गये किसी सदस्यके भाषणका संक्षेप राज्यमे व्यवहृत किसी भाषा या अंग्रेजीमें अनुवाद कराके भाषण दिये जानेवाले भवनकी कार्यवाहियोंकी पुस्तकमें समाविष्ट कराये।

व्यवस्थापिकामें वाद-विवादपर लगने वाले प्रतिबन्ध

१८५. (१) परमन्यायालय अथवा किसी उच्चन्यायालयके न्यायाधीशके कर्त्तव्य-पालनसम्बन्धी आचरणके विषयमें राज्यकी व्यवस्थापिकामे कोई वाद-विवाद नहीं हो सकेगा।

(२) इस धारामें उच्चन्यायालयके निर्देशमें प्रथमपरिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये राज्योके किसी भी ऐसे न्यायालयके निर्देश

को सम्मिलित माना जायेगा, जो इस संविधानके भाग ५ के अध्याय ४ में दिये हुए किसी प्रयोजनके लिए उच्चन्यायालय माना गया हो।

न्यायालय व्यवस्थापिकाकी कार्यवाहियों की जाँच नहीं करेंगे

१८६. (१) राज्यकी व्यवस्थापिकाकी कार्यवाहीके न्याय-औचित्य-पर किसी तथाकथित अनियमतताके आधारपर किसी न्यायालयमें कोई आपत्ति नहीं उठायी जा सकेगी।

(२) राज्यकी व्यवस्थापिकाका कोई पदाधिकारी या दूसरा कोई सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अनुसार, व्यवस्थापिकाकी कार्यप्रणाली अथवा कार्य सचालन के नियमन करने या व्यवस्था रखनेकी शक्तियाँ निहित हैं; उन शक्तियोंके प्रयोगके सबन्धमें किसी न्यायालयके अधिकार क्षेत्रके अन्तर्गत नहीं आयेगा।

अध्याय ४—राज्यपतिके व्यवस्था बनानेके सम्बन्धमें अधिकार

व्यवस्थापिकाके अवकाश-कालमें राज्यपतिको समयादेशोंके जारी करनेका अधिकार

१८७ (१) उस समयको छोड़कर, जबकि राज्यकी व्यवस्थापिका-सभाका अथवा जहाँ राज्यमें व्यवस्थापिका-परिषद् भी है, वहाँ दोनों भवनों-का अधिवेशन हो रहा हो, यदि किसी समय राज्यपति को ऐसा निश्चित हो जाय,कि ऐसी परिस्थितियाँ आकर खड़ी हो गयी हैं, जिनमें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है; तो वह ऐसे समय आदेश जारी कर सकेगा जो उन परिस्थितियोंमें आवश्यक जान पड़े,

किन्तु साथ ही, यदि उससे राज्यकी व्यवस्थापिकाकी उन्हीं बन्धानों वाली व्यवस्था इस संविधानके बन्धानोंके अनुसार अमान्य बन जाती है, तो राज्यपति राष्ट्रपतिके आदेशके बिना कोई ऐसी समयादेश तब तक जारी नहीं कर सकेगा, जब तक कि राष्ट्रपतिके विचारके लिए उसे रख छोड़कर उसपर राष्ट्रपतिकी स्वीकृति नहीं मिल जाती।

(२) इस अध्यायके अनुसार जारी किये गये समयादेशका वही बल और कार्यक्षमता होगी, जोकि राज्यपति द्वारा स्वीकृत राज्यकी व्यवस्थापिका की किसी व्यवस्थाका होता है, किन्तु ऐसे प्रत्येक समयादेशको

(क) राज्यकी व्यवस्थापिका सभाके, और जिस राज्यमें व्यवस्था-पिका-परिषद् भी हो वहाँ दोनों भवनोंके, समक्ष रखना होगा, और यदि व्यवस्थापिकाकी फिरसे हुई बैठकके छः सप्ताह बीतने पर अथवा यदि इस अवधिके बीतनेके पहिले ही अनुमोदन न करनेका प्रस्ताव व्यवस्थापिका सभा द्वारा पास हो गया है और व्यवस्थापिका-परिषद् द्वारा मान लिया गया है, तो प्रस्तावके पास होनेपर या परिषद्के मान लेनेपर, जैसी कि स्थिति हो, उक्त समयादेश जारी नहीं किया जा सकेगा;

(ख) वह राज्यपति द्वारा किसी समय भी लौटाया जा सकता है।

व्याख्या—यदि व्यवस्थापिका-परिषद्वाले राज्यकी व्यवस्थापिका-के दोनों भवन भिन्न भिन्न तारीखों पर पुनः इकट्ठा होनेके लिए बुलाये जाते हैं, तो इस खण्डके प्रयोजनके लिए, छः सप्ताहकी अवधिकी गिनती उनमेंसे सबसे अन्तिम तारीखसे की जायेगी।

(३) यदि इस धाराके आधीन निकाला हुआ समयादेश उस मात्रा तक कोई ऐसा बन्धान करता है, जोकि राज्यकी व्यवस्थापिकाद्वारा व्यवस्थाके साथमें बनाये जाने और राज्यपतिकी स्वीकृति मिलनेपर मान्य न होता, तो वह शून्य समझा जायेगा ;

किन्तु साथ ही, राज्यकी व्यवस्थापिकाकी किसी व्यवस्थाका पार्लमेंट-की व्यवस्था या किसी प्रचलित विधानसे "समाधिकार-सूची"में गिनाये गये किसी विषयके सम्बन्धमे विरोधभाव रखनेवाले इस सविधानके बन्धानोंके लिए इस धाराके अनुसार राष्ट्रपतिके आदेशसे जारी किया गया समयादेश उस राज्यकी व्यवस्थापिकाकी ऐसी व्यवस्था समझा जायेगा, जो राष्ट्रपतिके विचारके लिए ही रख छोड़ा गया है और जिसपर उसने स्वीकृति दे दी है।

अध्याय ५—गम्भीर संकटकालकी विशेष परिस्थितियों के लिए बन्धान :—

गम्भीर सकट-कालमें राज्यपतिके अधिकार

(१) यदि किसी समय किसी राज्यके राज्यपतिको यह पूरा पूरा विश्वास हो जाये, कि एक ऐसा गम्भीर सकटकाल उपस्थित हो गया है, जिससे राज्यकी सुख-शान्ति खतरेमें पड़ गयी है, और इस संविधानके बन्धानों-के अनुसार राज्यका शासन चलाना असम्भव हो गया है, तो वह उद्घोषणा द्वारा यह घोषित कर सकेगा, कि उद्घोषणामें निर्दिष्ट सीमाओं तक निजी विवेकसे मै अपने कृत्योंका प्रयोग करूँगा, औरवह इस प्रकारकी उद्घोषणामें ऐसे आनुषंगिक और परिणामभूत बन्धानोंको भी सन्निविष्ट कर सकेगा, जिन्हें उद्घोषणाके उद्देश्योंको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए वह आवश्यक या वांछनीय समझे; और इन बन्धानोंके ही अन्तर्गत ऐसे दूसरे बन्धान भी समझे जायेंगे, जोकि राज्यकी किसी संस्था या सत्तासे सम्बन्ध रखनेवाले इस संविधानके किसी भी बन्धानके क्रियान्वित होनेपर पूर्ण या आंशिक रूपसे रोक लगानेवाले हो;

किन्तु साथ ही, इस खंडमे कोई भी ऐसी बात नही, जो राज्यपतिको उच्चन्यायालयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले इस सविधानके किसी भी बन्धानके क्रियान्वित होनेपर पूर्ण या आंशिक रूपसे रोक लगानेका अधिकार देती हो।

(२) राज्यपति उद्घोषणाकी सूचना राष्ट्रपतिको तुरन्त देगा और राष्ट्रपति तब या तो उस उद्घोषणाको खण्डित कर देगा, या ऐसी कार्यवाही करेगा, जैसाकि वह इस संविधानकी धारा २७८ के आधीन आयी हुई संकट-

कालीन अधिकार शक्तियोंका प्रयोग करते समय उचित समझे।

(३) इस धाराके आधीन की गई उद्घोषणा, दो सप्ताह बीतनेपर अपने आप बेकाम हो जायगी, यदि उसके पहले ही राज्यपति या राष्ट्रपतिने सार्वजनिक सूचना द्वारा उसे खण्डित नहीं कर दिया है।

(४) इस धाराके आधीन उल्लेख किएगए कृत्योंका प्रयोग राज्यपति अपने विवेकसे कर सकेगा।

अध्याय ६—परिगणित और आदिवासी-क्षेत्र

परिभाषाएँ

१८९. इस संविधानमें—

(क) "परिगणितक्षेत्र" से तात्पर्य उन क्षेत्रोंसे है, जो पंचम परिशिष्ट के १८वें पैराके अन्तमें जोड़ी गई सारणीके, भाग १ से ७ तकमें गिनाए गए हैं; और जो उन राज्योंसे संबद्ध हैं, जिनसे वे भाग क्रमशः उनको जोड़ते हों;

(ख) "आदिवासी-क्षेत्रों"से तात्पर्य उन क्षेत्रोंसे है, जो छठें परिशिष्ट के १९वें पैराके अन्तमें दी गई सारणीके भाग १ और २ में गिनाए गए हैं।

परिगणित और आदिवासी क्षेत्रोंका शासन-प्रबंध

१९०. (१) पाँचवें परिशिष्टके विधान उस समयके लिए, प्रथम परिशिष्टके भाग १ में गिनाए गए किसी राज्यके अन्तर्गत परिगणित क्षेत्रों और परिगणित आदिवासियोंके शासन-प्रबंध और नियंत्रणपर लागू होंगे।

(२) छठे परिशिष्टके विधान आसाम-राज्यके अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रोंके शासन-प्रबन्धपर लागू होंगे।

अध्याय ७—राज्योंके उच्चन्यायालय

उच्चन्यायालयका अर्थ

१९१. (१) इस संविधानके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये राज्योंके भारतके राज्य-क्षेत्रमें निम्नलिखित न्यायालय उच्चन्यायालय माने जायेंगे, अर्थात्—

(क) कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, प्रयाग, पटना और नागपुरके उच्चन्यायालय, पूर्वी पंजाबका उच्चन्यायालय।

(ख) इन राज्योंमेंसे किसी राज्यका कोई दूसरा न्यायालय, जिसे इस अध्यायके अनुसार उच्चन्यायालयके रूपमें बनाया या फिरसे बनाया गया हो; और—

(ग) इन राज्योंमेंसे किसी राज्यका कोई दूसरा न्यायालय, जिसे अधिकारी व्यवस्थापिकाके विधानद्वारा इस संविधानके प्रयोजनार्थं उच्चन्यायालय घोषित करे :

किन्तु साथ ही, यदि अधिकारी व्यवस्थापिका इस खण्डमें वर्णित

किसी न्यायालय या न्यायालयोंका स्थान लेनेके लिए किसी उच्च न्यायालय-की स्थापनाका बन्धान करे, तो उस नये न्यायालयकी स्थापनाके समयसे इस धाराका ऐसा कार्यप्रभाव होगा, मानों उसमें इस प्रकार स्थापित न्यायालय या न्यायालयोंके स्थानमें इस नये न्यायालयका वर्णन मौजूद था।

(२) इससे भिन्न बन्धानोंवाली अवस्थाको छोड़कर, इस अध्यायके बन्धान इस धाराके खंड (१)में उल्लिखित प्रत्येक उच्चन्यायालयपर लागू होंगे।

१६२. प्रत्येक उच्चन्यायालय अपने राज्यमे सर्वश्रेष्ठ न्यायालय होगा और उसमें एक मुख्य-न्यायाधीश तथा ऐसे दूसरे न्यायाधीश रहेंगे, जिन्हें कि राष्ट्रपति समय-समयपर आवश्यक समझकर नियुक्त करेगा :

किन्तु साथ ही, इस प्रकार नियुक्त किये गये न्यायाधीशों और इस अध्यायके आगामी बन्धानोंके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किन्हीं ऊपरके न्यायाधीशोंको मिलाकर उनकी संख्या किसी भी समय उस अधिकतम सख्यासे ऊपर नहीं जायेगी, जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा उक्त न्यायालयके सम्बन्धमे निश्चित करेगा :

उच्चन्यायालयके न्यायाधीशकी नियुक्ति और उसके पदके प्रतिबन्ध

१६३ (१) भारतके परमन्यायाधीश, उस राज्यके राज्यपति और मुख्य-न्यायाधीशको छोड़ दूसरे न्यायाधीशकी नियुक्ति करते समय, राष्ट्रपति उक्त राज्यके उच्चन्यायालयके मुख्यन्यायाधीशसे परामर्श करेगा और फिर वह अपने हस्ताक्षर और मुहरसे अंकित आह्वानपत्र द्वारा उच्चन्यायालयके प्रत्येक न्यायाधीशको नियुक्त करेगा, जो उस समय तक अपने पदपर रहेगा, जब तक कि वह साठ वर्षकी आयु न प्राप्त कर ले, और पैसंठ वर्षसे अधिक न हो जाये और जिसे उस राज्यकी व्यवस्थापिकाने विधान द्वारा इसके लिए निश्चित किया हो :

किन्तु साथ ही—

(क) कोई न्यायाधीश राज्यपतिको अपने हस्ताक्षरसे पत्र लिखकर, अपने पदको त्याग सकेगा;

(ख) इस संविधानकी धारा १०३ के खंड (४) में परमन्यायालय-के न्यायाधीशके निकालनेके लिए निर्दिष्ट बन्धानकी रीतिसे राष्ट्रपति किसी न्यायाधीशको उसके पदसे हटा सकता है;

(ग) राष्ट्रपति यदि उसे परमन्यायालय या किसी दूसरे उच्चन्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करे, तो उस न्यायाधीशका पद रिक्त होजायेगा।

(२) किसी उच्चन्यायालयके न्यायाधीश पदके लिये कोई व्यक्ति तब तकयोग्य नहीं समझा जायेगा, जब तक कि वह भारतका नागरिक न हो; और—

(क) किसी राज्यमें, जिसमें या जिसके लिये कोई उच्चन्यायालय बना हुआ हो, वहाँ कमसे कम दस साल तक न्यायाधिकारी के पदपर न रह चुका हो; या

(ख) किसी उच्चन्यायालय अथवा दोसे अधिक न्यायालयोंमें लगातार कमसे कम दस वर्ष तक ऐडवोकेट (अधिवक्ता) न रह चुका हो।

व्याख्या १—इस खंडके प्रयोजनके लिए—

(क) किसी उच्चन्यायालयके ऐडवोकेट रहनेके समयकी गणनामें वह समय भी सम्मिलित समझा जाएगा, जिसमेंकि कोई व्यक्ति ऐडवोकेट होनेकेबाद न्यायाधिकारीके पदपर रहा हो;

(ख) उक्त समयकी गणनामें जबकि कोई व्यक्ति परिशिष्टके भाग १ या २ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यमें न्यायाधिकारी के पदपर रहा हो, या किसी उच्चन्यायालयका ऐडवोकेट (अधिवक्ता) रह चुका हो, इस सविधानके आरंभ होनेसे पहिलेके इस समयको भी सम्मिलित किया जायेगा, जिसमें वह किसी ऐसे क्षेत्रमें न्यायाधिकारी-पदपर रहा हो अथवा उच्च-न्यायालयका ऐडवोकेट (अधिवक्ता) रह चुका हो, जो १५ अगस्त १९४७ के पूर्व भारत-शासन-व्यवस्था १९३५ ई० की परिभाषाके अनुसार ब्रिटिश-भारतमें था।

व्याख्या २—इस खण्डके उपखण्ड (क) और (ख) मे, उच्चन्यायालय के निर्देशसे प्रथम सूचीके भाग ३ मे उस समय गिनाये गये राज्यके किसी ऐसे न्यायालयका निर्देश भी समझा जायेगा, जो इस संविधानकी धारा १०३ और १०६ के प्रयोजनोंके लिए उच्चन्यायालय है।

परमन्यायालय-सम्बन्धी कुछ बन्धानोंका उच्च न्यायालयोंपर प्रयोग

१९४. इस सविधानकी धारा १०३ के खण्ड (४) और (५) के बन्धान उच्चन्यायालयपर वैसेही लागू होंगे, जैसेकि वे परमन्यायालय पर लागू होते, और जहाँ जहाँ परमन्यायालयके निर्देश हैं, वहाँ वहाँ परमान्यायालयके स्थानमें उच्चन्यायालयके निर्देश समझे जायेंगे।

पद-ग्रहणसे पहिले उच्चन्यायालयोंके न्यायाधीशोंद्वारा घोषणा

१९५. किसी राज्यके उच्चन्यायालयके न्यायाधीश-पदपर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पद-ग्रहण करनेके पहिले, उस राज्यके राज्यपतिके समक्ष अथवा तदर्थ उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्तिके समक्ष तृतीय परिशिष्टमें इस प्रयोजनके लिए दी गयी वाक्यावलीके अनुसार घोषणा करेगा और उसपर हस्ताक्षर करेगा।

उच्चन्यायालयमें न्यायाधीशका पद ग्रहण कर चुके व्यक्तिके लिए न्यायालयों अथवा किसी राज्यसत्ताके समुख वकीली करनेका प्रतिषेध

१९६. (१) कोई व्यक्ति, जो—
(क) किसी उच्चन्यायालयके न्यायाधीश, अथवा
(ख) ऐडवोकेट-वर्गमेंसे भरती होकर किसी उच्चन्यायलयके अपर-न्यायाधीश, या अस्थायी न्यायाधीशका पदग्रहण कर चुका है,

भारतके अधिकार-क्षेत्रके किसी न्यायालयमें या राज्यसत्ताके समक्ष वकीलका कार्य नहीं कर सकेगा।

न्यायाधीशोंके वेतन आदि

१९७. प्रत्येक उच्चन्यायालयके न्यायाधीश ऐसे वेतनों और भत्तों तथा छुट्टी और पेंशन सम्बन्धी ऐसे अधिकारोंके अधिकारी होंगे, जोकि समय-समयपर उस राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा बनाये हुए विधानमें या विधानके अनुसार नियत किये गये हैं, और जिसके अन्तर्गत उस न्यायालयका मुख्य स्थानभी सम्मिलित होगा; और जबतक वह इस प्रकार नियत नहीं किये जाते, तबतक ऐसे वेतनों और भत्तों, अवकाश और पेंशनके संबंधमें वे ऐसे अधिकारोंके अधिकारी होंगे, जो कि द्वितीय परिशिष्टमें निर्दिष्ट हैं:

किन्तु, किसी उच्चन्यायालयके मुख्य-न्यायाधीशका वेतन चार हजार रुपया प्रतिमाससे कम न होगा और किसी उच्चन्यायालयके किसी दूसरे न्यायाधीशका वेतन साढ़े तीन हजार रुपया प्रतिमाससे कम न होगा:

और साथ ही, यहभी आवश्यक है, कि न तो न्यायाधीशके वेतन, भत्ते, छुट्टी या पेंशन सम्बन्धी अधिकारोंमें उसकी नियुक्तिके बाद कोई ऐसा परिवर्तन किया जायेगा, जिससे उसकी हानि हो।

अस्थायी न्यायाधीश

१९८. जब किसी उच्चन्यायालयके मुख्य-न्यायाधीशका पद रिक्त हो, या जब मुख्यन्यायाधीश अनुपस्थिति या किसी दूसरे कारणसे अपने पदके कर्तव्योंका पालन करनेमें असमर्थ हो, तो उस न्यायालयके अन्य न्यायाधीशोंमेंसे राष्ट्रपति द्वारा इस कामके लिए नियुक्त कोई एक व्यक्ति उक्त कर्तव्योंका पालन करेगा।

(२) (क) जब किसी न्यायालयके किसी दूसरे न्यायाधीशका पद रिक्त हो, या जब कोई न्यायाधीश अस्थायी रूपसे मुख्यन्यायाधीशका कार्य करनेके लिए नियुक्त किया जाय, या जब वह अनुपस्थिति या किसी दूसरे कारणसे अपने पदके कर्तव्योंका पालन न कर सके, तो राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त किये जानेके लिए यथोचित योग्यता रखनेवाले व्यक्तिको उस न्यायालयके न्यायाधीश पदपर काम करनेके लिए नियुक्त करेगा।

(ख) नियुक्त व्यक्ति इस प्रकार कार्य करते समय उस न्यायालयका न्यायाधीश माना जायेगा।

(ग) इस खण्डमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, जिससे राष्ट्रपतिको इस खण्डके अनुसार की हुई किसी नियुक्तिको रद्द करनेमें

कोई रुकावट हो।

अपरन्यायाधीश

१९९. यदि किसी उच्चन्यायालयके कार्यमें अस्थायी तौरसे वृद्धि होनेके कारण या किसी न्यायालयमें कार्यके बाकी रह जानेके कारण राष्ट्रपति देखे, कि उस न्यायालयके न्यायाधीशोंकी संख्यामें तत्कालके लिए वृद्धि करनी आवश्यक है, तो न्यायाधीशोंके बारेमें इस अध्यायके अधिकतम संख्यावाले बन्धानोंका अनुगमन करता हुआ राष्ट्रपति, न्यायाधीश नियुक्त होनेकी यथोचित योग्यता रखने वाले व्यक्तियोंको, जिसे अधिकसे अधिक दो वर्ष की अवधिके लिए, जोकि वही निर्धारित करेगा, उस न्यायालयका अपरन्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।

अवसरप्राप्त न्यायाधीशोंकी बैठकोंमें उपस्थिति

इस अध्यायमे और किसी वैसी बातके होते हुए भी, किसी उच्चन्यायालयका मुख्य-न्यायाधीश किसी समयभी इस धाराके बन्धानोंके आधीन रहते हुए ऐसे किसी व्यक्तिसे उस न्यायालयके न्यायाधीशके रूपमे बैठने तथा कार्य करने की लिखित प्रार्थना कर सकेगा, जोकि उस न्यायालयके न्यायाधीशका पद ग्रहण कर चुका हो; इस प्रकार प्रार्थित प्रत्येक व्यक्ति को बैठने और कार्य करते समय उस न्यायालयके न्यायाधीशके अधिकार-क्षेत्र, शक्तियाँ और विशेषाधिकार सभी प्राप्त होंगे, किन्तु दूसरी तौरसे वह उस न्यायालयका न्यायाधीश नहीं समझा जायेगा :

किन्तु साथ ही, जब तक पूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालयको न्यायाधीश के रूपमें बैठने तथा कार्य करनेकी सहमति न दे, तबतक इस धारामे कोई भी ऐसी बात नहीं है जो उसे ऐसा करनेके लिए विवश करती हो।

वर्त्तमान उच्चन्यायालयोंके अधिकार

२०१. इस सविधानके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, और इस संविधाने द्वारा समुचित व्यवस्थापिकाको दिये गये अधिकारोंके आधारपर, उसके द्वारा बनाये हुए विधानोंके आधीन रहते हुए, किसी वर्त्तमान उच्चन्यायालयका अधिकार-क्षेत्र, तथा उसमें प्रचलित विधान और उस न्यायालयमें न्याय-प्रबन्धके सम्बन्धमे, उसके न्यायाधीशोंके क्रमशः अधिकार, जिनमें न्यायालयके नियम बनानेके अधिकार, उक्त न्यायालयकी बैठकों और उसके सदस्योंके अकेले या दूसरोंके साथ बैठनेके नियमन करनेका अधिकार भी सम्मिलित है—वैसी ही रहेंगे जैसे इस संविधानके आरंभ होनेके पूर्व क्षण तक थे ;

किन्तु साथही, राजस्व सम्बन्धी अथवा उसके उगाहनेके बारेमें आदिष्ट अथवा किए गये किसी कार्यके विषयमें किसी भी उच्चन्यायालयमें आरंभिक अधिकार-क्षेत्रका प्रयोग जिस किसी प्रतिबन्धके अनुसार, इस सविधानके प्रारंभ होनेके पूर्वक्षणतक था, वह प्रतिबन्ध ऐसे अधिकार-क्षेत्रके प्रयोगपर अब लागू न होगा।

विशेष समादेशोंको निकालनेका उच्च-न्यायालयोंको अधिकार

२०२. (१) इस संविधानकी धारा २५ में किसी वैसी बातके रहते हुए भी, प्रत्येक उच्चन्यायालयको अपने अधिकार क्षेत्रके प्रयोगवाले सारे क्षेत्रोंमें इस संविधानके भाग ३ में दिये अधिकारोंमेंसे किसीको भी जारी करने तथा दूसरे प्रयोजनके लिये वैयक्तिक स्वतंत्रता (हैबियस कार्पस), नियोग, प्रतिषेध, अधिकार-प्रश्न और उन्नयन समादेशोंके रूपमें हिदायत या आदेश निकालनेका अधिकार होगा।

(२) इस धाराके खंड (१) द्वारा उच्चन्यायालयको दिये गये अधिकारसे, इस संविधानकी धारा (२५) के खंड (४) द्वारा परमन्यायालयको दिये गये अधिकारमें कमी न होगी।

उच्चन्यायालयोंके शासन-प्रबन्ध संबधी कृत्य

२०३ (१) प्रत्येक उच्चन्यायालय अपने अधिकार-क्षेत्रके प्रयोगवाले उन सारे राज्यक्षेत्रोंमें सब न्यायालयोंकी देखभाल करेगा।

(२) उच्चन्यायालय—

(क) ऐसे न्यायालयोंसे कागद-पत्र मंगा सकेगा,

(ख) किसी वाद या अपीलको किसी ऐसे न्यायालयसे बराबर या बड़े अधिकार क्षेत्रवाले किसी दूसरे न्यायालयमें हस्तातरित करनेकी हिदायत दे सकेगा, अथवा ऐसे वाद या अपीलको किसी वैसे न्यायालयसे स्वयं अपने पास ले सकेगा;

(ग) ऐसे न्यायालयोंके काम करनेकी रीति और कार्यवाहियोंके नियमनके लिये सामान्य नियम बना और निकाल सकेगा, तथा निश्चित वाक्यावलीका निर्देश कर सकेगा; और

(घ) इन न्यायालयोंके पदाधिकारियोंके पास रहनेवाली पुस्तकों, प्रवेश-लेखनो, और लेखाके लिए निश्चित वाक्यावलीका निर्देशकर सकेगा।

(३) उच्चन्यायालय उन शुल्कोंकी तालिकाये भी निश्चित कर सकेगा, जो इन न्यायालयोंके शेरीफ तथा सारे लिपिको और पदाधिकारियों तथा इनमें विधान-व्यवसाय करनेवाले मुख्तारों, ऐडवोकेटो और वकीलोको मिल सकेंगे;

किन्तु, इस धाराके खड (२) या खंड (३) के आधीन बनाये हुए कोई नियम या निर्दिष्टकी गयी कोई वाक्यावली अथवा निर्धारितकी गयी कोई शुल्क-तालिका उस समय प्रचलित किसी विधानसे विरोध-भाव नही रखनेवाली होगी, और इन सबके लिए राज्यपतिकी पूर्वस्वीकृतिकी आवश्यकता होगी।

विशेष मामलोंका विचारार्थ उच्चन्यायालयमें हस्तान्तरित होना

२०४ यदि उच्चन्यायालयको इस बातका विश्वास हो गया हो, कि उसके अधीनस्थ न्यायालयमें विचाराधीन किसी मामलेमें इस संविधानकी व्याख्यासे संबंध रखनेवाला कोई महत्त्वपूर्ण वैधानिक प्रश्न उलझा हुआ है,

तो वह उस मामलेको अपने हाथमें ले लेगा और उसके ऊपर निर्णय करेगा।

व्याख्या—इस धारामें "उच्च न्यायालय" मे इस प्रकार विचाराधीन किसी मामलेके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग ३मे उस समय गिनाये राज्यके अन्तर्गत अन्तिम अधिकारक्षेत्र रखनेवाला न्यायालय भी सम्मिलित है।

उच्च न्यायालयके पदाधिकारियों और सेवकोंके वेतन, भत्ते तथा पेंशन एवं उच्च न्यायालयोंके व्यय

२०५. (१) किसी उच्चन्यायालयके पदाधिकारी तथा सेवकोंको अथवा उनके लिए दिये जानेवाले वेतनों, भत्तों तथा पेंशन को उच्चन्यायालय के मुख्य स्थानवाले राज्यके राज्यपतिसे परामर्श करके, उक्त न्यायालयका मुख्यन्यायाधीश नियत करेगा।

(२) उच्चन्यायालयके शासन-प्रबन्ध व्यय, जिनमें उच्चन्यायालयके पदाधिकारियों तथा सेवकोंको या उनके लिए दिये जानेवाले समस्त वेतन, भत्ते और पेंशन, तथा उस न्यायालयके न्यायाधीशोंके वेतन तथा भत्ते भी सम्मिलित हैं, उक्त राज्यके राजस्वपर लगाये जायेंगे और उस न्यायालय द्वारा लिये गये शुल्क अथवा दूसरे द्रव्य उसी राजस्वके अंश समझे जायेंगे।

उच्चन्यायालय के संगठन करनेका अधिकार

२०६. (१) प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिका विधान द्वारा अपने या अपने किसी भागके लिए उच्चन्यायालय संगठित कर सकती है, या वर्त्तमान किसी उच्चन्यायालय को उसी रीतिसे अपने या किसी भागके लिये पुनःसंगठित कर सकती है; अथवा यदि उस राज्यमें दो उच्च न्यायालय हैं, तो उनको मिला कर एक कर सकती है।

(२) जहाँ पूर्वोक्त नियमके अनुसार किसी न्यायालयका पुनःसंगठन अथवा दो न्यायालयोंको एकमें किया गया हो, वहाँ उक्तराज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा बनाये विधानमें इस बातका बन्धान रहेगा कि—

(क) उस न्यायालय अथवा उन न्यायालयोंके सारे वर्त्तमान न्यायाधीशोंको तथा आवश्यक समझे जानेवाले वर्त्तमान अधिकारियों और सेवकोंको अपने अपने पदों पर बने रहने दें; और

(ख) समस्त विचाराधीन विषयोंको पुनःसंगठित न्यायालय अथवा नवीन न्यायालयके समक्ष ले जाएँ,

और उसमें ऐसे दूसरे भी बन्ध न रह सकेंगे, जो फिरसे संगठन और मिलाकर एक करनेके कारण आवश्यक मालूम हों।

उच्च न्यायालयोंके अधिकार-क्षेत्रका बढाव-घटाव

२०७ पार्लामेंट विधान द्वारा—

(क) किसी उच्चन्यायालयके अधिकारक्षेत्रका विस्तार उसके मुख्यस्थानवाले राज्यसे भिन्न राज्यमें अथवा भिन्न राज्यके किसी क्षेत्रमें कर सकेगी, अथवा

(ख) किसी उच्चन्यायालयके मुख्यस्थानवाले राज्यसे भिन्न

राज्यको अथवा भिन्न राज्यके किसी क्षेत्रको उसके अधिकार-क्षेत्रसे बाहर कर सकेगी;

किन्तु साथ ही, ऐसे किसी प्रयोजनके लिए पार्लमेंटके किसी भवनमें कोई विधान-मसौदा तब तक रखा नहीं जा सकेगा, जब तक कि—

(i) जहाँ प्रथम परिशिष्ट के भाग १ या भाग ३ मे विभाग, (क) में उस समय गिनाये गये राज्यके भीतर किसी क्षेत्रमें अधिकार-क्षेत्र का विस्तार होना हो, या ऐसे राज्य अथवा क्षेत्रको अधिकारक्षेत्रसे बाहर करना हो, तो ऐसे दूसरे राज्यकी सहमति प्राप्त न कर ली गयी हो;

(ii) जहाँ अधिकार-क्षेत्रका विस्तार होना हो, वहाँ उस राज्य की भी सहमति न ले ली गयी हो, जिसमें कि उच्च-न्यायालयका मुख्यस्थान है।

राज्यके बाहर अधिकार-क्षेत्र रखने वाले किसी राज्यके उच्च न्यायालयके अधिकार-क्षेत्रके संबंध मे राज्योंकी व्यवस्थापिकाओंकी विधान बनानेकी शक्तिपर प्रतिबन्ध

२०८ जहाँ उच्चन्यायालय अपने मुख्यस्थानवाले राज्यसे बाहर भी किसी क्षेत्रके सम्बन्धमें अधिकारक्षेत्रका प्रयोग करता हो, वहाँ इस संविधानकी किसी बातसे यह अर्थ नहीं निकलेगा, कि वह—

(क) उस न्यायालयके मुख्यस्थानवाले राज्यकी व्यवस्थापिकाको उस अधिकार-क्षेत्रके बढ़ाने, उसपर प्रतिबन्ध लगाने या उसे उठा देनेका अधिकार प्रदान करती है;

(ख) प्रथम परिशिष्टके भाग१ या भाग ३ में उस समय गिनाये गये राज्यकी व्यवस्थापिकाको, जिसमे ऐसा कोई क्षेत्र स्थित है, उस अधिकारक्षेत्रके उठा देनेका अधिकार प्रदान करती है, अथवा

(ग) ऐसे किसी क्षेत्रके लिए तदर्थ विधान बनानेका अधिकार रखने वाली व्यवस्थापिकाको उक्त न्यायालयके उक्त क्षेत्रके अधिकार-क्षेत्र वाले ऐसे विधानोंको पास करनेसे रोकती है, जैसी कि वह इस धाराके खण्ड (ख) के आधीन रहते हुए, पास करनेके लिए समर्थ होती, यदि उस न्यायालयका मुख्यस्थान उस क्षेत्रमें होता।

विशेष व्याख्या

२०९. यदि कोई उच्चन्यायालय एकसे अधिक राज्योंके बारेमें या किसी राज्य और ऐसे क्षेत्रके बारेमें, जो उस राज्यका भाग नहीं है, अधिकारक्षेत्रका प्रयोग करता है, तो—

(क) इस अध्यायमे उच्चन्यायालयके न्यायाधीशोंसे सम्बन्ध रखते हुए राज्यपतिके निर्देशसे, न्यायालयके मुख्यस्थान वाले राज्यके राज्यपतिके निर्देशका होना, यह समझना चाहिए;

(ख) अधीनस्थ न्यायालयोंके लिए बने नियमों, वाक्यावलियों तथा सारणियोंके ऊपर राज्यपतिकी स्वीकृतिके लिए निर्देशोंसे ऐसे निर्देशोंका बोध होना समझना चाहिए, जो कि अधीनस्थ न्यायालयवाले राज्यके राज्यपति या नरेश की स्वीकृतिके लिए किये गये हों, अथवा यदि उस समयके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग १ या ३ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यके भीतरके क्षेत्रमें स्थित न हो, तो राष्ट्रपति की स्वीकृतिके लिए किये गये निर्देशका बोध होना समझना चाहिए; और

(ग) राज्यके राजस्वोंके लिए किये गये निर्देशोंसे न्यायालयके मुख्यस्थानवाले राज्यके राजस्वोंके लिए किये गये निर्देशों का बोध होना समझना चाहिए।

अध्याय ६—राज्योंके मुख्य आयव्यय-निरीक्षक

राज्यके मुख्य आय-व्यय-निरीक्षक

२१०. (१) प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिका विधानद्वारा उस राज्यके लिए मुख्य-आयव्यय निरीक्षककी नियुक्तिके लिए बन्धान कर सकेगी, और जब ऐसा बन्धान किया जा चुके, तो राज्यपति अपने विवेकसे उस राज्यके लिए मुख्य-आय-व्यय-निरीक्षक नियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया मुख्य आयव्यय-निरीक्षक अपने पदसे केवल उसी रीति द्वारा और उन्हीं आधारोंपर निकाला जा सकेगा, जिस रीति द्वारा और जिन आधारों पर कि उस राज्यके उच्चन्यायालयका कोई न्यायाधीश अपने पदसे निकाला जा सकता है।

(२) किसी राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा इस धाराके खंड (१) के अनुसार पास की गयी व्यवस्था यह बन्धान करेगी, कि उस राज्यके लिए मुख्य-आय व्यय-निरीक्षककी नियुक्ति तबतक न की जायेगी, जबतक कि व्यवस्थाकी स्वीकृतिके बाद, प्रकाशनके तारीखसे कमसे कम तीन वर्ष न बीत जाये।

(३) प्रत्येक ऐसी व्यवस्था मुख्य-आयव्यय-निरीक्षककी सेवाकी शर्तों के और राज्यके लेखा-सम्बन्धीमे मुख्य-आयव्यय-निरीक्षक द्वारा किये जाने वाले कर्त्तव्यों और प्रयोगमे लायी जानेवाली शक्तियोंके बारेमें निर्देश करेगी और मुख्य-आय व्यय-निरीक्षकको अथवा उसके सबधमे दिये जानेवाले वेतन, भत्ता या पेंशनका व्ययभार राज्यके राजस्वों पर घोषित करेगी।

(४) किसी राज्यका मुख्य-आयव्यय निरीक्षक अपने पदकी समाप्ति के बाद, भारतके महा-आयव्यय-निरीक्षक अथवा प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी दूसरे राज्यका मुख्य-आयव्ययनिरीक्षक होनेका

पात्र हो सकेगा, किन्तु वह भारत-सरकार या किसी राज्यकी सरकारके आधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त होनेका पात्र न होगा।

(५) राज्यके मुख्य-आयव्ययनिरीक्षकके कर्मचारियों या उनके बारेमें दिये जानेवाले वेतनों, भत्तों तथा पेंशनों को मुख्य-आयव्यय-निरीक्षक राज्यपतिसे परामर्श करके नियत करेगा और उनका भार राज्यके राजस्वपर पड़ेगा।

(६) इस धारामें कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये राज्योंके लेखेके विषयमें भारतके महा-आयव्यय-निरीक्षककी ऐसी हिदायत देनेकी शक्तिको कम करनेवाली हो, जैसी कि इस संविधानकी धारा १२६में निर्दिष्टकी गयी हो।

आय-व्यय-निरीक्षकके विवरण

२११. प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये राज्यके आय-व्ययलेखाओंके सम्बन्धमें भारतके महा-आयव्ययनिरीक्षक अथवा उस राज्यके मुख्य-आयव्ययनिरीक्षक जैसी भी स्थिति हो, विवरणोंको उस राज्यके राज्यपतिके समक्ष उपस्थित करेगा, जो उन्हें राज्यकी व्यवस्थापिकाके समक्ष रखवायेगा।

भाग ७

प्रथम परिशिष्टके भाग २ में दिये गये राज्य

प्रथम परिशिष्टके भाग २ में दिये गये राज्योंका शासन-प्रबन्ध

२१२. (१) इस भागके दूसरे उपबन्धोंके आधीन रहते हुए, प्रथम परिशिष्टके भाग २ में उस समयके लिए गिनाये गये राज्योंका शासन-प्रबन्ध, राष्ट्रपति, जितनी मात्रा तक ठीक समझे, अपने नियुक्त किये हुए मुख्य-कमिश्नर (उपरिक) या उप-राज्यपतिके द्वारा, अथवा निकटस्थ राज्यके राज्यपति या राजप्रमुखके द्वारा करायेगा :

किन्तु साथ ही, राष्ट्रपति, किसी निकटस्थ राज्यके राज्यपति या राजनरेशके द्वारा तबतक कार्य नहीं करायेगा, जबतक कि वह—

(क) उससे सबंध रखनेवाले राज्यपति या राजप्रमुखसे परामर्श न करले; और

(ख) राज्यके शासनमें रहनेवाली जनताकी इच्छाओंको उतनी अच्छी तरह जान न ले, जितनीकि वह उचित समझता है।

(२) प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये किसी ऐसे राज्यका शासनप्रबन्ध सब बातोंमें प्रथम परिशिष्टके भाग २ मे गिनाये राज्यों ही जैसा होगा, जिसके कि नरेशने उस राज्यके शासनके लिए शासन सम्बन्धी सारी पूर्ण और एकांतिक सत्ता, अधिकार-क्षेत्र और शासन-शक्तियाँ को भारत-सरकारको सौंप चुका है; और तदनुसार, इस संविधानके पहिले

आये भाग ६ में निर्दिष्ट राज्योंके सारे बन्धान उस पर लागू होंगे।

स्थानीय व्यवस्थापिका या परामर्शदाता परिषद्का बनाना और चालू रखना

२१३. प्रथम परिशिष्टके भाग २ में उस समय गिनाये गये, और मुख्य-कमिश्नर (उपरिक) अथवा उप राज्यपतिके द्वारा शासित किसी राज्यके लिए आदेश द्वारा—

(क) स्थानीय व्यवस्थापिका, या

(ख) परामर्शदाता-परिषद्,

अथवा दोनोंको राष्ट्रपति बना सकेगा तथा चालू रख सकेगा और उक्त आदेशमें प्रत्येकके लिए ऐसे संगठन, शक्तियों और कृत्यों का निर्देश कर देगा।

कुर्ग

२१४. जबतक राष्ट्रपति इसके लिए दूसरा बन्धान न बनादे, तबतक कुर्ग-व्यवस्थापिका-परिषद् के संगठन, शक्तियाँ और कृत्य, तथा कुर्गमें संगृहीत राजस्व और व्ययसे सम्बन्धमें वही व्यवस्था रहेगी, जो पहिलेसे चली आयी है।

भाग ८

प्रथम परिशिष्टके भाग ४ में उल्लिखित राज्य-क्षेत्र तथा उस परिशिष्ट में अनुल्लिखित राज्य-क्षेत्र

प्रथम परिशिष्टके भाग ४मे उल्लिखित राज्य-क्षेत्रों और उस परिशिष्टमे अनुल्लिखित राज्य-क्षेत्रोंका शासन-प्रबन्ध

२१५. (१) प्रथम परिशिष्टके भाग ४ में उल्लिखित किसी राज्य-क्षेत्र या उक्त परिशिष्टमें अनुल्लिखित, किन्तु भारतके राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत किसी और राज्य-क्षेत्रका शासन-प्रबन्ध राष्ट्रपति जितनी मात्रामें उचित समझे, उतनी मात्रामे अपने नियुक्त किये हुए मुख्य कमिश्नर (उपरिक) या दूसरे राज्याधिकारीके द्वारा कराये।

(२) राष्ट्रपति ऐसे किसी राज्य क्षेत्रकी शान्ति और सुशासनके लिए नियम बना सकेगा, और इस प्रकार बनाया गया कोई नियम पार्लामेंट-निर्मित किसी विधान अथवा ऐसे राज्य-क्षेत्रमें उस समय लागू किसी प्रचलित विधान का खण्डन अथवा संशोधन कर सकेगा, और राष्ट्रपति द्वारा जारी किये जाने पर उसका वही बल और प्रभाव होगा, जो कि पार्लामेंटकी व्यवस्थाका उस राज्य-क्षेत्र पर होता।

भाग ६

संघ और राज्योंके संबंध

अध्याय १——व्यवस्था-विषयक सबध

व्यवस्थापक शक्तियोंका विभाजन

पार्लामेन्ट तथा राज्योंकी व्यवस्था-पिकाओं द्वारा बनाये विधानोंका विस्तार

२१६. (१) इस संविधानके वन्धानोंके आधीन रहते हुए, पार्लामेंट भारतके सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भागके लिए विधान बना सकेगी और किसी राज्यकी व्यवस्थापिका उसके संपूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भागके लिए विधान बना सकेगी।

(२) पार्लामेंट द्वारा बनाया गया कोई विधान इसलिये अमान्य नहीं समझा जायगा, कि वह अपने राज्यक्षेत्रसे बाहर भी लागू है।

पार्लामेन्ट और राज्योंकी व्यवस्था-पिकाओं द्वारा बनाए विधानके विषय

२१७. (१) आगेके दो खंडोंमें किसी वैसी बातके रहते हुए भी, सप्तम परिशिष्टकी सूची १ (जो इस संविधानमें "संघसूची" के नामसे उल्लिखित है) में निर्दिष्ट विषयोंमेंसे किसीके संबंधमें पार्लामेंटको विधान बनानेका एकान्ततया अधिकार है।

(२) निकट ही आगे आने वाले खंडमे किसी वैसी बातके रहते हुए भी पार्लामेंटको पूर्ववर्ती खंडके आधीन रहते हुए, प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गए किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाको भी सप्तम परिशिष्टकी सूची ३ में (जो इस संविधानमें "समाधिकार" सूची के नामसे उल्लिखित है) में निर्दिष्ट विषयोंमेंसे किसीके संबंधमें विधान बनानेकी शक्ति है।

(३) पहलेके दोनों खंडोंके आधीन रहते हुए प्रथम परिशिष्टके भाग १मेंके उस समय गिनाए गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाको सप्तम परिशिष्ट की सूची २ (जो इस संविधानमें "राज्यसूची" के नामसे उल्लिखित है) में निर्दिष्ट विषयोंमेंसे किसीके संबंधमे, उस राज्य अथवा उसके किसी भागके लिएविधान बनानेकी एकान्तिक शक्ति है।

(४) पार्लामेंटको भारतके राज्य-क्षेत्रके किसी भागके लिए जो प्रथम परिशिष्टके भाग १ अथवा भाग ३ में सम्मिलित नहीं है, किसी भी विषयके संबधमे विधान बनानेकी शक्ति है, चाहे वह विषय "राज्यसूची" में अंकित भी हो।

परम न्यायालय-संबंधी व्यवस्था

२१८ पार्लामेंटको परमन्यायालयके संस्थापन, संगठन, अधिकार-क्षेत्र तथा शक्तियोंके संबधमे व्यवस्था बनानेका एकान्तिक अधिकार है।

अपर न्यायालयोंकी स्थापनाके बन्धान करनेका पार्लामेन्टको अधिकार

२१९. इस अध्यायमे किसी बातके होते हुए भी, पार्लामेंट-निर्मित विधानों, "संघसूची" में निर्दिष्ट किसी विषयके बारेमें प्रचलित विधानके और अच्छे शासन-प्रबन्धके लिए पार्लामेंट विधान द्वारा अपर न्यायालयोंकी

स्थापनाका वंधान करेगी।

उच्च न्यायालयोंके संस्थापन और संगठन संबंधी व्यवस्था

२२०. (१) प्रथम परिशिष्टके भाग १में उस समय गिनाए गए किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाको राज्यके अन्दर अपना मुख्यस्थान रखने वाले उच्चन्यायालयके संस्थापन और संगठनके बारेमें विधान बनानेकी एकान्तिक शक्ति है।

(२) पार्लामेंटको प्रथम परिशिष्टके भाग २ में उस समय गिनाये गए राज्यमें अपना मुख्यस्थान रखनेवाले उच्चन्यायलयके संस्थापन और संगठनके बारेमे एकान्तिक शक्ति है।

उच्च न्यायालयोंके अधिकार-क्षेत्र और शक्तियों के बारेमे व्यवस्था

२२१. (१) 'संघसूची' में निर्दिष्ट किसी विषयके बारेमें किसी उच्च न्यायालयके अधिकार-क्षेत्र तथा शक्तियोंके संबन्धमें विधान बनानेकी पार्लामेन्टको एकान्तिक शक्ति है।

(२) प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये राज्यकी व्यवस्थापिका "राज्य-सूची" में अंकित विषयोंके बारे मे, ऐसे न्यायालयके राज्य या राज्य-क्षेत्रके ऊपर लागू होनेवाले अधिकार-क्षेत्रों और शक्तियोके बारेमे विधान बनानेका एकान्तिक अधिकार रखती है, जो न्यायालय उस राज्य या उस राज्यके अन्तर्गत किसी क्षेत्रके ऊपर अपने अधिकार-क्षेत्रका प्रयोग करता हो।

(३) पार्लामेन्ट और प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये राज्यकी व्यवस्थापिका दोनोको, "समाधिकार सूची" में अंकित विषयोंके बारेमें, ऐसे न्यायालयके राज्य या राज्यक्षेत्रके ऊपर लागू होनेवाले अधिकार-क्षेत्रो के बारेमे विधान बनानेका अधिकार होगा, जो न्यायालय उस राज्य या उस राज्यके अन्तर्गत किसी क्षेत्रके ऊपर अपने अधिकार-क्षेत्रका प्रयोग करता हो।

(४) प्रथम परिशिष्टके भाग २ में गिनाये गये राज्य अथवा उस राज्यके अन्तर्गत किसी क्षेत्रके सम्बन्धमें तथा 'राज्य-सूची" में अंकित विषयसे सम्बन्धित उच्चन्यायालयके अधिकार-क्षेत्र और शक्तिके बारेमें विधान बनानेका अधिकार पार्लामेंटको है।

दीवानी और फौजदारी मामलोंमे अनुसरणीय कार्य-प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था

२२२. पार्लामेन्ट तथा प्रथम परिशिष्टके भाग १ मे उस समय गिनाये गये किसी ऐसे राज्यकी व्यवस्थापिकाको भी, जिस राज्यमे कि उच्च-न्यायालयका मुख्यस्थान अवस्थित है, उस उच्चन्यायालयके द्वारा दीवानी और फौजदारी मामलोंमें अनुसरणीय कार्यप्रणालीके सम्बन्धमें विधान बनानेका अधिकार है।

व्यवस्थापनके शेष-अधिकार

२२३. (१) पार्लामेंटको ऐसे किसी विषयमे विधान बनानेका एकान्तिक अधिकार है, जो 'समाधिकार-सूची" अथवा "राज्य-सूची" में निर्दिष्ट नहीं है।

(२) इस अधिकारमें ऐसे कर लगाने का अधिकार भी सम्मिलित है, जो उन सूचियोंमेंसे किसीमें भी निर्दिष्ट नहीं है।

प्रथम परिशिष्टके भाग ३ मे कुछ विषयों पर विधान बनानेमे पार्लमेन्टके अधिकारोंपर प्रतिबन्ध

२२४ इस संविधान की धारा २१७ के खण्ड (१) मे किसी वैसी बातके होते हुए भी—

(क) पार्लमेंटको प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये किसी राज्य अथवा राज्य-समूहके डाक या तार-सम्बन्धी किसी ऐसे अधिकारके सम्बन्धमें, जो संविधानके आरंभ होनेवाली तारीख तक विद्यमान थे, विधान बनानेका तबतक अधिकार न होगा, जबतक कि वह अधिकार भारत-सरकार अथवा उस राज्य अथवा राज्य-समूहके बीच हुए समझौतेसे समाप्त न हो जाय, अथवा भारत-सरकार उसे अपने हाथमें न करले :

किन्तु साथ ही, इस खण्डमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो उस राज्य अथवा राज्य-समूहमें डाक और तारका नियमन और नियन्त्रण करनेके लिए कोई विधान बनानेमे पार्लमेन्टको रुकावट दे।

(ख) प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यमें टेलीफोन, बेतार, रेडियो-प्रसार और इस प्रकारके अन्य संवाद-संचारके दूसरे साधनोंके सम्बन्धमें विधान बनानेके लिए पार्लमेंटका अधिकार उनके नियमन और नियंत्रण तक ही सीमित रहेगा;

(ग) निगम-संस्थानों (व्यापार-मण्डलों) के सम्बन्धमें विधान बनानेका अधिकार पार्लमेंटको प्रथम परिशिष्टके भाग ३ मे उस समय गिनाये गये किसी राज्यके स्वामित्व अथवा नियन्त्रण में रहनेवाले और केवल उस राज्यके भीतर व्यापार करनेवाले निगम-संस्थानोंके समूहीकरण, नियमन तथा समापनके सम्बन्धमे विधान बनानेका अधिकार सम्मिलित न होगा।

प्रथम परिशिष्टके भाग ३ वाले राज्योंके लिए विधान बनानेकी अधिकार-सीमा

२२५. इस अध्यायमे किसी वैसी बातके होते हुए भी, प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये किसी राज्य अथवा राज्य-समूहके लिए, विधान बनानेका पार्लमेंटको अधिकार उक्त सम्बन्धमें, उस राज्य अथवा राज्य-समूह और भारत-सरकारके बीच में हुए समझौतेकी शर्तों और सीमाओंसे सीमित रहेगा।

राष्ट्रीय हितमें "राज्य-सूची" में निर्दिष्ट विषय-के सम्बन्धमें विधान बनानेका पार्लमेन्ट-को अधिकार

२२६. इस अध्यायके पहिले आये हुए बन्धानोंमे किसी वैसी बातके होते हुए भी, यदि राज्यपरिषद्में उपस्थित तथा मतदेनेवाले सदस्योंकी कमसेकम दोतिहाई संख्याने समर्थन करनेवाले प्रस्ताव द्वारा घोषित किया है, कि राष्ट्रीय हितके लिए यह आवश्यक या उपयुक्त है, कि पार्लमेंट "राज्य-सूची"

में निर्दिष्ट और उक्त प्रस्तावमे उल्लिखित किसी विषयके सम्बन्धमे बन्धान बनावे, तो पार्लामेंटके लिए उस विषयमें सारे भारत-राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भागके लिए विधान बनाना वैध होगा।

संकट-कालकी उद्घोषणाके क्रियान्वित होनेके समय "राज्य सूची" वाले विषयों के सम्बन्धमें विधान बनानेका पार्लामेंटको अधिकार

२२७. (१) इस अध्यायमें किसी वैसी बातके होते हुए भी, संकट-कालकी उद्घोषणाके क्रियान्वित होनेके समय पार्लामेंटको सारे भारत राज्य-अथवा उसके किसी भागके लिए "राज्य सूची" में निर्दिष्ट विषयोंमें से किसी के बारेमे विधान बनानेका अधिकार होगा।

(२) सकटकालकी उद्घोषणा न होनेके समय जिस विधानको पार्लामेंट नहीं बना सकती थी, ऐसा पार्लामेंटद्वारा निर्मित विधान घोषणाकी अवधि-की समाप्तिके बाद छ मास बीतने पर उन बातोंके अतिरिक्त कार्यकारी नहीं होगा, जो उस अवधिके बीतनेके पहिलेकी गयी या की जानेसे छोड़ दी गयी हो।

धारा २२६ और २२७ के अनुसार पार्लामेंट द्वारा निर्मित विधानों और राज्योंकी व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधानोंमें परस्पर विरोध

२२८. इस सविधानकी धारा २२६ तथा २२७ मे कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाके विधान बनानेके किसी अधिकारको, जो इस सविधानके आधीन उसे प्राप्त है, प्रतिबन्धित करे, परन्तु यदि राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा बनाये गये विधानका कोई बन्धान, पार्लामेंट द्वारा बनाये गये ऐसे विधानके किसी बन्धानके विरुद्ध पड़े, जिस विधानको बनानेका अधिकार पार्लामेंटको उक्त धाराओंमें से किसीके अनुसार प्राप्त है, तो पार्लामेंट द्वारा बनाया गया विधान ही, चाहे वह राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा बनाये विधानके पहिले या बादमें पास किया गया हो, लागू रहेगा और राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया विधान उस मात्रामे जहाँ तक कि वह विरुद्ध पड़ता हो, तथा केवल उस समय तक जबतक कि पार्लामेंट द्वारा बनाया गया विधान प्रभावकारी है, क्रियाकारी नहीं होगा।

एक या अधिक राज्योंके लिए, उनकी सम्मतिसे पार्लामेंटको व्यवस्था बनानेका अधिकार और ऐसी व्यवस्था का दूसरे राज्य द्वारा माना जाना और अपनाया जाना

२२९. (१) यदि किसी एक या अधिक राज्योंकी व्यवस्थापिका या व्यवस्थापिकाओंको यह वांछनीय जान पड़े, कि इस सविधानकी धारा २२६ और २२७के बन्धानोंके अतिरिक्त, जिनके सम्बंधमे पार्लामेंटको उस राज्य या उन राज्योंके लिए उन विषयोंमे विधान बनानेका अधिकार नहीं है, उनमेंसे किसी विषयका नियमन उस राज्य या उन राज्योंमें पार्लामेंट विधान द्वारा करे, और उस राज्य या उन राज्योंमे से प्रत्येककी व्यवस्थापिकाके भवनने, या जहाँ दो भवन हो, वहाँ दोनों भवनोंने, उसके बारेमें प्रस्ताव या प्रस्तावोंको पास किया है, तो उक्त विषयका तदनुकूल नियमन करनेके लिए व्यवस्थाको पास करना पार्लामेंटके लिए वैध होगा, और इस प्रकार पासकी गयी कोई व्यवस्था उक्त राज्य या राज्यों पर लागू होगी, तथा वह और किसी और ऐसे राज्यपर भी लागू होगी, जो उसके बाद अपनी व्यवस्था-

पिकाके भवन, या जहाँ दो भवन हों, वहाँ दोनों भवनोंसे इस विषयमें प्रस्ताव पास कराके अपनाये।

(२) पार्लमेंट द्वारा इस प्रकार पासकी गयी कोई भी व्यवस्था उसी रीतिसे पासकी गयी पार्लमेंटकी दूसरी व्यवस्था द्वारा संशोधित या निरस्त कर दी जा सकती है; किन्तु जहाँ तक कि उस राज्यका सम्बन्ध है, जिसके ऊपर वह लागू होने वाली है, ऐसी व्यवस्था उस राज्यकी व्यवस्थापिकाकी किसी व्यवस्था द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं की जा सकती।

अन्तर्राष्ट्रीय समझौतेको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए व्यवस्थापन

२३०. इस अध्यायके पीछे आये बन्धानोंमें किसी वैसी बातके होते हुए भी, पार्लमेंटको किसी राज्य या उसके किसी भागके वास्ते किसी दूसरे देश या देशोंके साथ की गयी सन्धि, समझौता, या आपसी धारणाको निभानेके निमित्त कोई विधान बनानेका अधिकार है।

पार्लमेण्ट द्वारा बनाये विधानों और राज्योंकी व्यवस्थापिकाओं द्वारा बनाये विधानोंके बीच परस्पर-विरोध

२३१. (१) यदि किसी राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा बनाये विधान का कोई भी बन्धान पार्लमेंट द्वारा बनाये गये ऐसे विधानके किसी बन्धानके विरुद्ध पड़े, जिस विधानको बनानेके लिए पार्लमेंट समर्थ है, या किसी ऐसे प्रचलित विधानके किसी बन्धानके विरुद्ध पड़े जिसके किसी विषयके बारेमें विधान बनानेके लिए पार्लमेंटको अधिकार है, तो इस धाराके खण्ड (२) के बन्धानोंके आधीन रहते हुए, पार्लमेंट द्वारा बनाया विधान, चाहे वह ऐसे राज्यकी व्यवस्थापिकाके विधानके पहिले या बादमें पास हुआ हो, जैसी भी स्थिति हो; या पहिलेसे चला आता हुआ विधान ही प्रवर्त्तित होगा, और उक्त राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया विधान, जहाँ तक विरोध रखता है, वहाँ तक शून्य समझा जायेगा।

(२) जहाँ कि "समाधिकार-सूची" में उल्लिखित विषयोंमें से किसी एकके बारेमें ऐसा विधान, जोकि प्रथम परिशिष्ट के भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया हो, उस विषयसे संबधित पार्लमेंटके किसी विधान या किसी पहिलेसे चले आते अन्य विधानके किसी बन्धानके विरुद्ध पड़नेवाला ऐसा बन्धान रखे, वहाँ, ऐसे राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा इस प्रकार बनाया गया विधान गया विधान ही लागू होगा, बशर्तेकि वह राष्ट्रपतिके विचारके लिए रख छोड़ा गया हो और इस पर उसकी अनुज्ञा प्राप्त करली गयी हो :

किन्तु साथ ही, इस खण्डमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो पार्लमेंट को किसी भी समय उसी विषयके सम्बन्धमें कोई विधान बनानेमें रुकावट डाले, जिस विधानके ही अन्तर्गत वह विधान भी आता है, जो राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा इसी प्रकार बनाये गये किसी विधानमें कुछ जोड़नेवाला संशोधन करनेवाला फेर-बदल करनेवाला या उसको निरस्त करने वाला हो।

व्यवस्थापन-शक्तियोंपर प्रतिबन्ध

सिफारिशों द्वारा चाही गयी बातोंको केवल कार्य-प्रणाली-के विषय मानना

२३२. पार्लमेंट या प्रथम परिशिष्टके भाग १में उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाकी कोई भी व्यवस्था और इस व्यवस्थाका कोई भी बन्धान केवल इसलिए अमान्य नहीं होंगे, कि उसके लिए इस के द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश नहीं आयी थी, बशर्तेकि—

(क) जहाँ अपेक्षित सिफारिश राज्यपतिके पाससे आनी चाहिए थी, वहाँ राज्यपतिकी या राष्ट्रपतिकी ;

(ख) जहाँ अपेक्षित सिफारिश (सस्तुति) राष्ट्रपतिके पाससे आनी चाहिए थी, वहाँ राष्ट्रपतिकी

अनुज्ञा उस व्यवस्था पर प्राप्त हो चुकी हो।

अध्याय २—शासन-प्रबन्धके सम्बन्ध

सामान्य

राज्यों और संघका परस्पर दायित्व

२३३. प्रत्येक राज्यकी कार्यकारिणी शक्ति इस प्रकार प्रयोगकी जायेगी, जिससे पार्लमेंटके बनाये विधानों तथा उक्त राज्यमें लागू सभी प्रचलित विधानोंका बिल्कुल ठीक ठीक पालन हो सके, और संघकी कार्य-कारिणी शक्ति किसी राज्यको ऐसी हिदायतें देने तक सीमित रहेगी, जोकि भारत-सरकारको इस प्रयोजनके लिए आवश्यक जान पड़े।

संघकी राज्य-सत्ता के सामने व्यवधान न डालना और उसे मत्सरित न करना राज्योंका कर्त्तव्य

२३४. (१) प्रत्येक राज्यकी कार्यकारिणी शक्तिका इस प्रकार प्रयोग किया जायेगा, जिससे संघकी कार्यकारिणी शक्तिके प्रयोगमें कोई व्यवधान या मात्सर्य न हो, और संघकी कार्यकारिणी शक्ति किसी राज्यको ऐसी हिदायतें देने तक सीमित रहेगी, जोकि भारत-सरकारको इस प्रयोजनके लिए आवश्यक जान पड़े।

(२) संघकी कार्यकारिणी शक्ति किसी राज्यको राष्ट्रीय या सैनिक महत्त्वके उक्त हिदायतमें घोषित किसी संचार-साधनोंके निर्माण तथा रक्षित रखनेके लिए हिदायत देने तक सीमित रहेगी,

किन्तु, इस धारामें कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो राज-पथों या जलपथोंको राष्ट्रीय राज-पथ या राष्ट्रीय जल-पथ घोषित करनेके पार्लमेंटके अधिकारपर, अथवा ऐसे घोषित राज-पथ या जल-पथके बारेमें संघके अधिकारपर, अथवा जल सेना, स्थल-सेना और वायु-सेनाके कृत्योंके बारेमें संचार-साधनोंका निर्माण करने और रक्षा करनेके संघके अधिकारोंपर प्रति-बन्ध लगाने वाले समझे जाँय।

विशेष परिस्थितियों में राज्योंको अधि-कार-प्रदान आदि करनेका संघको अधि-कार

२३५. (१) इस संविधानमें किसी ऐसी बातके रहते हुए भी, किसी राज्यकी सरकारकी सहमतिसे राष्ट्रपति उस सरकारके अथवा उसके अधिकारियोंको ऐसे विषयके संबधमें प्रतिबन्ध-सहित या बिना प्रतिबन्धके

ऐसे कृत्य सौंप सकता है, जो संघकी कार्यकारिणी-शक्तिकी सीमाओंके अन्तर्गत हैं ।

(२) पार्लमेंट द्वारा बनाया गया कोई विधान, जो किसी राज्यपर लागू होता है, उस राज्यको अथवा उसके अधिकारों अथवा सत्ताधारियोंको अधिकार या कर्त्तव्य-भार दे सकेगा, अथवा अधिकार और कर्त्तव्य-भार प्रदान करनेके लिए उन्हें अधिकारी बना सकेगा, भले ही वह विधान ऐसे विषयसे सम्बन्ध रखता हो, जिसके बारेमें विधान बनानेका अधिकार उस राज्यकी व्यवस्थापिकाको प्राप्त नहीं है ।

(३) जहाँ इस धाराके अनुसार किसी राज्य या उसके अधिकारियों या सत्ताधारियोंको अधिकार या कर्त्तव्य-भार सौंपे गये हों, वहाँ उन अधिकारों और कर्त्तव्योंके प्रयोग करते समय शासन-प्रबन्धमें जो भी अतिरिक्त व्यय हुआ हो, उसका भुगतान उक्त राज्यको भारत-सरकार समझौतेके अनुसार करेगी और किसी समझौतेके अभावमें वह भारतके परमन्यायाधीश द्वारा नियुक्त किसी पंचके निर्णयानुसार भुगतान करेगी ।

किन्हीं राज्योंके व्यवस्थापन, कार्यकारिणी अथवा न्याय-सम्बन्धी कृत्यों को अपने हाथमें ले लेनेका संघको अधिकार

२३६. (१) प्रथम परिशिष्टके भाग ३ मे उस समय गिनाये गये किसी राज्यके साथ समझौता करके, किन्तु संघ और उक्त राज्यके पारस्परिक सम्बन्धके विषयमें रखे गये इस संविधानके बंधानोंके आधीन रहते हुए, भारत सरकार उस राज्यके हाथसे व्यवस्थापन, कार्यकारिणी और न्यायसम्बन्धी किन्हीं कृत्योंको अपने हाथमे ले सकेगी ,

(२) प्रथम परिशिष्टमे उस समय अनिर्दिष्ट किसी देशी राज्यके साथ भी उसी प्रकार भारत सरकार समझौता कर सकेगी, किन्तु इस प्रकारका प्रत्येक समझौता उस समय प्रचलित वैदेशिक अधिकार-क्षेत्रके प्रयोगवाले विधानके आधीन और उससे नियंत्रित रहेगा ।

व्याख्या—इस धारामें देशी राज्यका अर्थ है, कोई भी राज्य क्षेत्र जिसे राष्ट्रपति ऐसे राज्यके रूपमे स्वीकार करता है, किन्तु जो भारतके राज्य क्षेत्रका भाग नहीं है ।

(३) यदि इस धाराके खण्ड (१) के अनुसार किसी राज्यके साथ किया गया समझौता किसी ऐसे विषयके लिए बन्धान करता है, जिसके बारे मे उस राज्यके साथ इस संविधानकी धारा २३७ के अनुसार प्रथम परिशिष्ट के भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी सरकार द्वारा किये गये समझौतेमें पहिले ही से बन्धान है, तो पूर्वोक्त समझौतेके हो जानेकी तारीख से बादका समझौता, जहाँ तक उसमें ऐसे विषयका बन्धान है, निरस्त और बेकाम माना जावेगा ।

(४) संघ और प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यके बीच इस धाराके खण्ड १ के अनुसार समझौता हो जानेपर-

(क) संघ की कार्यकारिणी शक्ति उक्त समझौतेमें निर्दिष्ट किसी भी विषय तक सीमित होगी ;

(ख) पार्लामेंटको उक्त समझौतेमें उसके लिए निर्दिष्ट किसी भी विषयके सम्बन्धमें विधान बनानेका अधिकार होगा; और

(ग) इस संविधानकी धारा ११४ के खण्ड (२) के बन्धानोंके आधीन रहते हुए, उक्त समझौतेमें इसके लिए निर्दिष्ट कोई भी विषय भारतके परमन्यायालयके अधिकार क्षेत्रके अन्तर्गत होगा।

प्रथम परिशिष्टके भाग ३ वाले राज्यों के व्यवस्थापन, कार्यकारिणी या न्याय-सम्बन्धी कृत्योंको अपने हाथमें ले लेने का प्रथम परिशिष्टके भाग १ वाले राज्यों-का अधिकार

२३७ (१) प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये राज्यकी सरकारको प्रथम परिशिष्टके भाग ३ मे उस समय गिनाये गये किसी राज्यके साथ उसके लिए किये गये समझौते द्वारा उक्त राज्यके हाथसे व्यवस्थापन, कार्यकारिणी अथवा न्यायसम्बन्धी किसी भी कृत्यको राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृतिसे अपने हाथमें ले लेनेका अधिकार होगा।

(२) प्रथम परिशिष्टके भाग १ मे उस समय गिनाये गये किसी राज्य और उस परिशिष्टके भाग ३ मे उस समय गिनाये गये किसी राज्यके बीच इस धाराके खण्ड (१) के अनुसार समझौता सम्पन्न हो जाने पर—

(क) उक्त परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये उस राज्यकी कार्यकारिणी शक्ति उस समझौतेमें इसके लिए निर्दिष्ट किसी भी विषयतक विस्तृत होगी ;

(ख) उक्त परिशिष्टके भाग १ में गिनाये गये उक्त राज्यकी व्यवस्थापिकाको उस समझौतेमें इसके लिए निर्दिष्ट किसीभी विषयके सम्बन्धमे विधान बनानेका अधिकार होगा,

(ग) उक्त समझौते और इसके लिए निर्दिष्ट कोई भी विषय ; उक्त परिशिष्टके भाग १ में गिनाये गये राज्यके उच्चन्यायालय तथा दूसरे उपयुक्त न्यायालयोंके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत होगा।

सार्वजनिक कार्यकलाप, रक्षित लेख तथा न्याय-सम्बन्धी कार्यवाही

२३८. (१) भारतके सारे राज्य क्षेत्रमें संघ और प्रत्येक राज्यके सार्वजनिक कार्यकलापों, रक्षित लेखों तथा न्याय सम्बन्धी कार्यवाहियोंके ऊपर पूर्ण विश्वास और मान्यता रखी जायेगी।

(२) इस धाराके खण्ड (१) मे निर्दिष्ट क्रियाकलापों, रक्षित-लेखों तथा कार्यवाहियोंको प्रमाण-सिद्ध करनेका ढंग और नियम तथा उनके निर्णयका प्रभाव विधानके बन्धानोंके अनुसार होंगे।

(३) भारत-राज्य-क्षेत्रके किसी भागमें दीवानी न्यायालयों द्वारा दिये गये या पास किये गये अन्तिम न्याय-निर्णयों अथवा आदेशों को उस राज्य-क्षेत्रके अन्दर कहीं भी विधानके अनुसार कार्यान्वित किया जा

प्रथम परिशिष्टके भाग२ वाले राज्योंके जल-प्रबन्धमे हस्त-क्षेप

२४१ यदि राष्ट्रपति समझे कि प्रथम परिशिष्टके भाग १ या ३ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यमे अवस्थित जल-स्रोतके जलके उपयोग, वितरण अथवा नियन्त्रणके संबधमें—

(क) किसी कार्यकारी कार्रवाईके किये जाने या किये जानेकी संभावनाके कारण, अथवा किसी व्यवस्थाके पास किये जाने या पास किये जानेकी संभावनाके कारण; अथवा

(ख) किसी राज्य-सत्ताके अपने अधिकारके प्रयोग करनेमें चूक जानेके कारण,

प्रथम परिशिष्टके भाग २ मे उस समयके लिये गिनाये गये किसी राज्य अथवा ऐसे किसी राज्यके निवासियोंमेंसे किसीके जल-प्रबन्ध सम्बन्धी हितोंकी क्षति हो रही हो या होनेकी संभावना हो, और वह यह भी समझे कि उस विषयको तुरत पहिले आनेवाली धाराके अनुसार नियुक्त किये गये कमीशनको सौंप देना चाहिये, तो वह बन्धान उस राज्यपर इस प्रकार लागू हो सकेंगे, मानों वह राज्य प्रथम परिशिष्टके भाग २ में उस समय गिनाये जानेकी जगह भाग १ में गिना दिया गया हो, और उस विषयकी शिकायत उस राज्यकी सरकारने राष्ट्रपतिसे की हो।

न्यायालयोंके अधिकार-क्षेत्रके बाहरकी वस्तु

२४२ इस संविधानमें किसी ऐसी बातके रहते हुए भी न तो परम-न्यायालय और न किसी दूसरे न्यायालयसे ही किसी ऐसे विषयके बारेमें कोई कार्यवाही करेंगे, अथवा उसके ऊपर कोई वाद लेना उसके अधिकार क्षेत्रके अन्तर्गत होगा, जिस विषयके सम्बन्धमें कि पहिलेकी अन्तिम तीन धाराओंमें किसीके अनुसार कार्यवाही, राज्यकी सरकार अथवा राष्ट्रपति द्वाराही की जा सकती थी।

राज्योंमें परस्पर व्यापार और वाणिज्य

व्यापार अथवा वाणिज्य-सम्बंधी रियायत या भेद-भाव करनेका प्रतिबंध

२४३. जल थल या आकाश द्वारा होनेवाले व्यापार या वाणिज्य-संबधी किसी विधान या नियमन द्वारा एक राज्यकी अपेक्षा दूसरे राज्यके साथ न कोई रियायतकी जायेगी और न भेद-भाव।

राज्योंके बीच परस्पर व्यापार-वाणिज्य और यातायात-पर प्रतिबन्ध

२४४. इस संविधानकी धारा १६ अथवा पहिले आयी अन्तिम धारामे किसी वैसी बातके होते हुए भी, किसी राज्यके लिए यह वैध होगा कि वह—

(क) दूसरे राज्योंसे आयात किये हुए माल पर ऐसा कर लगाये, जो उस राज्यमे निर्मित या उत्पादित उसी प्रकारके मालपर लगता हो, किन्तु, तब भी यह ध्यान रखना होगा, कि आयात किये माल और इस प्रकार निर्मित अथवा उत्पादित वस्तुओंके बीच कोई भेद-भाव न हो, और

(ख) उस राज्यके साथ व्यापार, वाणिज्य अथवा यातायातकी

स्वतन्त्रतापर विधान द्वारा ऐसे उपयुक्त नियंत्रण लगाये, जो लोक-हितके लिए आवश्यक हों :

किन्तु साथ ही, इस संविधानके आरभ होनेसे पाँच वर्षकी अवधिके भीतर, इस धाराके खण्ड (क) के बन्धान, इस संविधानकी धारा २६० के खण्ड (१) में वर्णित किन्हीं पण्योंके व्यापार या वाणिज्यपर लागू न होंगे।

धारा २४३ और २४४के बन्धानोंको कार्य-रूप देनेके लिए सत्ताधिकारीकी नियुक्ति

२४५. इस सविधानकी धारा २४३ और २४४ के बन्धानोंको कार्य-रूप देनेके लिए पार्लामेंट विधान द्वारा, जैसा उपयुक्त समझे, वैसा सत्ताधिकारी नियुक्त करेगी, और इस प्रकार नियुक्त सत्ताधिकारीको जैसा आवश्यक समझे, वैसा अधिकार और कर्त्तव्य प्रदान करेगी।

राज्यों के बीच सहयोग

अन्तर्राज्यपरिषद् सम्बन्धी बन्धान

२४६. यदि किसी समय राष्ट्रपतिको यह जान पड़े कि ऐसी परिषद्‌की स्थापनासे लोकहित होगा जिस पर—

(क) राज्योंके बीच उठ चुके विवादोंके संबंधमें जाच करने और परामर्श देने,

(ख) कुछेक या समस्त राज्यों अथवा संघ और एक राज्य के पारस्परिक हितसे सम्बन्ध रखने वाले विषयोंके सम्बंधमे जाँच और आलोचना करने; अथवा

(ग) वैसे किसी विषय पर अपनी सिफारिश करने, विशेष रूपसे उस विषयके बारेमें नीति और कार्रवाईके अधिक सुचारु रूप से समन्वय करने के लिए सिफारिश करने

का भार डाला गया हो, तो राष्ट्रपतिके लिए यह वैध होगा, कि वह ऐसी परिषद्‌की स्थापना करे और परिषद्‌के द्वारा सँभाले जाने वाले कर्त्तव्यों के स्वरूप और उसके संगठन तथा कार्य-प्रणालीका निर्धारण करे।

भाग १०

अर्थ, सम्पत्ति, अनुबन्ध और वाद

अध्याय १—अर्थ

संघ तथा राज्योंके बीच राजस्वका वितरण

व्याख्या

२४७ इस प्रकरणमें जब तक कि दूसरा अर्थ अभिप्रेत न हो,—

(क) "अर्थ कमीशन" से विधान की धारा २६० के अनुसार संगठित अर्थ-कमीशन (अर्थ-समितक) अभिप्रेत है,

(ख) "राज्य" से प्रथम परिशिष्टके भाग २ में उस समय गिनाया राज्य नहीं समझा जायेगा ;

(ग) प्रथम परिशिष्टके भाग २ में उस समय गिनाये राज्योंके निर्देशोंमें प्रथम परिशिष्टके भाग ४ में गिनाये गये किसी राज्यक्षेत्र या भारत राज्यक्षेत्रके अन्तर्गत, किन्तु उस परिशिष्टमे अनिर्दिष्ट किसी राज्य-क्षेत्रके निर्देश भी सम्मिलित समझे जायेंगे।

"भारतके राजस्वों" तथा "राज्यके राज्यस्वों" का अर्थ

२४८. राज्योंके भागमे पूर्णतः या अंशतः डाले गये कुछ विशेष करों और शुल्कोंकी शुद्ध आयके वारेमें इस अध्यायके निम्नलिखित वन्धानोंके आधीन रहते हुए "भारतके राजस्वों"मे भारत सरकार द्वारा उगाहे या प्राप्त किये गये सारे राजस्व और सार्वजनिक मुद्रायें सम्मिलित हैं; और राज्य के राजस्वों मे राज्यका सरकार द्वारा उगाहे या प्राप्त किये गये सारे राजस्व और सार्वजनिक मुद्रायें सम्मिलित हैं।

संघद्वारा लगाये किन्तु राज्योंद्वारा उगाहे तथा अपने काममें लाये गये शुल्क

२४९. (१) संघ सूचीमें उल्लिखित स्टाम्प शुल्क और औषध, प्रसाधन-सामग्रियो पर लगाये अन्तः-शुल्क को लगायेगी तो भारत-सरकार, किन्तु—

(क) यदि ऐसे शुल्क प्रथम परिशिष्टके भाग २ मे उस समय गिनाये गये राज्यके भीतर लगाये गये हों, तो भारत सरकार और

(ख) दूसरी अवस्थाओंमें, जिन राज्योंके भीतर ऐसे शुल्क लगाये गये हों, वे राज्य, शुल्कों को उगाहेंगे।

(२) किसी भी अर्थ-विभागीय वर्षमें किसी राज्य के भीतर उस वर्ष लगाये जानेवाले किसी ऐसे शुल्ककी आय भारतके राजस्वका अंश नहीं वनेगी; वल्कि वह राज्यके काममे लगायी जायेगी।

संघद्वारा लगाये और उगाहे, पर राज्योंके कार्यमें लाये गये कर

२५०. (१) निम्नलिखित शुल्कों तथा करोंको भारत-सरकार लगाये और उगाहेगी, किन्तु इस धाराके खण्ड (२) के वन्धानके अनुसार बतायी गयी रीतिसे वे उन राज्योंके काममें लगाये जायेंगे, अर्थात्:

(क) खेतीकी भूमिको छोड़कर दूसरे प्रकारकी सम्पत्तिके उत्तराधिकार पर लगनेवाले शुल्क;

(ख) खेतीकी भूमिको छोड़ दूसरी भूसम्पत्तिपर लगनेवाले शुल्क;

(ग) रेल या विमानसे ढोये गये माल या यात्रियों पर लगाये गये सीमा-शुल्क;

(घ) रेलके टिकट और मालके भाडेपर लगनेवाले कर।

(२) किसी अर्थविभागीय वर्षमें प्रथम परिशिष्टके भाग २में उस समय गिनाये गये राज्योंके काममे लगायी जानीवाली आयसे भिन्न किसी ऐसे शुल्क या करकी शुद्ध आय भारतके राजस्वका अंग न वनेगी, वल्कि वह उन

राज्योंके भागमें पड़ेगी, जिनके भीतर उस वर्ष वह शुल्क या कर लगाया गया हो, और वह आय विधानके द्वारा पार्लमेंटके निश्चित किये हुए वितरणके सिद्धान्तोंके अनुसार बाँटी जायेगी।

सघ द्वारा लगाये तथा उगाहे और सघ एव राज्योंके बीच वितरित कर

२५१. (१) कृषि-आयके अतिरिक्त अन्य किसी आयपर भारत-सरकार कर लगायेगी और उगाहेगी, तथा इस अध्यायके खण्ड (२) में वन्धानकी गयी रीतिके अनुसार उन्हें संघ और राज्योंके बीच बाँटेगी।

(२) किसी भी अर्थविभागीय वर्षमे प्रथम परिशिष्टके भाग १ मे उस समय गिनाये गये राज्योंके काममे लगायी आयके, अथवा संघके लाभोंके संबन्धमें दिये जानेवाले करों के अतिरिक्त, किसी करकी शुद्ध आयका नियत किया हुआ प्रतिशतभाग भारतके राजस्वोंका अंग नहीं मानाजायेगा, वल्कि उन राज्योंके भागमें डाला जायेगा, जिनके भीतर वह कर उस वर्ष लगाया जानेवाला हो, और वह उन राज्योंमें विहित रीति और विहित समयसे वितरित किया जायेगा।

(३) इस धाराके खण्ड (२) के प्रयोजनके लिए प्रत्येक अर्थविभागीय वर्षमें संघके देय वेतनके सम्वन्धमें चुकाये जानेवाले करोंकी शुद्ध आयके अतिरिक्त, आय-करोंकी शुद्ध आयका विहित किया हुआ प्रतिशतभाग प्रथम परिशिष्टके भाग २ में उस समय गिनाये गये राज्योंसे आयी हुई आय समझा जायेगा।

(४) इस धारामें—

(क) "आय-कर" में वह रकम सम्मिलित है, जिसे भारत-सरकारने इस संविधानकी धारा २६६के वन्धानके खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी आय-करकी जगहपर लगाया हो, किन्तु उसमें सस्थान-कर सम्मिलित नहीं है,

(ख) "विहित" का अर्थ है—

(i) जबतककि अर्थ-कमीशनका संगठन न हो चुके, तबतक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विहित, और—

(ii) अर्थ-कमीशन (अर्थ समितक) के सगठित हो जानेपर उसकी सिफारिश पर विचार करनेके उपरान्त, राष्ट्रपतिके आदेश द्वारा विहित,

(ग) "सघके देय वेतन"मे भारतके राजस्वोंसे चुकाये जानेवाले वे सारे देय वेतन और पेशन सम्मिलित हैं, जिनके सम्वन्धमें आय-कर लगाना है।

सघके प्रयोजनोंके लिए उक्त शुल्कों और करोंके ऊपर अतिरिक्त कर

२५२. इस संविधानकी धारा २५० और २५१में किसी वैसी वातके होते हुए भी, पार्लमेंट इन धाराओंमें निर्दिष्ट किसी भी शुल्क या करके ऊपर किसी भी समय संघके प्रयोजनके लिए अतिरिक्त-कर लगाकर वृद्धि कर सकेगी और ऐसे किसी अतिरिक्त करकी कुल आय भारतके राजस्वका

अंग बनेगी।

सब द्वारा लगाये और उगाहे गये ऐसे कर जो संघ तथा राज्योंके बीच बांटे जाने वाले हों

२५३. (१) संघ नमकपर कोई शुल्क नहीं लगायेगा।

(२) औषध और प्रसाधन-सामग्रियों पर "संघ-सूची" में उल्लिखित अन्तःशुल्कों के अतिरिक्त संघके अन्य सभी अन्तःशुल्क, भारत-सरकार द्वारा लगाये और उगाहे जायेंगे; किन्तु यदि पार्लमेंट विधान द्वारा वैसा वन्धान करे, तो शुल्क लगानेवाला विधान जिन राज्योंपर लागू होता, उन्हींको भारतके राजस्वोंमे उस शुल्ककी शुद्ध आयकी पूरी अथवा आंशिक रकम दी जायेगी, और वह रकम विधानद्वारा निश्चित किये गये वितरण-सिद्धान्तोंके अनुसार बाँटी जायेगी।

जूट (पाट) या पाटकी बनी वस्तुओंके शुल्कका वितरण

२५४. इस सविधानकी धारा २५३ मे किसी वैसी वातके होते हुए भी, जूट (पाट) या जूटसे वनी वस्तुओंके निर्यात-शुल्कके प्रत्येक वर्षकी शुद्ध आयका पार्लमेंटके विधानद्वारा निश्चित किया गया अनुपात अंग न बनेगा, वल्कि वह जूट उत्पादन करनेवाले राज्योंके भागमें विधान द्वारा निश्चित किये गये वितरण-सिद्धान्तोंके अनुसार डाला जायेगा;

किन्तु साथ ही, जब तक पार्लमेंट इस प्रकारका कोई निश्चय न कर दे, तब तक उन राज्योंके भागमें प्रत्येक वर्षमें लगाये जाने वाले शुल्ककी शुद्ध आयका उतना अंश उन अनुपातोंमे डाला जायेगा, जो इस संविधानके आरंभ होनेके पूर्वक्षण तक भारत-सरकार-व्यवस्था, १६३५ के अनुसार निकाले गये किसी आदेश द्वारा निश्चित किये जा चुके हों।

कुछ राज्योंका सबसे सहायता-दान

२५५ पार्लमेंटके विधानद्वारा वन्धानकी गयी रकम भारतके राजस्वोंमेसे उन राज्योंके राजस्वोंको सहायता-दानके रूपमे मिलेगी, जिन राज्योंके वारेमे पार्लमेंटको निश्चय हो, कि उन्हें सहायताकी आवश्यकता है, और भिन्न भिन्न राज्योंके लिए भिन्न-भिन्न रकमे निश्चितकी जा सकेंगीं

किन्तु साथ ही, प्रथम परिशिष्टके भाग १ मे उस समय गिनाये गये किसी राज्यके राजस्वोंके लिए सहायता-दानके रूपमें भारतके राजस्वोंमें से वैसी पूंजी और वार वार दी जाने वाली रकम दी जायेगीं, जोकि उस राज्यकी उन विकास-योजनाओंके व्यय-भारको उठानेमे आवश्यक हों, या जो उस राज्यके भीतरकी परिगणित आदिवासियोंके कल्याणकी अभिवृद्धिके लिए या उस राज्यके भीतरके परिगणित क्षेत्रोंके शासन-प्रवन्धके तलको उस राज्यके शेष क्षेत्रोंके शासन-प्रवन्धके तल तक ऊँचा उठानेके लिए आवश्यक हो, और उस राज्यने जिन्हें भारत-सरकारकी पूर्वस्वीकृतिसे आरंभ किया हो;

किन्तु साथ ही, यह भी आवश्यक है कि आसाम राज्यके राजस्वमें सहायता-दानके रूपमें भारतके राजस्वोंमेसे वैसी पूँजी और वारवार दी जानेवाली (आवर्त्तक) रकम दी जायेगी,

(क) छठे परिशिष्टके पैरा १६ के अन्तमें जुड़ी हुई सारणीके

भाग १ में गिनाये गये आदिवासी क्षेत्रोंके शासन-प्रबन्धके बारेमें इस संविधानके आरंभ होनेके पूर्वक्षणसे पहिलेके तीन वर्षके राजस्वोंसे अधिक व्यय के औसतके बराबर हों; और

(ख) उक्त क्षेत्रोंके शासन-प्रबन्धके तलको उस राज्यके बाकी क्षेत्रोंके शासन-प्रबन्धके तल तक ऊँचा उठानेके लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकारकी पूर्व स्वीकृतिसे आरंभकी गयी योजनाओंके खर्चके बराबर हों।

व्यवसाय, व्यापार, पेशों तथा नौकरियों पर कर

२५६. (१) इस संविधानकी धारा २३७ में किसी वैसी बातके होते हुए भी, इस धाराके खण्ड (२) और (३)के बन्धानोंके आधीन रहते हुए, राज्यकी व्यवस्थापिकाको राज्यके हित अथवा उसके अन्तर्गत म्युनिस्पेलिटी, जिला-बोर्ड, स्थानीय बोर्ड (पर्षद्) अथवा अन्य स्थानीय राज्य-सत्ताके हितके लिए, व्यवसाय, व्यापार, पेशों तथा नौकरियोंपर कर लगानेके संबधमें विधान बनानेका अधिकार होगा।

(२) किसी एक व्यक्तिके व्यवसाय, व्यापार, पेशों तथा नौकरियोंपर उस राज्य अथवा उसके अन्तर्गत किसी म्युनिस्पेलिटी, जिला-पर्षद् (जिला बोर्ड), स्थानीय पर्षद्, अथवा अन्य स्थानीय राज्य-सत्ताको दिये जाने वाले करोंकी सारी रकम प्रतिवर्ष दो सौ पचास रुपयेसे अधिक न होगी;

किन्तु साथ ही, यदि इस संविधानके आरंभ होनेके पूर्वक्षण तक अर्थ-विभागीय वर्षमें किसी राज्य अथवा किसी म्यूनिस्पेलिटी, बोर्ड (पर्षद्), अथवा राज्य-सत्तामें, व्यवसाय, व्यापार, पेशों और नौकरियों पर ऐसा कर लागू रहा हो, जिसकी मात्रा या अधिकतम मात्रा दो सौ पचास रुपयेसे अधिक थी, तो ऐसा कर उस समय तक लागू रहेगा, जबतक कि पार्लामेंट विधानद्वारा उसके प्रतिकूल बन्धान न करे और पार्लामेंट द्वारा बनाया ऐसा कोई विधान सामान्यतः अथवा किन्हीं निर्दिष्ट राज्यों, म्यूनिस्पेलिटियों (नगर-समितियों), बोर्डों (पर्षदों) अथवा राज्यसत्ताओंके बारेमें बनाया जा सकेगा।

(३) व्यवसाय, व्यापार, पेशों और नौकरियोंपर लगनेवाले करके सम्बन्धमें उक्त प्रकारके विधानोंको बनानेके राज्यकी व्यवस्थापिकाके अधिकारमें यह अर्थ नहीं लगाया जा सकेगा कि पार्लामेंटका व्यवसाय, व्यापार, पेशों और नौकरियोंसे अर्जित अथवा उत्पादित आय पर कर लगानेके लिए विधान बनानेका अधिकार सीमित किया गया है।

अपवाद

२५७. जो कर, शुल्क, उपकर अथवा फीस (उपशुल्क) इस संविधानके आरम्भ होनेके पूर्व क्षणतक किसी राज्यकी सरकार द्वारा अथवा किसी म्यूनिसिपेलिटी (नगरसमिति) या अन्य स्थानीय राज्यसत्ता या राज्य-

संस्था द्वारा उस राज्यनगर, जिला (विषय) अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्रके प्रयोजनके लिये, वैधानिक तौरसे लगाये जाते हों, वे कर, शुल्क, उपकर या उपशुल्क "संघ-सूची" में उल्लिखित होनेपर भी लगाये जा सकेंगे, और उन्हीं प्रयोजनोंके लिए तबतक उपयोगमें लाये जा सकेंगे, जबतक कि पार्लमेंट इसके प्रतिकूल बन्धान न करे।

प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में गिनाये गये राज्योंके साथ करों और शुल्कोंको लगाने, उगाहने और वितरण करनेके बारे-में समझौता

२५८. (१) इस अध्यायमें किसी बातके होते हुए भी, पर इस धाराके खण्ड (२) के बन्धानोंके आधीन रहते हुए, प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यसे उस राज्यके भीतर भारत-सरकार द्वारा लगाये जानेवाले किसीकर अथवा शुल्कके लगाने तथा उगाहनेके बारेमे और उसकी आयके वितरण करनेके बारेमें, इस अध्यायके बन्धानोंसे भिन्न समझौता भी संघ कर सकेगा, और जब इस प्रकार समझौता हो चुके, तो इस अध्यायके बन्धान ऐसे राज्यके संबधमे ऐसे समझौतेकी शर्तोंके आधीन रहते हुएही प्रभावकारी होंगे।

(२) इस धाराके खंड (१) के अनुसार किया गया समझौता इस संविधानके आरम्भ होनेसे १० वर्षसे अधिक अवधिके लिए कार्यकारी न होगा :

किन्तु शर्त यह है कि, राष्ट्रपति इसके आरम्भ होनेसे पाँच वर्ष बीतने-के बाद किसीभी समय किसी ऐसे समझौतेको समाप्त कर सकेगा या बदल सकेगा, यदि अर्थ-कमीशन (अर्थ-समितक) के विवरणके ऊपर विचार करनेके अनंतर उसे आवश्यक समझता हो।

शुद्ध आय आदिका हिसाब लगाना

२५९. (१) इस अध्यायके पहिले आये बन्धानोंमे "शुद्ध आय" से किसी कर और शुल्कसे आनेवाली वह आय अभिप्रेत है, जो उसके उगाहनेका खर्च निकालनेके बाद बचे, और उन बन्धानोंके प्रयोजनके लिए किसी क्षेत्रके भीतर अथवा उसके नाममे लगाये जानेवाले किसी-कर या शुल्क या किसी कर या शुल्कके किसी भागसे आनेवाली शुद्ध आय भारतके महा-आयव्यय-निरीक्षक द्वारा सुनिश्चित तथा प्रमाणित की जायेगी, केवल जिसका ही प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा।

(२) पूर्वोक्त प्रकारसे एव इस अध्यायके अन्य किसी स्पष्ट बन्धानके आधीन रहते हुए, ऐसी अवस्थामें जबकि इस संविधानके इस भागके अनुसार किसी शुल्क या करसे आयी हुई आयको किसी राज्यके भागमे डालना हो, किस रीतिसे आयका हिसाब लगाना होगा और कितने समयके लिए और कबसे तथा किस रीतिसे कोई भुगतान करना होगा, इन विषयोंके बारेमें और एक अर्थविभागीय वर्षमें दूसरे अर्थविभागीय वर्षके साथ मेल बैठानेके बारेमे तथा किसी अन्य आनुषंगिक या सहायक विषयोंके बारेमें बन्धान बनानेका अधिकार पार्लमेंट द्वारा बनाये गये विधान या राष्ट्रपति द्वारा निकाले

गये आदेशको होगा।

अर्थ कमीशन(अर्थ-समितक)

२६०. (१) इस संविधानके आरम्भ होनेके पाँच वर्ष बीत जानेपर, और उसके बाद प्रत्येक पाँच-पाँच वर्षके बाद अथवा जब-जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे, तब-तब वह आदेश निकालकर एक अर्थ-कमीशन संगठित करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे, जोकि सभी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(२) पार्लमेंट विधानद्वारा कमीशनके सदस्योंकी नियुक्तिके लिए आवश्यक योग्यताओं और उनके चुने जानेकी रीतियों का निर्धारण करेगी।

(३) कमीशनका यह कर्त्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपतिके पास निम्नलिखित विषयोंके ऊपर अपनी सिफारिश करे—

(क) इस अध्यायके अनुसार संघ तथा राज्योंके बीच बाँटने या बँट सकनेवाले करोंकी शुद्ध आयोंका वितरण और ऐसी आयोंमेंसे राज्योंके बीच उनके क्रमानुसार भागोंको नियत करना;

(ख) भारतके राजस्वोंमेंसे राज्योंको सहायता-दानके नियामक सिद्धान्त;

(ग) प्रथम परिशिष्टके भाग २ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यमें भारत-सरकार द्वारा लगाये जानेवाले किसी कर या शुल्कको लगाने, उगाहने तथा वितरित करनेके बारेमें संघ तथा उस राज्यके बीच किये गये समझौतेकी शर्तोंको मानते रहना या उसमें फेर-बदल करना, और

(घ) अर्थ-कोषकी स्थिति दृढ बनाये रखनेका हित ध्यानमें रखते हुए राष्ट्रपति द्वारा कमीशन को निर्देश किया गया कोई दूसरा विषय।

(४) कमीशन अपनी कार्य-प्रणाली स्वयं निश्चित करेगा और अपने कर्त्तव्यका पालन करनेके लिए उसे वे अधिकार प्राप्त होंगे जो पार्लमेंट विधानद्वारा उसे प्रदान करती रहेगी।

2567

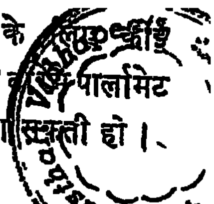
अर्थ-कमीशन (अर्थ-समितक) की सिफारिशें

२६१ राष्ट्रपति इस अध्यायके पहिलेवाले बन्धानोंके अनुसार, अर्थ-कमीशन की प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गयी कार्यवाही की व्याख्या-रूपेण किये गये विवरणके साथ पार्लमेंटके समक्ष रखवायेगा।

विविध आर्थिक बन्धान

भारतके राजस्वोंमेंसे निकाल कर किया जानेवाला व्यय

२६२. संघ या राज्य किसी भी सार्वजनिक प्रयोजनके लिए कोई सहायता-दान दे सकेगा, भले ही वह प्रयोजन ऐसा न हो, जिसके बारेमें पार्लमेंट या उस राज्यकी व्यवस्थापिका, जैसी कि स्थिति हो, विधान बना सकती हो।



सार्वजनिक मुद्राके संरक्षणके बारेमे बन्धान

२६३ (१) राष्ट्रपति तथा राज्यका राज्यपति ऐसे नियम बना सकेंगे, जिनसे कि यह सुनिश्चित हो, जाय, कि भारत अथवा राज्यके, जैसी भी स्थिति हो, राजस्वोंके लेखेमें प्राप्त किये गये मुद्राओंको, नियमोंमें उल्लिखित अपवादों को छोड़कर, यदि कोई हों, भारत अथवा उस राज्यके सार्वजनिक लेखामे पटाया जायेगा, और इस प्रकार बनाये गये नियम विहित कर सकेंगे अथवा यह विहित करनेका अधिकार किसीको सौंप सकेंगे, कि उक्त लेखामें मुद्राओंकी भुगतानके बारेसे, इसमे से उन्हें निकालनेके बारेमें, वहाँ रखी गयी मुद्राओंके संरक्षणके बारेमें, तथा पूर्वोक्त बातोंसे सम्बद्ध या सहायक किसी दूसरे विषयके बारेमे, कार्यप्रणाली किस प्रकार होगी।

(२) इस धारामें किसी वैसी बातके होते हुए भी, पार्लामेंट विधानके द्वारा भारतके राजस्वोंसे प्राप्त मुद्राओंके संरक्षण, भारतके सार्वजनिक लेखामें उनकी भुगतान और ऐसे लेखेमेंसे मुद्राओंके निकालनेके बारेमें नियमन कर सकेगी, और किसी राज्य की व्यवस्थापिका विधानद्वारा उस राज्यके राजस्वोंके मदमें प्राप्त सारी मुद्राओंके संरक्षण, उस राज्यके सार्वजनिक लेखेसे उनकी भुगतान और ऐसे लेखेमेंसे मुद्राओंके निकालनेके बारेमे नियमन कर सकेगी, और इस धाराके अनुसार बनाये हुए नियम ऐसे विधानके बन्धानोंके आधीन रहते हुए प्रभावकारी होंगे।

कुछ सार्वजनिक सम्पत्तिके ऊपर कर लगानेसे मुक्ति

२६४ संघकी सम्पत्ति, जब तक कि पार्लामेंट विधान द्वारा दूसरी तरहका बन्धान न करे, किसीभी राज्य अथवा राज्यके अन्तर्गत किसी राज्य-सत्ता द्वारा लगाये गये समस्त करोंसे मुक्त होगी, किन्तु साथ ही जबतक पार्लामेंट विधान द्वारा कोई दूसरी तरहका बन्धान न करे, तबतक संघकी वह सम्पत्ति इस संविधानके आरंभ होनेके पूर्वक्षण तक इस प्रकारके किसी करको देने के लिए बाध्य रही हो या समझी जाती रही हो, वह उस करको देनेके लिए बाध्य रहेगी या बाध्य समझी जायेगा, जबतक कि वह कर लागू है।

बिजली-करसे मुक्ति

२६५. पार्लामेंटके विधानद्वारा अन्यथा बन्धान न किये जानेपर किसी राज्यका कोई विधान ऐसी बिजलीकी खपत या बिक्री पर, चाहे बिजली सरकार द्वारा उत्पादित की गयी हो या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, नतो कर लगा सकेगा और न कर लगानेके लिए किसीको अधिकार दे सकेगा जो, बिजलीकि—

(क) भारत-सरकारकी खपतमे आती है, या भारत-सरकारकी खपतके लिए उसके हाथ बेंची जाती है, अथवा

(ख) किसी संघ रेलवेके निर्माण, रक्षण अथवा संचालनमें सरकार द्वारा या उस रेलवेका संचालन करने वाली किसी रेलवे कम्पनी द्वारा उपयोगमें लायी जाती है, अथवा उक्त सरकार या ऐसे किसी रेलवे कम्पनीके हाथ किसी संघ रेलवेके निर्माण, रक्षण अथवा संचालनमे खपतके लिए बेची जाती है,

और बिजलीकी बिक्रीपर कर लगानेवाला अथवा दूसरेको कर लगाने का अधिकार देनेवाला कोई ऐसा विधान इस बातके लिए भी पूरा प्रबन्ध करेगा, कि भारत सरकारकी खपतके लिए भारत-सरकारके हाथ अथवा किसी संघ-रेलवेके निर्माण, रक्षण या संचालनोंमे उपयोगके लिए, उक्त प्रकार की किसी रेलवे कम्पनीके हाथ बेची जानेवाली बिजलीका मूल्य वही होगा, जो भारी परिमाणमे बिजलीकी खपत करनेवालोंसे लिये जानेवाले मूल्यमेंसे कर की रकम घटा कर निकले।

राज्यकी सरकार संघ-करसे मुक्त

२६६. आगे किये जाने वाले बन्धानोंके आधीन रहते हुए, भारत-राज्य क्षेत्रके अन्तर्गत अवस्थित भूमियों या मकानों अथवा वहाँ बढ़ायी हुई, पैदा की हुई या प्राप्तकी हुई किसी आयके विषयमें संघ-कर देनेका दायित्व किसी राज्यकी सरकार पर न होगा :

किन्तु साथ ही,

(क) जहाँ किसी राज्यकी सरकारद्वारा स्वयं या उसकी ओरसे किसी प्रकारका वाणिज्य या व्यापार किया जाता हो, वहाँ इस धाराकी किसी बातसे उसके वाणिज्य या व्यापार अथवा उससे संबद्ध किन्हीं संचालनोंके बारेमे अथवा उसके सम्बन्धसे उत्पन्न किसी आय अथवा उसके प्रयोजनोंके लिए रखी गयी किसी सम्पत्तिपर, किसी संघ-करसे अथवा उस करके बदले लगायी किसी रकमसे किसी राज्यकी सरकारको मुक्त नहीं समझा जायेगा,

(ख) इस अध्यायमें कोईभी ऐसी बात नहीं है, जो प्रथम परिशिष्ट के भाग ३ मे उस समय गिनाये गये किसी राज्यके नरेशको भूमि, मकान या आयके बारेमे किसी संघ-करसे छूट देनेके लिए समझी जाय।

व्याख्या—इस धाराके प्रयोजनके लिए किसी राज्यकी सरकारके साधारण कृत्योंकी आनुषंगिक क्रियाओंको किसी राज्यकी सरकारके नियंत्रण के आधीन वन या वनकी-उपजकी बिक्री, अथवा किसी राज्यके अन्तर्गत जेल में उत्पादित किसी वस्तुकी बिक्रीको उस राज्यकी सरकारका अथवा उसकी ओरसे, चलाया गया वाणिज्य अथवा व्यापार नहीं समझा जायेगा।

कुछ विशेष व्ययों तथा पेंशनोंके सम्बन्धमें लेखा-मिलान

२६७ जहाँ इस संविधानके बन्धानोंके आधीन किसी न्यायालय या कमीशन के व्यय का भार अथवा जिस व्यक्तिने इस संविधानके आरम्भ होनेसे पहिले भारतमें ब्रिटिश सम्राट्के अधीन सेवाकी है, उसे या उसके बारेमे दी जानेवाली पेंशनका भार, भारतके राजस्वों पर या प्रथम परिशिष्ट के भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यके राजस्वोंपर रहेगा, सो यदि—

(क) भारतके राजस्वोंके ऊपर व्यय का भार पड़नेकी अवस्था

में, वह न्यायालय अथवा कमीशन किसी राज्यकी भिन्न-भिन्न आवश्यकताओंकी पूर्ति करता हो, अथवा उस व्यक्तिने ऐसे राज्य की पूर्णतः या अंशतः सेवा की हो, अथवा

(ख) इस प्रकार गिनाये गये किसी राज्यके राजस्वोंपर व्ययका भार पड़नेकी अवस्थामें यदि वह न्यायालय अथवा कमीशन संघ या इस प्रकार गिनाये गये किसी दूसरे राज्यकी भिन्न-भिन्न आवश्यकताओंकी पूर्त्ति करता हो, अथवा उस व्यक्तिने संघ अथवा दूसरे राज्यकी पूर्णतः या अंशतः सेवा की हो, तो जैसीकि स्थिति हो, उस राज्यके राजस्वों अथवा भारत या दूसरे राज्यके राजस्वोंपर व्यय तथा पेशनके बारेमें उतना भार देय होगा, जो समझौतेके अनुसार तै होगा, या समझौतेके अभावमें, जो भारतके परमन्यायाधीश द्वारा नियुक्त किये गये पंचके निर्णयके अनुसार तै होगा।

अध्याय २—उधार लेना

भारत सरकार द्वारा उधार लिया जाना

२६८ संघकी कार्यकारिणी शक्ति भारतके राजस्वोंकी जमानत पर उन सीमाओंके अन्दर उधार लेने तक जा सकती है, जिन्हे पार्लामेण्ट समय-समयपर विधानद्वारा निर्धारित करे, और उन सीमाओंके भीतर वह गारंटी देने तक भी जा सकती है, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार निर्धारित किया जाय।

राज्यों द्वारा उधार लिया जाना

२६९. (१) इस धाराके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी कार्यकारिणी-शक्ति उक्त राज्यके राजस्वोंकी जमानत (प्रतिभूति) पर उन सीमाओंके अन्दर उधार लेने तक जा सकती है, जिन्हें राज्यकी व्यवस्थापिका समय-समय पर विधानद्वारा निर्धारित करे, और उन सीमाओंके भीतर वह गारंटी देने तक भी जा सकती है; जिन्हे यदि कोई हों, इस प्रकार निर्धारित किया जाय।

(२) भारत-सरकार ऐसी शर्तोंके साथ, यदि कोई हो, और जिन्हें कि वह लगाना उचित समझती हो, प्रथम परिशिष्टके भाग १ अथवा भाग ३ में उस समय गिनाये गये राज्योंको उधार दे सकती है, अथवा इस प्रकार की अभी आयी अन्तिम धाराके अनुसार निर्धारितकी गयी सीमाओंका अतिक्रमण न होता हो, तो ऐसे किसी राज्यके लिये गये उधारके बारेमें गारंटी दे सकती है, और ऐसा उधार देनेके लिए अपेक्षित रकमका व्यय-भार भारत के राजस्वों पर पड़ेगा।

(३) प्रथम परिशिष्ट के भाग १ अथवा भाग ३ में उस समय गिनाया गया कोई राज्य भारत-सरकार की सहमति के विना कोई ऐसा ऋण नहीं ले सकेगा, जबकि भारत सरकार या उसके पूर्वाधिकारी सरकार द्वारा दिये या गारंटी किये उस राज्यके किसी ऋणका कोई अंश तबतक चुकाया न जा सका हो।

इस खण्डके अनुसार उन शर्तोंसे, यदि कोई हों, सहमति दी जा सकेगी, जिन्हें भारत सरकार लगाना उचित समझती हो।

अध्याय ३ — सम्पत्ति, अनुबन्ध, देय, और वाद

वित्तों तथा ऋणों, अधिकारों तथा दायित्वोंपर उत्तराधिकार पाना

२७०. इस संविधानके आरंभ होनेके समयमें, भारत सरकार और प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये प्रत्येक राज्यकी सरकार क्रमशः भारत-उपनिवेश-सरकार और उसकी जोड़के राज्यपतियों के प्रान्तोंकी सरकार सारी सम्पत्ति, वित्त और देय धनों पर ऐसी लेखा-मिलानोंके आधीन रहते हुए, उत्तराधिकारी होंगी, जो कि इस संविधानके आरंभ होनेके पहिले पाकिस्तान-उपनिवेशके या पश्चिमी-बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी पंजाबके प्रान्तोंके बननेके कारणकी गयी या की जाने वाली हो।

राज[illegible]साल-सात् किये जाने, तमादी लगने या निःस्वामिक होनेसे रही हुई सम्पत्ति

२७१. प्रथम परिशिष्टके भाग ३ मे उस समय गिनाये गये राज्योंको छोड़कर भारतके राज्य-क्षेत्रमें जो कोई सम्पत्ति वैध स्वामीके अभावमे इस संविधानके लागू न होनेकी दशामे राजसात्करण, तमादी या निःस्वामिताकी प्रक्रियाओं द्वारा सम्राट्को प्राप्त हुई होती, इसके बाद आनेवाले उपबन्धके आधीन रहते हुए, वह सम्पत्ति यदि प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये राज्यमे अवस्थित हो, तो वह उस राज्यके प्रयोजनके लिए ऐसे राज्यकी सरकार, राज्यके और अन्य किसी दूसरी अवस्थामें, भारत-सरकारके प्रयोजनके लिए, संघके हाथमे निहित होगी;

किन्तु शर्त यह है कि, यदि कोई सम्पत्ति उस तारीखको जबकि वह इस प्रकार सम्राट्को मिली होती, भारत सरकार अथवा प्रथम परिशिष्टके भाग १ मे उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी सरकारके दखल या नियंत्रणमे रही हो, तो जिन प्रयोजनोंके लिए उस समय उसको उपयोगमे लाया और रखा जाता था, वे प्रयोजन यदि संघसे सम्बन्ध रखते रहे हों तो, वह भारत-सरकारके प्रयोजनों केलिए संघके हाथमे रहेगी, और यदि वे प्रयोजन उक्त प्रकार निर्दिष्ट किसी राज्यसे सम्बन्ध रखते रहे हों, तो वह उस राज्यकी सरकारके प्रयोजनोंके लिए, उस राज्यके हाथमे रहेगी।

[illegible] आदि [illegible] अधिकार

२७२. (१) संघ और प्रथम परिशिष्टके भाग १ मे उस समय गिनाये गये प्रत्येक राज्यकी कार्यकारिणी शक्ति उपयुक्त व्यवस्थापिकाकी

किसी व्यवस्थाके आधीन रहते हुए, जैसी कि स्थिति हो, संघ अथवा ऐसे राज्यके प्रयोजनके लिए अधिकारमें रखी गयी किसी सम्पत्तिके सहाय-दान, बिक्री, विन्यास या बन्धक किये जा सकेंगे या उक्त प्रयोजनोंके लिए-क्रमशः सम्पत्ति खरीदी या हस्तगत की जा सकेगी, और उनके लिए अनुबन्ध किया जा सकेगा।

(२) संघ अथवा प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये राज्यके प्रयोजनोंके लिए हस्तगतकी हुई सभी सम्पत्ति, संघ या राज्यके हाथमें, जैसी कि स्थिति हो, निहित रहेगी।

अनुबन्ध

२७३. (१) संघ या प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये राज्यकी कार्यकारिणी शक्तिके प्रयोगसे किये गये सभी अनुबंध, राष्ट्रपति या उस राज्यके राज्यपतिके द्वारा, जैसी कि स्थिति हो, किये गये समझे जायेंगे, और उस शक्तिके प्रयोगमें किये गये सभी अनुबन्ध और सम्पत्तिके लिये रक्षा-वचन राष्ट्रपति या राज्यपतिके नामसे ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी रीतिके अनुसार लिखे जायेंगे, जिन्हें वह जिस प्रकारसे हिदायत करे या करने का अधिकार दे।

(२) न तो राष्ट्रपति और न तो राज्यका राज्यपति ही, इस संविधानके प्रयोजनोंके लिए अथवा भारत-सरकार इसके पहिले लागू रहनेवाली किसी व्यवस्थाके प्रयोजनोंके लिए किये गये किसी अनुबंध या रक्षा-वचनके बारेमें वैयक्तिक रूपसे उत्तरदायी होगा, और न वह व्यक्ति ही इनके बारेमें वैयक्तिक रूपसे उत्तरदायी होगा, जिसने राष्ट्रपति या राज्यपतिमेंसे किसीकी ओरसे ऐसा अनुबन्ध या रक्षा-वचन दिया या लिखा है।

वाद (मुकदमे) तथा कार्यवाहियाँ

२७४. (१) भारत सरकार स्वयं मुकदमा कर सकेगी या वह भारत-सरकारके नामसे किये गये मुकदमे में लायी जा सकेगी और प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये राज्यकी सरकार वाद (मुकदमा) कर सकेगी या उक्त राज्यके नाम से किये गये मुकदमे में लायी जा सकेगी; और इस संविधान द्वारा दिये अधिकारोंके बलपर पार्लमेंट अथवा ऐसे राज्यकी व्यवस्थापिका जो व्यवस्था बनायेगी, उसके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, वह अपने भारत सरकार या राज्यकी सरकार अपने अपने कार्योंके सम्बन्धमें वैसी परिस्थितियोंमें उसी वक्त (मुकदमा) वाद डाल सकेगी या वादमें लायी जा सकेगी, जिस प्रकार कि भारत-उपनिवेश तथा उसके नामसे जुड़े हुए मुकदमे कर सकते या मुकदमेंमें लाये जा सकते, यदि इस संविधानको व्यवस्थाका रूप न दिया गया होता।

(२) यदि इस संविधानके आरंभ होनेकी तारीख पर—

(क) कोई ऐसी वैधानिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन हों, जिनमें एक पक्ष भारत उपनिवेश हो, तो उन कार्यवाहियोंमें उक्त

उपनिवेशके स्थानपर भारत-सरकार कार्यापन्न की गयी समझी जायेगी, और

(ख) कोई ऐसी वैधानिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन हों, जिनमें एक पक्ष कोई प्रान्त हो, तो उन कार्यवाहियोंमें उक्त प्रान्तके स्थानपर उसकी जगह आया राज्य कार्यापन्न किया गया समझा जायेगा।

भाग ११

संकटकालीन बन्धान

संकटकालीन उद्-घोषणा

२७५. (१) यदि राष्ट्रपतिको इस बातका विश्वास हो जाय, कि ऐसा गंभीर संकटकाल उपस्थित हो गया है, जिसमे कि भारतकी सुरक्षा, चाहे युद्ध या घरेलू रक्तपातके कारण, खतरेमें पड़ गयी है, तो वह उद्घोषणा निकाल कर वैसा घोषित कर सकेगा।

(२) इस धाराके खण्ड (१) के अनुसार निकाली गयी उद्घोषणा (जिसे इस संविधानमें "संकटकालीन उद्घोषणा" के नामसे पुकारा गया है)—

(क) उत्तरकालीन उद्घोषणा द्वारा निरस्त की जा सकेगी,

(ख) पार्लामेंटके प्रत्येक भवनके समक्ष रखी जायेगी;

(ग) छः मासकी अवधि बीतने पर, बेकाम हो जायेगी, यदि इस अवधिके बीतनेके पहिले पार्लामेंटके दोनों भवनोंने प्रस्ताव द्वारा उसपर अपनी स्वीकृति न दे दी हो।

(३) संकटकालीन उद्घोषणा, जो यह घोषित करती है कि भारतकी सुरक्षा युद्ध या घरेलू रक्तपातके कारण खतरेमें पड़ गयी है, युद्ध या घरेलू रक्तपातके वस्तुतः घटित होनेसे पहिले भी की जा सकेगी, यदि राष्ट्रपतिको यह विश्वास हो गया हो कि उक्त कारणोंसे संकट आसन्न है।

संकटकालीन घोषणा

२७६ जबकि संकटकालीन उद्घोषणा लागू हो तब इस संविधानमें किसी अन्य बातके होते हुए भी,

(क) संघकी कार्यकारिणी-शक्ति किसी राज्यको इस विषयमें हिदायत देने तक है, कि उसकी कार्यकारिणी-शक्तिका प्रयोग किस रीतिसे किया जाय,

(ख) किसी विषयमें पार्लामेंटके विधान बनानेके अधिकारमें वैसे विधानोंके बनानेका अधिकार भी सम्मिलित होगा, जिसके अनुसार उस विषयमें भारत-सरकार अथवा भारत-सरकारके

अधिकारियों और सत्ताधिकारियोंको अधिकार प्रदान किये जायँ और उन्हें कर्त्तव्य सौंपे जायँ, अथवा अधिकार प्रदान करने या कर्त्तव्य सौंपनेका अधिकार दिया जाय।

जिस अवधिमे सङ्कटकालीन उद्घोषणाकी लागू हो, उसमें राजस्व-वितरण-सम्बन्धी बन्धानों-का प्रयोग

२७७. संकटकालीन उद्घोषणाके लागू होनेके समयमें, राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा हिदायतकर सकेगा, कि उस अवधिके लिए, जो कि उक्त उद्घोषणाके बेकाम होने वाले अर्थविभागीय वर्षसे किसी अवस्थामें भी आगे नहीं जायेगी, इस संविधानकी धारा २४९ से २५१ के सारे अथवा एक भी बन्धान ऐसे अपवादों या रूपान्तरोंके साथ कार्यकारी होंगे, जिन्हें कि राष्ट्रपति उचित समझता हो,

प्रथम परिशिष्टके भाग १ वाले राज्यों-मे संविधानी शासन-तन्त्रके फेलहो जाने-की अवस्थाके लिए बन्धान

२७८. (१) इस संविधानकी धारा १८८के अनुसार किसी राज्यके राज्यपतिकी निकाली हुई उद्घोषणाको पाकर यदि राष्ट्रपतिको विश्वास हो जाय, कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसमें उक्त राज्यका शासनतंत्र इस संविधानके बन्धानोंके अनुसार नही चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा—

(क) उस राज्यकी सरकारके सारे अथवा एक भी कृत्यको तथा उस राज्यकी सरकारके हाथमें निहित अथवा उस राज्यकी व्यवस्थापिकासे भिन्न किसी राज्य संस्था या राज्यसत्ताधारीके हाथमें निहित अथवा उनके द्वारा प्रयोगमे आनेवाली सारी या किसी शक्ति को स्वयं धारण कर सकेगा,

(ख) वह यह घोषित कर सकेगा कि उक्त राज्यकी व्यवस्थापिकाके अधिकारोंको केवल पार्लामेंट प्रयोग कर सकेगी,

और ऐसी किसी उद्घोषणामें ऐसे आनुषंगिक और परिणामभूत बन्धान भी किये जा सकेंगे, जिन्हें उक्त उद्घोषणाके उद्देश्योंको कार्यरूप देनेके लिए राष्ट्रपति आवश्यक या वाञ्छनीय समझे, इनमें वे बंधान भी सम्मिलित होंगे, जो उक्त राज्यकी किसी राज्य-संस्था या सत्ता से संबंधित इस संविधानके बन्धानोंके क्रियान्वित होने को रोक रखनेके लिए बनाये जायँ;

किन्तु साथ ही, इस खंडमे कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार दे, कि वह किसी उच्चन्यायालयके हाथमे निहित या उसके द्वारा प्रयोग किये जानेवाले किसी अधिकारको अपने हाथमें लेले, अथवा उच्चन्यायालयसम्बन्धी इस संविधानके किसी बन्धानको क्रियान्वित होनेसे पूर्णतः या अंशतः लटकाये रखे।

(२) ऐसी कोई उद्घोषणा उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा निरस्त या परिवर्तित की जा सकेगी।

(३) इस धाराके अनुसार की गयी उद्घोषणा—

(क) पार्लमेंटके प्रत्येक भवनके समक्ष रखी जाएगी,

(ख) यदि पहिलेवाली उद्घोषणाको निरस्त करनेवाली दूसरी उद्घोषणा नहीं की गयी है, तो वह छ महीनेकी समाप्तिपर स्वयं वेकाम हो जायेगी :

किन्तु साथ ही, जब ऐसी उद्घोषणाके प्रवर्त्तनको जारी रखनेका समर्थक प्रस्ताव यदि पार्लमेंटके दोनों भवनोंसे पासकर दिया जाय, तो वह उद्घोषणा यदि निरस्त न हो गयी हो, तो उस तारीखसे आगे बारह मासकी अवधि तक कार्यकारी रह सकेगी, लेकिन उसके न होने पर वह इस खण्डके अनुसार वेकाम समझी जाती, किन्तु ऐसी कोई भी उद्घोषणा किसी भी अवस्थामे तीन वर्षसे अधिकके लिए लागू नहीं की जा सकेगी।

(४) जब इस धाराके खण्ड (१) के अनुसार की हुई उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया जाये, कि उस राज्यकी व्यवस्थापिकाके अधिकारोंका प्रयोग केवल पार्लमेंट कर सकेगी, तो

(क) पार्लमेंटको अधिकार होगा कि वह ऐसा विधान बनाये, जिससे भारत-सरकार अथवा भारत-सरकारके अधिकारियों अथवा सत्ताधारियोंको अधिकार दिये जॉय और कर्त्तव्य सौंपे जॉय अथवा अधिकार देने और कर्त्तव्य सौंपनेके लिए उन्हें अधिकारी बनाया जाय;

(ख) राष्ट्रपतिको अधिकार होगा, कि वह पार्लमेंटके दोनों भवनोंके अधिवेशनके समयको छोड़कर, इस संविधानकी धारा १०२ के अनुसार समयादेश जारी करे।

(५) पार्लमेंट द्वारा बनाया गया कोई ऐसा विधान, जिसे बनानेकी क्षमता पार्लमेंटको न होती, यदि इस धाराके अनुसार उद्घोषणा न की गयी होती, उस उद्घोषणाके बेकाम होनेके पश्चात् एक वर्षकी अवधि समाप्त होने पर उन बातोंको छोड़कर उक्त अक्षमताकी मात्रामें कार्यकारी नहीं रह जायेगा, जो उस अवधिके समाप्त होनेके पहिले बनायी गयी थीं, अथवा जिसे कार्यरूप नहीं दिया जा सका था, किन्तु यह बात उस अवस्थामें लागू नहीं होगी, जबकि इस प्रकार बेकाम होनेवाले बन्धानोंके पहले ही उस राज्यकी व्यवस्थापिकाकी व्यवस्था निरस्त या परिवर्त्तित करके या बिना परिवर्त्तन, करके पुनः व्यवस्थित हो चुकी हो।

संकटकालके बीच-में धारा १३ के बन्धानोंका स्थगन

२७६. जबतक "संकटकालीन उद्घोषणा" जारी हो, तब तक निर्दिष्ट राज्यके इस संविधानके भाग ३ की धारा १३ की किसी बातसे उक्त भागमेंके किसी ऐसे विधान बनाने अथवा कार्यकारिणी कार्यवाहीको करनेके अधिकार पर बाधा न आयेगी, जिसे बनाने या करनेके लिए दूसरी प्रकारसे वह राज्य सक्षम हो।

संकटकालके बीच इस संविधानकी धारा २५ द्वारा गारंटी किये गये अधिकारों-का स्थगन

२८०. जब "संकटकालीन उद्घोषणा" लागू हो, तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा, कि इस संविधानकी धारा २५ द्वारा गारंटी किये गये अधिकार आदेशमें उल्लिखित अवधिके लिए स्थगित रहेंगे, पर उस उद्घोषणाके बेकाम होनेकी तारीखसे छ महीनेकी अवधिसे आगे तक यह अवधि बढ़ायी नहीं जा सकेगी।

भाग—१२

सङ्घ और राज्योंके अधीन राजसेवायें

अध्याय १—राजसेवायें

व्याख्या

२८१. इस भागमें जबतक प्रकरणसे दूसरा अर्थ अभिप्रेत न हो, "राज्य" शब्दसे प्रथम परिशिष्टके भाग १मे गिनाये गये राज्य समझे जायेंगे।

संघ अथवा राज्यके अधीन राजसेवा करने वाले व्यक्तियों की भरती और राज-सेवाकी शर्तें

२८२. इस धाराके खण्ड (२)के बन्धानोंके आधीन रहतेहुए, उपयुक्त व्यवस्थापिकाकी व्यवस्था द्वारा संघ अथवा किसी राज्यके कृत्योंसे सम्बन्ध रखनेवाली सरकारी राजसेवाओं और स्थानोंपर नियुक्त होनेवाले व्यक्तियोंकी भरती और उनकी सेवाकी शर्तोंका नियमन किया जायेगा।

(२) जो व्यक्ति किसी असैनिक (पौर) राजसेवामें लगा हुआ हो, या भारत-सरकार अथवा किसी राज्यके कार्योंसे सम्बद्ध किसी असैनिक अधिकारवाले स्थानपर अधिष्ठित रहा हो, वह तबतक निकाला, हटाया या पदच्युत नहीं किया जायेगा, जबतक कि उसे अपने बारेमे की जानेवाली कार्यवाहीके विरुद्ध सफाई देनेके लिए उचित अवसर न दिया जाय:

किन्तु, यह खण्ड वहाँ नहीं लागू होगा, जहाँ कि—

(क) कोई व्यक्ति ऐसे आचरणके लिए निकाला, हटाया या पदच्युत किया गया है, जिसके फलस्वरूप अपराधका आरोप लगाया जा कर वह दण्डित हुआ हो; अथवा—

(ख) जिस सत्ताधिकारीको किसी व्यक्तिको निकालने, हटाने या पदच्युत करनेका अधिकार प्राप्त हो, उसे यदि कुछ विशेष कारणोंसे, जिसे वह लेखबद्ध करेगा निश्चित विश्वास हो चुका हो, कि उक्त व्यक्तिको सफाई देनेका अवसर देना व्यवहारतः युक्तिसंगत नहीं है।

संक्रान्तिकालीन बन्धान

२८३. यदि इस संविधानके अनुसार कोई बन्धान न किया जाय, तो जो नियम इस संविधानके आरंभ होनेके पूर्वक्षणतक प्रचलित रहे हों, और किसी ऐसी राजसेवा अथवा अधिकारवाले स्थानपर लागू रहे

हों, जो इस संविधानके आरंभ होनेके बाद, संघ अथवा किसी राज्यके अधीन राजसेवा अथवा अधिकारवाले स्थानके रूपमें विद्यमान है, तो वे नियम वहीं तक लागू रहेंगे, जहाँ तक कि वे संविधानके बन्धानोंसे संगति रखते हों।

अध्याय २—जनसेवा-कमीशन

सब और राज्योंके लिए जनसेवा-कमीशन (समितक)

२८४. (१) इस धाराके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, संघके लिए एक जन-सेवा-कमीशन (समितक) तथा प्रत्येक राज्यके लिए अलग-अलग एक जनसेवा कमीशन होंगे।

(२) दो या दोसे अधिक राज्य परस्पर यह समझौता कर सकेंगे कि—

(क) उनके समूहके लिए एक जनसेवा कमीशन हो; अथवा—

(ख) एक राज्यका जनसेवा कमीशन उन सभी राज्योंका काम चलावे;

और इस प्रकार किये गये किसी समझौतेमें ऐसे आनुषंगिक और परिणामभूत बन्धान रखे जासकेंगे, जो उस समझौतेके प्रयोजनोंको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए आवश्यक और वाञ्छनीय जान पड़ें, और राज्योंके किसी समूहके लिए एकही कमीशन हो, ऐसा समझौता होनेपर उसमें यह भी निर्दिष्ट रहेगा, कि इस संविधानके इस भागके अनुसार किसी राज्यके राज्यपतिद्वारा किये जानेवाले कृत्योंको कौनसे एक या अधिक राज्यपति सम्पादित करेंगे।

(३) यदि किसी राज्यका राज्यपति संघके जनसेवा-कमीशन से इस निमित्त प्रार्थना करे, तो वह जनसेवा-कमीशन राष्ट्रपतिकी पूर्वस्वीकृति लेकर उस राज्यकी सारी या किसी आवश्यकताकी पूर्ति करना स्वीकार कर सकेगा।

(४) यदि प्रकरणसे दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, तो इस संविधानमें संघ-जनसेवा कमीशन अथवा किसी राज्य-जनसेवा कमीशन के निर्देशोंसे, उक्त विचाराधीन विशेष विषयके बारेमें संघ या उस राज्यकी, जैसीकि स्थिति हो, आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेवाले कमीशनो के निर्देशोंका बोध होना समझा जायेगा।

कमीशनों (समितकों) का सङ्गठन और उनके कार्यकर्ता

२८५. (१) संघ-जनसेवा-कमीशनके अध्यक्ष और दूसरे सभासदों की नियुक्ति राष्ट्रपतिके विवेकानुसार होगी और किसी राज्य जनसेवा-कमीशन के अध्यक्ष और दूसरे सदस्योंकी नियुक्ति उस राष्ट्रके राज्यपतिके विवेकानुसार:

किन्तु साथ ही, प्रत्येक जनसेवा-कमीशनके कमसे कम आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जो अपनी नियुक्तिकी तारीखसे दस वर्ष पहिलेसे भारत-सरकारके या किसी राज्य-सरकारके अधीन किसी पद पर रह चुके हों, और उक्त दस वर्षकी अवधि गिनने समय, इस संविधानके आरंभ होनेसे पहिले किसी राज्य-सत्ताके अधीन किसी पदपर काम करनेकी अवधिको भी सम्मिलित समझा जायेगा।

(२) संघ कमीशन के लिए राष्ट्रपति और राज्यका राज्यपति अपने विवेकसे नियम द्वारा—

(क) कमीशनके सदस्योंकी संख्या, उनका कार्यकाल तथा सेवाकी शर्तें निश्चित कर सकेगा; और

(ख) कमीशनके कार्यकर्त्ताओंकी संख्या तथा उनकी सेवाकी शर्तोंके लिए बन्धान बना सकेगा।

(३) पदसे अलग हो जाने पर—

(क) संघ कमीशनका अध्यक्ष न तो भारत-सरकारके अधीन और न किसी राज्यकी सरकारके ही, आगे किसी दूसरी नियुक्तिका पात्र हो सकेगा;

(ख) किसी राज्य-कमीशनका अध्यक्ष संघ-कमीशनके अध्यक्ष अथवा सदस्य अथवा दूसरे राज्य-कमीशनका अध्यक्ष तो नियुक्त हो सकेगा; किन्तु वह न तो भारत सरकार और न किसी राज्यकी सरकारके अधीन किसी और नियुक्तिका पात्र हो सकेगा;

(ग) अध्यक्षके अतिरिक्त संघ अथवा किसी राज्यके कमीशनका कोई दूसरा सदस्य राज्यके कार्योंसे सम्बंध रखनेवाली किसी नियुक्तिके लिए उस राज्यके राज्यपतिकी, और किसी दूसरी नियुक्तिके लिए राष्ट्रपतिकी पूर्वस्वीकृति लिए विना, नतो भारत-सरकार और न किसी राज्यकी सरकारके अधीन किसी दूसरी नियुक्तिका पात्र हो सकेगा।

जनसेवाकमीशनों के कृत्य

२८६. (१) संघ तथा राज्यके जनसेवा कमीशनोंका यह कर्तव्य होगा, कि वे क्रमशः संघ-सेवाओं या राज्य-सेवाओंकी नियुक्तियोंके लिए परीक्षाओंका संचालन करें।

(२) अथवा कोई दो या दो से अधिक राज्य संघजन-सेवा कमीशन से उसके लिए प्रार्थना करें, तो उसका यह भी कर्तव्य होगा, कि वह उन राज्योंके लिए किन्हीं ऐसी सेवाओंके वास्ते संयुक्त भरतीकी योजना बनाने और कार्यान्वित करनेमें सहायता दे, जिनके लिए विशेष योग्यता रखनेवाले प्रार्थी अपेक्षित हो।

(३) अखिल भारतीय जन-सेवाओं तथा संघके कार्योंसे सम्बद्ध दूसरी सेवाओं और पदोंके बारेमें भी, राष्ट्रपति और राज्यके कार्योंसे सम्बद्ध दूसरी सेवाओं और पदोंके बारेमें राज्यपति, ऐसे नियम बना सकेगा, जो ऐसे विषयों का निर्देश करेंगे, जिनमें या तो सामान्यतः अथवा किसी विशेष प्रकारके कामके लिए या किसी परिस्थितिमें जनसेवाकमीशनसे परामर्श लेना आवश्यक न होगा, किन्तु इस प्रकार बनाये जानेवाले नियमोंके बारेमें

आगे आने वाले खण्डके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, संघ-कमीशन अथवा राज्य-कमीशनसे, जैसी कि स्थिति हो, वह निम्नलिखित विषयोंके बारेमें परामर्श करेगा—

(क) असैनिक (पौर) सेवाओंके पदोंके लिए भरतीकी रीतिसे सम्बद्ध समस्त विषय,

(ख) असैनिक (पौर) सेवाओं और पदों पर नियुक्त करते समय और एक पदसे दूसरे पदके लिए पद-वृद्धि करते या एक सेवासे दूसरी सेवामें परावर्तित करते समय और इस प्रकार की नियुक्तियों, पदवृद्धियों और स्थान-परिवर्तनोंके लिए उम्मीदवारोंकी योग्यताके ऊपर विचार करते समय, जिन सिद्धान्तों का अनुसरण करना चाहिए, वे सिद्धान्त;

(ग) भारत-सरकार अथवा किसी राज्यकी सरकारके अधीन असैनिक (पौर) अधिकारकी हैसियनसे रहनेवाले व्यक्तिके ऊपर लगनेवाले अनुशासनसम्बंधी विषय, जिनमें ऐसे विषयों से सम्बद्ध स्मृतिपत्र और प्रार्थना-पत्र भी सम्मिलित होंगे;

(घ) ऐसे व्यक्तिके द्वारा या सम्बन्धमे किया गया कोई दावा जो भारत-सरकार या किसी राज्यकी सरकारके अधीन या सम्राट् के अधीन असैनिक अधिकारीके तौरपर सेवा कर कर रहा हो या कर चुका हो, और जिसने अपने कर्तव्य-पालन या कर्तव्य पालनके अभिप्रायसे किये गये कार्य के लिए अपने विरुद्ध की गयी वैधानिक कार्यवाहियों मे सफाई देने में जितना खर्च किया हो, उतना भारतके या राज्यके राजस्वों मेंसे, जैसीकि स्थिति हो, पानेके लिए उक्त दावा किया हो,

(ङ) भारत सरकार या किसी राज्यकी सरकारके आधीन या सम्राट्के आधीन असैनिक अधिकारीके तौर पर सेवा करते समय, किसी व्यक्तिके आघात पहुँचनेकी अवस्थामें पेंशनके लिए किया गया दावा और इस प्रकार दी जानीवाली धन-राशि·

और जनसेवा-कमीशनका यह कर्त्तव्य होगा, कि इस प्रकार निर्देश किये गये किसी भी विषय पर अथवा किसी ऐसे अन्य विषयपर परामर्श दे, जिसे कि राष्ट्रपति या राज्यपति, जैसीकि स्थिति हो, जनसेवा-कमीशनके पास भेजे।

(४) इस धाराकी कोई बात इसके लिए बाध्य करनेवाली नहीं समझी जायेगी, कि संघ या किसी राज्यके भिन्न-भिन्न समुदायोंके बीच नियुक्तियों और स्थानोंका वितरण किस रीतिसे किया जाय और इसके बारेमे जनसेवा-कमीशनसे परामर्श लिया ही जाय।

जनसेवा-कमीशनके कृत्योंकी सीमायें बढानेका अधिकार

२८७. इस धाराके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, पार्लामेण्ट अथवा किसी राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा बनायीगयी व्यवस्थामें यह बंधान रखा जा सकेगा, कि संघ-जनसेवा-कमीशन या राज्य-जनसेवा-कमीशन, जैसी भी स्थिति हो, किसी और भी कृत्यका अनुष्ठान करे :

किन्तु व्यवस्था जब किसी राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा बनायी गयी हो, तो उक्त व्यवस्थाकी एक यह भी शर्त्त होगी, कि उसके द्वारा प्रदान किये गये कृत्य राष्ट्रपतिकी सहमतिके विना किसी ऐसे व्यक्तिके सम्बन्धमें प्रयोग नहीं किये जा सकेंगे, जो उस राज्यकी सेवाओंमेंसे किसीका भी सदस्य न हो।

जनसेवा-कमीशनोंके व्यय

२८८ संघ अथवा राज्य-जनसेवा-कमीशनके व्ययका भार जिनमें उक्त कमीशनके सदस्यों या कार्यकर्त्ताओंके अथवा उनके लिए दिये जाने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन भी सम्मिलित हैं, भारतके राजस्वो अथवा राज्यके राजस्वोंके ऊपर, जैसी क स्थिति हो, होगा।

भाग १३

निर्वाचन

निर्वाचनोंकी देखभाल, सचालन और नियन्त्रणका काम निर्वाचन-कमीशनके हाथमें होगा

२८९ (२) इस विधानके अनुसार किये गये, प्रथम परिशिष्टके भागमें उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाके सारे निर्वाचनों और उस राज्यके राज्यपति पदके लिए निर्वाचनोंकी, (उस राज्यके राज्यपतिकी नियुक्तिके वास्ते नामतालिकाके निर्वाचनोंकी) देखभाल, संचालन और नियंत्रण, जिसमेंकि उस राज्यकी व्यवस्थापिकाके निर्वाचनोंसे उत्पन्न अथवा सम्बद्ध सन्देहों और विवादोंके निर्णयके लिए निर्वाचन-न्यायालयकी नियुक्ति भी सम्मिलित है, उस राज्यके राज्यपति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कमीशनको सौंपा जायेगा।

(१) इस संविधानके आधीन किये गये पार्लामेंटके सारे निर्वाचनों और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपतिके पदोंके निर्वाचनोंकी देखभाल, सचालन या नियंत्रण जिसमें पार्लामेंटके निर्वाचनोंसे उठे हुए या सम्बद्ध सन्देहों तथा वाद विवादोंके निर्णयके लिए निर्वाचन-न्यायालयको नियुक्त करना भी सम्मिलित है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कमीशनको सौंपा जायेगा।

पार्लामेंटके लिए निर्वाचन

२९०. इस सविधानके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, पार्लामेंट समय समय पर विधानद्वारा पार्लामेंटके प्रत्येक भवनके निर्वाचन अथवा उनसे सम्बद्ध सारे विषयोंके बारेमें बन्धान कर सकेगी, जिनमे वे विषय भी सम्मिलित समझे जायेंगे जो पार्लामेंटके दोनों भवनोंके समुचित सगठन और निर्वाचन-क्षेत्रकी सीमाबन्दीके लिए आवश्यक हों।

राज्योंकी व्यवस्था-पिकाओंके लिए निर्वाचन

२९१. इस संविधानके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये राज्यकी व्यवस्थापिका समय समय पर, विधान द्वारा अपने भवन या भवनोंके बारेमें अथवा उनसे सम्बद्ध सारी बातोंके बारेमें बन्धान बना सकेगी, जिनमें वे बातें भी सम्मिलित समझी जायेंगी, जो ऐसे भवन या भवनोंके समुचित संगठन और निर्वाचनक्षेत्रोंकी सीमा बन्दीके लिए आवश्यक हैं।

भाग १४

अल्पसंख्यकोंके सम्बन्धमें विशेष बन्धान

जन-भवनमें अल्पसंख्यकोंके लिए स्थानोंका संरक्षण

२९२ इस संविधानकी धारा ६७ के खण्ड (५) के उपखण्ड (ख) में रखे गये संख्याक्रमके अनुसार—

(क) मुसलमान-सम्प्रदाय और परिगणित जातियाँ

(ख) प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये प्रत्येक राज्यकी परिगणित आदिवासी जातियाँ; और

(ग) मद्रास और बम्बई राज्योंके भारतीय ईसाई सम्प्रदायके लिए जन-भवनमें स्थान संरक्षित रखे जायेंगे।

जन-भवनमें ऐंग्लो-इण्डियन सम्प्रदायके प्रतिनिधित्वके लिए विशेष बन्धान

२९३. इस संविधानकी धारा ६७ में किसी प्रतिकूल बातके रहते हुए भी, यदि राष्ट्रपति ऐसा समझे, कि जनभवनमें ऐंग्लोइण्डियन-सम्प्रदायका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह जन-भवनके लिए अधिकसे अधिक दो सदस्य उस सम्प्रदायमें से मनोनीत कर सकेगा।

राज्योंकी व्यवस्थापिका-सभाओंमें अल्पसंख्यकोंके लिए स्थान

२९४ (१) संविधानकी धारा १४९के खण्ड (३) में निहित संख्याक्रमके अनुसार—

(क) प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये प्रत्येक राज्यकी व्यवस्थापिका-सभामें मुसलमान-सम्प्रदाय, परिगणित जातियों और (आसामके स्वायत्त जिलोंकी परिगणित आदिवासी जातियोंको छोड़कर) परिगणित आदिवासी जातियोंके लिए; और

(ख) मद्रास और बम्बई राज्योंकी व्यवस्थापिका-सभाओंमें भारतीय ईसाई-सम्प्रदायके लिए,

स्थान सुरक्षित रहेंगे।

(२) आसाम-राज्यकी व्यवस्थापिका-सभामें स्वायत्त जिलोंके लिए भी स्थान सुरक्षित रहेंगे।

(३) प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी

राज्यकी व्यवस्थापिका-सभामें किसी सम्प्रदायके लिए सुरक्षित रखे गये स्थानोंका यथाशक्ति वही अनुपात होगा, जो उस राज्यमें उक्त सम्प्रदायकी जनसंख्या और उस राज्यकी सम्पूर्ण जनसंख्याके बीच हो।

व्याख्या—इस खण्डके लिए किसी राज्यकी सारी परिगणित जातियाँ बराबर मानी जायेंगी और इसी प्रकार किसी राज्यकी सारी परिगणित आदिवासी जातियाँ भी।

(४) आसाम राज्यकी व्यवस्थापिकामें किसी स्वायत्त जिलेके लिए सुरक्षित रखे गये स्थानोंका अनुपात उस जिलेकी जनसंख्या और उस राज्यकी सम्पूर्ण जनसंख्याके बीचके अनुपातसे कम न होगा।

(५) आसामराज्यके किसी स्वायत्त जिलेके लिए सुरक्षित रख छोड़े गये स्थानोंके निर्वाचन-क्षेत्रोंमें उस जिलेसे बाहरका कोई क्षेत्र सम्मिलित न होगा।

(६) कोई व्यक्ति, जो आसाम-राज्यके किसी स्वायत्त जिलेकी परिगणित आदिवासी जातिका नहीं है, आसाम-राज्यकी व्यवस्थापिकाके लिए (शिलांग छावनी और म्युनिस्पेलिटीवाले निर्वाचन-क्षेत्रको छोड़कर) उस जिलेके किसी-भी निर्वाचन-क्षेत्रसे खड़ा न हो सकेगा।

राज्योंकी व्यवस्थापिका-सभाओंमे एंग्लो इंडियन सम्प्रदायके प्रतिनिधित्वके लिए विशेष बन्धान

२९५. इस संविधानकी धारा १४९ में किसी प्रतिकूल बातके रहते हुए भी, किसी भी राज्यका राज्यपति यदि ऐसा समझे, कि उस राज्यकी व्यवस्थापिका सभामें ऐंग्लोइंडियन सम्प्रदायका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उस व्यवस्थापिका-सभामें उस सम्प्रदायके सदस्योंको उपयुक्त संख्यामे मनोनीत कर सकेगा।

राजसेवाओं और पदोंके लिए अल्पसंख्यक सम्प्रदायोंके स्वत्व

२९६. तुरन्त आगे आनेवाली धाराके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, संघ अथवा प्रथम परिशिष्टके भाग १ मे उस समय गिनाये गये राज्यके कार्योंसे सम्बन्ध रखनेवाली राजसेवाओं या पदोंके लिए नियुक्तियाँ करते समय, सुचारु रूपसे शासनप्रबन्ध चलता रहे, इसका ध्यान रखते हुए, सभी अल्पसंख्यक सम्प्रदायोंकी उचित मांगोंका पूरा ध्यान रखा जायेगा।

कुछ विशेष राजसेवाओंमे ऐंग्लो-इंडियन सम्प्रदायके लिए विशेष बन्धान

२९७ इस संविधानके आरंभ होनेके बाद दो वर्षों तक, रेल, कस्टम आगम तथा तारसे संबन्धित राजसेवाओंके पदोंके लिए ऐंग्लो-इंडियन सम्प्रदायके लोगोंकी नियुक्तियाँ उसी प्रकार होती रहेंगी, जैसेकि १५ अगस्त १९४७ के पूर्वक्षण तक होतीं थी।

प्रत्येक आनेवाली दोवर्षी अवधिमें, उक्त सम्प्रदायके लोगोंके लिए उक्त राजसेवाओंमे सुरक्षित रखे जानेवाले पदोंकी संख्यामें तुरन्त पूर्वकी दोवर्षी अवधिमे उनके लिए सुरक्षित रखी गयी संख्यासे दस प्रतिशत कमी की जायेगी:

किन्तु साथही, इस संविधानके आरम्भ होनेकी तारीखसे दस वर्षोंके अन्त तक ऐसे सारे संरक्षण समाप्त कर दिये जायेंगे।

(२) खण्ड (१) के अनुसार सुरक्षित रखे गये पदोंके अतिरिक्त अथवा उनसे अधिक पदोंपर ऐंग्लोइंडियन सम्प्रदायकी लोगोंकी नियुक्तियोंके लिए इस खण्डकी किसी बातसे रुकावट नहीं होगी, यदि उस सम्प्रदायके ऐसे लोग दूसरे सम्प्रदायोंके लोगोंकी तुलनामें योग्यताके कारण नियुक्तिके योग्य पाये जायें।

ऐंग्लो-इंडियन सम्प्रदायके हितके लिए शिक्षासंबंधी सहायताके लिए विशेष अनुदान

२९८. इस संविधानके आरम्भ होनेके बाद पहिले तीन अर्थ-विभागीय वर्षों तक, ऐंग्लोइंडियन सम्प्रदायके हितके लिए शिक्षाके संबंधमें वही सहायता-दान, यदि कोई रहे हों, संघ तथा प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये प्रत्येक राज्य द्वारा दिये जायेंगे, जो ३१ मार्च १९४८ को अन्त होने वाले अर्थविभागीय वर्षमें दिये गये रहे हों।

प्रत्येक अगले तीनवर्षी अवधिमें, तुरंत पहले वाले तीनवर्षी अवधिकी अपेक्षा सहायता-दान दस प्रतिशत कम किये जा सकेंगे, किन्तु इस संविधानके आरंभ होनेसे दस वरसके अंतमें ऐसे सहायता-दान, जिस मात्रामें वे ऐंग्लोइंडियन सम्प्रदायके लिये विशेष सहायता-दान थे, उस मात्रा तक बन्द हो जायेंगे :

किन्तु साथ ही यह भी, कि उस धाराके अनुसार कोई शिक्षण-संस्था सहायता पानेकी अधिकारी न होगी, जबतक कि उसके वार्षिक प्रवेशार्थियोंमें कमसे कम ४० प्रतिशत शिक्षार्थी ऐंग्लोइंडियन-सम्प्रदायसे भिन्न दूसरे सम्प्रदायोंके न हों।

संघ और राज्योंमें अल्पसंख्यकोंके लिए विशेष पदाधिकारी

२९९. (१) संघके अल्प-संख्यकोंके लिए एक विशेष-पदाधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये प्रत्येक राज्यमें अल्पसंख्यकोंके लिए एक विशेष-पदाधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति उस राज्यका राज्यपति करेगा।

(२) संघके कार्योंके सम्बन्धमें अल्पसंख्यकोंके लिए इस संविधानके आधीन बन्धान किये गये संरक्षणोंके सम्बन्धके सभी विषयोंकी जाँच करना और ऐसी अवधियोंके बीचमें, जिनकी कि राष्ट्रपति हिदायत करे, संरक्षणोंके कार्य-रूपमें परिणत करनेके बारेमें राष्ट्रपतिको सूचित करना, संघके विशेष-पदाधिकारीका कर्त्तव्य होगा और राष्ट्रपति ऐसी सब सूचनाओंको पार्लामेंटके समक्ष रखवायेगा।

(३) इस प्रकार उल्लिखित राज्योंके कार्योंके बारेमें अल्पसंख्यकोंके लिए इस संविधानके अनुसार बन्धान किये गये संरक्षणोंके सारे विषयोंकी जाँच करना, ऐसे समयके अन्तर से, जिसकी कि उस राज्यका राज्य-पति हिदायत करे, संरक्षणोंके कार्यरूपमें परिणत करनेपर राज्यपतिको सूचित करना—यह उस राज्यके विशेष-पदाधिकारीका कर्त्तव्य होगा, और राज्यका राज्यपति ऐसी सभी सूचनाओंको उक्त राज्यकी व्यवस्थापिकाके

समक्ष रखवायेगा।

प्रथम परिशिष्टके भाग (घ) के राज्योंके परिगणित - क्षेत्रोंके शासन-प्रबंध तथा परिगणित आदिवासी जातियोंके हितके लिए संघका नियंत्रण

३००. (१) प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये राज्योंके परिगणित क्षेत्रोंके शासन-प्रबन्ध और परिगणित आदिवासियोंके हितार्थ विवरण तैयार करनेके लिए राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा किसी समयभी, कमीशन नियुक्त कर सकेगा और इस संविधानके आरम्भ होनेसे दस बरस की समाप्ति पर तो करेगा ही।

कमीशनके संगठन, अधिकार और कार्यप्रणाली आदेशमें उल्लिखित रहेंगे और उसमें वे आनुषंगिक और सहायक बंधान भी रह सकेंगे, जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय समझे।

(२) संघकी कार्यकारिणी शक्तिकी सीमा ऐसे राज्यको उस प्रकार हिदायत देने तक होगी, जो कि उस राज्यकी परिगणित आदिवासियोंके हितके लिए उक्त हिदायतमें परम आवश्यक बनायी हुई योजनाओंके बनाने और कार्यरूपमें परिणत करनेसे सम्बन्ध रखती हो।

पिछड़े हुए वर्गोंकी स्थितिकी जाँचके लिए कमीशन नियुक्त करना

(१) राष्ट्रपति आदेश निकालकर ऐसे व्यक्तियोंका कमीशन नियुक्त कर सकेगा, जिन्हें वह भारतके राज्य-क्षेत्रके भीतर समाज और शिक्षामें पिछड़ेहुए वर्गोंकी स्थितियों और कठिनाइयोंकी जाँचके लिए और जिन्हें वह इनबातोंके बारे में सिफारिश देनेके लिए, योग्य समझे; उन कठिनाइयोंके दूर करने और उनकी अवस्थाको उन्नत करने के लिये संघ अथवा किसी राज्य को कौन उपाय करने चाहिए, उनके बारेमें और इस प्रयोजनके लिए कितना सहाय-दान संघ अथवा किसी राज्य द्वारा दिया जाना चाहिए, और किन शर्तोंके साथ ऐसे सहायदान दियें जाँय, और ऐसे कमीशनकी नियुक्तिके आदेशमें कमीशनद्वारा अनुसरणीय कार्यप्रणाली कैसी हो, इन सब बातोंका भी उल्लेख रहेगा।

(२) इस प्रकार नियुक्त किया गया कमीशन अपने ऊपर सौंपे गये विषयोंकी जाँच करेगा और राष्ट्रपतिके सामने ऐसा एक विवरण उपस्थित करेगा, जिसमे प्राप्त तथ्योंके साथ ऐसी सिफारिश रहेगी जिन्हें कमीशन उचित समझे।

(३) राष्ट्रपति इस तरह भेजे गये विवरणकी एकप्रति उसपर की गयी कार्रवाईकी संक्षिप्त व्याख्याके साथ पार्लामेंटके समक्ष रखवायेगा।

भाग १५

विविध

राष्ट्रपति और राज्यपतियोंके लिए बचाव

३०२ (१) राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपति अपने पद के अधिकारोंके प्रयोग और कर्त्तव्योंके पालन अथवा उन अधिकारोंके प्रयोग

और कर्त्तव्योंके पालनमें किये हुए या किये जानेका अभिप्राय रखने वाले अपने किसी कार्यके लिए किसी न्यायालयके समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा; किन्तु साथ ही, इस संविधानकी धारा ६१के अधीन दोषारोपकी जांचके लिए पार्लामेंटके किसी भवनद्वारा नियुक्त या नामोद्दिष्ट कोई न्यायालय, न्याय-पंचायत अथवा न्याय-संस्था राष्ट्रपतिके आचरणकी जांच कर सकेगी;

किन्तु साथ ही इस बन्धानके साथ कि, इस खंडकी किसी बातका यह अर्थ न होगा, कि किसी व्यक्तिके भारत-सरकार अथवा राज्य-सरकारके विरुद्ध उन कार्यवाहियोंके करनेके अधिकारमें कोई रुकावट होगी, जो इस संविधानके भाग १०के अध्याय ३ में वर्णित हैं।

(२) किसी भी प्रकारकी फौजदारी कार्यवाही राष्ट्रपति या किसी राज्यके राज्यपतिके विरुद्ध उसके कार्यकालमें न तो लायी जायेगी और न चालू रखी जा सकेगी।

(३) किसी न्यायालयसे राष्ट्रपति अथवा किसी राज्यके राज्यपतिको गिरफ्तार करने अथवा कारावास देनेके लिए कोई आज्ञापत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।

(४) कोई दीवानी कार्यवाही, जिसमें राष्ट्रपति अथवा किसी राज्यके राज्यपतिके विरुद्ध कोई उपशम-सहायताकी मांगकी गयी हो, और जो उसके अपने व्यक्तिगत रूपसे किये गये या किये जानेका अभिप्राय रखने वाले किसी कार्यके बारेमें हो, चाहे वह कार्य उसके राष्ट्रपति अथवा राज्यके राज्यपतिके पद पर आसीन होनेसे पहिले या पीछे किया गया हो, उसके कार्यकालमें किसी न्यायालयमें उस समय तक नहीं की जा सकेगी, जब तक कि ऐसी लिखित सूचना राष्ट्रपति को या राज्यपतिको जैसी कि स्थिति हो, दिये अथवा उसके कार्यालयमें छोड़े दो मास न बीत चुके हो, उक्त लिखित सूचनामें कार्यवाहीका स्वरूप, दावाके कारण और कार्यवाही करने वाले दावेदारका नाम, विवरण तथा निवास-स्थान और उसकी उपशम-सहायताकी प्रार्थना भी सम्मिलित होगी।

व्याख्या आदि

३०३ (१) इस संविधानमें जब तक प्रकरणसे कोई दूसरा अर्थ अभिप्रेत न हो, तबतक निम्नलिखित पदोके क्रमशः नीचे नियत किये गये अर्थ होंगे, अर्थात्—

(क) "कृषि आय"का अर्थ वह कृषि-आय है, जो भारतीय आयकरसंबंधी व्यवस्थाओंके प्रयोजनोंके लिए निर्दिष्टकी गयी है;

(ख) "ऐंग्लोइंडियन" का अर्थ वह व्यक्ति है, जिसका पिता अथवा पितृ-परंपरामें कोई भी बापकी ओरसे योरोपीय वंशका है, या था, किंतु जो भारतके राज्य-क्षेत्रका आवासी

है और जो इस राज्यक्षेत्रमें ऐसे माता-पितासे जनमा है, जो केवल स्थायी कामके लिए नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूपसे भारतमें निवास करते रहे हैं ;

(ग) "भारतीय ईसाई" का अर्थ ऐसा व्यक्ति है, जो ईसाई-धर्मके किसी सम्प्रदायको मानता है और जो योरोपीय अथवा ऐंग्लोइंडियन नहीं है :

(घ) "उधार लेना" मे वार्षिक वृत्तिपर धन लेना भी सम्मिलित है, और "उधार" का अर्थ भी उसीके अनुसार समझा जाय;

(ङ) उच्च न्यायालय के संबंधमें "मुख्यन्यायाधीश" के साथ मुख्यन्यायाधिकारीभी सम्मिलित है,

(च) "संस्थान कर" का अर्थ आयपर लगनेवाले उस करसे है, जो कम्पनियोंने पाना है और जिसके बारेमे निम्नलिखितशर्तोंकी पूर्तिकी जाती है—

(1) वह कृषिकी आयके बारेमें देय न हो;

(2) उस करपर लागू होनेवाली किसी व्यवस्थाके अनुसार कम्पनियों द्वारा दिये जानेवाले करके बारेमे उन कम्पनियों द्वारा व्यक्तियोंको दिये जानेवाले लाभांशोंसे कमी करने का कोई अधिकार न हो;

(3) भारतीय आयकरके प्रयोजनोंके लिए ऐसे लाभांश पानेवाले व्यक्तियोंकी सारी आयके हिसाबमे, अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिये जानेवाले या ऐसे व्यक्तियोंका वापिस मिलनेवाले भारतीय आयकरके हिसाबमे इस प्रकार दिये हुए करको लेखामे लेनेका कोई बन्धान न हो;

(छ) संदेह होनेपर "तैसे प्रांत" या "तैसे राज्य" का अर्थ ऐसा प्रांत या राज्य है, जिसे राष्ट्रपति किसी विवादास्पद विशेष प्रयोजनके लिए तैसा प्रांत या तैसा राज्य, जैसीकि स्थिति हो, निश्चित करे;

(ज) "ऋण" में कोई भी ऐसा दायित्व सम्मिलित है, जो कि वार्षिक वृत्तिके रूपमे पूँजीकी रकमके देनेके उत्तरदायित्वके बारेमे हो और किसी गारंटीके अन्तर्गत हो, एवं "ऋण-भार" का भी उसीके अनुसार अर्थ लगाया जाय।

(झ) "प्रचलित विधान" का अर्थ है, कोई विधान, समयादेश, आदेश, उपविधान, नियम या नियमन, जिसे इस संविधानके प्रारम्भ होनेसे पहिले किसी ऐसी व्यवस्थापिका, सत्ताधिकारी अथवा व्यक्तिने बनाया हो, जिसे ऐसे विधान, समयादेश आदेश, उपविधान, नियम या नियमनके बनानेका अधिकार

रहा हो, किन्तु जिसमे ब्रिटिश राज्यकी पार्लमेंटकी कोई व्यवस्था अथवा उसके आधीन बनाये हुए परिषद्-आदेश सम्मिलित नहीं हैं।

(ञ) "फेडरल न्यायालय" का अर्थ भारत-सरकार व्यवस्था, १९३५, के अनुसार संगठित फेडरल न्यायालय है।

(ट) "सामान" में सभी सामग्री, पण्य तथा वस्तुए सम्मिलित हैं:

(ठ) "गारंटी" में ऐसा कोई भी उत्तरदायित्व सम्मिलित है, जो किसी व्यवसायमे निश्चित रकमसे कम लाभ होने की अवस्थामे रुपया देनेके लिए इस संविधानके आरम्भ होनेसे पहिले स्वीकार किया गया हो।

(ड) "पेन्शन" का अर्थ है, किसी व्यक्तिको अथवा उसके लिए दी जानेवाली कोई भी पेन्शन, चाहे वह भागमे दी जानेवाली हो या न हो, और उसमे इस प्रकार दिये जानेवाले अवकाश-प्राप्त वेतन, कार्यनुक्तिके लिए वृत्ति-दान और इस प्रकारकी कोई रकम या रकमें जो बन्धाननिधि (प्रविडेंट फंड) के चंदेके वापस देनेके रूप में हो, चाहे वह ब्याजसहित हो, या ब्याज-रहित या उसमें दूसरे किसी प्रकारकी वृद्धि हो,

(ढ) "सार्वजनिक विज्ञप्ति" का अर्थ है, भारतगजट (सूचना-पत्र) अथवा किसी राज्यके राजकीय-गजटमें, जैसीकि स्थिति हो, दी गयी विज्ञप्ति;

(ण) "सुरक्षा-निधि" में सञ्चित पूँजी भी सम्मिलित है·

(त) "कर लगाने" में कोई कर या अन्तःकर लगाना सम्मिलित है, चाहे वह सामान्य, स्थानीय या विशिष्ट स्वरूपवाला हो; और "कर" का भी अर्थ उसीके अनुसार समझा जाय,

(थ) "आय कर" मे अतिरिक्त लाभकर जैसे करभी सम्मिलित है;

(द) रेलवेमें ऐसी ट्रामवे भी सम्मिलित है, जो कि किसी म्यूनिसिपैलिटी (नगर-समिति) तक ही सीमित न हो;

(ध) "संघ रेलवे" में कोई देशीराज्य-रेलवे सम्मिलित नहीं है, किन्तु ऐसी रेलोंको छोड़कर जो छोटी मोटी रेले नहीं हैं, वे सभी इसके अन्तर्गत समझी जायेगी;

(न) "देशीराज्य-रेलवे" से अभिप्राय उस रेलवे से है, जिसका स्वामी प्रथम परिशिष्टके भाग ३ मे उस समय गिनाया गया कोई राज्य हो, और जो वैसे राज्य द्वारा या उक्त राज्यकी ओरसे उस समझौतेका अनुसरण न करते हुए चलायी जाती है, जो समझौता कि उस राज्यके साथ भारत-सरकारने

किया हो, या भारत-सरकारकी ओरसे किया गया हो, अथवा उस राज्यके साथ संघ-रेलवेको चलानेवाली किसी कम्पनीने किया हो ;

(प) "छोटी-मोटी रेलवे"से अभिप्राय ऐसी रेलवेसे है, जो बिल्कुल एक ही राज्यमें सीमित हो, और एकसदृश या भिन्न पटरीवाले संघ-रेलवेकी लगातार यातायातकी शृंखला नहीं बनती हो;

(फ) "परिशिष्ट" से इस संविधानका परिशिष्ट अभिप्रेत है;

(ब) "परिगणित जातियों" से प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यमे संबद्ध ऐसी जातियों, ऐसे वंशों या ऐसी आदिवासीजातियो अथवा ऐसी जातियों, वंशों और आदिवासीजातियोंके अन्दरके उप विभाग अथवा उनके समूह अभिप्रेत हैं, जो भारत सरकार (परिगणितजाति सम्बन्धी) आदेश १६३६, भारत-सरकार-व्यवस्था १६३५ के पंचम और षष्ठ परिशिष्टोंके प्रयोजनार्थ तैसे प्रान्तके लिए परिगणित जातियाँ कहके निर्दिष्ट किये गये हैं,

(भ) "परिगणित आदिवासी जातियों" से प्रथम परिशिष्टके भाग १ मे उस समय गिनाये गये राज्योंसे अष्टम परिशिष्टके भाग १ से ६ के जो भाग क्रमशः सबन्धित हैं, उनमे उल्लिखित आदिवासीजातियों या समुदाय अभिप्रेत हैं।

(२) जबतक प्रकरणसे दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, तबतक इस सविधानकी व्याख्याके लिए सामान्य परिभाषा-व्यवस्था १८६७ (संख्या १०) लागू होगी।

(३) इस संविधानमें पार्लामेंट या पार्लामेंटद्वारा बनायी गयी व्यवस्थाओं या विधानोंके किसी निर्देशमें अथवा प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित व्यवस्थाओं के या विधानोके किसी निर्देशमे, राष्ट्रपति या राज्यपति द्वारा, जैसीकि स्थिति हो, बनाये समयादेशके निर्देशका भी समावेश समझा जायेगा।

भाग १६

संविधानका संशोधन

'विधानके सशोधन-की कार्य-प्रणाली

३०४. (१) पार्लामेंटके किसी भवनमे इसके लिए विधान-मसौदा उपस्थित करके संविधानके संशोधनका सूत्रपात किया जा सकेगा, और जब

प्रत्येक भवन के द्वारे सदस्योंके वहुमत तथा उपस्थित मतदाता सदस्योंके कमसे कम दोतिहाई वहुमतसे वह विधान-मसौदा पास हो जाये, तो वह स्वीकृति प्राप्त करनेके लिए राष्ट्रपतिके समक्ष रखा जायेगा और उसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर, विधान-मसौदेकी शर्तोंके अनुसार संविधान संशोधित किया जा सकेगा :

किन्तु साथ ही, यदि ऐसे संशोधन से—

(क) सातवें परिशिष्टकी सूचियोंमेंसे किसीमें;

(ख) पार्लमेंटमें राज्योंके प्रतिनिधित्वमें, अथवा

(ग) परमन्यायालयके अधिकारोंमें

कोई परिवर्त्तन अभीष्ट हो, तो प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये राज्योंमें कमसे कम आधे राज्योंकी व्यवस्थापिकाओंद्वारा और उक्त परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये राज्योंमे कमसे कम एक तिहाई राज्योंकी व्यवस्थापिकाओं द्वारा उस संशोधनका सकारा जाना आवश्यक होगा।

(२) अभी आये हुए खंडमें किसी बातके रहते हुए भी, राज्यपतिकी चुननेकी रीतिके, या प्रथम परिशिष्टके भाग १ मे उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाके भवनोंकी संख्या के सम्बन्धमें इस संविधानके बन्धानोंमें कोई परिवर्त्तन करानेके उद्देश्यसे कोई संशोधन तभी रखा जा सकेगा, जबकि उस राज्यकी व्यवस्थापिका सभा, या जहाँ राज्यकी व्यवस्थापिका परिषद् भी हो, वहाँ राज्यकी व्यवस्थापिकाके किसी भवनमें इसके लिए विधानमसौदा उपस्थित किया जाये और उस व्यवस्थापिका सभा द्वारा और जहाँ राज्यकी व्यवस्थापिका परिषद् भी हो, वहाँ राज्यकी व्यवस्थापिकाके दोनों भवनो द्वारा व्यवस्थापिका-सभा या दोनों भवनोंकी, जैसी कि स्थिति हो, सारी सदस्य-संख्याके वहुमतसे पास हो जाये, तो वह सकारनेके लिए पार्लमेंटके समक्ष रखा जायेगा, और जब वह पार्लमेंटके प्रत्येक भवनद्वारा उसकी सारी सदस्य-संख्याके वहुमतसे सकार लिया जायेगा, तो राष्ट्रपतिके समक्ष स्वीकृतिके लिए रखा जायेगा और विधानमसौदे पर उसकी स्वीकृति मिल जाने पर विधान-मसौदेकी शर्तोंके अनुसार संविधान संशोधित किया जायेगा।

व्याख्या—यदि प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में राज्योंका कोई समूह निर्दिष्ट हो, तो इस धाराके खंड (१) में जुड़े हुए बन्धानके प्रयोजनार्थ सारा समूह एक राज्य समझा जायेगा।

अल्पसंख्यकोंके लिए स्थानोंका संरक्षण केवल दस वर्ष तक रहेगा, यदि उनका प्रयोग संविधानका संशोधन करके उसे आगे भी जारी न रखा जाय

३०५. इस संविधानकी धारा ३०४ में किसी वैसी बातके रहते हुए भी, पार्लामेंट में या प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिकामें, मुसलमानों, परिगणित जातियों, परिगणित आदिवासी जातियों अथवा भारतीय-ईसाइयोंके संरक्षणके बारेमें इस संविधानके बन्धान, इस संविधानके आरंभ होनेकी तारीखसे दस वर्षके भीतर तक संशोधित नहीं किये जा सकेंगे, और दस वर्ष बीतनेके बाद तो ये बन्धान तभी क्रियाकारी रह सकेंगे, जबकि संविधानमें संशोधन करके उन्हें आगे जारी रखा जाय।

भाग १७

अस्थायी और संक्रान्तिकालीन बन्धान

"राज्य - सूची" के कुछ विषयोंके संबंध में "समाधिकार-सूची" के विषयोंकी भांति पार्लामेण्टको विधान बनानेका अधिकार

३०६. इस संविधानमे किसी वैसी बातके रहते हुए भी, पार्लामेंटको इस संविधानके आरंभ होनेकी तारीखसे पाँच वर्ष तक निम्न विषयोंके बारेमें विधान बनानेका अधिकार होगा, मानों ये विषय "समाधिकार सूची" में उल्लिखित हों, अर्थात् :—

(क) सूती और ऊनी वस्त्र, कागद (जिसमें समाचार-पत्रका कागद भी सम्मिलित है) खाद्य पदार्थ (जिसमे भोजनोपयोगी तेल-बीज और तेल भी सम्मिलित हैं), मिट्टीका तेल और उससे बनी हुई वस्तुये, यन्त्रद्वारा सचालित गाड़ियोंके अलगसे पुर्जे, कोयला, लोहा, इस्पात और अबरकका किसी राज्यके अन्दर वाणिज्य-व्यापार, अथवा उनका उत्पादन, मांग-पूर्त्ति और वितरण,

(ख) स्थानच्युत व्यक्तियोंको सहायता देना और पुनर्वासित करना;

(ग) इस धाराके खण्ड (क) और (ख) में वर्णित विषयोंसे संबध रखनेवाले विधानोंके उल्लंघन करनेका अपराध, उन विषयोंमें से किसीके प्रयोजनार्थ पूछताँछ और आँकड़े, उन विषयोंमेंसे किसीके संबधमें परमन्यायालयके अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालयोंके अधिकार क्षेत्र और अधिकार, तथा उन विषयों-मेंसे किसीके संबधमें शुल्क-किन्तु ऐसे शुल्क नहीं जो किसी न्यायालय द्वारा लिये जाँय,

किन्तु साथ ही, पार्लामेंट द्वारा बनाया हुआ कोई भी विधान, जिसे पार्लामेंट इस धाराके बन्धानोंके अभावमें बनानेके लिए समर्थ न होती, उक्त अवधिके समाप्त होनेपर जहाँतक उसे बनानेमें पार्लामेंट समर्थ नहीं है, वहाँ तक क्रियाकारी नहीं होगा, सिवाय उन बातोंके, जो उक्त अवधिके समाप्त होनेके पूर्व की जा चुकी हो या करनेको रह गयी हो।

प्रचलित विधानोंका और फेर-फार करके उनके गृहीत रूपोंका जारी रहना

३०७. (१) इस संविधानके दूसरे बन्धानोंके आधीन रहते हुए, इस संविधानके आरंभ होनेके पूर्वक्षणतक भारतके राज्य-क्षेत्रमें प्रचलित सभी विधान तबतक चालू रहेंगे, जब तक कि उस व्यवस्थापिका अथवा दूसरी सक्षम राज्यसत्ता द्वारा वे परिवर्तित, निरस्त या संशोधित नहीं कर दिये जांय।

(२) राष्ट्रपति आदेश निकालकर यह बन्धान बना सकेगा, कि आदेशमें उल्लिखित अमुक तारीखसे भारतके राज्यक्षेत्र या उसके किसी भागमें प्रचलित कोई विधान ऐसे संशोधन परिवर्धनके आधीन रहते हुए चालू रहेंगे, चाहे वह निरस्त या संशोधित करने वाला हो, उक्त विधानके बन्धानोंको इस संविधानके बन्धानोंसे मेल बैठानेके लिए राष्ट्रपतिको आवश्यक या उचित जान पड़े, तबतक चालू रहेंगे, जबतक व्यवस्थापिका या कोई दूसरी समर्थ राज्यसत्ता उसे निरस्त या संशोधित न कर दे और ऐसे संशोधन-परिवर्धनों पर किसी न्यायालयमे कोई आपत्ति न उठायीजा सकेगी।

व्याख्या १—इस अध्याय में "चालू विधान" पदमे वह विधान भी सम्मिलित समझा जायेगा, जो इस संविधानके आरंभ होनेसे पहिले भारतके राज्य-क्षेत्रमे किसी व्यवस्थापिका या दूसरी किसी समर्थ राज्यसत्ता द्वारा पास किया या बनाया गया हो, और साथ ही पहिलेसे निरस्त न कर दिया गया हो, यद्यपि वह या उसके भाग उस समय सर्वथा या विशेष क्षेत्रोंमे चालू न हो।

व्याख्या २—भारतके राज्य-क्षेत्रमें किसी व्यवस्थापिका या दूसरी किसी समर्थ राज्यसत्ताद्वारा पास किये गये या बनाये गये विधान, जो इस संविधान के आरंभ होनेसे पूर्वक्षण तक भारतके राज्य क्षेत्रमे कार्यकारी होनेके साथ साथ बाहरी राज्य-क्षेत्रमे भी कार्यकारी रहे हों, पूर्वोक्त संशोधन-परिवर्धनके साथ बाहरी राज्य-क्षेत्रमे कार्यकारी बने रहेंगे।

व्याख्या ३—इस धाराको किसी बातसे यह अर्थ नहीं लगाया जा सकेगा, कि किसी अस्थायी व्यवस्थाका चालू होना उसकी समाप्तिकी अन्तिम तारीखके बाद भी जारी रखा जा सकेगा।

फेडरल न्यायालयके न्यायाधीशोंका परम न्यायालय का सपरिषद सम्राट्के समक्ष विचाराधीन कार्यवाहियोंका परमन्यायालयको हस्तान्तरित किया जाना

३०८. (१) इस संविधानके आरंभ होनेकी तारीखसे पूर्वक्षण तक, फेडरल-न्यायालयके पदाधिकारी न्यायाधीशोंने यदि अपना दूसरा निश्चय नहीं किया हो, तो उसी तारीखसे वे परमन्यायालयके न्यायाधीश हो जायेंगे, और तबसे वे ऐसे वेतन, भत्ते, छुट्टी और पेंशनसे संबंधी अधिकारोंके अधिकारी होंगे, जोकि इस संविधानकी धारा १०४ के अनुसार परमन्यायालयके न्यायाधीशोंके बारेमें बन्धान किये गये हैं।

(२) इस संविधानके आरंभ हो जाने पर फेडरल-न्यायालयके विचाराधीन सभी दीवानी या फौजदारी (अर्थ या दण्ड विधानीय) वाद (मुकदमे) अपील, और कार्यवाहियाँ परमन्यायालयके हाथमें चली जायेंगी और उनकी

सुनवाई और उनका निर्णय परमन्यायालयके अधिकार-क्षेत्रके अन्तर्गत हो जायेगा, तथा इस संविधानके आरंभ होनेके पूर्वक्षण तक फेडरल न्यायालयके दिये हुए निर्णय और आदेश वैसे ही बल और प्रभाव रखेंगे, मानों वे परम-न्यायालय द्वारा दिये गये हों।

(३) इस संविधानके आरंभ होनेकी तारीखको और उसके बाद भी भारतके राज्य क्षेत्रके अन्तर्गत किसी न्यायालयकी किसी डिग्री या आदेशोंके विरुद्ध अथवा उनके सम्बन्धमें अपीलों और प्रार्थना-पत्रोंके लेने और निर्णय करनेका सपरिषद् सम्राट्का अधिकार क्षेत्र, जिसमें सम्राट्के परमाधिकारके बलपर सम्राट् द्वारा प्रयोग किये जाने वाले दण्ड-विषयक अधिकार-क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, समाप्त हो जायेगा और उस दिन सपरिषद् सम्राट्के समक्ष विचाराधीन सभी अपील, और प्रार्थना तथा दूसरी कार्यवाहियाँ परमन्यायालयके हाथमें आ जायेंगी और वही उनका निर्णय करेगा।

(४) इस धाराके बन्धानोंको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए पार्लामेण्ट विधान द्वारा बन्धान बनायेगी।

संविधानके आरंभ होनेकेपश्चात् इसके बन्धानों के अधीन न्यायालयों राज्यसत्ता और पदाधिकारियो द्वारा कृत्योंको जारी रखना

३०६. भारतके समस्त राज्य-क्षेत्रके दीवानी, फौजदारी और राजस्वके अधिकार-क्षेत्रवाले सभी न्यायालय तथा सभी न्याय प्रबन्ध कार्य और कार्यालयसे सम्बन्ध रखनेवाले सत्ताधारियों और पदाधिकारियोंको इस संविधानके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, अपने अपने कृत्योंको करते रहना होगा।

उच्च न्यायालयोंके न्यायाधीशोंके सम्बन्धमें बन्धान

३१०. इस संविधानके आरंभ होनेकी तारीखके पूर्वक्षणतक उच्च न्यायालयके पदाधिकारी न्यायाधीशोंने यदि दूसरा निश्चय न कर लिया हो, तो उस तारीखसे वे वैसे राज्यके उच्चन्यायालयके न्यायाधीश हो जायेंगे, और उन सभी वेतन, भत्ते, छुट्टी और पेंशन संबंधी अधिकारोंके अधिकारी होंगे, जो इस संविधानकी धारा १९७ में उच्च न्यायालयके न्यायाधीशोंके बारेमें बन्धान किये गये हैं।

सभाकी अस्थायी व्यवस्थापिका तथा राष्ट्रपति आदिके बारेमें बन्धान

३११. (१) जबतक पार्लामेण्टके दोनों भवन इस संविधानके आधीन विधिपूर्वक संगठित न हो चुके, और प्रथम अधिवेशनमें सम्मिलित होनेके लिए बुलाये न जा चुके हों, तबतक भारत-उपनिवेशकी संविधान सभा पार्लामेण्टको दिये हुए सारे अधिकारोंका प्रयोग और कर्तव्योंका पालन स्वयं करेगी, तथा पार्लामेण्टके प्रत्येक भवनके निर्वाचन और उससे सम्बद्ध बातों तथा इस संविधानके बन्धानोंको कार्यरूप देनेके लिए किये जानेवाले आनुषंगिक और परिणामभूत विषयोंके बारेमें बन्धान करनेके लिए विधान बना सकेगी, जिसमेंकि निर्वाचन-क्षेत्रकी सीमाबन्दी भी सम्मिलित है।

व्याख्या—इस खण्डके प्रयोजनार्थ भारत-उपनिवेशकी संविधान-सभा-में वे सदस्य भी सम्मिलित समझे जायेंगे, जो आकस्मिक रूपसे रिक्त हुए

स्थानकी पूर्तिके लिये एतदर्थ सभा द्वारा बनाये हुए नियमोंके अनुसार चुने गये हों; किन्तु इसमें वे सदस्य नहीं सम्मिलित समझे जायेंगे, जो किसी ऐसे क्षेत्रका प्रतिनिधित्व करते हों, जो प्रथम परिशिष्टमें नहीं गिनाये गये हैं।

(२) भारत-शासन व्यवस्था १९३५, के अनुसार उपनिवेशकी व्यवस्थापिकाके रूपमें जब संविधान सभा कार्य करेगी, तो उस सभाका सभाध्यक्ष इस धाराके खण्ड (१) के आधीन कार्य करनेवाली संविधान सभाका सभाध्यक्ष बना रहेगा।

(३) जबतक कि इस संविधानके भाग ५ के अध्याय १ के बन्धानोंके अनुसार राष्ट्रपतिका निर्वाचन न हो जाये, और वह अपने पदपर आसीन न हो जाये, तबतक भारत उपनिवेशकी संविधान-सभा द्वारा उस कामके लिए निर्वाचित व्यक्ति भारतका अस्थायी राष्ट्रपति रहेगा।

(४) इस संविधानके आरम्भ होनेके पूर्वक्षण तक भारत-उपनिवेशके मन्त्रियोंका पद धारण करनेवाले सभी व्यक्ति इस संविधानके आरम्भ होनेके बाद, इसके अनुसार अस्थायी राष्ट्रपतिकी मंत्रि-परिषद्के सदस्य हो जायेंगे।

प्रथम परिशिष्टके भाग १के प्रत्येक राज्यकी अस्थायी व्यवस्थापिका तथा उसके राज्यपति आदिके बारेमें बन्धान

३१२. (१) जब तक प्रथम परिशिष्टके भाग १में उस समय गिनाये गये प्रत्येक राज्यकी व्यवस्थापिकाके एक अथवा दोनों भवन इस संविधानके बन्धानोंके अनुसार विधिपूर्वक सगठित न हो चुके हों, और प्रथम अधिवेशनमें सम्मिलित होनेके लिए बुलाये न जा चुके हों, तबतक इस संविधानके आरम्भ होनेके पूर्वक्षण तक जैसे, प्रान्तोंकी व्यवस्थापिकाके एक या दोनों भवन उन अधिकारोंका प्रयोग और उन कर्त्तव्योंका पालन करेंगे, जो ऐसे राज्यकी व्यवस्थापिकाके भवन या भवनोंको इस संविधानके बन्धानो द्वारा दिया गया है।

(२) इस संविधानके आरम्भ होनेके पूर्वक्षणतक किसी प्रान्तकी व्यवस्थापिका सभाके सभाध्यक्ष या व्यवस्थापिका-परिषद्के अध्यक्षका पद धारण करनेवाला व्यक्ति इस संविधानके आरम्भके बाद इसके प्रथम परिशिष्ट के भाग १ में उस समय गिनाये गये वैसे राज्यकी व्यवस्थापिका सभाका सभाध्यक्ष और व्यवस्थापिका परिषद्का अध्यक्ष, जैसीकि स्थिति हो, तबतक बना रहेगा, जबतक कि ऐसी सभा या परिषद् इस धाराके खण्ड (१) के अनुसार कार्य करती रहेगी।

(३) जबतक इस संविधानके भाग ६ के अध्याय २ के बन्धानोंके अनुसार नया राज्यपति निर्वाचित (नियुक्त) न हो जाय और अपने पदपर आसीन न हो जाय, तबतक वह व्यक्ति, जो इस संविधानके आरम्भ होनेके पूर्वक्षणतक किसी प्रान्तके गवर्नरका पद धारण करता रहा हो, संविधानके आरम्भके बाद प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये वैसे राज्का

अस्थायी राज्यपति होगा।

(८) इस संविधानके आरम्भ होनेके पूर्वक्षण तक किसी प्रान्तमें मंत्रियोंके पद धारण करनेवाले सभी व्यक्ति इस संविधानके प्रारम्भ होनेके बाद, प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये वैसे राज्यके अस्थायी राज्यपतिकी मंत्रिपरिषद्के सदस्य हो जायेंगे।

कठिनाइयोंको दूर करनेके बारेमें राष्ट्रपति के अधिकार

३१३. (१) इस संविधानकी धारा ३११ के खण्ड (१) के बन्धानोंके आधीन रहते हुए, राष्ट्रपति किन्हीं कठिनाइयोंको, विशेषतः जिनका संबध भारत शासन व्यवस्था, १९३५ के बन्धानोंसे इस संविधानोके बन्धानों तक लानेसे है, दूर करनेके लिए आदेश द्वारा यह हिदायत दे सकेगा, कि उल्लिखित अवधिके बीच यह संविधान ऐसे फेर फारके साथ कार्यकारी होगा, जिसे वह आवश्यक या उचित समझे, चाहे वह फेर-फार परिवर्तन, परिवर्धन या निरसनके रूपमें हो;

किन्तु साथ ही, संविधानके भाग ५ के अध्याय २ के अनुसार विधिपूर्वक संगठित पार्लामेंट की प्रथम बैठकके बाद ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला जायेगा।

(२) इस धाराके खण्ड (१) के अनुसार निकाला गया प्रत्येक आदेश पार्लामेंटके प्रत्येक भवनके समक्ष रखा जायेगा।

भाग १८

प्रारम्भ और पुरानी व्यवस्थाओं का निरसन

प्रारंभ

३१४ यह संविधान··· ··· ···को कार्यकारी होगा।

निरसन

३१५. भारतीय स्वाधीनता-व्यवस्था, १९४७, तथा भारत-शासन व्यवस्था, १९३५ जिसमें भारत (केन्द्रीय शासन और व्यवस्थापिका) व्यवस्था, १९१६, तथा भारत-शासन-व्यवस्था, १९३५ के संशोधन और पूरक रूपसे की गयी सारी व्यवस्थायें बेकाम हो जायेगी।

पहिला परिशिष्ट

(धारा १ और ४)

भारतके राज्य और राज्य-क्षेत्र

भाग १

वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधानके आरंभ होनेके पूर्वक्षणतक गवर्नरोंके प्रान्त कहे जाते थे—

१. मद्रास
२. वम्बई
३. पश्चिमी वङ्गाल
४ संयुक्तप्रान्त
५. विहार
६. पूर्वी पञ्जाब
७. मध्यप्रान्त और वरार
८. आसाम
९. उड़ीसा

भाग २

वे राज्यक्षेत्र जो सविधानके आरम्भ होनेके पूर्वक्षणतक चीफ कमिश्नरोंके प्रान्त कहे जाते थे—

१ दिल्ली
२ पन्त-पिपलौदा समेत अजमेर-मेरवाड़ा
३ कुर्ग

भाग ३

विभाग (क)

निम्नलिखित देशी राज्य :—

१. हैदरावाद
२. कश्मीर
३. वड़ौदा
४ मैसूर
५. त्रावनकोर
६. जयपुर
७. जोधपुर
८. वीकानेर
९. कोचीन
१०. कोल्हापुर
११ मत्स्य राज्यसंघ
१२. पूर्वी पंजाव राज्यसंघ
१३. राजस्थानसंघ
१४. मध्यभारत राज्यसंघ
१५. विन्ध्य प्रदेश
१६. सौराष्ट्र राज्यसंघ
१७. भोपाल

विभाग (ख)

और सभी दूसरे देशी राज्य जो इस सविधानके आरम्भ होनेके पूर्वक्षणतक भारत-उपनिवेश के अन्तर्गत थे।

भाग ४

अन्दमान और निकोवारके द्वीप

द्वितीय परिशिष्ट

[धारा ४८ (३), ६२ (६), ७६, १०४, १२४ (२), १३५ (३), १४५ (५), १६३ और १६७]

भाग १

राष्ट्रपति और प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये राज्योंके राज्यपतियों के संबन्धसे बन्धान।

१. राष्ट्रपति तथा प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये राज्योंके राज्यपतियोंको प्रतिमास निम्नलिखित वेतन दिये जायेंगे, अर्थात्—

राष्ट्रपतिको	५,५०० रुपया
राज्यके राज्यपतिको	४,५०० रुपया

२. राष्ट्रपति और राज्यपतियोंको अपने कार्यकालमें प्रतिमास निम्नलिखित भत्ते भी दिये जायेंगे, जिससे कि वे सुविधा और सम्मानपूर्वक अपने अपने पदोंके कर्त्तव्योंका पालन कर सकें—

राष्ट्रपतिको	.... रुपया
राज्यके राज्यपतिको	.... रुपया

३. अपना पदभार ग्रहण करनेके लिए परिवारसहित, यदि परिवार हो, तथा अपने और अपने परिवारके सामानसहित यात्रा करनेमें राष्ट्रपति और राज्यपति जो वास्तविक व्यय हो, उसके बराबर उन्हें भत्ता मिलेगा।

४. अपने अपने पूरे कार्यकालमें राष्ट्रपति तथा प्रत्येक राज्यपतिको विना किराया-भाड़ा दिये अपने उपयोगके लिए सरकारी आवास, रेलवे सलून, नदीपोत, विमान और मोटर-गाड़ीके उपयोगका अधिकार होगा और इन सबके रखनेके लिए उनके व्ययका भार व्यक्तिगत तौरसे उन्हें नहीं उठाना पड़ेगा।

५. जब उपराष्ट्रपति या कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपतिके कृत्योंका सम्पादन करता हो या उसका वह स्थानापन्न हो, या जब कोई व्यक्ति राज्यपतिके कृत्योंका सम्पादन करता हो, तब वह इस परिशिष्टके पैरा १ या २ में दिये हुए उन वेतनों और भत्तोंके पानेका अधिकारी होगा जो राष्ट्रपति या राज्यपतिको मिलते थे, जिसके कृत्योंका, जैसा कि स्थिति हो, वह सम्पादन करता है या जिसका कि वह स्थानापन्न होता है। इस परिशिष्टके पैराके बन्धान उसके लिए तब तक लागू होंगे, जब तक वह इस प्रकार उसके कृत्योंका सम्पादन करता या उसका स्थानापन्न होता है; किन्तु पैरा ३ द्वारा दिये गये बन्धान उसके लिये लागू न होंगे।

भाग २

संघके और प्रथम परिशिष्टके भाग १ के राज्योंके मन्त्रियोंके लिए बंधान

६ संघके प्रधानमन्त्री और प्रत्येक दूसरे मन्त्रीको वे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे, जो इस संविधानके आरंभ होनेकी तारीखसे पूर्वतत्क्षणतक उपनिवेशके प्रधानमंत्री तथा प्रत्येक मन्त्रीको क्रमशः दिये जाते थे।

७. प्रथम परिशिष्टके भाग १ मे उस समय गिनाये गये किसी राज्यके मन्त्रियोंको वे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे, जो इस संविधानके आरंभ होनेके तारीखसे पूर्वक्षणतक वैसे प्रान्तके मन्त्रियोंको दिये जाते रहे हों।

भाग ३

जन-भवनके सभाध्यक्ष तथा उपसभाध्यक्ष और राज्य-परिषद्के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और प्रथम परिशिष्टके भाग १ वाले राज्योंकी व्यवस्थापिका-सभाओंके सभाध्यक्ष तथा उपसभाध्यक्ष और राज्योंकी व्यवस्थापिका परिषदोंके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षके बारेमें बंधान

८. जनभवनके सभाध्यक्ष और राज्यपरिषद्के अध्यक्षको वही वेतन-भत्ते दिये जायेंगे, जो इस संविधानके आरम्भ होनेके पूर्वक्षण तक भारत-उपनिवेशकी संविधान-सभाके सभाध्यक्षको दिये जाते रहे हों, और जनभवनके उपसभाध्यक्ष तथा राज्यपरिषद्के उपाध्यक्षको वही वेतन-भत्ते दिये जायेंगे, जो १५ अगस्त सन् १९४७ के प्रारम्भ होनेके पूर्वक्षण तक केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) व्यवस्थापिका सभा के उपसभाध्यक्ष और केन्द्रीय राज्यपरिषद् (कौंसिल आफ स्टेट) के उपाध्यक्षको क्रमशः दिये जाते रहे हों।

९. प्रथम परिशिष्टके भाग १ मे उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिका-सभाके सभाध्यक्ष तथा उपसभाध्यक्ष और व्यवस्थापिका-परिषदके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको वही वेतन-भत्ते दिये जायेंगे, जो संविधानके आरम्भ होनेके पूर्वक्षणतक वैसे प्रान्तकी व्यवस्थापिका-सभाके सभाध्यक्ष तथा उपसभाध्यक्षको, और व्यवस्थापिका-परिषद्के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको क्रमशः दिये जाते रहे हों, और यदि वैसे प्रान्तमे कोई व्यवस्थापिका-परिषद् नहीं हो, तो उस राज्यकी व्यवस्थापिका परिषद्के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको वह वेतन-भत्ते दिये जायेंगे, जो इस राज्यका राज्यपति निश्चित करे।

भाग ४

परमन्यायालय तथा उच्चन्यायालयके न्यायाधीशोंके लिए बंधान

१० परमन्यायालय तथा भारत राज्यक्षेत्रके अन्तर्गत प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये राज्योंको छोड़कर प्रत्येक उच्चन्यायालयके न्यायाधीशोंको उस समयके लिये, जिसेकि वह वास्तविक सेवामें लगायें, निम्न दरसे मासिक वेतन दिये जायेंगे, अर्थात्—

परमन्यायालयके मुख्यन्यायाधीशको	५,००० रुपया
परमन्यायालयके किसी अन्य न्यायाधीशको	४,५०० ”
उच्चन्यायालयके मुख्यन्यायाधीशको	४,००० ”
उच्च न्यायालयके किसी अन्य न्यायाधीशको	३,५०० ”

किन्तु, यदि परमन्यायालयका कोई न्यायाधीश नियुक्तिके समय भारत-सरकारकी, या किसी पूर्वगामी सरकारकी, अथवा प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी सरकारकी या उसके किसी पूर्वगामी सरकार सेवाके लिए (शारीरिक असमर्थता या आहत होनेकी पेंशनके अतिरिक्त) पेंशन पा रहा हो, तो परमन्यायालयमें सेवाके लिए मिलनेवाले उसके वेतनमेंसे पेंशनकी रकम घटा दी जायेगी।

११. अपने कर्तव्योंके संबंधमें भारत-सरकारके क्षेत्रमें यात्रा करनेके लिए परम-न्यायालयके मुख्यन्यायाधीश अथवा दूसरे किसी न्यायाधीशको, तथा उन राज्योंको छोड़कर जो प्रथम परिशिष्टके भाग ३में उस समय गिनाये गये हैं, भारतके दूसरे राज्यक्षेत्रमें, अवस्थित उच्च-न्यायालय के मुख्यन्यायाधीश अथवा दूसरे किसी न्यायाधीशका जो खर्च हो, उसकी पूर्तिके लिए वैसे उचित भत्ते दिये जायेंगे और यात्राके संबंधमें वैसी उचित सुविधाये दी जायेगी, जो परम-न्यायालयके मुख्यन्यायाधीश तथा दूसरे न्यायाधीशोंके लिए राष्ट्रपति और उच्चन्यायालयके मुख्यन्यायाधीश तथा दूसरे न्यायाधीशोंके लिये राज्यपति समय-समयपर निर्दिष्ट करे ।

१२. (१) परमन्यायालयके मुख्यन्यायाधीश अथवा किसी दूसरे न्यायाधीशके छुट्टी या पेंशनसंबंधी अधिकार उन वधानोंके आधीन रहेंगे या शासित होते रहेंगे, जैसीकि स्थिति हो, जो फेडरल न्यायालयके किसी ऐसे न्यायाधीशके लिये लागू रहे हों।

(२) प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये राज्योंको छोड़कर भारतके राज्यक्षेत्रमें किसी उच्चन्यायालयके मुख्यन्यायाधीश अथवा किसी दूसरे न्यायाधीशके छुट्टी अथवा पेंशनसंबंधी अधिकार उन्हीं वंधानोंके अनुसार रहेंगे, जैसीकि स्थिति हो, जो इस संविधानके आरंभके पूर्वक्षणतकके वैसे न्यायालयके वैसे किसी न्यायाधीशके लिये लागू रहे हों।

(३) इस पैराके प्रयोजनार्थ ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस संविधानके आरम्भ होनेकी तारीखसे विशेष उद्देश्य के लिए न्यायाधीश, स्थानापन्न न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशके रूपमे कार्य करता रहा हो, केवल उसी अवस्थामें जबकि ऐसे विशेष उद्देश्यके लिए न्यायाधीश, स्थानापन्न न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशके रूपमें, न्यायाधीशके पदपर स्थायी रूपसे नियुक्त किये जानेकी संभावित अवधितक विना वीचमे किसी विच्छेदके, लगातार सेवा करता रहा हो, वह उक्त तारीखको विशेष उद्देश्यके लिए न्यायाधीश, स्थानापन्न न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के पद पर सेवा करनेवाला माना जायेगा ।

१३. इस भागमे यदि प्रकरणसे दूसरा अर्थ अभिप्रेत न हो, तो—

(क) "मुख्यन्यायाधीश" के अन्तर्गत स्थानापन्न मुख्यन्यायाधीश भी आता है; और "न्यायाधीश" के अन्तर्गत विशेष उद्देश्यके लिए न्यायाधीश, स्थानापन्न न्यायाधीश और अपर-न्यायाधीश भी आजाते हैं।

(ख) "वास्तविक राजसेवा" के अन्तर्गत—

(१) न्यायाधीशके रूपमे काम करनेमे या ऐसे दूसरे कृत्योंके पालन करनेमें, जिन्हेंकि राष्ट्रपति या राज्यपति, जैसीकि स्थिति हो, पूरा करनेके लिए उसे हिदायत दे, या जिन्हेंके इस संविधानकी धारा ३८६ के अनुसार नियुक्त किया गया कमीशन (समितक) पूरा करनेके लिए उसे हिदायत दे, न्यायाधीशने जो समय लगाया हो, वह समय,

(२) अवकाश जिसमेंकि वह समय सम्मिलित नहीं है, जबकि न्यायाधीश छुट्टी लेकर अनुपस्थित रहा हो, और—

(३) किसी उच्चन्यायालयसे परमन्यायालयको या एक उच्चन्यायालयसे दूसरे उच्च-न्यायालयको वदली किये जानेपर पद-ग्रहण करनेके लिए लिये जानेवाले समय

सम्मिलित समझे जायेगे ।

भाग ५

भारतके महा-आय-व्यय-निरीक्षकके बारेमें बन्धान

१४. भारतके-महा-आय-व्यय-निरीक्षकको चार हजार रुपया प्रतिमास वेतन दिया जायेगा।

१५. भारतके महा-आय-व्यय-निरीक्षकके अनुपस्थितिकी छुट्टी या पेंशनसम्बन्धी अधिकार उन्हीं बन्धानों द्वारा नियन्त्रित होंगे या नियंत्रित होते रहेंगे, जोकि इस संविधानके आरंभ होनेके पूर्वक्षणतक भारतके महा-आय-व्ययनिरीक्षकके लिए लागू रहे हों, और उन बन्धानोंमे गवर्नरजेनरल-के लिए किये गये सारे निर्देशोंसे राष्ट्रपतिके लिए किये गये निर्देशोंका बोध होना समझा जायेगा।

तृतीय परिशिष्ट

[धारा ६२ (४), ८८, १०३ (६), १४४ (२), १६५ और १९५]

घोषणाओंकी वाक्यावली

१

संघके मंत्रीके पदके लिए ली जाने वाली शपथकी वाक्यावली :—

"मैं अमुक, हृदयसे सम्मोदन करता (या सौंगध लेता) हूँ, कि मैं विधानद्वारा संस्थापित भारतीय संविधानके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखूँगा, और संघके मंत्रीके पदभारको मैं निष्ठा और सदसद्-विवेकके साथ निभाऊँगा और बिना किसी दबाव या अनुग्रह, बिना किसी राग या द्वेषके सभी प्रकारके लोगोंके साथ संविधान और विधानका अनुसरण करते हुए ठीक तौरसे बरतूँगा।"

२

संघके मंत्रीके लिए गोपनीयताके शपथकी वाक्यावली :—

"मैं अमुक, हृदयसे सम्मोदन करता (या सौगंध लेता) हूँ, कि मैं प्रत्यक्षरूपसे किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियोंके पास ऐसे विषयकी, जो मेरे सामने विचारार्थ लाया जायेगा या जो मुझे मंत्रीके रूपमें मालूम होगा, न तो पहुँचाऊँगा और न ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियोंके सामने खोलूँगा, केवल मंत्रीके कर्त्तव्योंके उचित पालनके लिए जबजब आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं वैसा करूँगा।"

३

पार्लामेंटके सदस्योंके द्वारा की जानेवाली घोषणाकी वाक्यावली :—

"मैं अमुक, राज्यपरिषद् (या जनभवन) का सदस्य चुने जाने (मनोनीत होने) के पश्चात् गंभीरतापूर्वक सच्चे हृदयमे प्रतिज्ञा करता हूँ और घोषित करता हूँ, कि मैं विधान द्वारा संस्थापित भारतीय संविधानके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखूँगा और मैं ईमानदारीके साथ उस कर्त्तव्यका पालन करूँगा, जो मेरे सिरपर आने वाला है।"

४

परमन्यायालयके न्यायाधीशों द्वाराकी जानेवाली घोषणाकी वाक्यावली :—

"मैं अमुक, भारतके परमन्यायालयका परमन्यायाधीश (न्यायाधीश) नियुक्त किये

जानेके पश्चात् गंभीरतापूर्वक सच्चे हृदयसे प्रतिज्ञा करता हूँ और घोषित करता हूँ, कि मैं विधान द्वारा संस्थापित भारतीय संविधानके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखूँगा और अपनी योग्यता, ज्ञान और बुद्धिके अनुसार भरसक ठीक-ठीक और ईमानदारीके साथ बिना किसी दबाव या अनुग्रह और बिना किसी राग या द्वेषके अपने पदके कर्त्तव्योंका पालन करूँगा, और संविधान और विधानोंकी रक्षा करूँगा।"

५

प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यके मंत्रीके पदकी शपथकी वाक्यावली :—

"मैं अमुक, हृदयसे यह सम्मोदन करता (सौगंध लेता) हूँ, कि मै विधानद्वारा संस्थापित भारतीय संविधानके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखूँगा, और ईमानदारी और विवेकके साथ…(अमुक) राज्यके मंत्रीके कर्त्तव्योंका पालन करूँगा, और मैं बिना किसी दबाव या अनुग्रहके, और बिना किसी राग या द्वेषके संविधानका अनुसरण करते हुए सभी प्रकारके लोगोंके साथ ठीक-ठीक बरतूँगा।"

६

प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यके मंत्रीके द्वारा ली जानेवाली गोपनीयताकी शपथकी वाक्यावली :—

'मैं अमुक, हृदयसे यह सम्मोदन करता (सौगन्ध लेता) हूँ कि मै प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियोंके पास, ऐसे विषयको, जो मेरे सामने विचारार्थ लाया जायेगा और जो मुझे मंत्रीके रूपमें मालूम होगा, न तो पहुँचाऊँगा और न ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियोंके सामने ऐसे विषयको खोलूँगा, केवल ऐसे मंत्रीके रूपमें अपने कर्त्तव्योंके उचित पालनके लिए जबजब आवश्यकता पड़ेगी या जब जब राज्यपति किसी ऐसे कृत्योंके संबधमें, जिनका प्रयोग वह अपने विवेकके अनुसार कर सकता हो, ऐसा करनेके लिए विशेषरूपसे अनुमति देगा, तभी मैं वैसा करूँगा।"

७

इस परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाके सदस्य द्वारा की जानेवाली घोषणाकी वाक्यावली:—

"मै अमुक, व्यवस्थापिका सभा (या व्यवस्थापिका-परिषद्)का सदस्य चुने जाने (मनोनीत होने) के पश्चात् गंभीरता पूर्वक सच्चे हृदयसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ और घोषित करता हूँ, कि विधान द्वारा संस्थापित भारतीय संविधानके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखूँगा, और मै ईमानदारीके साथ उस कर्त्तव्यका पालन करूँगा जो मेरे सिरपर आनेवाला है।"

८

उच्चन्यायालयके न्यायाधीशोंद्वारा की जानेवाली घोषणाकी वाक्यावली :—

"मै अमुक,…(अमुक राज्य) के उच्चन्यायालयके मुख्य न्यायाधीश (न्यायाधीश) के पदपर नियुक्त किये जानेके पश्चात्, गंभीरतापूर्वक सच्चे हृदयसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ और घोषित करता हूँ, कि विधानद्वारा संस्थापित भारतीय संविधानके प्रति मैं सच्ची श्रद्धा और भक्ति

रखूँगा और ठीक-ठीक ईमानदारीके साथ और अपनी योग्यता, ज्ञान और बुद्धिके अनुसार भरसक विना किसी दबाव या अनुग्रहके, और विना किसी राग या द्वेषके अपने पदके कर्त्तव्योंका पालन करूँगा और संविधान और विधानोंकी रक्षा करूँगा।"

चतुर्थ परिशिष्ट

[धारा १४४ (४)]

प्रथम परिशिष्टके भाग १ वाले राज्योंके राज्यपतियोंके लिए हिदायतें

१ यदि प्रकरणसे दूसरा अर्थ अभिप्रेत न हो, तो इन हिदायतोंमे "राज्यपति" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्तिभी सम्मिलित समझा जायेगा, जोकि इस सविधानके बन्धानोंके अनुसार उस समय राज्यपतिके कृत्योंका सम्पादन कर रहा हो।

२. अपनी मन्त्रि परिषद्‌का चुनाव करते समय, राज्यपति अपने मन्त्रियोंको चुननेमें भरसक निम्न रीतिके अनुसार प्रयत्न करेगा, अर्थात्, राज्यपति उस व्यक्तिसे परामर्श लेकर, जिसके पीछे कि उसकी दृष्टिमें व्यवस्थापिकाका असदिग्ध बहुमत हो, उन व्यक्तियो को (जिनमे जहाँ तक व्यवहार्य हो, महत्त्वपूर्ण अल्पसख्यक समुदायके लोग भी सम्मिलित किये जाँय) मन्त्रियों को चुनेगा, जोकि उस व्यवस्थापिकाका सामूहिक रूपसे विश्वास प्राप्त करनेमें सबसे अधिक सक्षम हों। इस प्रकार चुनाव करते समय वह इस बातका सदा ध्यान रखेगा कि मंत्रियोंमे सयुक्त उत्तरदायित्वकी भावनाका विकास होना कितना आवश्यक है।

३. इस संविधानके द्वारा अथवा इसके अनुसार, जिन कृत्योंके सबंधमें राज्यपतिसे अपने विवेकके अनुसार प्रयोग करनेकी आशाकी जाती है, उनको छोड़कर राज्यकी कार्यकारिणी शक्तिके प्रभावक्षेत्रमे आनेवाले समस्त विषयोंके बारेमें राज्यपति प्रदत्त अधिकारोंका प्रयोग करते समय, अपने मन्त्रियोंकी मन्त्रणाकी पर चलेगा।

४. सुन्दर शासन-प्रबन्धका स्तर बनाये रखनेके लिए, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याणके लिए, और जनताके सभी वर्गोंको सार्वजनिक जीवन और राज्यके शासनमें यथोचित भाग लेनेके योग्य बनानेके लिए किये जाने वाले समस्त उपायोंकी अभिवृद्धि करनेके लिए, और विभिन्न वर्गों और मतानुयायियोंके बीच सहकारिता, सद्भावना और एक दूसरेके धार्मिक विश्वासों और भावनाओंके प्रति परस्पर सम्मानकी भावना उत्पन्न करनेके लिए, राज्यपति अपने अधिकारमें जितना होगा, उतना करनेसे उठा न छोड़ेगा।

पंचम परिशिष्ट

[धारा १८९ (४) और १९० (१)]

परिगणित क्षेत्रों तथा परिगणित आदिवासी जातियोंके शासन-प्रबन्ध और नियंत्रणके बारेमें बन्धान

भाग १

सामान्य

१. परिगणित क्षेत्रोंमें राज्यकी कार्यकारिणी-शक्ति—इस परिशिष्टके बन्धानोंके आधीन

रहते हुए, प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार उस राज्यमें अवस्थित परिगणित क्षेत्रोतक है।

२. परिगणित क्षेत्रोंके शासन-प्रबन्धके विषयमें राज्यपतिका भारत सरकारको विवरण भेजना—ऐसे प्रत्येक राज्यका राज्यपति, जिसमें परिगणित क्षेत्र भी अवस्थित हो, प्रतिवर्ष या जब जब भारत-सरकार आवश्यक समझे, तबतब अपने यहाँ अवस्थित परिगणित क्षेत्रोंके शासन प्रबन्धके संबंधमे भारत सरकारके पास विवरण बनाकर भेजेगा, और संघकी कार्यकारिणी शक्तिका विस्तार उक्त क्षेत्रोंके शासन-प्रबन्धके संबधमें राज्यको हिदायतें देनेतक होगा।

भाग २

मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त और बरार, तथा उड़ीसा राज्योंके बारे-में बन्धान

३. भाग २ कहाँ कहाँ लागू हो—इस भागके बन्धान मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त-बरार, तथा उड़ीसा राज्योंके ऊपर लागू होंगे।

४. आदिवासी परामर्शदात्री परिषद्—(१) इस संविधानके आरंभ होनेके बाद जितना जल्द हो सके, उतना जल्द, मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त और बरार, तथा उड़ीसा राज्योंमें एक एक आदिवासी परामर्शदात्री परिषद् स्थापित की जायेगी, जिसमें कमसे कम दस और अधिकसे अधिक पचीस सदस्य होंगे, जिनमेंसे कि जहाँ तक हो सके लगभग तीन-चौथाई राज्यकी व्यवस्थापिका-सभामें परिगणित आदिवासी जातियोंके निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे।

(२) राज्यमें अवस्थित परिगणित क्षेत्रोंके, यदि कोई हों, शासन-प्रबन्ध और परिगणित आदिवासी जातियोंके कल्याणसे संबंधित विषयोंपर प्रायः उस राज्यकी सरकारको परामर्श देना आदिवासी परामर्शदात्री परिषद्का कर्तव्य होगा।

(३) राज्यपति निम्नलिखित विषयोंके बारेमें आवश्यक निर्देश या नियमन करनेके लिए नियम बना सकेगा :—

(क) परिषद्के सदस्योंकी संख्या, उसकी और उस परिषद्के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियोंकी नियुक्ति का ढंग;

(ख) उसकी बैठकोंका संचालन और उसकी सामान्य कार्यप्रणाली,

(ग) राज्यके पदाधिकारयों और स्थानीय राज्य-संस्थाओंके साथ इसका संबंध; और

(घ) दूसरे आनुषंगिक विषय।

५. परिगणित क्षेत्रोंपर लागू होने वाला विधान—(१) यदि राज्यपतिको राज्यकी परामर्शदात्री परिषद् वैसा परामर्श दे, तो राज्यपति सार्वजनिक विज्ञप्ति द्वारा यह हिदायत कर सकता है, कि पार्लामेण्ट या राज्यकी व्यवस्थापिकाकी कोई व्यवस्था किसी विशेष परिगणित क्षेत्र या उस राज्यके अन्दर अवस्थित उसके किसी भागके ऊपर लागू नहीं होगी, या लागू भी होगी तो उन अपवादों और रूपान्तरोंके आधीन रहते हुए, जिनका कि निर्देश वह उक्त परिषद्की पूर्व-स्वीकृति लेकर उक्त विज्ञप्तिमे करे,

किन्तु साथ ही, उन अवस्थाओंमें जबकि व्यवस्था निम्न लिखित विषयोंमेसे किसी एकसे संबन्ध रखती हो, अर्थात्

(क) विवाह;

(ख) सम्पत्तिका दाय-भाग;

(ग) आदिवासी जातियोंके सामाजिक रीति-रिवाज

(घ) भारत वन व्यवस्था, १९२७ के अनुसार या उस समय उस क्षेत्रमें चालू किसी दूसरे विधानके अनुसार रक्षित रख छोड़ी गयी वन-भूमियोंको छोड़कर वह भूमि जिसमें कृषकोंके अधिकार, भूमिका प्रबन्ध और किसी प्रयोजनके लिए उसका रक्षित रख छोड़ा जाना भी सम्मिलित समझे जायेंगे,

(ङ) ग्राम-शासन-प्रबन्धसे संबन्धित अन्य कोई विषय, जिसमें ग्राम-पंचायतोंकी स्थापना भी आ जाती है,

राज्यपतिको यदि आदिवासी परामर्शदात्री परिषद्ने ऐसा करने के लिए परामर्श दिया हो, तो वह उक्त प्रकारकी हिदायतें दे सकता है।

(२) राज्यपति, राज्यकी आदिवासी परामर्शदात्री परिषद्से परामर्श करके, राज्यके किसी भी परिगणित क्षेत्रके लिए किसी ऐसे विषयके बारेमें, जिसके लिए ऐसे क्षेत्रमें उस समय चालू किसी भी विधानद्वारा बन्धान न किया गया हो, नियामक विधान बना सकता है।

(३) राज्यपति ऐसे अपराधों वाले मामलोंके विधानीय विचारके बारेमें राज्यके किसी परिगणितक्षेत्रके लिए नियामक विधान बना सकता है, जिनके लिए मृत्युदण्ड, कालापानी अथवा पाँच वर्ष या इसके ऊपर कारावासदण्ड निश्चित हो, या ऐसे विवादोंके बारेमें भी उक्त क्षेत्रके लिए नियामक विधान बना सकता है, जो उक्त नियामक विधानोंमें निर्दिष्ट विधानोंके कारण उठनेवाले नहीं हों, और ऐसे नियामक विधानोंके द्वारा वह ऐसे मामलों का विधानीय विचार किसी ऐसे क्षेत्रके मुखियों या पंचायतोंके हाथमें दे सकता है।

(४) इस पैराके अनुसार बनाये गये किसीभी नियामक विधानके राज्य द्वारा जारी किये जाने पर वही बल और प्रभाव होगा, जो उपयुक्त व्यवस्थापिका की किसी ऐसी व्यवस्थाका होता, जो ऐसे क्षेत्रपर लागू होती और जो इस संविधान द्वारा उस व्यवस्थापिकाको दिये गये अधिकारोंके बल पर व्यवस्थापित की गयी होती।

६. **परिगणित क्षेत्रोंमें आदिवासी जातिसे भिन्न लोगोंके हाथमें भूमिका जाने देना और न जाने देना**—(१) किसी परिगणित आदिवासीके लिये परिगणित क्षेत्रमें अवस्थित किसी भूमिको किसी ऐसे आदमीके हाथमें परिगणित आदिवासी जातिका न हो, देना अवैध होगा,

(२) उस राज्यके हाथमें निहित किसी परिगणित क्षेत्रमें अवस्थित कोई भी भूमि, जिसमें कि ऐसा क्षेत्र अवस्थित हो, ऐसे व्यक्ति के हाथमें जोकि परिगणित आदिवासी जातिका नहीं है, न तो दी जायेगी और न उसके साथ जबतक उसका प्रबन्ध ही किया जायेगा, तबतक कि उसके लिए राज्यकी आदिवासी परामर्शदात्री परिषद्से परामर्श करके राज्यपतिद्वारा बनाये गये नियमोंके अनुसार ऐसा हस्तान्तर या प्रबन्ध न किया जाय।

७. **परिगणित क्षेत्रोंमें मुद्रा उधार लेनेके ऊपर नियमन**—राज्यपति स्वयं, या राज्यकी आदिवासी परामर्शदात्री परिषद्के वैसे परामर्शसे, सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालकर यह हिदायत कर सकेगा कि राज्यके परिगणित-क्षेत्रमें कोई चाँदी रुपये पैसेका लेन-देन नहीं कर सकेगा, जबतक कि ऐसा लेन-देन राज्यकी सरकार द्वारा इस कार्यके लिए अधिकारी बनाये गये किसी पदाधिकारी

द्वारा दिये जानेवाले अनुमतिपत्रकी शर्तोंके आधीन और अनुसार न हो, और प्रत्येक ऐसी हिदायतमें यह भी बन्धान रहेगा कि इस हिदायतका भंग करना अपराध माना जायेगा और साथ ही उसमें, इसके लिए क्या दण्ड हो यह भी निर्दिष्ट रहेगा।

८ परिगणित क्षेत्रोंकी प्राप्तियों और व्ययोंके अनुमान वार्षिक अर्थविभागीय विवरणमें अलग दिखलाये जायें—किसी राज्यके परिगणित क्षेत्रकी प्राप्तियों (आमदनियों) और व्ययों (खर्चों) के अनुमान, जो कि राज्यके राजस्वोंमें जमा होने वाले हैं या राज्यके राजस्वोंमेंसे आनेवाले हैं, इस संविधानकी धारा १७७ के अनुसार राज्यकी व्यवस्थापिकाके समक्ष रखे जाने वाले राज्य के वार्षिक अर्थविभागीय विवरणमें अलग दिखलाये जायेंगे।

९. परिगणित क्षेत्रोंके बाहर भाग २ कहाँ कहाँ लागू होगा—(१) राज्यपति किसी भी समय, सार्वजनिक विज्ञप्ति निकाल कर यह हिदायत कर सकता है, कि इस भागके समस्त या कोई भी बन्धान विज्ञप्तिमें बतलायी गयी तारीखसे लेकर राज्यके किसी परिगणित क्षेत्रोंके अतिरिक्त किसी ऐसे क्षेत्रके ऊपर भी, जिसमें कि कोई परिगणित आदिवासी जाति बसी हुई हो, वैसे ही लागू होंगे जैसेकि राज्यके परिगणित क्षेत्रके ऊपर।

(२) राज्यपति उक्त प्रकारकी विज्ञप्ति निकाल कर यह हिदायत कर सकता है, कि इस भाग के समस्त या कोई भी बन्धान विज्ञप्तिमें निर्दिष्ट तारीखसे लेकर राज्यके किसी ऐसे क्षेत्रके ऊपर लागू नहीं रह जायेंगे, जिसके बारेमें इस पैराके उपपैरा (१) के अनुसार विज्ञप्ति निकाली गयी हो।

भाग ३

संयुक्तप्रान्त राज्यके बारेमें बन्धान

१०. भाग ३ कहाँ लागू होगा—इस भागके बन्धान केवल संयुक्तप्रान्त राज्यके ऊपर लागू होंगे।

११. परिगणित क्षेत्र परामर्शदात्री समिति—(१) इस संविधानके आरंभ होनेके बाद जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी राज्यपति आदेश निकालकर राज्यके लिए एक परिगणित क्षेत्र-परामर्शदात्री समिति नियुक्त करेगा, जिसके कि दो तिहाई सदस्य परिगणित आदिवासी जातियोंके होंगे। उक्त आदेशमें समितिके गठन, अधिकारों और कार्य-प्रणालीका ठीक ठीक निर्देश भी रहेगा और उसमें वे आनुषंगिक और सहायक बन्धान भी रखे जा सकेंगे, जिन्हें कि राज्यपति आवश्यक या वांछनीय समझे।

(२) राज्यके परिगणित क्षेत्रोंके विकाससे संबंधित समस्त विषयों या राज्यकी सरकारको सामान्यतः परामर्श देना परिगणित क्षेत्र परामर्शदात्री परिषद्का कर्त्तव्य होगा।

१२. कुछ विशेष परिस्थितियोंमें नियामक विधान बनानेका राज्यपतिको अधिकार—(१) राज्यपति राज्यके अन्दर अवस्थित किसी परिगणित क्षेत्रके लिये ऐसे अपराधोंसे भिन्न अपराधोंके मामलोंके विधानीय विचारके सम्बन्धमें नियामक विधान बना सकता है, जिनके लिए कि मृत्युदण्ड, कालापानी अथवा पाँच वर्ष या उससे ऊपर कारावास-दण्ड निश्चित हो, या सभी प्रकारके ऐसे वादों (मुकदमों) या छोटी-मोटी रकमवाले मामलोंके विचारके सम्बन्धमें भी नियामक विधान बना

सकता है, और ऐसे नियामक विधानोंके द्वारा वह उक्त किसी क्षेत्रके मुखियों या पंचायतोंके हाथमें ऐसे मामलो और वादो (मुकदमों) के विधानीय विचार करनेका अधिकार दे सकता है।

(२) राज्यपति राज्यके किसी परिगणित क्षेत्रमें अवस्थित किसी भूमिके परिगणित आदिवासीके हाथसे भिन्न जातिवाले व्यक्तिके हाथमे हस्तान्तर किये जानेके ऊपर प्रतिबन्ध लगानेके लिए भी नियामक विधान बना सकता है।

(३) इस पैराके अनुसार बनाये गये किसी भी नियामक विधानका, राज्यपति द्वारा जारी किये जानेपर, वही बल और प्रभाव होगा, जो उपर्युक्त व्यवस्थापिकाके ऐसी व्यवस्थाका होता जो कि उक्त क्षेत्रपर लागू होती और इस विधान द्वारा उस व्यवस्थापिकाको दिये गये अधिकारों के बलपर व्यवस्थापितकी गयी होती।

१३. परिगणित क्षेत्रोंकी प्राप्तियों और व्ययोंके अनुमान वार्षिक अर्थविभागीय विवरण में अलग दिखलाये जाँय—

उक्त राज्यके परिगणित क्षेत्रकी प्राप्तियों और व्ययोंके अनुमान, जो कि राज्यके राजस्वोंमें जमा होनेवाले हैं या राज्यके राज्यस्वोंमेंसे आनेवाले हैं, इस संविधानकी धारा १७७ के अनुसार राज्यकी व्यवस्थापिकाके समक्ष रखे जानेवाले राज्यके वार्षिक अर्थविभागीय विवरणमें अलग दिखलाये जायेंगे।

भाग ४

पूर्वी पजाब राज्यके बारेमें बंधान

१४. भाग ४ कहाँ लागू होगा—इस भागके बन्धान केवल पूर्वीपजाब राज्यके ऊपर लागू होंगे।

१५. परिगणितक्षेत्र-परामर्शदात्री-समितिकी नियुक्ति—(१) इस संविधानके आरम्भ होनेके बाद जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी, राज्यपति आदेश निकालकर राज्यके लिए एक परिगणितक्षेत्र-परामर्शदात्री-परिषद् नियुक्त करेगा, जिसके कि दो तिहाई सदस्य परिगणित आदिवासी जातियोंके होंगे। उक्त आदेशमे समितिके गठन, अधिकारों और कार्यप्रणालीका ठीक ठीक निर्देश रह सकेगा और उसमें वे आनुषगिक और सहायक बन्धान भी रखे जा सकेंगे, जिन्हें कि राज्यपति आवश्यक या वाञ्छनीय समझे।

(२) राज्यके परिगणित क्षेत्रोंके विकाससे संबंधित समस्त विषयोंपर राज्यकी सरकारको सामान्यतः परामर्श देना "परिगणित-क्षेत्र-परामर्शदात्री-परिषद्" का कर्त्तव्य होगा।

१६. पार्लामेंट और राज्यकी व्यवस्थापिकाकी व्यवस्थाओंका परिगणित क्षेत्रोंके ऊपर लागू होना—राज्यपति सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालकर यह हिदायत कर सकता है, कि पार्लामेंट या उक्त राज्यकी व्यवस्थापिकाकी कोई व्यवस्था किसी विशेष परिगणित क्षेत्र या उस राज्यके अन्दर अवस्थित उसके किसी भागके ऊपर लागू नहीं होगी, या लागू भी होगी तो उक्त विज्ञप्तिमें निर्दिष्ट अपवादों और रूपान्तरोंके आधीन रहते हुए।

१७. नियामक विधान बनानेका राज्यपतिको अधिकार—(१) राज्यपति राज्यके अन्दर अवस्थित किसी परिगणित-क्षेत्रके लिए ऐसे अपराधोंसे भिन्न अपराधोंके मामलोंके विधानीय विचारके

संबंधमें नियामक-विधान बना सकता है, जिनके लिए कि मृत्युदण्ड, कालापानी अथवा पाँच वर्ष या उससे ऊपर कारावास-दण्ड निश्चित हो; या सभी प्रकारके ऐसे वादो (मुकदमों) या छोटी मोटी रकमोंवाले मामलोंके विधानीय विचारके सम्बन्धमें भी नियामक-विधान बना सकता है और ऐसे नियामक विधानोंके द्वारा, वह उक्त किसी क्षेत्रके मुखियों या पंचायतोंके हाथमे ऐसे मामलों और वादों (मुकदमों) के विधानीय विचारका अधिकार दे सकता है।

(२) राज्यपति राज्यके किसी परिगणित-क्षेत्रमें अवस्थित किसी भूमिके परिगणित आदि-वासीके हाथसे भिन्न व्यक्तिके हाथमें हस्तान्तर किये जानेके ऊपर प्रतिषेध लगानेके लिए भी नियामक-विधान बना सकता है।

(३) इस पैराके अनुसार बनाये गये किसी भी नियामक-विधानका, राज्यपतिद्वारा जारी किये जानेपर वही बल और प्रभाव होगा, जो उपर्युक्त व्यवस्थापिकाके किसी ऐसी व्यवस्थाका होता, जोकि उस क्षेत्रपर लागू होती और इस संविधान द्वारा उस व्यवस्थापिकाको दिये गये अधिकारोंके बल पर व्यवस्थापित की गयी होती।

भाग ५

१८. परिगणितक्षेत्र (१)—नीचे दी गयी सारिणीके भाग १ से ७ तक गिनाये गये क्षेत्र इस संविधानके तात्पर्यके लिए परिगणित-क्षेत्र समझे जायेंगे, और उक्त सारणीमें किसी कमिश्नरी, जिले, शासन-क्षेत्र, तहसील या इलाकेके लिए किये गये निर्देशमे इस संविधान के आरंभ होनेकी तारीख वाले कमिश्नरी, जिले, शासन-क्षेत्र, तहसील या इलाके के निर्देशका बोध होना समझा जायेगा।

(२) राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश निकाल कर—

(क) हिदायत कर सकेगा कि अमुक परिगणित-क्षेत्र समस्त या उसका निर्दिष्ट भाग-विशेष परिगणित-क्षेत्र या ऐसे-क्षेत्रका भाग नहीं रहा;

(ख) किसी परिगणित-क्षेत्रमे परिवर्त्तन कर सकेगा, किंतु केवल नयी सीमाओंके सुधारने के रूपमे;

(ग) प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी सीमाओंके परिवर्त्तनके बाद अथवा उक्त परिशिष्टके भाग १ में संघमे सम्मिलित हुए या पार्लामेण्ट द्वारा विधानके द्वारा स्थापित किये गये नये राज्यके समाविष्ट होनेके बाद, किसी ऐसे राज्यक्षेत्रको, जो उक्त प्रकारसे निर्दिष्ट किसी राज्यके अन्तर्गत सम्मिलित न रहा हो, परिगणित-क्षेत्रका भाग घोषित कर सकेगा, और इस प्रकार निकाले गये आदेशमे ऐसे आनुषंगिक और सहायक बन्धान भी रखे जा सकेंगे, जोकि को राष्ट्रपति आवश्यक और वांछनीय जान पड़ें।

सारणी

१—मद्रास

लका द्वीप (जिसमें मिनीकायका समावेश है) और अमीनदीवी द्वीप।

पूर्वी गोदावरी एजेन्सी और विजगापट्टम एजेन्सीका उतना भाग, जो भारत-शासन (उड़ीसा संगठन) आदेश १९३६, के बन्धानोंके अनुसार उड़ीसाको हस्तांतरित नहीं हुआ है।

२—बम्बई

पश्चिमी खानदेश जिलेमें—नवपुरपेठ, अक्रानी महाल और निम्नलिखित मेहवासी सरदारोंके गाव : (१) काठीके पर्वी, (२) नलके पर्वी, (३) सिंहपुरके पर्वी, (४) गौहालीके वलवी, (५) चिखलीके वसावा, और (६) नवलपुरके पर्वी, ।

पूर्वी खानदेशके जिलेमें—सतपुड़ा पहाड़के रक्षित वन-क्षेत्र ।

नासिक जिलेमें—ईस्वान तालुक और पेंटपेठ ।

थाना जिलेमें—दहानु और शाहपुर तालुके तथा मोखाड़ा और अम्बरगावके पेठ ।

३—सयुक्त प्रान्त

देहरादून जिलेका जौनसार-बावर परगना । मिर्जापुर जिलेका कैमूर पहाड़ीके दक्षिण का भाग ।

४—पूर्वी पंजाब

कागड़ा जिलेमें स्पिती और लाहुल ।

५—बिहार

राची और सिंहभूमके जिले और छोटा नागपूर डिवीजनके पलामू जिलेका लटेहर सब-डिवीजन ।

गोडा और देवगढ़ सब डिवीजन को छोड़कर सन्थालपरगनेका जिला ।

६—मध्यप्रान्त-बरार

चांदा जिलेकी, सिरोंचा तहसीलकी अहेरी जमींदारी और गढ़चिरोली तहसीलमें पनोरा, दूधमाला, गेवर्धा, झरापापड़ा खुटगाव, कोटगाल मुरमगाव, पल्लसगढ, रगी, सिरुन्डी सोन्सारी, चन्दाला, गिलगाव, पाइ-मुराएडा और पोटेगाव जमींदारिया ।

छिंदवाड़ा जिलेमें हर्रई, गोरकघाट, गोड़गनी, बटकागढ़, वढ़ागढ़-प्रतापगढ़ (पगारा), अल्मोद और सोनपुरकी जागीरें और पचमढ़ी जागीरका वह भाग जो छिन्दवाड़ा जिलेमें हैं,

मंडला जिला ।

बिलासपुर जिलेमें पेन्ड्रा, केन्डा, मातिन, लाफा, उपरोड़ा, छुरी और कोर्वा जमींदारिया ।

द्रुग जिलेमें औंधी, कोराचा, पानाबारस और आमागढ़ चौकी जमींदारियाँ ।

बालाघाट जिलेमें बैहर तहसील ।

अमरावती जिलेमे मेलघाट तालुक ।

बैतूल जिलेमें भैंसदेही तहसील ।

७—उड़ीसा

गजाम एजसी-भूभाग एवं खडमाल ।

कोरापुत जिला ।

षष्ठ परिशिष्ट

[धारा १८६ (ख) और १६० (२)]

आसामके आदिवासी क्षेत्रोंके शासन प्रबन्धके बारेमें बन्धान

१. स्वायत्तजिले और स्वायत्तमंडल—(१) इस परिशिष्टके पैरा १६ में जुड़ी हुई सारणीके भाग १ के प्रत्येक मदमें निर्दिष्ट आदिवासी क्षेत्र, जो उस समयके लिए उस भागमें सम्मिलित कर लिया गया हो, स्वायत्त जिला समझा जायेगा।

(२) यदि एक स्वायत्त जिलेमें कई एक परिगणित आदिवासी जातियाँ हों, तो राज्यपति सार्वजनिक विज्ञप्ति द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रोंको, जिनमे वे बसी हुई हैं, स्वायत्त मंडलोंमे विभाजित कर सकेगा।

(३) राज्यपति, सार्वजनिक विज्ञप्ति द्वारा—

(क) उक्त सारणीके भाग १ मे कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकता है,

(ख) एक नया स्वायत्त जिला बना सकता है,

(ग) किसी स्वायत्त जिलेका क्षेत्र बढ़ा सकता है,

(घ) उक्त सारणीके भाग १मेंसे कोई क्षेत्र निकाल सकता है,

(ङ) किसी स्वायत्त जिलेका क्षेत्र घटा सकता है;

किन्तु साथ ही, इस परिशिष्टके पैरा १४ के उपपैरा (१) के अनुसार नियुक्त किये गये कमीशन (समितक) द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरणके ऊपर विचार करके ही, राज्यपति इस उप पैराके खंड (ग) के आधीन कोई आदेश निकाल सकेगा :

किन्तु साथ ही यह भी आवश्यक है, कि राज्यपति इस उपपैराके खंड (घ) या खंड (ङ) के आधीन कोई आदेश तभी निकाला जा सकेगा, जब कि सम्बन्धित स्वायत्त जिलेकी जिला-परिषद् ने उक्त उद्देश्यको कार्यान्वित करनेके लिए प्रस्ताव न पास कर दिया हो।

२. जिला परिषदों और मंडल परिषदोंका सङ्गठन—(१) प्रत्येक स्वायत्त जिलेके लिए एक जिलापरिषद् होगी, जिसमें कम से कम बीस और अधिक से अधिक चालीस सदस्य होंगे, जिनमेंसे कम से कम तीन चौथाई वयस्क-मताधिकारके आधार पर निर्वाचित होंगे।

(२) जिला-परिषद्के लिए किये गये निर्वाचनोंके प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रोंकी सीमाबन्दी इस प्रकारकी जायेगी, जिस प्रकार जहाँ तक संभव हो, जिलेके वे क्षेत्र जिनमें भिन्न-भिन्न परिगणित आदिवासी जातियाँ बसी हुई हो, और वे क्षेत्र, यदि कोई हों, जिनमें दूसरे लोग बसे हुए हों, पृथक् निर्वाचन-क्षेत्रों मे पड़ें :

किन्तु साथ ही यह भी आवश्यक होगा, कि पाँच सौसे कम की कुल जनसंख्याके क्षमके लिए कोई निर्वाचन-क्षेत्र नहीं बनाया जा सकेगा।

३ इस परिशिष्टके पैरा १ के उपपैरा (२) के अनुसार स्वायत्त मण्डलके रूपमें संगठित किये गये प्रत्येक क्षेत्रके लिए अलग अलग एक मंडल-परिषद् होगी।

(४) प्रत्येक जिलापरिषद् और प्रत्येक मंडल-परिषद् एक सुगठित संस्था होगी और इनके नाम क्रमशः "(अमुक जिलेकी) जिला-परिषद्" और "(अमुक-मंडलकी) मंडल-परिषद्" होंगे प्रत्येक ऐसी संस्था सतत एकके बाद दूसरी आती रहेगी, और उसकी अपनी एक मुहर होगी

और उक्त नामसे वह बाद डाला सकेगी या स्वयं बादमें लायी जा सकेगी।

(५) इस परिशिष्टके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, किसी स्वायत्त जिलेका शासनप्रबन्ध, जहाँ तककि इस परिशिष्टके अनुसार मंडल-परिषद्के हाथमें नहीं निहित किया गया है, वहाँ तक उस जिलेकी जिलापरिषद्के हाथमे निहित रहेगा, और किसी स्वायत्त मंडल का शासनप्रबन्ध उस मण्डल की मंडल-परिषद्के हाथमें निहित रहेगा।

(६) मंडल परिषदोंवाले किसी स्वायत्त जिलेमें जिलापरिषद्को मंडल-परिषद्की राज्यसत्ता के अन्तर्गत क्षेत्रोंके बारेमें केवल ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे, जिन्हें मण्डल-परिषद् ऐसे अधिकारों के अलावा भी उसे सौंपे, जोकि उसे ऐसे क्षेत्रोंके बारेमें इस परिशिष्ट द्वारा दिये गये हों।

(७) संबंधित स्वायत्त जिलों और मंडलोंके वर्तमान आदिवासी परिषदों या प्रतिनिधित्व करनेवाले दूसरे आदिवासी संगठनोंसे परामर्श करके, राज्यपति जिला-परिषदों और मण्डल-परिषदोंके प्रथम संगठनके लिए नियम बनायेगा और ऐसे नियमों में—

(क) जिलापरिषदों और मंडल-परिषदोंके गठन और उनमें स्थानोंको नियत करनेके बारेमें,

(ख) उन परिषदोंके निर्वाचनके प्रयोजनके लिए प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रोंकी सीमाबन्दी के बारेमें,

(ग) ऐसे निर्वाचनोंमें मत देनेकी योग्यताके बारेमें और निर्वाचक-सूची तैयार करनेके बारेमें,

(घ) ऐसे निर्वाचनोंमें ऐसी परिषदोंके सदस्य चुने जानेकी योग्यताओंके बारे में,

(ङ) ऐसी परिषदोंके लिए निर्वाचित या मनोनीत किये जानेसे प्रशस्त या अप्रशस्त रूपसे संबंधित किसी विषयके बारेमें,

(च) जिला या मंडल परिषदोंमें अनुसरणीय कार्यप्रणाली और उनके कार्य-संचालनके बारेमें;

(छ) जिला और मंडल परिषदोंके पदाधिकारियों और कर्मचारियोंकी नियुक्तिके बारेमें, बन्धान किया जायेगा।

(८) जिला या मंडल-परिषद् पहली बार संगठित हो जानेके बाद, इस पैराके उपपैरा (७) में गिनाये गये विषयोंके बारेमें नियम बना सकेगी, और

(क) अधीनस्थ स्थानीय परिषदों या पर्षदों (बोर्डों) के निर्माण और उनकी कार्यप्रणाली और कार्यसंचालनके बारेमें;

(ख) जिला या मंडलके, जैसी कि स्थिति हो, शासन-प्रबन्धके कार्य सँभालनेसे संबंधित प्रायः सभी विषयोंके बारेमें, नियमन करनेवाले नियम भी बना सकेगी :

किन्तु जबतक जिला अथवा मंडल परिषद् इस पैराके आधीन नियम न बनाये, तबतक प्रत्येक ऐसी परिषद्के निर्वाचनों, पदाधिकारियों तथा कर्मचारी-वर्ग और कार्यप्रणाली तथा कार्य-संचालनके सम्बन्धमें इस पैराके उपपैरा (७) के अनुसार राज्यपतिके बनाये नियम कार्यकारी होंगे :

किन्तु साथ ही इस बन्धानके साथकि इस परिशिष्टके पैरा १९ में लगी सारणीके भाग १ के क्रमशः मद ५ और ६ में सम्मिलित क्षेत्रोंके संबधमें मिकिर और उत्तर कछार पहाड़ियोंका डिपटी

कमिश्नर या सब डिविजनल अफसर, जैसी कि स्थिति हो, जिला-परिषद्का पदेन सभापति होगा, और जिला-परिषद्के प्रथम संगठनके बाद छ वर्षकी अवधितक, राज्यपतिके नियंत्रणके अधीन रहते हुए उसे अधिकार होगा, कि जिला परिषद्के किसी प्रस्ताव या निर्णयको, जैसी कि स्थिति हो, बेकार या परिवर्तित कर दे या जैसा ठीक समझे, वैसी हिदायत जिला-परिषद्को दे, और जिला परिषद् ऐसी दी हुई प्रत्येक हिदायतका पालन करेगी।

३. जिला-परिषदों और मंडल परिषदोंको विधान बनानेका अधिकार होगा—

(१) स्वायत्त मंडेलकी मंडल-परिषद्को ऐसे मंडलके अन्तर्गत सारे क्षेत्रोंके संबंधमें, और स्वायत्त जिलेकी जिलापरिषद्को उस जिलेके मंडलपरिषदोंके, यदि कोई हो अधिकाराधीन क्षेत्रोंका छोड़कर, उस जिलेके अंतर्गत सारे क्षेत्रोंके संबंधमें, निम्नलिखित विषयोंके बारेमें विधान बनानेका अधिकार होगा :—

(क) कृषि या चराईके लिए, अथवा रहने या दूसरे कृषि भिन्न प्रयोजनोंके लिए, अथवा किसी ऐसे दूसरे प्रयोजनके लिए, जिससे किसी ग्राम या नगरके निवासियों के हितोंकी वृद्धि हो सकती हो, किसी रक्षित वनभूमिको छोड़कर दूसरे क्षेत्रका विभाजन, दखल, या उपयोग अथवा अलग रखना :

किन्तु, ऐसे विधानकी किसी बातसे आसाम राज्यको अधिगतिका अधिकार देनेवाले उस समय चालू विधानके अनुसार सार्वजनिक उपयोगके लिए दखल या बिना दखलवाले किसी क्षेत्र की अधिगतिमें रुकावट न होगी;

(ख) रक्षित वनको छोड़कर किसी अन्य वनका प्रबन्ध;

(ग) कृषिके लिए किसी नहर या जलधाराका उपयोग;

(घ) भूमि या खेती हटा हटाकर खेती करनेकी दूसरे प्रकारकी प्रथाका नियमन;

(ङ) ग्राम या नगर-समितियों अथवा परिषदोंकी स्थापना और उनकी शक्तियाँ;

(च) ग्राम या नगरके शासन-प्रबन्धसे संबंधित कोई दूसरा विषय, जिसमें ग्राम या नगरकी पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भी सम्मिलित है ;

(छ) प्रमुखों या मुखियोंकी नियुक्ति अथवा उत्तराधिकार;

(ज) सम्पत्तिका उत्तराधिकार;

(झ) विवाह;

(ञ) सामाजिक रीतिरवाज।

(२) इस पैरामें "रक्षित वन" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो आसाम-वन-नियम, १८९१ के आधीन अथवा विवादास्पद क्षेत्र में उस समय प्रचलित किसी दूसरे विधानके अनुसार रक्षित वन हो।

४. स्वायत्त जिलों या मंडलोंमें न्याय-प्रबन्ध—

(१) स्वायत्त मंडलकी मंडल-परिषद् ऐसे मंडलके भीतरके क्षेत्रके सम्बन्धमें और स्वायत्त जिलेकी जिला-परिषद, मंडल-परिषदोंके, यदि कोई हों, अधिकाराधीन क्षेत्रको छोड़कर उस जिलेके भीतरके दूसरे क्षेत्रके संबधमें जिन दावों और मुकदमोंके विधानीय विचारके लिए इस परिशिष्ट के पैरा ५ के उपपैरा (१) के बन्धान लागू होते हों, अथवा जो इस परिशिष्टके पैरा ३

के अनुसार बनाये हुए किसी विधानमें उत्पन्न हों, उनको छोड़कर, दूसरे दावों और मुकदमोंके विधानीय विचारके लिए, उस राज्यके किसी न्यायालयको वर्जितकर ग्राम-परिषद् या न्यायालय संगठितकर सकेगी, और योग्य व्यक्तियोंको ऐसी ग्राम-परिषदोंके सदस्य या ऐसे न्यायालयोंके प्रमुख अधिकारी नियुक्तकर सकेगी, और ऐसे अधिकारीको भी नियुक्तकर सकेगी, जो इस परिशिष्टके पैरा ३ के अनुसार बनाये विधानोंके प्रबन्धके लिए आवश्यक हों।

(२) इस संविधानमें किसी बातके होते हुए भी, स्वायत्त मंडलकी मंडल-परिषद् अथवा उस मंडल परिषद् द्वारा इसके लिए संगठित कोई न्यायालय अथवा, यदि किसी स्वायत्त जिलेके भीतर किसी क्षेत्रके लिए कोई मंडल-परिषद् न हो तो, ऐसे जिलेकी जिला-परिषद्, या उस जिला परिषद् द्वारा इसके लिए संगठित कोई न्यायालय, इस परिशिष्टके पैरा ५के उपपैरा (१) के बन्धान जिन दावों और मुकदमोंपर लागू होते हों, उनको छोड़कर, ऐसे मंडल अथवा क्षेत्रके, जैसीकि स्थिति हो, भीतरके ऐसे सारे दावों और मुकदमोंमें अपील न्यायालयके अधिकारों का प्रयोग करेगा, जिनमें दोनोंपक्ष उस मण्डल या क्षेत्रके, जैसीकि स्थिति हो, भीतरकी परिगणित आदिवासी जातियोंके सदस्य हों, और उस राज्यमें किसी दूसरे न्यायालयको ऐसे दावों या मुकदमोंमें अपीलका अधिकारक्षेत्र न होगा और ऐसी मण्डल या जिला-परिषद् अथवा न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा।

५. दीवानी (अर्थ-विधि) संहिता १९०८ और फौजदारी (दण्ड) विधि संहिता १८९८ के अनुसार कुछ दावों और अपराधों के विधानीय विचार के लिए मण्डल या जिला-परिषदों और दूसरे न्यायालयों तथा अधिकारियों को अधिकार देना—

(१) राज्यपति किसी स्वायत्त जिले या मण्डलमें चालू किसी ऐसे विधानसे जिसका उल्लेख राज्यपति ने इसके लिए किया हो, उठे हुए दावों या मुकदमोंके विधानीय विचारके लिए, या भारतीय-दण्ड-संहिता या ऐसे मण्डल या जिलेमें उस समय लागू किसी दूसरे विधानके अनुसार मृत्यु, आजीवन कालापानी या पाँच वर्षसे अधिक कालके लिए जेलके दण्ड वाले अपराधोंके विधानीय विचारके लिए ऐसे जिले या मण्डल पर अधिकार रखने वाली जिला या मण्डल परिषद् या ऐसी जिला-परिषद् द्वारा स्थापित न्यायालयोंको या राज्यपति द्वारा इसके लिए नियुक्त अधिकारीको दीवानी-विधि संहिता १९०८, या फौजदारी-विधि-संहिता १८९८ के अनुसार जैसीकि स्थिति हो, ऐसे अधिकार प्रदान कर सकेगा जैसाकि वह ठीक समझे और ऐसा होनेपर उक्त परिषद्, न्यायालय या अधिकारी इस प्रकार दिये हुए अधिकारोंको प्रयोग करते समय दावों, मुकदमों या अपराधोंका विधानीय विचार करेगा।

(२) राज्यपति इस पैराके उपपैरा (१) के अनुसार किसी जिला परिषद्, मण्डल-परिषद्, न्यायालय या अधिकारीको प्रदान किये गये अधिकारोंमेंसे किसीको वापस ले सकेगा, या उनमें फेर-कर सकेगा।

(३) इस पैरामें स्पष्ट बन्धानकी हुई अवस्थाके अतिरिक्त दीवानी-विधि-संहिता १९०८ और फौजदारी विधि संहिता १८९८, किसी स्वायत्त जिले या स्वायत्त मण्डलमें किन्हीं दावों, मुकदमों, या अपराधोंके विधानीय विचारपर लागू न होगी।

६. प्राथमिक पाठशालाओं आदिको स्थापित करनेका जिला परिषद्को अधिकार—

स्वायत्त जिलेकी जिला परिषद् अपने जिलेमें प्राथमिक पाठशालायें, औषधालय, बाजार, पशु-निरोधालय, नदी-घाट, मछली-पालन, सड़कें, और जलपथोंकी स्थापना, निर्माण और प्रबन्ध कर सकेगी, और विशेषतया इस बातका निश्चयकर सकेगी कि प्राथमिक पाठशालाओंमें प्राथमिक शिक्षा किस भाषा और रीतिसे दी जाय।

७ जिला तथा मंडलका कोष (फण्ड)—(१) प्रत्येक स्वायत्त जिलेके लिए जिला-कोष तथा प्रत्येक स्वायत्त मण्डलके लिये मंडल-कोष स्थापित किया जायेगा जिसमें क्रमशः उस जिले की जिला-परिषद् या उस मण्डलकी मण्डल-परिषद् इस संविधानके बन्धानोंके अनुसार उस जिले या मण्डलका, जैसी कि स्थिति हो, शासन-प्रबन्ध करनेके लिए प्राप्त धनको जमा किया जायेगा।

(२) जिला-कोष या मण्डल-कोपके लिए, जैसी कि स्थिति हो, जिला-परिषद् तथा मण्डल-परिषद् राज्यपतिकी पूर्व-स्वीकृति पाकर नियम बना सकेंगी, और इस प्रकार बने हुए नियम उक्त कोषमें धनके देने, उसमेंसे धनके निकालने उसमें धनको रक्षित रखने तथा इन बातोंसे सम्बन्धित तथा उनके सहायक किसी विषयके सम्बन्धमें अनुसरण करने योग्य कार्यप्रणालीका निर्देश भी कर सकेंगे।

८. भूमिकर लगाने और उगाहनेके तथा अन्य करोंके लगानेका अधिकार—(१) अपने मण्डलके अन्तर्गत सभी भूमियोंके बारेमें स्वायत्त-मण्डलकी मण्डल-परिषद्को और उन क्षेत्रोंके अतिरिक्त जिलेके अन्तर्गतकी सारी भूमियोंके सम्बन्ध में, स्वायत्तजिलोंकी जिला-परिषदको जो क्षेत्र मण्डल-परिषदोंकी, यदि कोई हो, अधिकार सत्ताके अधीन हों, उन भूमियोंके ऊपर कर लगाने और उगाहनेका उन्हीं सिद्धान्तोंका अनुसरण करते हुए अधिकार होगा, जो कि उस समय आसाम-सरकार द्वारा आसाम-राज्यमें भूमिके ऊपर कर-निर्धारण करनेके लिये बरते जाते हों।

(२) किसी स्वायत्त-मण्डलकी मण्डल-परिषद्को उक्त मण्डलके अन्तर्गत क्षेत्रोंके सम्बन्धमें और किसी स्वायत्त-जिलेकी जिला-परिषद्को उन क्षेत्रोंके अतिरिक्त जिलेके अन्तर्गत सारे क्षेत्रोंके संबंधमें भूमि और मकानों पर कर लगाने और उगाहने तथा उक्त क्षेत्रोंमें रहनेवाले व्यक्तियोंपर पथ शुल्क लगाने और उगाहनेका अधिकार होगा।

(३) किसी स्वायत्त जिलेकी जिला-परिषद्को उक्त जिलेके भीतर निम्नलिखित करोंमेंसे समस्त या कुछ करोंको लगाने और उगाहनेका अधिकार होगा :

(क) व्यवसायों, वाणिज्यों, पेशों और नौकरियों पर लगाया गया कर;

(ख) पशुओं, सवारियों और नावोंपर लगाया गया कर;

(ग) किसी बाजारमें बिक्रीके लिए आनेवाले मालोंके प्रवेशपर लगाया गया कर, और घाटवाली नावोंमें चढनेवाले यात्रियों और ढोये जानेवाले पण्यों पर लगाया गया पथशुल्क; और

(घ) विद्यालयों, और औषधालयों और सड़कोंको चलानेके लिए लगाये गये कर।

(४) कोई भी मण्डल, परिषद् या जिला-परिषद्, जैसी कि स्थिति हो, इस पैराके उपपैरा (२) और (३) में निर्दिष्ट किये गये करोंमेंसे किसी एकके लगाने और उगाहनेके निमित्त बनाये गये बन्धानोंके लिए नियम बना सकती है।

९. खनिज पदार्थोंका थाह पता लगाने या उन्हें खोदके निकालनेके लिए अनुमति-पत्र

या पट्टा—(१) किसी स्वायत्त जिलेके अन्तर्गत किसी क्षेत्र में खनिज पदार्थोंका थाह-पता लगाने या उन्हें खोदके निकालनेके लिए आसाम-सरकार द्वारा, बिना उस जिलेकी जिलापरिषद्से परामर्श लिये, अनुमतिपत्र या पट्टे नहीं दिये जा सकेंगे।

(२) किसी स्वायत्तजिलेके अन्तर्गत किसी क्षेत्रमे खनिजपदार्थोंके थाह-पता लगाने और खोदके निकालनेके लिए आसाम सरकार द्वारा दिये गये अनुमतिपत्रो और पट्टोसे प्रतिवर्ष जो अधिकृत लाभ आता रहेगा, उसका जो अंश देनेके लिए आसाम-सरकार जिलापरिषद्से समझौता कर चुकी होगी, वह अंश उक्त जिलेकी जिलापरिषद्को मिला करेगा।

(३) यदि उक्त प्रकार अधिकृत लाभोंके अशको किसी जिलापरिषद्को दिये जानेके ऊपर कोई विवाद उठता है, तो वह निर्णयके लिए राज्यपतिके पास भेजा जायगा और राज्यपतिद्वारा अपने विवेकके अनुसार निश्चित कर दी गयी धनराशि इस पैराके उपपैरा (२) के अनुसार जिलापरिषद्को भुगतानकी जानेवाली धनराशि मानी जायेगी और राज्यपतिका निर्णय अन्तिम होगा।

१०. आदिवासी जातिवालोंसे भिन्न लोगों द्वारा रुपये-पैसेकी लेन-देन और वाणिज्य किये जानेपर नियमन और नियंत्रण करनेका जिला-परिषद्का अधिकार—(१) किसी भी जिलेकी जिलापरिषद् जिलेके भीतर परिगणित आदिवासी जातियोंसे भिन्न जातिवाले जिलेके निवासियोंके रुपये-पैसे का लेन-देन और वाणिज्य करनेपर नियमन और नियंत्रण करनेके लिए नियम बना सकेगी।

(२) ऐसे नियम—

(क) यह विहित कर सकते हैं, कि कोई भी व्यक्ति जिसने उसके लिए अनुमतिपत्र नहीं लिया हो, रुपये-पैसेका लेन-देन नहीं कर सकेगा;

(ख) यह विहित कर सकते हैं कि महाजनों द्वारा लगाये जानेवाले और निकाले जानेवाले ब्याजकी दर अधिकसे अधिक कितनी होगी;

(ग) महाजनोंके लिये यह बन्धानकर सकेंगे कि लेखा रखना होगा तथा जिलापरिषद् द्वारा उस कार्यके लिए नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा ऐसे लेखाका निरीक्षण किया जा सकेगा;

(घ) यह विहित कर सकेंगे कि कोई भी व्यक्ति, जो उस जिलेका निवासी है, पर परिगणित आदिवासी जातियोंमेंसे किसीका नहीं है, बिना इसके लिए जिलापरिषद्से मिलनेवाला अनुमतिपत्र पाये किसी भी पण्यवस्तुका थोक या फुटकर वाणिज्य नहीं कर सकेगा:

किन्तु साथ ही, इस पैराके अनुसार कोई भी नियम जिला-परिषद्की कुल सदस्यसंख्याके कमसेकम तीन चौथाई सदस्योंके बहुमतसे पास हुए बिना बनाये नहीं जा सकेंगे:

किन्तु, इस बन्धानके साथ कि, यह किसी भी नियमके अनुसार उपयुक्त नहीं होगा कि ऐसे महाजन या व्यापारीको, जो ऐसे नियामक विधानोंके बनानेके समयसे पहिलेहीसे उक्त जिलेके भीतर अपना कार-बार करता चला आ रहा हो, अनुमतिपत्र देनेमे अस्वीकार किया जाय।

११. इस परिशिष्टके अनुसार बनाये गये विधानों, नियमों और नियामक विधानोंका

प्रकाशन—इस परिशिष्टके अनुसार किसी जिलापरिषद् या किसी मण्डलपरिषद्के द्वारा बनाये सभी विधान, नियम और नियामक विधान बनजानेके बाद राज्यके सरकारी गजट (घोषपत्र) में प्रकाशित किये जायेंगे और छप जानेपर विधानकासा बल रखेंगे।

१२. पार्लमेंट और राज्यकी व्यवस्थापिकाकी व्यवस्थाओंका स्वायत्त जिलों और स्वायत्त मण्डलोंके ऊपर लागू होना—इस संविधानमें किसी वैसी बातके होते हुए भी—

(क) राज्यकी व्यवस्थापिकाकी कोई भी ऐसी व्यवस्था, जो ऐसे विषयोंसे संबंधित हो, जिनको कि इस परिशिष्टके पैरा ३ में उन विषयोंके रूपमें गिनाया गया है, जिनके बारेमें जिला-परिषद् या मण्डल-परिषद् ही विधान बना सके, और राज्यकी व्यवस्थापिकाकी कोई ऐसी भी व्यवस्था जो बिना चुवाये मादक पेयके पीनेके ऊपर प्रतिषेध अथवा प्रतिबन्ध लगाने वाली हो, किसी स्वायत्त-जिले या स्वायत्त मण्डलके ऊपर, तब तक लागू नहीं होंगी, जब तक कि दोनों अवस्थाओंमेंसे प्रत्येकमें, जिलाके ऊपर या ऐसे मण्डलके ऊपर अधिकारक्षेत्र रखनेवाली जिला परिषद् इसके लिए सार्वजनिक विज्ञप्तिद्वारा हिदायत न करे, और ऐसी व्यवस्थाके बारेमें ऐसी हिदायत देते समय, जिला-परिषद् साथ साथ यह भी हिदायत कर सकेगी कि उक्त व्यवस्था उक्त जिले या मण्डल या उनके किसी भागके ऊपर लागू होते समय प्रभावकारी हो सकेगी, ऐसे अपवादों या रूपान्तरोंके अधीन रहते हुएही, जिन्हेंकि वह उचित समझे,

(ख) राज्यपति सार्वजनिक विज्ञप्ति द्वारा यह हिदायत कर सकेगा कि पार्लमेंट या उस राज्यकी व्यवस्थापिकाकी कोई भी व्यवस्था, जिसके ऊपर इस पैराके खण्ड (क) के बन्धान न लागू हों, किसी स्वायत्त जिले या स्वायत्त मण्डलके ऊपर लागू नहीं हो सकेगी, या ऐसे जिलेका या मण्डल उसके भाग के ऊपर भी लागू हो सकेगी, तो ऐसे अपवादों और रूपान्तरोंके आधीन रहते हुए, जिन्हें कि वह ऐसे जिलेके लिए जिला-परिषद्की और ऐसे मण्डलके लिए मण्डल-परिषद्की पूर्व स्वीकृतिसे उक्त विज्ञप्तिमें निर्दिष्ट करे, जबकि ऐसी हिदायतमें दी गयी बातोंकी सिफारिश करनेवाला कोई प्रस्ताव ऐसी जिलापरिषद् या ऐसी मण्डलपरिषद् द्वारा, जैसीकि स्थिति हो, पास कर दिया गया हो।

१३ स्वायत्तजिलोंकी प्राप्तियों (आमदनियों) और व्ययों (खर्चों) के अनुमान वार्षिक अर्थविभागीय विवरणमें अलग दिखाये जायें—किसी स्वायत्त जिलेकी उन प्राप्तियों और व्ययोंके अनुमान जोकि आसामराज्यके राजस्वोंके नाम जमा होने वाले हैं या उसके राज्यस्वोंसे आने वाले हैं, इस संविधानकी धारा १७७ के अनुसार राज्यकी व्यवस्थापिकाके समक्ष उपस्थित किये जानेवाले वार्षिक अर्थविभागीय विवरणमें अलग दिखलाये जायेंगे।

१४. स्वायत्तजिलोंके शासन-प्रबन्धके बारेमें पूछताँछ करने और उनके ऊपर विवरणपत्र देनेके लिये कमीशनकी नियुक्ति—

(१)—आसामका राज्यपति किसी भी समय राज्यके स्वायत्त-जिलोंके शासनप्रबन्धसे सम्बन्ध रखनेवाले किसी विशेषरूपसे निर्दिष्ट विषयके ऊपर जाँच-पड़ताल करनेके और

विवरणपत्र देनेके लिए एक कमीशन नियुक्त कर सकेगा, या समय-समय पर स्वायत्त-जिलोंके शासनप्रबन्धके बारेमें सामान्यरूपसे और निम्नलिखित विषयोंके बारेमें विशेष रूपसे, पूछताँछ करने और उसपर अपना विवरणपत्र देनेके लिए एक कमीशन नियुक्त कर सकेगा :—

(क) ऐसे जिलोंमें शिक्षा और चिकित्सा के सुधारों तथा यातायातके बन्धान,

(ख) ऐसे जिलोंके बारेमें किसी नयी या विशिष्ट व्यवस्थाके बनानेकी आवश्यकता

(ग) जिला और मण्डल परिषदों द्वारा बनाये गये विधानों, नियामक विधानों और नियमोंको व्यवहृत करना,

और ऐसे कमीशन द्वारा अनुसरणीय कार्यप्रणालीकी व्यवस्था कर सकेगा।

(२) ऐसे प्रत्येक कमीशनके विवरणको उससे सबद्ध राज्यपतिकी सिफारिशके साथ विभागीय मंत्री आसाम सरकारद्वारा की जानेवाली कार्रवाईको व्याख्यात्मक स्मृति-पत्रके साथ राज्यकी व्यवस्थापिकाके सामने रखेगा।

(३) राज्यकी सरकारके कार्यको अपने मन्त्रियोंमें बाँटते समय आसामका राज्यपति अपने मन्त्रियोंमेंसे एकके ऊपर विशेषतौरसे राज्यके स्वायत्त जिलोंके कल्याणका भार दे सकेगा।

१५. जिला या मण्डल परिषदोंके कार्मों और प्रस्तावोंका रद्द होना या लटकाया जाना (१) यदि किसी समय राज्यपतिको यह विश्वास हो जायकि मण्डल-परिषद् या जिला परिषद् के किसी काम या प्रस्तावसे भारतकी सुरक्षाके सङ्कटमें पड़ जानेकी सम्भावना है, तो वह ऐसे कार्य या प्रस्तावको रद्द कर सकेगा या लटका सकेगा, और ऐसी कार्यवाही (जिसमें परिषद्को लटकाये रखना या परिषद् में निहित या उसके द्वारा किये जाने वाले अधिकारोंमेंसे सब या किन्हींको अपने हाथमेंलेना भी सम्मिलित होगा) कर सकेगा, जिसे वह ऐसे कामके किये जाने या चालू रखे जानेसे अथवा ऐसे प्रस्तावके कार्यरूपमें परिणत होनेसे रोकनेके लिए आवश्यक समझे।

(२) इस पैराके उपपैरा (१) के अनुसार राज्यपति द्वारा निकाले गये आदेशको कारण-सहित राज्यकी व्यवस्थापिकाके सामने यथाशीघ्र रखा जायेगा और यदि उस आदेशको व्यवस्थापिका निरस्त न करदे, तो वह निकाले जानेकी तारीखसे बारह मासकी अवधि तक लागू रहेगा,

किन्तु साथ ही, जब और जितनी बार राज्यकी व्यवस्थापिका ऐसे आदेशको जारी रखनेके अनुमोदनका प्रस्ताव पास करती है, तो जबतक राज्यपति उसे हटा न दे, तबतक आदेश उस तारीखसे बारह मास और आगे तकके लिए लागू रहेगा, जिस तारीखको इस पैराके अनुसार वह अपनेआप प्रतिकूल परिस्थिति के कारण निरस्त हो जाता।

(३) इस पैराके अनुसार राज्यपति अपने कृत्योंका सम्पादन अपने विवेकके अनुसार कर सकेगा।

१६. जिला या मण्डलपरिषद् का भंग किया जाना—इस परिशिष्टके पैरा १४ के अनुसार नियुक्त किये गये कमीशनकी सिफारिशपर राज्यपति सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालकर; किसी मण्डल या जिलापरिषद्को भंगकर सकेगा और

(क) परिषद्के पुनः सगठनके लिए तुरन्त ही या सामान्य निर्वाचन करनेके लिए हिदायत कर सकेगा, या

(ख) राज्यकी व्यवस्थापिकाकी पूर्व स्वीकृति लेकर ऐसी परिषद्की अधिकार-सत्ताके

अन्तर्गत क्षेत्रके शासनप्रबन्धको राज्यपति अपने हाथमें ले सकेगा, या ऐसे क्षेत्र-का शासनप्रबन्ध एक ऐसे कमीशन के हाथमें जो अधिक से अधिक उक्त पैराके अनुसार नियुक्त किया गया हो, या किसी दूसरी राज्यसत्ताके हाथमें जिसे कि वह उपयुक्त समझे, अधिक से अधिक दूसरे मासके लिए दे सकेगा :

किन्तु साथ ही जब इस पैराके खण्ड (१) के अनुसार कोई आदेश निकाल दिया गया हो, तो राज्यपति विवादास्पद क्षेत्रके शासन प्रबन्धके बारेमें नये चुनावद्वारा परिषद्के पुनः संगठित होने तक, इस पैराके खण्ड (क) मे निर्देश की गयी कार्रवाई कर सकेगा:

किन्तु, इस बन्धानके भी साथ कि जबतक राज्यकी व्यवस्थापिकाको जिला या मण्डल-परिषद्की, जैसी कि स्थिति हो, बात सुनानेका अवसर न दिया जाय, तबतक इस पैराके खण्ड (क) के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

१७. पैरा १६ से जुड़ी हुई सारणीके भाग २ में गिनाये गये क्षेत्रोंपर इन परिशिष्टके बन्धानोंका लागू होना—(१) आसामका राज्यपति—

(क) राष्ट्रपतिकी पूर्व स्वीकृति लेकर सार्वजनिक विज्ञप्ति द्वारा इस परिशिष्ट के पूर्ववर्ती सभी या किसी भी बन्धानको पैरा १६ से जुड़ी हुई सारणीके भाग २मे उल्लिखित किसी आदिवासी-क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्रके किसी भागके ऊपर लागू कर सकेगा, तथा उसके बाद ऐसे क्षेत्र या भागका शासन-प्रबन्ध ऐसे बन्धानोंके अनुसार होगा; और

(ख) इसी प्रकारकी पूर्वस्वीकृति लेकर, उक्त सारणीके भाग २ में गिनाये गये किसी आदिवासी क्षेत्र अथवा उसके किसी भागको उक्त सारणीसे अलग किया जा सकेगा।

(२) उक्त सारणीके भाग २ मे गिनाये गये किसी आदिवासी-क्षेत्र या उसके किसी भी भागके बारेमें जबतक कि इस पैराके उपपैरा (१) के अनुसार विज्ञप्ति निकाली न गयी हो, तबतक ऐसे क्षेत्र या उसके ऐसे किसी भागका, जैसी कि स्थिति हो, शासनप्रबन्ध राष्ट्रपति आसामके राज्यपति द्वारा उसे अपना एजेंट (प्रतिनिधि) बनाकर करायेगा, और इस संविधानके भाग ८ के बन्धान वहाँ इस तरह लागू होंगे, जैसे कि वह क्षेत्र अथवा उसका भाग प्रथम परिशिष्टके भाग ४ में गिनाया कोई क्षेत्र हो।

१८ संक्रान्तिकालीन बन्धान—इस संविधानके आरंभ होनेके बाद जितना जल्द हो सके, उतना जल्द आसामका राज्यपति राज्यके प्रत्येक स्वायत्त-जिलेके लिए, जोकि इस परिशिष्टमें गिनाये गये हैं, जिला परिषद् संगठित करनेके लिए कार्यवाही करेगा, और जब तक किसी स्वायत्त जिलेके लिए जिला परिषद् संगठित न हो जाय, तबतक ऐसे स्वायत्त जिलेका शासन-प्रबन्ध अपने विवेकसे कार्य करनेके लिए राज्यपतिके हाथमें निहित होगा, और ऐसे जिलेमें अवस्थित क्षेत्रोंके शासन-प्रबन्धके लिए इस परिशिष्टमें दिये गये बन्धानोंके स्थानपर निम्नलिखित बन्धान होंगे, अर्थात् :—

(क) पार्लमेंट अथवा उस राज्यकी व्यवस्थापिकाकी कोई भी व्याख्या ऐसे क्षेत्रमें तबतक लागू न होगी, जबतक कि राज्यपति, सार्वजनिक विज्ञप्ति द्वारा उसके

लिए हिदायत न करे और किसी व्यवस्थापिकाके बारेमें हिदायत करते समय राज्यपति यह भी हिदायत कर सकेगा, कि वह व्यवस्था किसी क्षेत्र या उसके किसी विशेष रूपसे निर्दिष्ट भागके ऊपर लागू होते समय, ऐसे अपवादों और रूपान्तरोंके आधीन रहते हुए, जिन्हें कि वह उचित समझे, प्रभावकारी होगी ;

(ख) ऐसे क्षेत्रकी शान्ति और सुशासनके लिये राज्यपति नियामक विधान बना सकेगा और इस प्रकार बनाये गये नियामक विधान ऐसे क्षेत्रमें उस समय लागू पार्लमेंट या उस राज्यकी व्यवस्थापिकाकी किसी व्यवस्थाको, या उस समय व्यवस्था के लिए किसी प्रचलित विधानको निरस्त या संशोधितकर सकेंगे। इस खण्डके अनुसार व्यवस्था बनायी जानेके बाद राष्ट्रपतिके सामने रखी जायेगी और जब तकवह उसपर अपनी अनुज्ञा न दे, तबतक वह कार्यकारी नहीं होगी ;

(ग) इस पैराके खण्ड (क) और (ख) के अनुसार राज्यपति अपने कृत्योंका प्रयोग अपने विवेकके अनुसार कर सकेगा।

१९. आदिवासीक्षेत्र—निम्नलिखित सारणीके भाग१ और २ में गिनाये गये क्षेत्र आसाम राज्यके आदिवासीक्षेत्र समझे जायेंगे और उक्त सारणीमें किसी जिले या शासन क्षेत्रके निर्देशसे इस संविधानके आरम्भ होनेकी तारीखपर विद्यमान जिले या क्षेत्रके निर्देशका बोध होना समझा जायेगा।

सारणी

भाग १

१ शिलाग नगरको छोड़कर खासी और जैन्तिया पहाड़ियोंका जिला।
२. गारो पहाड़ियोंका जिला।
३ लुशाई पहाड़ियोंका जिला।
४. नागा पहाड़ियोंका जिला।
५. कछार जिलेका उत्तरी कछार सबडिवीजन।
६. बरपाथर और सरूपाथर मौजोंको छोड़कर नौगाँव और शिवसागर जिलोंका मीकिर पहाड़ीवाला भाग।

भाग २

१. सदिया और बालीपाराके सीमान्त-भूभाग
२. तीरपका सीमान्त-भूभाग (लखीमपुर सीमान्त-भूभागको छोड़कर)
३. नागा आदिवासी क्षेत्र

———

सप्तम परिशिष्ट

[धारा २१७]

सूची १—संघ सूची

१. भारतके राज्यक्षेत्र और उसके प्रत्येक भागकी रक्षा और रक्षाके लिए सभी सामान्य तैयारी, साथ ही ऐसे सारे कर्त्तव्य जो युद्धकालमें उसे सफलतापूर्वक चलाने और युद्धकालकी समाप्तिके बाद सुन्दर ढंगसे सैन्य-विचलन करनेमें सहायक हों।

२. केन्द्रीय गुप्तचर-विभाग।

३ प्रतिरक्षा, वैदेशिक विभाग और भारतकी सुरक्षा संबंधी कारणोंके लिए भारतके राज्य-क्षेत्रके अन्दर निवारणार्थ नजरबन्दी।

४. संघकी जल, स्थल और वायु-सेनाओंकी भरती, शिक्षण, परिपालन तथा नियंत्रण और उनका उपयोग; प्रथमपरिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये राज्योंमें भरती किये गये तथा उपयोगमें लाये गये सैन्य-बलकी संख्या, संगठन और नियंत्रण।

५. ऐसे उद्योग-धन्धे जिन्हें पार्लामेटने विधानद्वारा प्रतिरक्षा या युद्ध संचालनके लिए आवश्यक घोषित किया हो।

६ जल, थल और वायुसेनाके कारखाने।

७. छावनीक्षेत्रमें स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रोंके भीतर छावनी-राज्यसत्ताधारियोंके संगठन और अधिकार, ऐसे क्षेत्रोंमें गृहवासका नियमन और ऐसे क्षेत्रोंकी सीमाबन्दी।

८ शस्त्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद तथा विस्फोटक।

९. परमाणुशक्ति तथा उसके उत्पादनके लिए अत्यन्त आवश्यक खनिज पदार्थ।

१०. वैदेशिक विभाग; वे सभी विषय जो संघको किसी बाहरी देशके साथ सम्बन्धित करते हों।

११. कूटनीतिक, कौंसलसम्बन्धी तथा व्यापारी प्रतिनिधि।

१२. संयुक्त राष्ट्रसंघ।

१३. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सभाओं और दूसरी संस्थाओंमें भाग लेना और उनमे किये गये निर्णयोंको निबाहना।

१४. युद्ध और शान्ति।

१५. बाहरी देशोंके साथ सन्धियाँ और समझौते करना तथा उन्हें निबाहना।

१६. वैदेशिक अधिकार-क्षेत्र।

१७. बाहरी देशोंके साथ वाणिज्य और व्यापार।

१८. विदेशी ऋण।

१९. नागरिकता, नागरिकता-प्राप्ति और अदेशी लोग।

२०. प्रत्यर्पण।

२१. पासपोर्ट (निर्गमपत्र) तथा वीजा (अनुवेशपत्र)।

२२. सामुद्रिक डकैतियाँ, महापातक अथवा राष्ट्रोंके विधानोंके विरुद्ध खुले समुद्र और

आकाशमे किये गये अपराध।

२३. भारतके राज्य क्षेत्रमें प्रवेश और उस राज्यक्षेत्रसे बर्हिदेशवासन और निष्कासन।

२४, भारतके बाहर स्थानोंमें तीर्थयात्रा।

२५. पत्तन-निरोध; नाविक और पोतिक चिकित्सालय; और पत्तन-निरोध से सबद्ध चिकित्सालय।

२६. भारत-सरकार द्वारा निर्दिष्ट आगम(कस्टम), सीमापार आयात और निर्यात।

२७. डाक और तार।

२८. टेलीफोन, बेतार, रेडियोप्रसार और इसी प्रकारके दूसरे संवाद-संचारके साधन।

२९. डाकघर, बचत-बक।

३०. वायुपथ, विमान और विमानसंचालन; हवाई अड्डोंके लिए बन्धान; विमान-यातायात और हवाई अड्डोंका नियमन और संगठन; वैमानिक शिक्षा और अभ्यासके लिए बन्धान और राज्यों तथा दूसरा द्वारा बन्धान की गयी ऐसी शिक्षा और अभ्यासका नियमन।

३१. पार्लामेंटके विधानद्वारा राष्ट्रीय घोषित किये गये राजपथ।

३२. यन्त्र-चालित जलयानोंके लिए पार्लामेंटके विधान द्वारा राष्ट्रीय जलपथ घोषित किये गये देशके भीतरके जलपथों पर जहाजी पण्यवहन और नौचालन, तथा ऐसे जलपथोंपर पथके नियम, ऐसे जलपथोंसे यात्रियों और वस्तुओंका ढोया जाना।

३३ सामुद्रिक जहाजी पण्यवहन और नौचालन, जिसमें तटवर्ती समुद्रमे जहाजी पण्य-वहन और नौचालनभी सम्मिलित हैं, व्यापारिक नाविकोंकी शिक्षा और अभ्यासके लिए बन्धान और राज्यों तथा दूसरो द्वारा बन्धानकी गयी ऐसी शिक्षा और अभ्यासके ऊपर नियमन।

३४. नौसैनिक न्यायालयका अधिकार-क्षेत्र।

३५. वे पत्तन (बन्दरगाह) जिनको पार्लामेंटके विधान या प्रचलित विधानके द्वारा या उनके अनुसार, मुख्यपत्तन घोषित किया गया हो, इसीमें उनकी सीमा-बन्दी, पत्तन-सत्ताधारियोंके सगठन और अधिकार भी सम्मिलित हैं।

३६ प्रकाशस्तभ जिसमें प्रकाशपोत, आलोक-स्तंभ और जहाजी पण्यवहन तथा विमानोंकी सुरक्षाके लिए दूसरे बन्धानभी सम्मिलित हैं।

३७. आकाश या समुद्रसे यात्रियों और पण्योंका ढोया जाना।

३८. संघकी रेलें, सुरक्षा, अधिकतम और न्यूनतम दर और भाड़े, स्टेशन और सीमान्त व्यय, यातायातका विनिमय और रेलवे शासनप्रबन्धका माल और यात्रियोंके वाहनके रूपमे उत्तरदायित्व—इनके विषयमें छोटी रेलोंको छोड़ बाकी सभी रेलोंका नियमन, सुरक्षा तथा रेलवे शासन-प्रबन्धका माल और यात्रियोंके वाहनके रूपमे उत्तरदायित्व—इनके विषयमें छोटी रेलोंका नियमन।

३९. १५ अगस्त १९४७ को, इम्पीरियल लाइब्रेरी, इंडियन म्यूजियम, इम्पीरियल वार म्यूजियम, विक्टोरिया मिमोरियल नामकी संस्थायें तथा भारत-सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः चलायी जानेवाली और पार्लामेंटके विधानद्वारा राष्ट्रीय महत्त्ववाली संस्था घोषित की गयीं अन्य सस्थाये।

४०. १५ अगस्त १९४७ को बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटीके नामसे प्रसिद्ध संस्थायें।

४१. भारतका परिमाप (सर्वे) विभाग, भारतके भूगर्भी, वनस्पतिविज्ञानी और प्राणि-विज्ञानी परिमाप (सर्वे) विभाग; संघका अन्तरिक्षविज्ञानी संगठन।

४२. संघकी सम्पत्ति और उससे आनेवाला राजस्व, किन्तु, किसी राज्यमें अवस्थित सम्पत्ति, उन सभी अवस्थाओंको छोड़कर, जबकि पार्लामेंटने विधानद्वारा कोई दूसरा बन्धान किया हो, उस राज्यकी व्यवस्थाके सदा आधीन रहते हुए ही, संघकी सम्पत्ति समझी जायेगी।

४३. संघके प्रयोजनार्थ अधिगतकी हुई या अधिकारतः प्राप्त की हुई सम्पत्तिके लिए क्षतिपूर्ति निश्चित करनेके सिद्धान्तोंके बारेमें नियम करनेवाले सूची ३ के बन्धानोंके आधीन रहते हुए, संघके प्रयोजनार्थ सम्पत्तिकी अधिगति या अधिकारतः प्राप्ति।

४४. भारत-रक्षित-बंक।

४५. संघका सरकारी ऋण।

४६ प्रचलित मुद्रा, विदेशी विनिमय, टकसाल-ढलाई और वैध मुद्रा।

४७. बंककार्य।

४८ चेक, हुंडी, वचन-पत्र (प्रामेसरीनोट) और इसी प्रकारके दूसरे शासन पत्र।

४९ बीमा।

५०. संस्थान अर्थात् संस्थानोंका समूहीकरण, नियमन और समेटन, जिनमें महाजनी, बीमा और आर्थिक संस्थान भी सम्मिलित हैं, परन्तु जिनमें सहकारी समितियाँ सम्मिलित नहीं हैं, तथा एक ही राज्य तक अपना लक्ष्य सीमित न रखनेवाले संस्थानोंका, जो चाहे व्यापारी हों या न हों, किन्तु जिनमें विश्वविद्यालय सम्मिलित नहीं हैं, समूहीकरण, नियमन और समेटन।

५१ स्वाधिकार-पत्र, मुद्रणाधिकार, आविष्कार, बनावट, पण्यचिह्न और वाणिज्य-चिह्न।

५२. परमन्यायालयके गठन, संगठन, अधिकार-क्षेत्र तथा अधिकार और उसके द्वारा लिये जानेवाले शुल्क।

५३. प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये राज्योंको छोड़कर भारतके अन्तर्गत किसी राज्यमें मुख्यस्थान रखनेवाले किसी उच्चन्यायालयके अधिकारक्षेत्रका उस राज्यके बाहर किसी क्षेत्र तक फैलाव, तथा राज्यके बाहरके किसी क्षेत्रसे उसका संकोच।

५४. परमन्यालयके अतिरिक्त बाकी दूसरे न्यायालयोंके इस सूचीके विषयोंमेंसे किसीके बारेमें अधिकार-क्षेत्र और अधिकार।

५५. मनुष्य-गणना।

५६. संघके प्रयोजनके लिए पूछ-ताँछ करना, परिमाप और आँकड़े लेना।

५७. अनुसन्धान, व्यावसायिक या औद्योगिक शिक्षणाभ्यासके लिए या विशेष अध्ययनकी अभिवृद्धिके लिए संघ-एजेन्सियाँ और प्रतिष्ठान।

५८. संघ-जनसेवायें और संघ जनसेवा-कमीशन (समितक)।

५६. संघके कर्मचारियोंसे संबधित श्रमिक विवाद।

६०. पार्लामेंट द्वारा राष्ट्रीय महत्त्वके घोषित हुए प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक; पुरातत्त्वीय स्थान तथा अवशेष।

६१. तौल तथा मापके परिमाणोंकी स्थापना।

६२. अफीम, जहाँ तककि उसकी खेती, उसका निर्माण तथा निर्यातके लिए बिक्रीका सम्बन्ध है।

६३. मिट्टीके तेल तथा पार्लामेंटके विधान द्वारा भयानक ज्वलनशील घोषित किये गये दूसरे द्रव और पदार्थोंका रखना, जमा करना और एक जगहसे दूसरी जगह ले जाना।

६४ उन स्थानोंमे उद्योगोंका विकास, जहाँ पार्लामेंटने विधान द्वारा विकासका जनताके हितके लिए संघके नियंत्रणमें रहना कानूनीन घोषित किया हो।

६५. श्रमिकोंका नियमन तथा खानों और तैल-क्षेत्रोंमे सुरक्षा।

६६. जहाँ तककि पार्लामेंटने विधान द्वारा संघके नियन्त्रणमें ऐसे विकास और नियमन को रखना जनहितके लिए आवश्यक घोषित किया हो, वहाँ तक खानों तथा तैल-क्षेत्रों तथा खनिजके विकासका नियमन।

६७. प्रथम परिशिष्टके भाग १ अथवा २ में उस उस समय गिनाये गये किसी राज्यके किसी भागके पुलिसबलके व्यक्तियोंके अधिकारों तथा अधिकार-क्षेत्रका इस प्रकार गिनाये गये किसी राज्यके क्षेत्रतक विस्तार, किन्तु इस प्रकार नहीं, कि जिसमे एक भागकी पुलिस बाहर दूसरे स्थानमें उस राज्यकी सरकारकी रायके बिना अपने अधिकार या अधिकार-क्षेत्रका प्रयोग कर सके; किसी राज्यके पुलिस-बलके व्यक्तियोंके अधिकार तथा अधिकार-क्षेत्रका उस राज्यके बाहर रेलके क्षेत्रोंतक विस्तार।

६८ पार्लामेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतिके निर्वाचनों तथा इन निर्वाचनोंकी देख-भाल, संचालन और नियन्त्रण करनेके लिए निर्वाचन-कमीशन (समितक)।

६९. राष्ट्रपतिके वेतन, भत्ते अथवा छुट्टी सबधी अधिकार, संघके मन्त्रियों, राज्यपरिषद् के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, और जनभवनके सभाध्यक्ष तथा उपसभाध्यक्षके वेतन, भत्ते तथा विशेषाधिकार; भारतके महा-आयव्यय-निरीक्षकके वेतन, भत्ते तथा सेवासबधी शर्तें।

७०. पार्लामेंटकी समितियोंके सामने साक्षी देने अथवा लेख्योंको उपस्थित करनेके लिये व्यक्तियोंको उपस्थित होनेके लिये विवश करना।

७१. एक राज्यसे दूसरे राज्यमे प्रवास।

७२. अन्तर्राजीय निरोध (क्वेरेन्टीन)।

७३. सूची २ के ३३ वें मदके आधीन रहते हुए, राज्योका परस्पर व्यापार और वाणिज्य।

७४. बाढ़-नियंत्रण, सिंचाई, नौचालन और पन-बिजली-शक्तिके प्रयोजनोंके लिए अन्तर्राजी जलपथोंका विकास।

७५. देशस्थ समुद्रके बाहर मछुआई और मत्स्यपालन।

७६. संघकी आढ़तों द्वारा नमकका उत्पादन तथा वितरण; दूसरी आढ़तों द्वारा नमक

के उत्पादन और वितरणपर नियमन और नियंत्रण।

७७. भारत राज्य-क्षेत्रके किसी विभागमें संघपर प्रभाव डालनेवाले संकटकालका सामना करनेके लिये बन्धान।

७८. भारतसरकार अथवा किसी राज्यकी सरकार द्वारा संगठित लाटरी।

७९. सट्टा और वादेके बाजार तथा वहाँकी लेनदेनके ऊपर स्टाम्पोंके अतिरिक्त दूसरे कर।

८०. हुंडियों, चेकों (धनादेश), वचनपत्रों (प्रामीसरी नोट), पोत-बीजकों, साख-पत्रों, बीमा-पत्रों, शेयरोंके हस्तान्तरों, ऋण-पत्रों, प्रतिपुरुषपत्रों और प्राप्तियोंके सम्बन्धमें लगनेवाले स्टाम्प शुल्ककी दर।

८१. खेतीकी भूमिके अतिरिक्त दूसरी सम्पत्तिके उत्तराधिकारपर लगनेवाले शुल्क।

८२. खेतीकी भूमिके अतिरिक्त सम्पत्ति-सम्बन्धी दूसरा भू-सम्पत्ति-कर

८३. रेल तथा विमान द्वारा ढोयेजानेवाले पण्यों और यात्रियोंपर सीमाकर।

८४. रेलके भाड़ों और ढलाई-भाड़ोंपर कर।

८४- कृषि-आयको छोड़कर अन्य आयपर कर।

८५. आगम-शुल्क (कस्टम) जिसमें निर्यात-शुल्क भी सम्मिलित है।

८६. तम्बाकू तथा भारतमें निर्मित और उत्पादित दूसरी वस्तुओंपर अन्तः शुल्क, किन्तु इनमे—

(क) मनुष्यके खर्चमें आनेवाले मादक पेय;

(ख) अफीम, गाँजा और दूसरे चेतनामार और अचेतनामार औषध:

सम्मिलित नहीं हैं; किन्तु इनमें ऐसे औषधरूप तथा प्रसाधनरूप वस्तुएँ सम्मिलित हैं, जिनमें मद्यसार या इस मदके उपपैरा (ख) में उल्लिखित कोई द्रव्य पड़ा हो।

८७. संस्थान-कर।

८८. कृषियोग्य भूमिके अतिरिक्त व्यक्तियों और कम्पनियोंके वित्तों और पूँजी-मूल्यपर लगाये गये कर, कम्पनियोंकी पूँजीपर कर।

८९. इस सूचीके विषयोंमेंसे किसी एकसे सम्बन्धित विधानोंके विरुद्ध अपराध।

९०. इस सूचीके विषयोंमेंसे किसी एकके संबंधमें लिये जानेवाले शुल्क, किन्तु जिसमें किसी न्यायालय द्वारा लिये जानेवाले शुल्क सम्मिलित नहीं हैं।

९१. सूची २ या सूची ३, दोनों मे न गिनाये गये कोई दूसरे विषय और कर जिनको इन दोनों ही सूचियों मे नहीं गिनाया गया है।

सूची २. राज्य—सूची

१. सार्वजनिक सुव्यवस्था (किन्तु इसमें असैनिक शक्तिकी सहायताके लिए जल, स्थल अथवा वायु-सेनाका प्रयोग सम्मिलित नहीं है); सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम रखनेसे संबंधित कारणोंके लिए निवारणात्मक नजरबन्दी; इस प्रकार नजरबन्द व्यक्ति।

२. न्याय-प्रबन्ध; परमन्यायालयके अतिरिक्त सभी न्यायालयोंका गठन और संगठन, तथा वहाँ लिये जानेवाले शुल्क।

३. इस सूचीके विषयोंमेंसे किसी एकके संबंधमें परमन्यायालयके अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालयोंके अधिकार-क्षेत्र तथा अधिकार; भूकर और राजस्वके न्यायालयोंकी कार्यप्रणाली।

४. पुलिस, जिसमें रेलवे तथा गाँवकी पुलिसभी सम्मिलित है।

५. जेल, सुधारशालायें, बालबन्दी सुधार-संस्थायें और इसी प्रकारकी दूसरी संस्थायें और उनमें बन्द किये गये व्यक्ति, जेलों तथा दूसरी संस्थाओंके उपयोगके लिए दूसरे राज्योंके साथ प्रबन्ध।

६. राज्यका सरकारी ऋण।

७. राज्यकी जनसेवायें तथा राज्य-जनसेवा-कमीशन।

८. राज्यके हाथ या अधिकारके अन्दर के कारखाने, भूमियाँ तथा मकान।

९. किसी राज्यके प्रयोजनार्थ अधिगत या अधिकारतः प्राप्त की जानेवाली सम्पत्तिकी क्षतिपूर्ति निश्चित करनेवाले सिद्धान्तोंके नियमनसंबधी सूची ३ के बन्धानोंके आधीन रहते हुए, संघके प्रयोजनके लिए भूमिकी अनिवार्य अधिगति या अधिकारतः प्राप्ति।

१०. पुस्तकालय, संग्रहालय और राज्यद्वारा नियन्त्रित या धनचालित दूसरी ऐसी संस्थायें।

११. राज्यकी व्यवस्थापिका और राज्यके राज्यपति के उसकी (नियुक्तिके लिए नामतालिका बनानेके लिए) निर्वाचन, और ऐसे निर्वाचनोंकी देखभाल, संचालन और नियंत्रण करनेके लिए निर्वाचन -कमीशन।

१२. राज्यके राज्यपतिके वेतन, भत्ते तथा छुट्टी सम्बन्धी अधिकार, राज्यके मन्त्रियोंके व्यवस्थापिका-सभाके सभाध्यक्ष तथा उपसभाध्यक्ष, और व्यवस्थापिका-परिषद्वाले राज्यकी व्यवस्थापिका-परिषदके अध्यक्ष और उपाध्यक्षके भी वेतन और भत्ते; राज्यकी व्यवस्थापिकाके सदस्योंके वेतन, भत्ते तथा विशेषाधिकार।

१३. राज्यकी व्यवस्थापिकाकी समितियोंके सामने साखी देने, अथवा लेख्योंको उपस्थित करनेके लिए व्यक्तियोंको उपस्थित होनेके लिए विवश करना।

१४. स्थानीयशासन अर्थात् स्थानीय स्वशासन या ग्राम-शासनप्रबन्धके लिए म्यूनिसिपेलिटी, नगर-उन्नति समितियाँ, जिलाबोर्ड, खान-प्रबन्ध-राज्यसत्ताओं और दूसरी दूसरी स्थानीय राज्यसत्ताओंमें गठन और अधिकार।

१५. सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, चिकित्सालय तथा औषधालय; जन्म और मृत्युका लेखन।

१६. भारतके बाहरके स्थानोंकी तीर्थयात्राओंको छोड़कर अन्य तीर्थयात्रायें।

१७. शव गाड़ना तथा शव गाड़नेके स्थान, शवदाह तथा श्मशान।

१८ शिक्षा, जिसमें सूचीके ४०वे मदमे उल्लिखित विश्वविद्यालयोंको छोड़कर को दूसरे विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं।

१९. यातायात अर्थात् सड़के, पुल, नदी, घाट और सूची १में अनुल्लिखित यातायातके दूसरे साधन, ऐसी रेलोंके विषयमे सूची १के बन्धानोंके आधीन छोटी नगरट्रामवे, राजपथ, देशस्थ जलपथ और ऐसे जलपथोंके संबधमें सूची १ तथा सूची ३के बन्धानोंके आधीन रहते हुए,

उनपर यातायात; बड़े पत्तनोंके संबंधमें सूची १के बन्धानोंके आधीन रहते हुए पत्तन; यंत्रचालित सवारियोंको छोड़कर दूसरी सवारियाँ।

२०. सूची १ के मद ७४के बन्धानोंके आधीन रहते हुए, जल अर्थात् जलप्रबन्ध, सिंचाई तथा नहरें—जल निकालनेके साधन और बाँध, जलसंग्रह और जलशक्ति।

२१. कृषि, जिसमें कृषिशिक्षा और अनुसन्धान, विनाशक कीड़ोंसे बचाव और वनस्पति-रोगों से निवारण भी सम्मिलित है।

२२. पशुओंकी जातिकी उन्नति, पशुओंके रोगोंका निवारण और पशुचिकित्सा-संबंधी शिक्षणाभ्यास तथा जीविका।

२३. पशुनिरोधालय (कांजी-हौस) तथा पशुओंके अनधिकार-प्रवेशकी रोक-थाम।

२४. भूमि अर्थात् भूमिमें या उसके ऊपर अधिकार, जमींदार और कृषकके संबंध तथा लगानवसूली, खेतीकी भूमिका हस्तान्तरण तथा अन्यार्पण; भूमि-सुधार तथा कृषिसंबंधी ऋण, माही।

२५. कोर्ट आफ वार्ड्स (प्रतिपाल अधिकरण) भारग्रस्त और कुर्ककी गयी भूसम्पति।

२६. भूनिहित निधि।

२७. वन।

२८. संघके नियन्त्रणमें नियमन और विकास सम्बन्धी सूची १के बन्धानोंके आधीन रहते हुए, खानों और तैलक्षेत्रोंका नियमन तथा खनिज सम्पत्तिका विकास।

२९. मत्स्य व्यवसाय।

३०. जंगली चिड़ियों और जंगली जन्तुओंकी रक्षा।

३१. गैस और गैसकारखाने।

३२. राज्यके भीतर वाणिज्य-व्यापार, बाजार और मेले।

३३. इस संविधानकी धारा २४४के बन्धानो के प्रयोजनार्थ दूसरे राज्यके साथ वाणिज्य, व्यापार और यातायातका नियमन।

३४. महाजनी और महाजन; ऋणग्रस्त किसानोंकी सहायता।

३५. यात्रीशालायें और उनके प्रबन्धक।

३६. पण्योंका उत्पादन, माँगपूर्त्ति और वितरण।

३७. संघके नियंत्रणके आधीन कुछ उद्योगोंके विकासके संबंधमें सूची १के बन्धानोंके आधीन रहते हुए, उद्योगों का विकास।

३८. खाद्यपदार्थों और दूसरे द्रव्योंमे मिलावट करना।

३९. मान स्थापित करनेको छोड़कर, तौल तथा माप।

४०. मादकपेय और चेतनामारक औषधों अर्थात् मादकपेय, अफीम तथा दूसरी चेतनामार औषधोंका उपजाना, बनाना, पास रखना और एक जगहसे दूसरी जगह भेजना, खरीदना और बेचना; किन्तु, यह सब अफीमके संबंधमें सूची १के बन्धानोंके और विषों तथा भयानक औषधोंके सम्बन्धमें सूची १ के बन्धानोंके रहते हुए।

४१. दरिद्र-कष्ट-निवारण, बेकारी।

४२. सूची १ में निर्दिष्ट संस्थानों, या विश्वविद्यालयोंको छोड़कर अन्य संस्थानोंका समूहीकरण, नियमन और समेटन; व्यस्त व्यापारी, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और दूसरी सभायें और संसदें, सहकारी समितियाँ।

४३. दातव्य और दातव्य-संस्थायें, पुण्यार्थ और धार्मिक दान और धार्मिक संस्थायें।

४४. नाट्यशालायें, नाटक और सिनेमा (चलचित्र), किन्तु इनमें चित्रपटोंके प्रदर्शन के लिए स्वीकृति (अनुज्ञप्ति) देना नहीं सम्मिलित है।

४५. बाजी और जुआ।

४६ भूमि-राजस्व (मालगुजारी), जिसमें राजस्वका निर्धारण और संग्रह, भूमिलेखा का रखा जाना, राजस्वके लिए तथा अधिकार-लेखन करानेके लिए परिमाप, और और राजस्वों का दूसरेके हाथमें अर्पित किया जाना।

४७. स्टाम्पशुल्ककी दरसम्बन्धी सूची १ के उपबन्धोंमें निर्दिष्ट लेख्योंसे भिन्न लेख्योंके बारेमें लिए जानेवाले स्टाम्पशुल्ककी दरें।

४८. खेतीबाड़ी भूमिके उत्तराधिकार पर लगनेवाले शुल्क।

४९. खेतीबाड़ी भूमिपर लगनेवाला भूसम्पत्ति-कर।

५०. देशस्थ जलपथोंपर ढोये जानेवाले यात्रियों और पण्योंपर कर।

५१ कृषि-आयपर कर।

५२. राज्यमें बनाये और उपजाये हुए निम्नलिखित पण्यों पर अन्तःशुल्क और इन्हीं पण्योंपर लगने वाले तुल्यमान कर या भारतके राज्य-क्षेत्रके भीतर अन्यत्र बनाये और उपजाये गये ऐसे ही दूसरे पण्योंपर हलके कर :—

(क) मनुष्यके खर्चमें आने वाले मादक।

(ख) अफीम, गाँजा और दूसरी चेतनामार औषधें, और चेतनामारक, अचेतनामार औषधें, किन्तु इनमें वे औषधरूप और प्रसाधनरूप पण्यसामग्रियाँ सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें कि मद्यसार या इस मद के उपपैरा (ख) में सम्मिलित कोई द्रव्य पड़ा हुआ हो।

५३. भूमि और मकानों पर लगनेवाले कर।

५४. खनिज-विकास सबंधी पार्लामेंटके विधानद्वारा की गयी सीमाबन्दीके आधीन रहते हुए, खानके अधिकारों पर लगाये जानेवाले कर।

५५. प्रतिशिर कर।

५६. व्यवसायों, वाणिज्यों, पेशों और नौकरियों पर लगनेवाले कर।

५७. पशुओं और नावोंपर लगनेवाले कर।

५८ पण्योंकी बिक्री, वापिसी या खरीदपर लगनेवाले कर, जिनमें उनके स्थानमें राज्यके भीतर कर लगानेके योग्य पण्यों पर राज्यके भीतर उपयोग और खपतके लिए उनकी बिक्री, वापिसी या खरीदपर लगनेवाले कर सम्मिलित हैं; विज्ञापनोंपर लगनेवाले कर।

५९. सड़कोंपर चलनेके योग्य सवारियों पर कर, जो चाहे यंत्र-चालित हों या न हों, और जिनमें ट्राम-मोटर भी सम्मिलित होंगी।

६०. बिजलीकी खपत या बिक्रीपर लगनेवाले कर।

६१. किसी स्थानीय क्षेत्रमें उस स्थानके अन्दर उपयोग और बिक्रीके लिए आने वाले पण्यों पर प्रवेश-कर।

६२. विलासकी वस्तुओंपर कर; जिनमें आमोद, प्रमोद, बाजी, और जुए पर लगने वाले कर भी सम्मिलित हैं।

६३. पथ-शुल्क।

६४. इस सूचीमें आये हुए किसी विषयके बारेमें पूछ-ताँछ करना और आँकड़े लेना।

६५. इस सूचीमें आये हुए किसी विषयके बारेमें बनाये विधानके विरुद्ध अपराध।

६६. न्यायालयमें लिये गये शुल्कोंको छोड़कर, इस सूचीमें आये हुए किसी विषयके लिए लिये गये शुल्क।

सूची ३—समाधिकार-सूची

१ दण्ड-विधान (फौजदारी-विधान), जिसमें भारतीय-दण्ड-संहितामें इस संविधानके आरंभ होने की तारीख पर समाविष्ट किये सारे विषय सम्मिलित हैं, किन्तु जिसमें सूची १ या सूची २ में निर्दिष्ट किसी विषयसे सम्बंधित विधानोंके उल्लंघन करने वाले अपराध सम्मिलित नहीं हैं, और असैनिक शक्तिकी सहायताके लिए जल, स्थल और वायु सेनाओंका उपयोग भी जिसमें सम्मिलित नहीं है।

२. दण्ड-विधि (फौजदारी कार्यविधि), जिसमें इस संविधानके आरंभ होनेकी तारीख पर दण्ड-विधि संहिता-में समाविष्ट किये गये सारे विषय सम्मिलित हैं।

३. एक राज्यसे दूसरे राज्यमें बन्दी और अभियुक्त व्यक्तियोंका हटाया जाना।

४. अर्थ-विधि (दीवानी-कार्य-विधि), जिसमें अवधि विधान और इस संविधानके आरंभ होनेकी तारीखपर अर्थविधि-संहितामें समाविष्ट किये गये सारे विषय सम्मिलित हैं, प्रथम परिशिष्टके भाग १ या २ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यमें करों तथा दूसरी उन राजकीय मांगोंसे जिनमें कि (मालगुजारी) के बकाये और इस प्रकार पुनः प्राप्तकी जाने वाली राशियाँ भी सम्मिलित हैं, संबंध रखनेवाले राज्यके बाहर उठाये गये दावों (स्वत्वों) की भर-पाई।

५. साक्ष्य और शपथ; विधानों, सार्वजनिक कार्यों, लिखितमों और न्याय-संबंधी कार्य-वाहियों को मानना।

६. विवाह और विवाह-विच्छेद; शिशु और अवयस्क; दत्तक।

७. इच्छापत्र, उत्तराधिकार-पत्र-अभाव और उत्तराधिकार संयुक्त कुटुम्ब और बँट-वारा, वे सभी विषय जिनमें न्याय-सम्बन्धी कार्यवाहियोंमें उभयपक्ष इस संविधानके आरंभ होने के पूर्वक्षण तक अपने वैयक्तिक विधानके अधीन थे।

८. खेतीकी भूमिको छोड़कर दूसरी सम्पत्तिका हस्तान्तरित करना, और दस्तावेजों (व्यवस्था पत्रों) और लिखितमों की रजिस्ट्री।

९ न्यास और न्यासधारी।

१०. अनुबन्ध (करारनामे), जिसमें खेती, भूमिसे संबंधित अनुबन्धोंको छोड़कर ढुलाईके

अनुबन्ध तथा दूसरे विशेष प्रकारके अनुबन्धसम्मिलित हैं।

११. पचायत।

१२. दिवाला और ऋणशोधन कीअसमर्थता।

१३. महाशासनप्रबन्धक और सरकारी न्यासधारी।

१४. न्यायसम्बन्धी स्टाम्पों द्वारा उगाहे गये शुल्कों या फीसोंके भिन्न स्टाम्प-शुल्क, किन्तु इसमें स्टाम्प शुल्ककी दर सम्मिलित नहीं है।

१५. सूची १में निर्दिष्ट विषयोंमे से किसी एकके लिये विधानोंमें समाविष्ट किये अपकारों से भिन्न, मुकदमा चलाने योग्य अपकार।

१६. परमन्यायालयको छोड़कर इस सूचीके किसी भी विषयके बारेमें दूसरे सभी न्यायलयोंके अधिकार-क्षेत्र और अधिकार।

१७. विधान, चिकित्सा और दूसरे व्यवसाय।

१८, समाचारपत्र, पुस्तकें और छापाखाने।

१९. विक्षिप्तता और मानसिकविकार, जिसमें विक्षिप्त और मानसिक विकारवालों का रखना और चिकित्सा करना भी सम्मिलित है।

२० विष और भयानक औषध।

२१. यन्त्रचालित गाड़ियाँ।

२२. बायलर।

२३. पशुओं के साथ क्रूरता करने पर रोक।

२४. आवारागर्दी, खानाबदोश और चलन्तू जातियाँ।

२५. कारखाने।

२६ मजूरहित-वर्धन, परिस्थितियाँ, बन्धाननिधि (प्राविडेंट फंड); मालिकोंका दायित्व और कमकरोंकी क्षतिपूर्ति, बुढापेकी पेंशन।

२७. बेकारी और सामाजिक बीमा।

२८. श्रमिकसघ; औद्योगिक और श्रमिक विवाद।

२९. मनुष्य, पशु और पौधों पर प्रभाव डालने वाले छूत और संसर्ग के रोगों तथा विनाशक कीटों के एक राज्यसे दूसरे राज्यमें फैलनेपर रोक-थाम।

३०. बिजली।

३१. राष्ट्रीय जलपथसबंधी सूची १के बन्धानोंके आधीन रहते हुए, देशके भीतरके जलपथोंपर यंत्रचालित जलयानोंके द्वारा जहाजीपण्यवहन और नौचालन, ऐसे जलपथो पर पथके नियम, और देशके भीतरके जलपथ पर यात्रियों और पण्यका ढोया जाना।

३२. चित्रपटोंके प्रदर्शनके लिए स्वीकृति देना।

३३. संघकी अधिकारसत्ताके आधीन रोकथामके लिए नजरबन्द किये व्यक्ति।

३४. आर्थिक और सामाजिक योजना।

३५. सघ या राज्यके प्रयोजनोंके लिए अधिगत या अधिकारतः प्राप्त की जानेवाली सम्पत्तिके लिए क्षतिपूर्ति निश्चय करनेवाले सिद्धान्त।

३६. इस सूचीके किसी भी विषयके सम्बंधमें पूछताँछ करना और आँकड़े लेना।

३७. इससूचीके किसी विषयके बारेमें लिए जानेवाले शुल्क, किन्तु इसमें किसी न्यायालय द्वारा लिये जानेवाले शुल्क सम्मिलित नहीं हैं।

अष्टम परिशिष्ट

[धारा ३०३ (१) (भ)]

परिगणित आदिवासी जातियाँ

भाग १

मद्रास

१—बगता

२—भत्ताडा (भूतगडा)—वड़ा मद्दियाडा, मुधिया भद्दाडा और सन भत्ताडा (छोटा)

३—भूमियाँ—भूरि भूमियाँ और वड़ा भूमियाँ

४—बिसूए (वशई)—बारंजी, जोरिया, बेनागी दादुवा, फरंगी, होलर, झोरिया, कोल्लए, कोड़े, पारंगा, पेंगा जोडिया, सेंडो जोडिया और ताकेरा।

५—डकराडा

६—डोम्ब—अन्धिया डोम्ब, औदिनिया डोम्ब, चोनेल डोम्ब, ईसाई डोम्ब, मिरगानी डोम्ब, उडिया डोम्ब, पोनाका डोम्ब, तेल्टा और उम्मिया।

७—गदबा—बोडा गदबा, सेरलम गदबा, फिरांजी गदबा, जोडिया गदबा, ओल्लारो गदबा, पनगो गदबा और पांगी गदबा,

८—घासी (उनका दूसरा नाम हदी है)—गड़ा घासी और संद घासी।

९—गोंदी या गोंद—मधीया गोंद और राज गोंद।

१०—गावडा—भटगावडा, भरतिया गावडा, दूध करिया, हाट गावडा, जातक गावडा और जोडिया।

११—गावसलिया गावडा—बोरोथरिया गावडा, चिट्टी गावडा, दंगायत गावडा (दूदू कमारिया), (दूदू कमारो), लरिया गावडा और पल्लो सोरिया गावडा।

१२—मगत गावडा—वनिया गावडा, बोडो मगाथा, डंगायाथ गावडा, लाडिया गावडा, पोन्ना मगाया और साना मगाथा।

१३—सीरियी गावडा

१४—हलावा

१५—जाडापू

१६—जातापू

१७—कम्मारा

१८—खत्ती—खत्ती कोमरो और लोहारा

१९—कोदू

२०—कोम्मार

२१—कोण्डा दोरा

२२—कोण्डा कापू

२३—कोन्डा रेडी

२४—कोद या कोंद—देशिया कोद, दाग्रिया कोंद, कुठिया कोंद, टिकिरिया कोंद और एनादी कोंद।

२५—कोटिया—वर्तिका, बेंन उडिया, धुलिया या दुलिया, हालावा पायका, पूतिया, सन्नारना और सिधू पायको।

२६—कोया या रास कोया गावडा राजा, लिंगधारी अपने पर्यों सहित—कोयाह

(साधारण) और कोट्टू कोयास ।

२७—मादीगा

२८—मालाया या कोडिया मालाय या वाल्मीकि ।

२९—माली—कोरजिया माली, पैक्रोमाली और पद्दा माली ।

३०—मन्ने दोराया

३१—मने दोरा

३२—मूक दवारा, नूक दवारा

३३—मूली या मूलिया

३४—मूरिया

३५—ओजलू या मट्टिया कंसाली

३६—इमनातिया

३७—पैगारापू

३८—गलामी

३९—पल्ली

४०—पेंटियास

४१—पोराजा—बोडो, मुण्डा, दारूवा, दिदवाई या कोर, जोडिया, मुन्दिली, पेंगू पीडी और सालिया ।

४२—रेड्डी दोरा

४३—रल्ली या सचान्दी

४४—ररोना

४५—सवरा—कापू सवरा, कुटिया सवरा और मालिया सवरा ।

४६—लकादिवो, मीनीकाय और अमीनदीवी द्वीपों के निवासी ।

भाग २

बम्बई

१—वर्दा

२—ववचा

३—भील

४—चौधरा

५—डक्का

६—धोदिया

७—दुवला

८—गामिट अथवा गमटा

९—गोंड

१०—काठोडी अथवा कटकरी

११—कोकना

१२—कोली महादेव

१३—मावची

१४—नायकडा अथवा नायक

१५—पारधी, जिसमें अदवी चिचेर और फासे पारधीभी सम्मिलित हैं ।

१६—पटेलिया

१७—पोमला

१८—पोवार

१९—रथावा

२०—तडवी भिल्ल

२१—ठाकुर

२२—वडवई

२३—वर्ली

२४—वसावा

भाग ३

पश्चिमी बंगाल

१—भोट

२—चाकमा

३—कूकी

४—लेपचा

५—मुंडा

६—मग

७—म्रो
८—ओरांव
९—संथाल
१०—तिपेरा
११—पश्चिमी बंगालकी सरकार द्वारा विज्ञप्त कोई दूसरी आदिवासी जाति।

भाग ४

संयुक्त प्रान्त

१—भुइया
२—बैसवार
३—बैगा
४—गोंड
५—खरवार
६—कोल
७—ओझा
८—संयुक्त प्रान्तकी सरकार द्वारा विज्ञप्त कोई दूसरी जाति।

भाग ५

पूर्वी पंजाब

स्पितिमें तिब्बती और कांगडा जिलेमें लाहुल

भाग ६

बिहार

(१)—बिहार-राज्यका निवासीजो निम्न जातियों मेसे किसीका सदस्य हो—

१—असुर
२—बंजारा
३—बथुड़ी
४—बेटकर
५—बिंझिया
६—बिरहोर
७—बिरजिया
८—चेरो
९—चिक वराइक
१०—गडावा
११—घटवार
१२—गोंड
१३—गौरैट
१४—हो
१५—जुआग
१६—कुरमाली
१७—खरिया
१८—खरवार
१९—खेतौडी
२०—खोंड
२१—किसान
२२—कोली
२३—कोरा
२४—कोरवा
२५—महली
२६—मल पहाड़िया
२७—मुंडा
२८—ओरांव
२९—पढ़िया
३०—संताल
३१—सौरिया पहाड़िया
३२—सवार
३३—थारू

(२ निम्न जिलों और थानोंमेसे, अर्थात्

राची, सिंहभूम, हजारीबाग और संताल परगनोंके जिलो और मानभूम जिलाके अरशा घलरामपुर, झलडा, जैपुर बाघमुंडा, चेंदिल, इछागढ़, वराहभूम, पटमुदा ादुग्राँ और मन बाजारके थानोंकी निम्न आदिवासी जातियोंमेंसे किसी एकका सदस्य :—

१—ाउरी
२—भोगटा
३—भुइया
४—भूमिज
५—घासी
६—पान
७—रजवार
८—तूरी

(३) धनवाद सबडिवीजन या मानभूम जिलेके किसी निम्न थानोंके अर्थात् पुरुलिया, हुरा, पंच, रघुनाथपुर, संतुरी, निटूरिया, पारा, चस, चन्दन-कियारी और काशीपुरके, भूमिज आदिवासी जातिका कोई निवासी।

भाग ७

मध्यप्रान्त

१—गोंड
२—कवार
३—माड़िया
४—मुंड़िया
५—हलवा
६—परधान
७—ओरॉव
८—विंझवाड़
९—आंधा
१०—भरिया भूमिया
११—कोली
१२—भटरा
१३—बैगा
१४—कोलाम
१५—भील
१६—मुंडहार
१७—कनवार
१८—मैना या वहैना
१९—परजा
२०—कमार
२१—भुंजिया
२२—नगारची
२३—ओझा
२४—कोकू
२५—कोल
२६—नगासिया
२७—सवरा
२८—कवाँ
२९—मझवार
३०—खड़िया
३१—सौंनला
३२—कोढ़िया
३३—निहाल
३४—बरहूल (बिरहोर)
३५—गौतिया
३६—पाडो

भाग ८

आसाम

निम्न जातियाँ तथा समुदाय :—

१—कचारी
२—बोरो अथवा बोरो कचारी
३—राभा
४—मीरी
५—लालुंग

६—मिकिर
७—गारो
८—हजोनकी
६—देवरी
१०—अबोर
११—मिशमी
१२—दाफला
१३—सिफो
१४—खामटी
१५—कोई नागा अथवा कुकी आदि
१६—आसामकी सरकार द्वारा विज्ञत अन्य आदिवासी जाति और समुदाय।

भाग ९

उड़ीसा

(१) उड़ीसाके राज्यका निवासी जो निम्न-लिखित जातियोंमेंसे किसीका सदस्य हो—

१—बगाटा
२—वनजारी
३—चेंचु
४—गडब
५—गोंड
६—जटापू
७—खोंड (कोंड)
८—कोंडा-दोरा
६—कोया
१०—परोजा
११—सावोरा (सवार)
१२—ओंराव
१३—संताल
१४—उड़िया
१५—मुंडा
१६—वनजारा
१७—भिंझिया
१८—किसान
१६—कोली
२०—कोरा

(२) नीचे लिखे किसी क्षेत्र अ... कोरापत और खंडमाल जिले और ग... एजेन्सीका निवासी जो निम्न आदि... जातियों मेंसे किसीका अंग हो :—

१—डोम अथवा डोम्बो
२—पान अथवा पानो

(३) संबलपुरका निवासी जो नीचे लि... किसी आदिवासी जातिका अंग हो :—

१—गौरी
२—भुइया
३—भूमिज
४—घासी
५—दूरी
६—पान अथवा पानो
